



KOCHI METRO RAIL LIMITED

Kochi Metro Rail Limited

A joint venture of Government of India
and Government of Kerala



Annual Report
2021-2022

विषयसू

	पृष्ठ सं.
1. अध्यक्ष का संदेश	04
2. बोर्ड की रिपोर्ट	07
3. नियुगमित अभिशासन रिपोर्ट	22
4. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	31
5. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन)	36
6. वित्तीय विवरण और टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)	46
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)	107
8. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (समेकित)	111
9. वित्तीय विवरण और टिप्पणियाँ (समेकित)	118
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ (समेकित)	180



पंजीकृत कार्यालय

चौथी मंजिल, जे.एल.एन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची- 682017 | केरल, भारत |

फोन: +91 484 2846700/2846770. फैक्स नंबर: +91 484 2970810

www.kochimetro.org

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स जी. जोसेफ एन्ड एसोसिएट्स

शासनपत्रित लेखाकार,

37/2038, पहली मंजिल, मुडुत्तिल लेन,

कडवंतरा, कोचीन 682 020, केरल

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स विवेक सरत एन्ड नौफल

प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव,

डोर संख्या 43/4194 ए, प्रथम तल, स्पान हाइट, अपोलो रोड,

तम्मनम, कोचिन, केरल – 682032

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स,

शासनपत्रित लेखाकार

49/550एक, प्रशांति लेन,

एलमक्करा, कोच्ची- 682026

कंपनी सचिव

श्याम सुंदर अग्रवाल

हमारे बैंक

केनरा बैंक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | एक्सिस बैंक लिमिटेड
आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड | भारतीय स्टेट बैंक | इंडियन बैंक
केरल राज्य सहकारी बैंक



निदेशक मंडल

(27 जुलाई 2022 को)

श्री मनोज जोशी	: अध्यक्ष, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड. सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कमरा सं.122 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली
श्री. जयदीप	: ओ.एस.डी (यूटी) और पदेन संयुक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	: निदेशक वित्त, एन.सी.आर.टी.सी., गतिशक्ति भवन, आई.एन.ए नई दिल्ली - 110023
श्री. डी. के सेनी	: निदेशक परियोजनाएँ, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110 011
श्री. भूपेंद्र सिंह बोध	: एस.ए.जी/आई.आर.एस.ई.ई.ई.डी/आर.ई., रेलवे बोर्ड सेम- बी, 1008, शिप्रा सृष्टि, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी.- 201014
डॉ. वी. पी. जोय	: मुख्य सचिव, केरल सरकार, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम-695 001
श्री. राजेश कुमार सिंह	: अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) केरल सरकार, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम - 695 001
श्री. के.आर. ज्योतिलाल	: प्रमुख सचिव (परिवहन), केरल सरकार, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम - 695 001
श्री. जाफ़र मालिक	: जिलाधीश, जिलाधीश का कार्यालय, एरणाकुलम, काक्कनाड, कोच्ची – 682032
श्री. लोकनाथ बेहरा	: प्रबंध निदेशक, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जे.एल.एन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची- 682017
श्री. डी.के सिन्हा	: निदेशक (प्रणाली), कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जे.एल.एन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची- 682017
श्रीमती अन्नपूर्णा एस.	: निदेशक (वित्त), कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जे.एल.एन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची- 682017
डॉ. एम. पी. रामनवास	: निदेशक (परियोजना), कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, जे.एल.एन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची- 682017



अध्यक्ष का संदेश



श्री मनोज जोशी
अध्यक्ष, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
सचिव - आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
भारत सरकार

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक और ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक और सौहार्दपूर्ण स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट और कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट साथ ही साथ अनुपूरक लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी व एजी) की टिप्पणियाँ आपको पहले ही परिचालित किया जा चुका है और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ।

परिचालन क्षेत्र

कोच्ची मेट्रो के चरण I का सफलतापूर्वक पूर्तीकरण केएमआरएल में, हम सभी के लिए गर्व और संतुष्टि का विषय है। यह बहुत गर्व की बात है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 1 सितंबर 2022 को केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मुहम्मद खान, मुख्यमंत्री श्री पिणराई विजयन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रथम चरण (पेड्डा से एसएन जंक्शन) का उद्घाटन किया। यह खंड अब यात्रियों के लिए चालू है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन जे.एल.एन. स्टेडियम से काक्कनाड होते हुए इंफोपार्क तक के कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी, यह अत्यंत खुशी और प्रसन्नता की बात है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में शामिल किया गया और दिनांक 7 सितंबर 2022 को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भी किया गया।

मुझे विश्वास है कि यह बहुप्रतीक्षित अवसर, परियोजनाओं को पूरा करने और के.एम.आर.एल के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नई ऊर्जा और उत्साह पैदा करेगा।

चरण I बी के संबंध में, एस.एन. जंक्शन से त्रिपुनिथुरा तक के भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। इस खंड का कार्य प्रगति पर है, और वर्ष 2023 के मध्य तक चालू होने की उम्मीद है।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2021-22 सुधार का वर्ष रहा है, और इसने हमें आर्थिक संकट के बावजूद भी महामारी का सामना करने और प्रगति करने का तरीका सिखाया। कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर ने कंपनी के व्यवसाय, यानी यात्री संख्या और गैर-राजस्व गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। सरकार के निर्देशानुसार मेट्रो सेवाएं दिनांक 8 मई, 2021 से 30 जून, 2021 तक बंद रहीं। महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, के.एम.आर.एल टीम महामारी से पहले के स्तर पर सेवाओं/सवारियों को बहाल करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 9694014 थी, जिससे 30.78 करोड़ रुपए का किराया बॉक्स राजस्व प्राप्त हुआ।

इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान, के.एम.आर.एल ने प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न सक्रिय उपायों की शुरुआत की, जैसे कि पीक आवर छूट की पेशकश, प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए प्रदूषण मुक्त ई-बसों का उपयोग करके फीडर बस सेवा की शुरुआत, चयनित मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों के लिए मुफ्त वाई-फाई इंटरनेट सेवाएं आदि। गैर-किराया बॉक्स राजस्व के संबंध में, के.एम.आर.एल विभिन्न खुदरा क्रियोस्क और कार्यालय स्थानों के लिए नए ग्राहकों को प्राप्त करने और वाजार तक पहुंच बढ़ाने हेतु कड़ी मेहनत कर रहा है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले। वैकल्पिक राजस्व सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्टेशनों पर विज्ञापनों के लिए उपयुक्त स्थानों की भी पहचान की गई।

आपकी कंपनी का वर्ष 2021-22 का विस्तृत वित्तीय प्रदर्शन 'बोर्ड की रिपोर्ट' में शामिल किया गया है।

कोच्ची जल मेट्रो परियोजना

कोच्ची वाटर मेट्रो एक अनुठी परियोजना है जिसकी परिकल्पना कोच्ची शहर के आसपास के द्वीपों को शहर से जोड़ने के लिए आधुनिक जल परिवहन अवसंरचना ढाँचे के निर्माण के लिए की गई है।

इस परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए दिनांक 14 जुलाई 2021 को कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड नामक कंपनी का गठन किया गया और यह कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी है।

इस परियोजना की परिकल्पना 76 किलोमीटर की लंबाई वाली 38 जेटी को 78 बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड नौकाओं के साथ जोड़ने की है। यह माल परिवहन और अन्य यात्रियों के लिए जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क का एकीकृत उपयोग सुनिश्चित करता है। यह परियोजना केरल सरकार के स्वामित्व में है।

परियोजना की प्रगति की बात करें तो सितंबर 2019 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 100 यात्री क्षमता वाली 23 नावों का ऑर्डर दिया था और अब तक चार नाव प्राप्त हो चुकी हैं। 14 टर्मिनलों का निर्माण प्रगति पर है। फ्लोटिंग पॉटून, इंटीग्रेटेड ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस), पैसेंजर कंट्रोल सिस्टम (पीसीएस), ड्रेजिंग आदि जैसे संबद्ध घटक समानांतर में प्रगति कर रहे हैं। 50 यात्री नौकाओं के लिए निविदा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

के.एम.आर.एल. द्वारा पर्याप्त जनशक्ति जैसे नाव चालक दल, टर्मिनल नियंत्रक आदि की भर्ती पहले से ही की जा चुकी है। हाई-कोर्ट-वैपिन, हाई कोर्ट-बोलगट्टी, वैटिला-काक्कनाड मार्गों में वाटर मेट्रो के उद्घाटन अक्टूबर 2022 को आयोजित करने की उम्मीद है।

अन्य पहल

के.एम.आर.एल ने गैर-मशीनीकृत परिवहन योजनाओं (एनएमटी) के तहत शहरी भूमि-निर्माण पहल के हिस्से के रूप में कुन्नरा पार्क का पुनर्विकास और तैक्कूडम मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी का काम ले लिया है और यह परियोजना पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, एन.एम.टी पहल के हिस्से के रूप में के.एम.आर.एल ने अलुवा से एडप्पल्ली तक और मनोरमा जंक्शन से एस.एन जंक्शन तक पैदल मार्ग निर्माण और नवीकरण कार्य शुरू किया है।

दिनांक 17 जून 2017 को, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने केरल के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के भव्य उपस्थिति में कोच्ची केरल के लोगों को कोच्ची मेट्रो समर्पित किया। चूंकि यह कोच्ची मेट्रो के इतिहास में सबसे यादगार दिन है, इसलिए बोर्ड ने दिनांक 17 जून को केरल मेट्रो रेल दिवस के रूप में घोषित किया।

17 जून 2022 को के.एम.आर.एल ने पहली बार केरल मेट्रो रेल दिवस मनाया। केरल के माननीय राज्यपाल वस्तुतः अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए।

आभारोक्ति

मैं अपने सम्माननीय यात्रियों, कोच्ची के नागरिकों और केरल के लोगों को उनके अटूट विश्वास और प्रोत्साहन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार और केरल सरकार के विभिन्न विभागों, सभी पणधारियों, निदेशक मंडल, बैंकों, शेरधारकों, श्रमिक संघ, प्रिंट, ऑडियो-विजुअल और सोशल मीडिया आदि को के.एम.आर.एल परियोजना के लिए उनके निरंतर समर्थन हेतु अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।



मैं इस अवसर पर के.एम.आर.एल के प्रबंध निदेशक, निदेशकों और अन्य कर्मचारियों के अंतहीन समर्थन के समर्पण और प्रयासों की सराहना करता हूँ। हम हमेशा कोच्ची में एक परेशानी मुक्त जीवन, काम और यात्रा के लिए सुरक्षित, आरामदायक और किफायती तरीके से सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

सधन्यवाद,

ह0/-

(मनोज जोशी)

अध्यक्ष, के.एम.आर.एल

सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

भारत सरकार



बोर्ड की रिपोर्ट 2021-22

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1.0 राजस्व संचालन की स्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष के 167.46 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष अलुवा से पेड्डा तक के कुल 25.2 कि.मी. की दूरी के मेट्रो ट्रेन संचालन से प्राप्त किराया बॉक्स राजस्व, गैर-किराया बॉक्स राजस्व, बाहरी परियोजना और बीमा दावा आदि सहित प्राप्त कुल राजस्व 142.31 करोड़ रुपए हैं।

वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय ₹.118.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹. 111.95 करोड़) रुपए, मूल्यहास और परिशोधन व्यय, वित्त लागत, अन्य व्यापक आय और कर व्यय से पहले लाभ पिछले वर्ष के 55.51 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 23.97 करोड़ रुपए हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में बाढ़ से हुए नुकसान के 10.92 करोड़ रुपए के बीमा दावों को छोड़कर, कुल लाभ 13.05 करोड़ रुपए थे। [पिछले साल 16.23 करोड़ रुपए का घाटा]।

वर्ष के दौरान मूल्यहास और परिशोधन व्यय, वित्त लागत, अन्य व्यापक आय और कर व्यय के समायोजन के बाद की हानि 339.55 करोड़ (पिछले वर्ष 334.90 करोड़) रुपए हैं।

वित्तीय परिणाम का एक स्नैपशॉट नीचे दिया गया है:

रुपए : लाखों में

विवरण	2021-22	2020-21
सकल आय	14230.79	16746.07
परिचालन व्यय	11834.93	11194.58
व्याज और मूल्यहास से पहले लाभ/(हानि)	2395.86	5551.49
वित्त प्रभार	(18854.68)	(18787.03)
सकल लाभ/(हानि)	(16458.82)	(13235.55)
अन्य व्यापक आय	17.84	(23.03)
मूल्यहास के लिए प्रावधान	(17513.84)	(20231.25)
कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(33954.82)	(33489.82)
कर का प्रावधान	-	-
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	(33954.82)	(33489.82)

1.1 शेयर पूंजी और अधीनस्थ ऋण

दिनांक 31 मार्च 2022 को के.एम.आर.एल की कुल भुगतान किया गया शेयर पूंजी 1507.46 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1507.46 करोड़ रुपए) है। आपकी कंपनी को भारत सरकार तथा केरल सरकार से स्वीकृत इक्विटी-निधि शेयर का 100% प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार और केरल सरकार ने केंद्रीय करों के उप ऋण का अपना पूरा हिस्सा प्रत्येक 248.50 करोड़ ₹.जारी कर दिया है। केरल सरकार ने राज्य करों की प्रतिपूर्ति के लिए 237.33 करोड़ रुपए और भूमि अधिग्रहण के लिए 672.25 करोड़ रुपए, जिसमें से 366 करोड़ रुपए, केरल सरकार की ओर से केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से बैंक टू बैंक ऋण के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं।



आपकी कंपनी को विभिन्न व्यय मदों के तहत अधीनस्थ ऋण के रूप में 666.88 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

1.2 लाभांश

लाभांश के भुगतान योग्य लाभ की अनुपलब्धता के कारण, आपके निदेशक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करते हैं।

1.3 आरक्षित निधि में स्थानांतरण

आपके निदेशक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए किसी भी राशि को आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

1.4 सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण

31 मार्च, 2022 तक चरण I के लिए ए.एफ.डी और केनरा बैंक से कुल बकाया ऋण क्रमशः 1152.51 करोड़ रुपए और 1372.78 करोड़ रुपए हैं। 31 मार्च, 2022 तक केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्टियम से चरण I के विस्तार के लिए कुल बकाया ऋण 395.23 करोड़ रुपए हैं।

उपरोक्त के अलावा, परियोजना कार्य, प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण, चरण I परियोजना के लिए लागत वृद्धि, ब्याज सेवा और ऋण चुकौती के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत के रूप में केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और हड़को से सावधि ऋण लिया गया है। दिनांक 31.03.2022 को केरल राज्य सहकारी बैंक और हड़को से बकाया राशि क्रमशः 235 करोड़ और 605.05 करोड़ रुपए हैं।

दिनांक 31.03.2022 तक केनरा बैंक से कोविड सहायता के हिस्से के रूप में कार्यशील पूंजी मांग ऋण सहित 34.83 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण बकाया है।

आपकी कंपनी को मेसर्स इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2079.67 करोड़ रुपए की बैंक ऋण सुविधा और 90 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण के लिए आईएनडी ए.-स्थिर का दर्जा दिया गया है।

2.0 परियोजना की प्रगति

2.1.1 चरण 1ए और चरण 1बी


क) चरण 1ए (पेट्टा से एस.एन जंक्शन तक)

चरण 1ए की अनुमोदित लागत 710.93 करोड़ रुपए हैं। इस खंड में एस एन जंक्शन और वडक्केकोट्टा जैसे दो स्टेशनों सहित 1.80 कि.मी. का वायडवट शामिल है। चरण 1ए खंड का सी.एम.आर.एस (मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त) निरीक्षण दिनांक 9 से 11 जून 2022 तक को आयोजित किया गया था और तदनुसार सी.एम.आर.एस ने खंड के वाणिज्यिक संचालन के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया। उक्त खंड कमीशनिंग के लिए तैयार है।

काम की स्थिति

प्रगति के प्रमुख तत्व नीचे दिए गए हैं:


i) प्रारंभिक कार्य



ii) सिविल और वास्तुकला कार्य



iii) प्रणाली कार्य



30/06/2022 को चरण 1ए की समग्र भौतिक प्रगति 94% है जबकि वित्तीय प्रगति 68% है।


ख) चरण- 1बी (एसएन जंक्शन से त्रिप्पुनीचुरा टर्मिनल तक)


चरण 1बी एक स्टेशन सहित 1.20 कि.मी. लंबाई पर एस.एन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिप्पुनीचुरा टर्मिनल स्टेशन तक है। संशोधित परियोजना लागत 448.33 करोड़ रुपए है। चरण 1बी का भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। इस खंड का काम प्रगति पर है और सितंबर 2023 तक चालू होने की उम्मीद है।

2.2. काम की स्थिति


प्रगति के प्रमुख तत्व नीचे दिए गए हैं:

I. प्रारंभिक कार्य





II. प्रणाली कार्य



30/06/2022 को चरण I की समग्र भौतिक प्रगति 30.50% है, जबकि वित्तीय प्रगति 48.95% है।

2.3.0 चरण II की परियोजना की स्थिति

व्यय विभाग, भारत सरकार ने जेएलएन स्टेडियम से कावकनाड होते हुए इन्फोपार्क तक के कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए 1957.05 करोड़ रुपये के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है; इसकी सूचना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पत्र संख्या के-14011/08/2015-एमआरटीएस-IV दिनांकित 26 फरवरी 2019 के माध्यम से किया गया। उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 13.03.2020 को आयोजित सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी) की बैठक में विचार किया गया। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दो अभ्यावेदन/प्रश्नों का उत्तर दिया गया। फिलहाल इस परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की प्रतीक्षा है।

2.3.1 चरण II के विभिन्न संबद्ध कार्यों की स्थिति:

(क) प्रारंभिक कार्य भाग- I: केरल सरकार ने चरण II के प्रारंभिक कार्यों के लिए 291.53 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है और अब तक 40% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। जे.एल.एन स्टेडियम से कुन्नुपुरम (4.5 कि.मी) तक के प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है, और उक्त कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। 30/06/2022 को जे.एल.एन स्टेडियम से कुन्नुपुरम तक के प्रारंभिक कार्यों की भौतिक प्रगति 17% है जबकि वित्तीय प्रगति 17% है।

(ख) प्रारंभिक कार्य भाग- II: केरल सरकार ने आदेश संख्या (एमएस) 73/2018/ट्रांस के तहत चरण II के प्रारंभिक कार्य पैकेज के रूप में 2.5 कि.मी तक सीपोर्ट-एयरपोर्ट रोड को चौड़ा करने के लिए 74.07 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। मेट्रो कॉरिडोर के साथ कावकनाड सिग्नल जंक्शन से इन्फोपार्क तक के 2.5 कि.मी. सीपोर्ट-एयरपोर्ट रोड एक्सप्रेस-वे के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। 30/06/2022 को इसकी भौतिक प्रगति 50% और वित्तीय प्रगति 48.8% है।



3.0 बिलस सिटी

केरल सरकार ने वर्ष 2013 में सरकारी आदेश के तहत कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड को धनार्जन और गैर-फेयर-बॉक्स राजस्व हेतु 17.43 एकड़ भूमि आबंटित की है। के.एम.आर.एल ने उसी क्षेत्र में अतिरिक्त 14 एकड़ (लगभग) भूमि के लिए अनुरोध किया था। तदनुसार, केरल सरकार ने सरकारी आदेश संख्या (एमएस) : 169/2022/आरडी दिनांकित 24/06/2022 के अनुसार उसी क्षेत्र के आसपास में 14 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में 14 एकड़ भूमि को सौंपने की प्रक्रिया प्रगति पर है। व्यवहार्यता अध्ययन के लिए नियुक्त सलाहकार ने कुल 31.43 एकड़ (लगभग) भूमि की एक विस्तृत अंतिम परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन है। इस बीच, के.एम.आर.एल मनोरंजन, आईटी, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर्यटन, शिक्षा क्षेत्र आदि सहित एक मिश्रित उपयोगवाली विकास परियोजना का इरादा रखता है। 'एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट' के बाद, प्रस्तावित व्यापार मॉडल के आधार पर रियायतग्राही या विकासकर्ता को अंतिम रूप देने के लिए आरएफपी जारी किया जाएगा।

4.0 एकीकृत जल परिवहन परियोजना (जल मेट्रो परियोजना)

4.1 सामान्य

कोच्ची जल मेट्रो, विशाल कोच्ची क्षेत्र के द्वीपों को आपस में जोड़ने वाले आधुनिक जल परिवहन, बुनियादी ढाँचे के निर्माण की परिकल्पना के लिए की गई एक अनूठी परियोजना है। इस परियोजना की परिकल्पना 78 बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड नौकाओं से 76 किलोमीटर की लंबाई वाली 38 जेटियों को जोड़ने के लिए की गई है। यह माल और यात्रियों दोनों के लिए जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क का एकीकृत उपयोग सुनिश्चित करता है। यह परियोजना केरल सरकार के स्वामित्व में है। परियोजना की स्वीकृत लागत (नावों की एक तिहाई लागत को छोड़कर) 682.01 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से 579.71 करोड़ रुपये के एफ.डबल्यू द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। डी.ई.ए के माध्यम से के.एफ.डबल्यू के लागत वृद्धि का अनुरोध संसाधित किया जा रहा है। केरल सरकार ने जून 2021 को 1064.83 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना लागत के लिए मंजूरी दी।

4.2 प्रगति अद्यतन:

सितंबर 2019 में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 100 यात्रियों की क्षमता वाली 23 नावों का ऑर्डर दिया, जिनमें से दो अब तक प्राप्त हो चुकी हैं। उम्मीद है कि अगस्त/सितंबर 2022 तक तीन और नाव भी वितरण की जाएगी। 14 टर्मिनलों का निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 6 जुलाई 2022 के अंत तक तैयार हो जाएंगे। फ्लोटिंग पॉट्टन, एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (आई.टी.एम.एस), यात्री नियंत्रण प्रणाली (पी.सी.एस), ट्रेजिंग आदि जैसे संबद्ध घटक इसके बराबर प्रगति कर रहे हैं। 50 यात्री क्षमता वाली नावों के लिए एक निविदा पहले ही जारी की जा चुकी है। (30 तक बढ़ाने के विकल्प के साथ 15 संख्या)

जल मेट्रो का ए.एफ.सी का काम 2 घाटों पर पूरा हो चुके हैं जबकि अतिरिक्त 06 घाटों पर योजना के अनुसार कार्य प्रगति पर है।

के.एम.आर.एल ने पहले से ही पर्याप्त जनशक्ति जैसे नाव चालक दल, टर्मिनल नियंत्रक आदि की भर्ती की है। जल मेट्रो के हाईकोर्ट-वाइपिन, हाईकोर्ट-बोलगट्टी-साउथ चिडूर और वैट्टिला-कावकनाड मार्गों का उदघाटन सितंबर 2022 में आयोजित की जाने की उम्मीद है।

5.0 एकीकृत शहरी पुनर्वास और जल परिवहन प्रणाली (आई.यू.आर.डबल्यू.टी.एस) परियोजना

आपकी कंपनी ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 41.27 हेक्टेयर निजी भूमि और 2.79 हेक्टेयर सरकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए राजस्व विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राजस्व विभाग ने आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है और जिला प्रशासन के साथ भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। 5 नहरों में से प्रत्येक में भूमि सीमांकन और सामाजिक प्रभाव अध्ययन प्रगति पर है।

परियोजना शुरू करने के लिए वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और सभी प्रकार के प्रारंभिक अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।

आपकी कंपनी ने मार्केट नहर की प्रारंभिक सफाई पूरी कर ली है और मार्केट नहर के लिए निविदा के लिए फंडिंग एजेंसी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और इसके लिए निविदा आमंत्रित किया है।

6.0 प्रणाली अनुबंध

क. सिग्नलिंग और दूरसंचार

मुद्रम डिपो में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा कार्य पूरा हो चुका है। चरण 1ए का सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्य पूरा कर लिया गया है और सीएमआरएस स्वीकृति भी प्राप्त हुई। यात्रियों की मेट्रो दूरसंचार जरूरतों को पूरा करने के लिए सी.सी.टी.वी, पी.आई.डी.एस, पी.ए.एस, एफ.ओ.टी.एस और टेटा जैसे सभी दूरसंचार उपकरण चालू किए गए हैं। त्रिपुनित्तुर टर्मिनल तक के चरण 1बी का सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्य प्रगति पर है।



ख. बिजली आपूर्ति और कर्षण और विद्युत और यांत्रिक

एक सहायक सबस्टेशन और एक सहायक + ट्रेक्शन सबस्टेशन युक्त चरण Iए परियोजना की बिजली आपूर्ति और कर्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है तथा इसका सीएमआरएस निरीक्षण भी पूरा हुआ और इसे राजस्व सेवा का प्राधिकार भी प्राप्त हुआ।

चरण-I परियोजना के सभी विद्युत और यांत्रिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। प्रणाली में दो स्टेशनों के एल.वी स्विचबोर्ड, लाइटिंग, फायर सिस्टम और एच.वी.ए.सी आदि शामिल हैं। राजस्व सेवा के लिए दो स्टेशनों के लिए अग्नि प्रमाणन और दो स्टेशनों के लिए सी.एम.आर.एस स्वीकृति प्राप्त कर लिया है। 7 एस्केलेटर और 7 लिफ्ट वाले 2 स्टेशनों के चरण Iए खंड को चालू कर दिया गया है और यात्री संचालन के लिए सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

ग. सौर संयंत्र

के.एम.आर.एल सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

के.एम.आर.एल ने पहले ही 5.389 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र चालू किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष के दौरान, स्थापित क्षमता में 4.5 मेगावाट (जुलाई 2022 तक) को और जोड़ा गया। इसके साथ ऊर्जा तटस्थता 54% तक पहुँच गई है। इसके अलावा 655 मेगावाट कमीशन की के लिए तैयार है, पूरा होने पर ऊर्जा तटस्थता 57% हो जाएगी।

अगले चरण में, के.एम.आर.एल, सौर संयंत्र को चालू करने के लिए चरण I एक्सटेंशन स्टेशन रूफ टॉप, पार्किंग की छतें, डिपो के अंदर के अतिरिक्त जगह भी विकसित की जाएगी। 100% ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करने के लिए के.एम.आर.एल ने ऑफ-साइट सौर संयंत्रों को विकसित करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

घ. स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली

चालू वर्ष के दौरान, विभिन्न स्टेशनों पर 24 टिकट वेंडिंग मशीन (टी.वी.एम) स्थापित करके स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली में टिकट सुविधा को बढ़ाया गया। विभिन्न श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं को पीक/ऑफ-पीक दर और छूट प्रदान करने के लिए एफसी प्रणाली में सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है।

चरण Iए (वडक्केकोट्टा और एस.एन जंक्शन) का ए.एफ.सी कार्य पूरा हो चुका है और सी.एम.आर.एस की मंजूरी प्राप्त की गई है। योजना के तहत चरण Iबी का कार्य प्रगति पर है।

ड. आईटी पहल

- **पेट्रोल सॉफ्टवेयर:** नए पेट्रोल सॉफ्टवेयर सरल (SARAL) का कस्टमैरिजेशन पूरा हो चुका है और यह जून 2021 से चालू है।
- **साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा:** सुरक्षा और साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा सितंबर 2021 में राज्य इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
- **आगतुक्त प्रबंधन प्रणाली:** एक आंतरिक आगतुक्त प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है और यह सितंबर 2021 से कॉर्पोरेट कार्यालय में संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

7.0 संचालन और रखरखाव

7.1 संचालन

कोविड-19 के कारण वर्ष के दौरान ट्रेन संचालन बाधित रहीं और सेवाओं को दिनांक 8 मई-2021 से 30 जून-2021 तक निलंबित करना पड़ा।

वर्ष के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 9694014 थीं, जिससे 30.78 करोड़ रुपये का किराया बॉक्स राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान 99.96% की औसत समयनिष्ठा के साथ 1475721 किलोमीटर की दूरी की 62311 यात्राएं कीं।

7.2 यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम

यात्रियों के संख्या बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कई उपाय किए गए। कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे सूचीबद्ध हैं:

क) किराए पर छूट: गैर-पीक घंटों के दौरान यानी 06:00 से 08:00 और 20:00 से 22:50 बजे तक, कोच्ची मेट्रो द्वारा सभी यात्रियों को टिकट किराए पर 50% की छूट की पेशकश किया गया। के.एम.आर.एल. ने यह ऑफर सभी तरह के टिकटों के लिए पेश किया है। विभिन्न श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं जैसे छात्रों, कोविड के फ्रंटलाइन वॉरियर्स (चिकित्सा/पुलिस/ सहायक कर्मचारी), शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए यह छूट पेश की गई।

ख) ई-बस :

कोच्ची मेट्रो ने अपने यात्रियों के लिए पहली और अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए प्रदूषण मुक्त ई-बसों का उपयोग करते हुए फीडर बस सेवा शुरू की है। क्वीन स्मार्ट बस



लिमिटेड (के.एस.बी.एल) को फीडर के रूप में संचालित करने के लिए 10 ई-बसों के लिए लाइसेंस दिया गया है, जिनमें से 7 ने संचालन शुरू कर दिया है। ई-बस, अंगमाली, एयरपोर्ट, इन्फोपार्क और नोर्ट परवूर से विभिन्न मेट्रो स्टेशनों को जोड़ती है।

ग) ट्रेनों में वाई-फाई

कोच्ची मेट्रो ने ट्रेन के अंदर कुछ निश्चित स्थानों पर मेट्रो ट्रेनों में से एक पर अपने यात्रियों को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का एक पायलट परियोजना शुरू की है। यदि इस परियोजना पर्याप्त उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करती है, तो सेवाओं को अन्य मेट्रो ट्रेनों में विस्तारित किया जाएगा।

घ) सार्वजनिक शिकायत, प्रतिक्रिया और सुझावों को संभालना

हमारे मौजूदा यात्रियों के निरंतर कल्याण के लिए, के.एम.आर.एल ग्राहक संबंध प्रकोष्ठ विभिन्न माध्यमों से यात्रियों तक पहुंचता है। वर्ष के दौरान, यात्रियों के लाभ के लिए व्हाट्सएप सर्विस सपोर्ट प्लेटफॉर्म पेश किया गया।

वर्ष के दौरान, कुल 22277 यात्री प्रश्न प्राप्त हुए। (93% पूछताछ, 3% सामान्य शिकायतें, 3% खोई और पाई गई प्रश्न और 1% सुझाव)।

के.एम.आर.एल. ग्राहक सेवा पर उपलब्ध 75549 यात्री संपर्क नंबरों का उपयोग करके टेलीफोनिक सर्वेक्षण शुरू किया गया, 42718 यात्रियों से संपर्क किया और सेवाओं के विभिन्न पहलुओं में सुधार हेतु उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की गई।

7.3 गैर-किराया राजस्व में वृद्धि:

वर्ष के दौरान, स्टेशनों पर कियोस्क और कार्यालय स्थानों के लिए उपयुक्त अप्रयुक्त क्षेत्रों की पहचान की गई, उक्त जगह को किराए पर देने के लिए एक सार्वजनिक नीलामी भी आयोजित की गई। वैकल्पिक राजस्व अर्जित करने के भाग के रूप में, स्टेशनों पर विज्ञापनों के लिए उपयुक्त स्थानों की भी पहचान की गई।

7.4 सुरक्षा प्रबंधन:

वर्ष 2022 के लिए आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा योजना के भाग के रूप में, के.एम.आर.एल ने कर्मचारियों और सभी पणधारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों की समीक्षा की। अपनी स्थापना के बाद दूसरी बार इन क्षेत्रों का लेखापरीक्षा किया गया।

इसके अलावा, संचालन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान 13 मॉक ड्रिल और 1096 विभिन्न रात्रि अभ्यास आयोजित किए गए। सुरक्षा संबंधी विभिन्न गतिविधियों के साथ संरक्षा सप्ताह मनाया गया।

7.5 प्रशिक्षण:

वर्ष के दौरान, सी.बी.टी कक्षा सुविधाओं का उपयोग करते हुए नए स्टेशन नियंत्रण/ ट्रेन ऑपरेटर्स के लिए ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक परीक्षा आयोजित की गई। प्रारंभिक महीनों में नवनियुक्त आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। ग्राहक संबंध प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के लिए एक संक्षिप्त प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया।

लॉकडाउन अवधि के दौरान, के.एम.आर.एल के अधिकारियों के लिए दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर ज्ञान बढ़ाने हेतु एक विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की गई।

महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) के दो बैचों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। पहले बैच में ओ.सी.सी नियंत्रकों के 18 दिनों के प्रशिक्षण में 17 नियंत्रकों ने भाग लिया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। दूसरे बैच में एमएमएमओसीएल के 34 दिनों के सिग्नलिंग और ट्रेन नियंत्रण प्रणाली प्रशिक्षण में 15 सिग्नलिंग स्टाफ ने भाग लिया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया।

7.6 नवाचार और नई प्रथाएँ

7.6.1 संचालन और रखरखाव प्रबंधन प्रणाली

संचालन और रखरखाव विभाग के संचालन और रखरखाव की ई-गवर्नेंस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल यूआरएल <https://omms.kochimetro.org> पर उपलब्ध कराया गया है। यह पोर्टल, वेब-आधारित डैशबोर्ड पर उसके संचालन और रखरखाव कार्यक्रमों का प्रबंधन करने के लिए ओ & एम के तहत के विभिन्न विभागों को सक्षम बनाता है, अब तक विकसित मॉड्यूल को उत्पादन में लगाया गया है और ओ & एम के तहत विभागों द्वारा इसका सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। एप्लिकेशन पूरी तरह से एक इन-हाउस टीम द्वारा विकसित किया गया है और सर्वोत्तम सुविधाजनक ओपन सोर्स तकनीकों का लाभ उठाते हुए उपलब्ध हार्डवेयर पर होस्ट किया गया है।



7.6.2 ऑटो रेल ल्यूब्रिकेशन प्रणाली

ट्रैक के सभी चेक रेल कर्व स्थानों में ऑटो रेल ल्यूब्रिकेशन प्रणाली स्थापित की गई है। इस प्रावधान से व्यस्त समय के दौरान रेलगाड़ियों के आवागमन के साथ संचालित करने में सक्षम बनाया, जो पहले संभव नहीं था।

7.6.3 पाँच स्टेशनों में ई-बस चार्जिंग का प्रावधान:

ALVA, KLMT, EDAP, KALR और VYTA स्टेशनों पर ई-बस चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इससे फीडर ई-बसों के कुशल संचालन में आसानी हुई।

7.6.4 ट्रेनों के लिए विशिष्ट नाम पहचान निर्दिष्ट करना

कोच्ची मेट्रो के प्रचार अभियान के एक हिस्से के रूप में, प्रत्येक ट्रेन को विशेष नाम दिए गए। ट्रेन के नाम ट्रेन के बाहरी एलईडी डिस्प्ले (फ्रंट डेस्टिनेशन इंडिकेटर (FDI) और साइड डेस्टिनेशन इंडिकेटर (SDI) पर प्रदर्शित किए गए हैं।

7.6.5 डिपो अस्तबल लाइनों तक पहुँच

ट्रेन संचालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टेबलिंग लाइन पर ट्रेनों के एक्सेस ट्रैक को स्टेबलिंग बे लाइन्स (एसबीएल) के पीछे के छोर पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस संबंध में कर्मियों की आवाजाही पर बाधा डालने वाली मौजूदा बफर स्टॉप सिग्नल को हटा दिया गया है। भौतिक बफर स्टॉप के लिए उपयुक्त के रूप में डिजाइन किए गए नए संशोधित सिग्नलों का निर्माण, स्थापित और चालू किया गया।

8.0 ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण का संरक्षण

8.1 ऊर्जा का संरक्षण

सभी मेट्रो स्टेशनों, कार्यालयों, डिपो क्षेत्रों, वायडवट, पार्किंग क्षेत्रों, संपत्ति विकास क्षेत्रों, ट्रेनों के आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों में और जहाँ भी प्रकाश की आवश्यकता होती है, वहाँ ऊर्जा कुशल एल.ई.डी लाइटिंग का उपयोग किया जाता है, नवनिर्मित चरण-1 ए खंड में प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा की बचत होती है।

चरण-1 विस्तार स्टेशनों पर एस्केलेटर में ऊर्जा बचत मोड को सक्षम करके ऊर्जा बचत में सुधार किया गया है।

लिफ्टों और एस्केलेटरों के लिए वीवीवीएफ (वैरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी) ड्राइव का उपयोग किया जाता है, जो यात्रियों के न होने पर लिफ्ट के लिए स्लीप मोड और एस्केलेटर के लिए एक निष्क्रिय, या धीमी मोड प्रदान करता है। चरण -1 एक्सटेंशन स्टेशनों में भी यही प्रदान किया गया है।

8.2 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

के.एम.आर.एल. ने सौर ऊर्जा नीति अपनाई है और पूर्ण ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। के.एम.आर.एल. ने पहले ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के दो चरणों को चालू कर दिया है, जैसे कि 2670 kWp रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट और 2719 kWp ग्राउंड माउंटेड टाइप, दोनों को मिलाकर कुल बिजली क्षमता 5389kWp हो गई है।

सौर परियोजना के तीसरे चरण में मुद्रम डिपो ट्रैक लोकेशन, खुली स्थिर लाइनों के साथ-साथ सौर संयंत्र की स्थापना के लिए संरचना को लक्षित करता है। 5202 kWp की क्षमता वाली सौर परियोजना का तीसरा चरण पूरा हो रहा है, जिसमें से 4547 kWp चालू हो गया है।

8.3 ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूँजी निवेश

के.एम.आर.एल. का उद्देश्य नवाचार और प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए प्रयास करना है और जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ पर निवेश भी किया जाता है। सौर ऊर्जा परियोजनाएँ रेस्को मॉडल पर कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें के.एम.आर.एल. ने कोई पूँजी निवेश नहीं किया है।

8.4 प्रौद्योगिकी अधिग्रहण

i) प्रौद्योगिकी अधिग्रहण की दिशा में किए गए प्रयास:

(क) पीआईडी (यात्री सूचना प्रदर्शन प्रणाली) जैसे दूरसंचार उपकरण ऑफ-पीक घंटों के दौरान बिजली बचाने के लिए प्लेटफॉर्म और कॉनकोर्स पर स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं।

(ख) अप्रयुक्त अंतराल या खाली क्षेत्रों पर बिजली की बर्बादी को कम करने के लिए चरण-1 विस्तार स्टेशनों में टॉयलेट में ऑक्जिपेंसी सेंसर-आधारित प्रकाश व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रकाश नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाती है।



ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे व्युत्पन्न लाभ:

के.एम.आर.एल ने पहले ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के दो चरणों को चालू कर दिया है, जैसे कि 2670 kWp रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट और 2719 kWp ग्राउंड माउंटेड टाइप, दोनों को मिलाकर कुल बिजली क्षमता 5389 kWp हो गई है।

सौर परियोजना के तीसरे चरण में, मुट्टम डिपो ट्रैक लोकेशन, सौर संयंत्र को माउंट करने के लिए संरचना के साथ खुली स्थिर लाइनें और हाल ही में चालू किए गए मेट्रो स्टेशन और प्रवेश-निकास भवन की छतें आदि लक्षित क्षेत्र हैं। 5202 kWp की क्षमता वाली सौर परियोजना का तीसरा चरण पूरा हो रहा है, जिसमें से 4547 kWp चालू हो गया है।

के.एम.आर.एल., विद्युत नेटवर्क के चरण- I, चरण- I ए, में सक्रिय फिल्टर और शंट रिएक्टर निम्नलिखित के लिए प्रदान किए जाते हैं:

- (क) सिस्टम पावर फैक्टर को एक समान रखने के लिए,
- (ख) आई.ई.ई.ई.-519 की अनुमेय सीमा के भीतर सिस्टम हार्मोनिक बनाए रखने के लिए,
- (ग) प्रणाली में नुकसान कम करने के लिए।

सक्रिय फिल्टर और शंट रिएक्टरों के प्रावधान ने के.एम.आर.एल को पीएफ को 0.4 -0.5 से 0.9 - यूनिटी रेंज तक सुधार करने में मदद की। प्रतिक्रियाशील बिजली क्षतिपूर्ति प्रणाली प्रावधान ने के.एम.आर.एल को नुकसान और मांग शुल्क को कम करने में मदद की।

iii) आयातित प्रौद्योगिकी के संदर्भ में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गणना वित्तीय वर्ष की शुरुआत से की जाती है):

नवाचार और प्रौद्योगिकी की उन्नति की दिशा में प्रयास और जहाँ आवश्यक हो उसमें निवेश भी करना संगठन का एक लक्ष्य रहा है। सौर परियोजनाएं रेस्को मॉडल पर कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें के.एम.आर.एल ने पूंजी निवेश नहीं किया है।

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण:

चरण - I विस्तार परियोजना के संविदात्मक चरण में ही प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए आवश्यक प्रावधान अपनाए गए हैं, तदनुसार, के.एम.आर.एल के लिफ्ट और एस्केलेटर भारत में क्रमशः केवल 80% और 51% स्थानीय उत्पादों के साथ निर्मित किए गए हैं। इससे लिफ्ट और एस्केलेटर की लागत में काफी कमी आई है। कलपुर्जे और घटकों के स्वदेशीकरण के प्रयास जारी है।

- (ख) आयात का वर्ष: 2021-2022 (केवल स्पेयर पार्ट्स)
- (ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अपनाई गई है: कुछ घटक हैं जो अभी भी आयात पर निर्भर हैं।
- (घ) यदि पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है, तो ऐसे क्षेत्र जिसे अपनाया नहीं हुआ है, और इसके कारण: निर्माताओं की अनुपलब्धता।

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय: लागू नहीं।

9.0 मानव संसाधन

- I. के.एम.आर.एल के मानव संसाधन विभाग की भूमिका कंपनी की व्यावसायिक जरूरतों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच सही संतुलन बनाना है। के.एम.आर.एल के मिशन और विजन के प्रति सच्चे रहते हुए, कंपनी, 'कर्मचारी सशक्तिकरण' के मूल्य का अनुसरण करती है और कार्य संस्कृति, कर्मचारी जुड़ाव, उत्पादकता, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है।
- II. मेट्रो रेल, जल परिवहन एवं राजस्व संचालन में चल रही परियोजना गतिविधियों को देखते हुए कर्मचारियों की कीर्ती एवं क्षमता निर्माण का कार्य जारी है। 31 मार्च 2022 तक, के.एम.आर.एल के पास समर्पित कर्मियों की एक टीम है, जिसमें परियोजना प्रभाग में 97 लोग, संचालन और रखरखाव प्रभाग में 378 और जल परिवहन प्रभाग में 15 लोग शामिल हैं।
- III. कुडुम्बश्री (गरीबी उन्मूलन और महिला अधिकारिता के लिए केरल सरकार की पहल) के सहयोग से, ट्रांसजेंडर समुदाय सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और समावेशी विकास सुनिश्चित करके, के.एम.आर.एल मेट्रो रेल स्टेशनों को "उत्कृष्टता के महिला संचालित केंद्र" के रूप में प्रबंधित करता है। कोच्ची मेट्रो में 60 फीसदी से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। कोच्ची मेट्रो में दुकान के फर्श से लेकर प्रबंधन पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों तक पूरे संगठन में महिलाओं की मजबूत उपस्थिति है।



- IV. ट्रेन संचालकों से लेकर उन टिकट काउंटर चलाने वालों तक, स्टेशनों के समग्र नियंत्रण से लेकर हाउसकीपिंग तक, सुरक्षा कर्मियों से लेकर अभियंता तक, यहाँ महिलाओं की उपस्थिति ने कोच्ची मेट्रो को सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण बना दिया है।
- V. कोच्ची मेट्रो में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को तैनात किया गया है, जो पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा के कार्यबल में शामिल किया गया है।
- VI. के.एम.आर.एल ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु सभी सरकारी निर्देशों, प्रोटोकॉल और एहतियाती उपायों का पालन किया है।

9.1 आरक्षित श्रेणी का रोज़गार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग व्यक्ति/अन्य पिछड़े वर्ग आदि के लिए सेवाओं के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक, कंपनी ने 61 अनुसूचित जाति, 5 अनुसूचित जनजाति, 245 अन्य पिछड़ा वर्ग, 9 भूतपूर्व सैनिक और 5 विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान किया।

के.एम.आर.एल का प्रबंधन हमेशा महसूस करता है कि संगठनात्मक उद्देश्यों की सफल उपलब्धि के लिए प्रेरित और संतुष्ट कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी मानव संसाधन विकास और इसकी क्षमता को साकार करने की दिशा में अपना काम जारी रखता है। कंपनी में नियोजित-कर्मचारी संबंध पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण बना रहता है और के.एम.आर.एल अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में सक्षम है।

10.0 केरल मेट्रो दिवस समारोह

दिनांक 17 जून 2017 को केरल के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कोच्ची मेट्रो, कोच्चि/केरल के लोगों को समर्पित किया गया।

चूंकि यह कोच्ची मेट्रो के इतिहास में सबसे यादगार दिन होने के कारण बोर्ड ने दिनांक 17 जून को केरल मेट्रो रेल दिवस के रूप में घोषित किया।

दिनांक 17.06.2022 को, के.एम.आर.एल ने पहली बार केरल मेट्रो दिवस मनाया और केरल के माननीय राज्यपाल, वेरुच्यली मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

11.0 सतर्कता तंत्र

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सतर्कता तंत्र के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 18 जनवरी 2016 को आयोजित आपके बोर्ड की 23वाँ बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) के अनुसार एक सतर्कता तंत्र/विहसल ब्लोअर नीति लागू की गई है।

12.0 सूचना का अधिकार

नागरिकों को कंपनी में अपनाई गई जवाबदेही और पारदर्शिता पर उन्हें प्रबुद्ध करने की दृष्टि से सूचना तक पहुंच प्रदान करके आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद "आरटीआई अधिनियम" के रूप में संदर्भित) लागू किया है। उपयुक्त अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरटीआई अधिनियम के विभिन्न सक्षम प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी को कुल 100 आरटीआई आवेदन, साथ ही 7 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं। सभी आरटीआई अनुरोधों और प्रथम अपीलों का निपटारा संबंधित अधिकारियों द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन में किया गया। कंपनी के खिलाफ राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के समक्ष एक दूसरी अपील दायर की गई।

13.0 ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने –

- क. किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है;
- ख. किसी अन्य निकाय, निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी भी ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है; तथा
- ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित किसी अन्य निगमित निकाय की प्रतिभूतियों को, सदस्यता, खरीद या किसी अन्य माध्यम से हासिल नहीं किया गया है।



14.0 संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी ने कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडबल्यूएमएल) के साथ संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए 5 साल की अवधि के लिए एक समझौता किया है। वर्ष 2021-22 को लाइसेंस शुल्क के रूप में 0.091 लाख रुपए अर्जित किए गए।

15.0 महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच की अवधि के दौरान, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं।

16.0 केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा समिति या निदेशक मंडल को किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी है।

17.0 सावधि जमा

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत जनता से कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है।

18.0 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान विदेश यात्रा के लिए कोई राशि खर्च नहीं की गई है। हालांकि, ठेकेदारों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए 30.91 करोड़ रुपए के बराबर राशि खर्च की गई।

19.0 जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी जोखिमों के घटित होने से पहले उनकी पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की योजना बनाई जा सके और परियोजना के पूरे जीवन में जरूरत पड़ने पर उन्हें लागू किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों की पहचान की है:

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के सभी मौजूदा और संभावित भविष्य के महत्वपूर्ण जोखिमों की समय पर पहचान, मूल्यांकन, माप और उचित रूप से कम, न्यूनतम और नियंत्रित किया जाता है;
2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च प्राथमिकता वाले जोखिमों को आक्रामक रूप से प्रबंधित और समाप्त किया जाता है;
3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरी परियोजना के दौरान सभी जोखिमों को लागत प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है;
4. परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के सभी स्तरों पर सूचना साझा करने को बढ़ावा देना;
5. जहाँ भी लागू हो, उपयुक्त विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

आपकी कंपनी ने विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने और सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं:

- कंपनी के लिए कोशिकोड आईआईएम एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है।
- स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है; लेखापरीक्षा समिति द्वारा उनकी टिप्पणियों की समीक्षा की जाती है और जहाँ भी उचित पाया गया, उचित सुधारात्मक कार्रवाई की गई।
- इस उद्देश्य के लिए गठित एक टीम और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित अंतराल पर संपत्ति का भौतिक सत्यापन।
- डेटा के संचार और भंडारण के लिए डेटा एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग जो सुरक्षा और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

20.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और चिरस्थायिता पहल

चूंकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों/अनुसूची के अनुसार आपकी कंपनी लाभ अर्जित नहीं कर रही है, इसलिए यह सीएसआर पर खर्च करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए इस शीर्षक के तहत कोई व्यय नहीं की है। हालांकि, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, आपकी कंपनी बड़े पैमाने पर अपने हितधारकों जैसे शेयरधारकों, कर्मचारियों, प्रबंधन, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और समाज के प्रति प्रतिबद्ध है। एक पर्यावरण के अनुकूल मेट्रो संगठन के रूप



में,आपकी कंपनी समाज के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए, जीवन स्तर में सुधार लाने और कोच्ची के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नई पहल की जा रही है।

आपकी कंपनी ने स्वेच्छा से एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है जिसमें प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में 5 (पांच) निदेशक शामिल हैं। सीएसआर समिति की संरचना का विवरण निगमित अभिशासन की रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

21.0 वैकल्पिक राजस्व पहल: कार्यालय और खुदरा स्थान आबंटन

कोविड -19 महामारी के प्रभाव ने वैकल्पिक आय गतिविधियों सहित व्यवसायों को प्रभावित किया है,इसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन अवधि के दौरान, छूट बढ़ानी पड़ी, भुगतान/किरतों में चूक हुई और कुछ ग्राहकों ने परिसर खाली कर दिया। हालांकि, इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान आपकी कंपनी ने अपनी बाजार पहुंच बढ़ाई और इस वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न खुदरा कियोस्क और कार्यालय स्थान के लिए जगह के आबंटन के लिए भौतिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से नए ग्राहकों का अधिग्रहण किया। भौतिक नीलामी से अच्छे परिणाम मिले और के.एम.आर.एल 133 लाइसेंसधारियों के माध्यम से कुल 12,109 वर्ग फुट कियोस्क रिक्त स्थान को लाइसेंस देने में सक्षम था। साथ ही मेट्रो स्टेशनों पर 10 लाइसेंसधारियों के माध्यम से कुल 51,814 वर्ग फुट कार्यालय स्थान का लाइसेंस दिया गया।

22.0 निदेशक मंडल

दिनांक 31.03.2022 तक आपकी कंपनी के बोर्ड में 12 निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 5 निदेशक भारत सरकार के नामित हैं, 5 निदेशक केरल सरकार के नामित हैं और 2 कार्यात्मक निदेशक हैं। अध्यक्ष, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं, जबकि प्रबंध निदेशक केरल सरकार द्वारा नामित हैं। निदेशक मंडल पर एक विस्तृत टिप्पणी निगमित अभिशासन की रिपोर्ट में दिया गया है।

22.1 बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की चार बार बैठक हुई, यानी कि 5 अगस्त 2021, 22 नवंबर 2021, 16 फरवरी 2022 और 30 मार्च 2022 को।

22.2 निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, सेवानिवृत्त/अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके नामित निदेशकों के स्थान पर निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई:

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक हुए निर्देशकीय परिवर्तन:

- श्री अलकेश कुमार शर्मा आई.ए.एस, प्रबंध निदेशक, दिनांक 7 अप्रैल 2021 से के.एम.आर.एल के प्रबंध निदेशक नहीं रहे और श्री के.आर. ज्योतिलाल आई.ए.एस, नामित निदेशक (केरल सरकार) को प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
- दिनांक 29 अप्रैल 2021 के केरल सरकार के शासनादेश के अनुसार, सेवानिवृत्त डॉ. विश्वास मेहता आई.ए.एस की जगह केरल सरकार के लिए, डॉ. वी.पी. जॉय, आई.ए.एस, को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड में निदेशक (परियोजना) के पद पर पदस्थापित होने के कारण श्री तिरुमन अर्चुनन, निदेशक (परियोजनाएँ) ने दिनांक 1 जून, 2021 को इस्तीफा दे दिया।
- दिनांक 2 अगस्त 2021 के केरल सरकार के सरकारी आदेश के तहत, श्री एस.सुहास, आई.ए.एस के स्थान पर केरल सरकार के लिए नामित निदेशक के रूप में श्री एस. श्री जाफर मलिक, आई.ए.एस, को नियुक्त किया।
- केरल सरकार के दिनांक 27 अगस्त 2021 के सरकारी आदेश के अनुसार, श्री लोकनाथ बेहरा (सेवानिवृत्त आई.पी.एस) को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- दिनांक 10 जनवरी 2022 के भारत सरकार के सरकारी आदेश के अनुसार, अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त श्री दुर्गा शंकर मिश्र, आई.ए.एस के स्थान पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी, आई.ए.एस को कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के निदेशक और पदेन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों के कार्यालय अपरिवर्तित रहे:

- श्री डी.के. सैनी
- श्रीमती सुजाता जयराज



- श्री जयदीप
- श्री राजेश कुमार सिंह, आई.ए.एस
- श्री के.आर. ज्योतिलाल, आई.ए.एस
- श्री कुमार के.आर.
- श्री डी.के. सिन्हा
- श्री भूपेंद्र सिंह बोध

22.3. 31 मार्च, 2022 के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक हुए निदेशकीय परिवर्तन:

- श्रीमती सुजाता जयराम - नामित निदेशक (भारत सरकार) दिनांक 16 मई 2022 को सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए।
- श्रीमती नमिता मेहरोत्रा निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एन.आर.सी.टी.सी) को दिनांक 30 मई 2022 को नामित निदेशक (भारत सरकार) के रूप में नामित किया गया।
- श्री कुमार के.आर. - निदेशक (वित्त) दिनांक 31 मई 2022 को सेवानिवृत्त हुए।
- श्रीमती अन्नपूर्णा एस. को दिनांक 13 जून, 2022 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।
- डॉ. एम.पी. रामनवास को दिनांक 28 जून 2022 से निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशक मंडल ने निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉ. विश्वास मेहता, श्री अलकेश कुमार शर्मा, श्री दुर्गा शंकर मिश्र, श्री तिरुमन अर्चुनन, श्री एस. सुहास, श्रीमती सुजाता जयराम, श्री कुमार के.आर. आदि द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की।

आपकी कंपनी के पास आज की तारीख में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं:

• श्री लोकनाथ बेहरा	-	प्रबंध निदेशक
• श्रीमती अन्नपूर्णा एस.	-	निदेशक, वित्त एवं सीएफओ
• श्री डी.के. सिन्हा	-	निदेशक, प्रणाली
• डॉ. एम.पी. रामनवास	-	निदेशक - परियोजनाएँ
• श्री श्याम सुंदर अग्रवाल	-	कंपनी सचिव

22.4 निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

कंपनी वार्षिक आधार पर अपने तीनों कार्यात्मक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तीनों कार्यकारी निदेशकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया। नामित निदेशकों के मामले में, प्रदर्शन मूल्यांकन संबंधित सरकारों द्वारा किया जाता है जो उन्हें नामित करते हैं।

23.0 सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) (ए) के तहत आपकी कंपनी को "महत्वपूर्ण प्रभाव" के माध्यम से एक सहयोगी कंपनी है; अर्थात् कुल मतदान शक्ति के कम से कम बीस प्रतिशत का नियंत्रण, या एक समझौते के तहत व्यावसायिक निर्णयों में नियंत्रण या भागीदारी। दिनांक 14 जुलाई 2021 से कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (के.डबल्यू.एम.एल) के.एम.आर.एल की सहयोगी कंपनी बन गई है और के.डबल्यू.एम.एल की 26% इक्विटी के.एम.आर.एल के पास है।

24.0 महत्वपूर्ण और प्रमुख आदेश

नियामकों या किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी की प्रगति और उसके संचालन को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण और प्रमुख आदेश पारित नहीं किया



गया है।

25.0 वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, एमजीटी-9 के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई वार्षिक रिटर्न का उद्घरण है कंपनी की वेबसाइट www.kochimetro.org में दिया गया है।

26.0 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

बोर्ड ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और समय पर विश्वसनीय वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के द्वारा आपकी कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

27.0 निगमित अभिशासन

आपकी कंपनी निगमित अभिशासन मानकों का पालन करती है और अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही का अनुसरण करती है। इस रिपोर्ट के साथ 'निगमित अभिशासन की रिपोर्ट' नामक एक अलग खंड संलग्न किया गया है।

28.0 लेखा परीक्षक

28.1 सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार मेसर्स जी. जोसेफ एंड एसोसिएट्स, शासनपत्रित लेखाकार को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी & एजी) द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वार्षिक आम बैठक के समापन तक उक्त पद पर बने रहेंगे।

वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

28.2 सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, मेसर्स विवेक सरथ और नौफल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों के संकाय, को वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने हेतु नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी सचिव द्वारा अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दिए गए प्रत्येक अवलोकन/योग्यता पर टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

28.3 आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स सी के प्रस्टी एंड एसोसिएट्स शासनपत्रित लेखाकार, कोच्ची, को आंतरिक लेखा परीक्षा और कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों की निगरानी आदि के लिए आपकी कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, उनकी रिपोर्ट की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

29.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

वित्तीय विवरण, हिस्टोरिकल कोस्ट कन्वेंशन के तहत, प्रोद्भवन आधार पर, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांत और कुछ वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापने के सिवाय, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत समय-समय पर संशोधित निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (Ind. AS) के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, के अनुसार तैयार किए गए हैं।

कंपनी ने सभी लागू भारतीय लेखा मानकों और नीतियों को अपनाया है। यदि लेखा मानक प्रारंभ में एक नया अधिनियमित अपनाया जाता है, या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन, यदि आवश्यक हो तो तदनुसार, लेखांकन नीतियों को तब तक लागू किया जाता है जब तक कि लेखांकन नीति में परिवर्तन नहीं किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में, निदेशकों का कहना है कि:

- 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में, सामग्री विचलन के लिए उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशक लेखांकन नीतियों का चयन करते हैं और उन्हें लगातार लागू करते हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में आपकी कंपनी की स्थिति और उस अवधि के दौरान आपकी कंपनी के नुकसान और लाभ का सही और निष्पक्ष दृश्य देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं।



- निदेशकों ने आपकी कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देसावधानी बरती है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखा गोइंग-कंसर्न आधार पर तैयार किया है;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और यह प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

30.0 व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

31.0 लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियां

समीक्षा अवधि के दौरान लेखा परीक्षकों से कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

32.0 अन्य प्रकटीकरण - कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कंपनी के लिए एक नीति है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, उपाय) अधिनियम, 2013 के तहत महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने और यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य वातावरण की सुविधा के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए।

आंतरिक शिकायत समिति की संरचना:

- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| • सुश्री सीनी अलेक्स कुरुविला, ए जी एम (एफ एवं ए) | - | पीठासीन अधिकारी |
| • डॉ लिल्लिमा कोशी, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष (रसायन) | - | बाहरी सदस्य, महाराजास कॉलेज, एरणाकुलम |
| • सुश्री लिल्ली कुट्टी राजू, एमडी का कार्यकारी सचिव | - | सदस्य |
| • सुश्री मिनी छाबड़ा महाप्रबंधक | - | सदस्य एवं संयोजक |

(मानव संसाधन, प्रशासन एवं प्रशिक्षण)

33.0 आभारोक्ति

आपके निदेशक केंद्र/राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, ए.एफ.डी, के.एफ.डब्ल्यू, केनरा बैंक, यूनिन बैंक ऑफ इंडिया, केरल राज्य सहकारी बैंक, हडको, और अन्य वाणिज्यिक बैंक, दोनों प्रिंट और विजुअल मीडिया, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, सलाहकारों, परामर्शदाताओं, ग्राहकों और कंपनी के मामलों से जुड़े विभिन्न पणधारियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता को अपने तहे दिल से सराहना करते हुए उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद देते हैं। बोर्ड आपकी कंपनी के अधिकारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त प्रतिबद्धता और पूरे सहयोग के लिए भी तहे दिल से सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से,

(ह0/-)

अध्यक्ष

स्थान : कोच्ची

दिनांक : 27.07.2022



निगमित अभिशासन की रिपोर्ट

निगमित अभिशासन कानूनों, प्रक्रियाओं या कानूनों का एक संयोजन है जिसके द्वारा कॉर्पोरेट संचालित, विनियमित या नियंत्रित होते हैं। इसमें आंतरिक और बाहरी कारक शामिल हैं जो शेयरधारकों, आपूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं, सरकारी नियामकों और प्रबंधन सहित कंपनी के पणधारियों के हितों को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, निगमित अभिशासन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की एक संरचना है जिसका उपयोग किसी कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए किया जाता है।

यह रिपोर्ट कंपनी द्वारा अपनाई गई निगमित अभिशासन प्रथाओं और कंपनी ने बेहतर निगमित अभिशासन के लिए आवश्यक तरीकों और प्रथाओं को कैसे लागू किया है इसके बारे में वर्णन करती है।

निदेशक मंडल

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ असोशिएशन के अनुसार, सरकारी कंपनियों पर लागू छूट को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के निदेशकों की संख्या 3 से कम नहीं होनी चाहिए तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक या तो नामित निदेशक हो सकते हैं, या पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक हो सकते हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

इस रिपोर्ट की तिथि पर, के.एम.आर.एल के निदेशक मंडल में 13 निदेशक हैं, जिनमें से 5 निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित हैं और 5 निदेशक केरल सरकार द्वारा नामित हैं और 3 कार्यात्मक निदेशक हैं। अध्यक्ष, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव है और प्रबंध निदेशक केरल सरकार के एक नामिती है।

कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी के लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध प्रशासनिक और कार्यकारी कौशल वाले पेशेवर शामिल हैं, जो कंपनी के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे संयुक्त रूप से कंपनी के संचालन कार्य भी करते हैं।

निदेशकों की उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2021-22 के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिया गया बैठक	वार्षिक आम बैठक भाग लिया/नहीं
1.	श्री दुर्गा शंकर मिश्र	2	2	हाँ
2.	श्री मनोज जोशी	2	2	नहीं
3.	डॉ. वी.पी. जोय	4	4	हाँ
4.	श्री भूपेंद्र सिंह बोध	4	3	हाँ
5.	श्री जयदीप	4	4	हाँ
6.	श्रीमती सुजाता जयराज	4	4	हाँ
7.	श्री डी.के. सैनी	4	4	हाँ
8.	श्री लोकनाथ बेहरा	3	3	हाँ
9.	श्री राजेश कुमार सिंह	4	3	नहीं
10.	श्री के.आर. च्योतिलाल	4	4	हाँ
11.	श्री कुमार के.आर	4	4	हाँ
12.	श्री डी.के. सिन्हा	4	3	हाँ
13.	श्री जाफर मालिक	4	4	हाँ

बोर्ड को दी गई जानकारी

कंपनी के संचालन से संबंधित विभिन्न मामलों पर जिन पर बोर्ड के विचार की आवश्यकता है, बोर्ड को अपनी प्रत्येक बैठक से पहले प्रासंगिक जानकारी और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, विशेष रूप से जिनके लिए उच्च स्तरीय विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है। कार्यात्मक निदेशकों द्वारा समय-समय पर परियोजना की प्रगति, कानूनी



अनुपालन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण भी दी जाती हैं।

बोर्ड की प्रक्रियाएँ

बोर्ड की बैठकें कंपनी के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन तथा समीक्षा और प्रबंधन निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की चार बार बैठक हुई; दिनांक 5 अगस्त 2021, 22 नवंबर 2021, 16 फरवरी 2022 और 30 मार्च 2022 को।

कंपनी ने बोर्ड और बोर्ड की उप-समिति की बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क) सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया

सभी निगमित मामले, बोर्ड चर्चा और सामूहिक निर्णयों के पूर्व-नियोजन के लिए आवश्यक प्रणालियों और प्रक्रियाओं की व्यवस्था करने के लिए कंपनी के पास निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सूचना का प्रचार-प्रसार एक अवगत और कुशल तरीके से किया जाता है।

ख) बोर्ड/बोर्ड उप-समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची मर्दों का निर्धारण और चयन

- बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, उचित नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विशिष्ट तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए, कम समय की सूचना पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं। बोर्ड परिचालन द्वारा भी संकल्प पारित करता है, केवल ऐसे मामलों के लिए, जो अत्यंत आवश्यक हैं और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय हैं; प्रासंगिक वर्ष में परिचालन द्वारा एक प्रस्ताव का अनुमोदित किया गया।
- कार्यसूची, संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किए जाते हैं और संबंधित कार्यकारी निदेशक की सहमति प्राप्त करने के बाद, अनुमोदन के लिए प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। विधिवत अनुमोदित विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी, व्यापक पृष्ठभूमि जानकारी द्वारा समर्थित प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण आदि बैठकों में सार्थक, सूचनात्मक और केंद्रित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्यों के बीच पहले से ही परिचालित किए जाते हैं;
- जहाँ किसी दस्तावेज़ संलग्न करना अवांछनीय है या यदि कार्यसूची संवेदनशील है, तो उसे प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के अनुमोदन से बैठक में रखा जाता है। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या अनुपूरक मद जो कार्यसूची में नहीं हैं, को अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के लिए लिया जाता है;
- बोर्ड को महत्वपूर्ण घटनाओं/मर्दों और आवश्यकता पड़ने पर लिए गए अनुमोदनों के बारे में भी सूचित किया जाता है। प्रबंध निदेशक बोर्ड की बैठकों में कंपनी के समग्र प्रदर्शन के बारे में बोर्ड को अवगत कराते रहते हैं;
- कार्यसूची के एक भाग के रूप में, की गई कार्रवाई रिपोर्ट, पिछली बैठकों में बोर्ड के निर्देशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा, भौतिक और वित्तीय प्रगति, समिति की बैठकों के कार्यवृत्त आदि शामिल हैं।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी के सभी जानकारी तक पूरी प्राप्य है;
- बोर्ड की बैठकें आम तौर पर लागू सचिवीय मानकों के अनुरूप आयोजित की जाती हैं।

ग) प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षिप्त विवरण देना

बोर्ड की प्रत्येक बैठक की शुरुआत में, प्रबंध निदेशक बोर्ड के सदस्यों को परियोजना की वर्तमान स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/विकास सहित महत्वपूर्ण विकासों के बारे में जानकारी देते हैं।

घ) बोर्ड की बैठक में कार्यवाही के कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग

प्रत्येक बोर्ड की कार्यवाही के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड किया जाता है और कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज किया जाता है। बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लागू सचिवीय मानकों के अनुसार परिचालित किए जाते हैं। बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के बाद, इसकी



अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड की उप-समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त भी सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

ड) अनुपालन

विभागाध्यक्ष, कार्यसूची टिप्पणी तैयार करते वक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, आर्टिकल्स ऑफ अस्सोसियेशन और सी.वी.सी दिशानिर्देशों सहित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी के कर्मचारी उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, कंपनी द्वारा अनुमोदित और अपनाई गई आचार संहिता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे अभिशासन के कार्य में योगदान देने में हमेशा उच्च नैतिक मानकों और मूल्यों को बनाए रखते हैं और प्रबंधन से प्राप्त उचित और समय पर मार्गदर्शन उन्हें बेहतर शासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने में मदद करता है।

अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड के समक्ष रखी गई जानकारी में शामिल हैं:

- विस्तृत बजट अनुमान और राजस्व संचालन की स्थिति।
- वार्षिक वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट।
- बोर्ड की उप समितियों की बैठकों के निर्णय/ कार्यवृत्त।
- चरण I, चरण II, चरण Iबी, चरण III, चरण III, एकीकृत जल परिवहन परियोजना, आईयूआरडबल्यूटीएस आदि की अद्यतन स्थिति सहित नए प्रस्ताव / परियोजनाएँ।
- डीपीआर में विचार किए गए प्रस्तावों के अलावा प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकी मानकों में परिवर्तन सहित सभी प्रस्ताव।
- मानव संसाधन और प्रमुख परिसंपत्ति विकास मामलों में कोई महत्वपूर्ण विकास।
- सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण, अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों, साविधिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित जानकारी।
- अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
- बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देशित/सलाह दिए गए अन्य मामले।

बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने कंपनी के संचालन के आकार और प्रकृति के आधार पर आठ उप-समितियों का गठन किया है। ये हैं :

- i. लेखा परीक्षा समिति
- ii. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
- iii. मानव संसाधन विकास एवं नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति
- iv. संचालन और अनुरक्षण समिति
- v. परियोजना प्रबंधन समिति
- vi. निवेश समिति
- vii. अधिप्राप्ति समिति
- viii. संपत्ति विकास समिति

इनमें से प्रत्येक समिति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित संदर्भ की शर्तों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये समितियाँ समय-समय पर कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार बैठक बुलाती हैं। बोर्ड की उप-समितियों का विवरण निम्नलिखित है:



1. लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च, 2022 की संरचना :

- | | | |
|----|-----------------------|-----------|
| 1. | श्री आर. के सिंह | - अध्यक्ष |
| 2. | श्री जयदीप | - सदस्य |
| 3. | श्रीमती सुजाता जयराम | - सदस्य |
| 4. | श्री के.आर. ज्योतिलाल | - सदस्य |

वर्ष 2021-22 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की बैठक दो बार हुई, अर्थात् दिनांक 5 अगस्त 2021 और 20 नवंबर 2021 को। इन बैठकों में लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के अलावा निदेशक, वित्त और समिति को जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिकारी भी शामिल थे। बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप हैं।

कंपनी सचिव ने लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य किया। सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	वर्ष 2021-22 में उनकी सदस्यता कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री राजेश कुमार सिंह	2	2
2.	श्री जयदीप	2	1
3.	श्रीमती सुजाता जयराम	2	2
4.	श्री के.आर. ज्योतिलाल	2	2

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 45वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का भी पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

दिनांक 27.07.2022 को हुए पुनर्गठन के बाद लेखा परीक्षा समिति की संरचना:

- | | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 1. | श्री आर.के. सिंह | - अध्यक्ष |
| 2. | श्री जयदीप | - सदस्य |
| 3. | श्रीमती नमिता मेहरोत्रा | - सदस्य |
| 4. | श्री के.आर. ज्योतिलाल | - सदस्य |

2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) समिति

31 मार्च, 2022 की संरचना:

- | | | |
|----|--------------------|-----------|
| 1. | श्री लोकनाथ बेहरा | - अध्यक्ष |
| 2. | श्री जाफ़र मौलिक | - सदस्य |
| 3. | श्री कुमार के.आर. | - सदस्य |
| 4. | श्री डी.के. सिन्हा | - सदस्य |

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 45 वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

27.07.2022 को हुए पुनर्गठन के बाद सीएसआर समिति की संरचना:



1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री जाफर मालिक - सदस्य
3. श्रीमती एस अन्नपूरणी - सदस्य
4. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य
5. डॉ.एम.पी. रामनवास - सदस्य

चूंकि आपकी कंपनी लाभ नहीं कमा रही है, इसलिए सी.एस.आर गतिविधियों के तहत व्यय करना अनिवार्य नहीं है, अतः चालू वर्ष के दौरान सी.एस.आर समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

3. परियोजना प्रबंधन समिति

31 मार्च, 2022 की संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री जयदीप - सदस्य
3. श्री कुमार के.आर. - सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 45 वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

27.07.2022 को संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री जयदीप - सदस्य
3. श्रीमती एस अन्नपूरणी - सदस्य
4. डॉ. एम. पी. रामनवास - सदस्य

वर्ष के दौरान परियोजना प्रबंधन समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

4. निवेश समिति

31 मार्च, 2022 की संरचना:

1. श्री आर.के. सिंह - अध्यक्ष
2. श्री लोकनाथ बेहरा - सदस्य
3. श्री के.आर. ज्योतिलाल - सदस्य
4. श्री कुमार के.आर. - सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 45 वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

27.07.2022 को संरचना:

1. श्री आर.के. सिंह - अध्यक्ष
2. श्री लोकनाथ बेहरा - सदस्य
3. श्री के.आर. ज्योतिलाल - सदस्य
4. श्रीमती एस अन्नपूरणी - सदस्य



वर्ष के दौरान निवेश समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

5. अधिप्राप्ति समिति

31 मार्च, 2022 की संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री जाफ़र मालिक - सदस्य
3. श्री के.आर. कुमार - सदस्य
4. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 45 वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

27.07.2022 को संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री जाफ़र मालिक - सदस्य
3. श्रीमती एस अन्नपूरणी - सदस्य
4. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य
5. डॉ. एम.पी. रामनवास - सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 23 जुलाई 2021, 4 दिसंबर 2021 और 6 जनवरी 2022 को तीन बार समिति की बैठक हुई।

सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	वर्ष 2021-22 में उनकी सदस्यता कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री लोकनाथ बेहरा	2	2
2.	श्री एस. सुहास	1	-
3.	श्री जाफ़र मालिक	2	-
4.	श्री कुमार के.आर.	3	3
5.	श्री डी.के. सिन्हा	3	2

6. संचालन और अनुरक्षण समिति

31 मार्च, 2022 की संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्रीमती सुजाता जयराज - सदस्य
3. श्री कुमार के.आर. - सदस्य
4. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 45 वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:



27.07.2022 को संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्रीमती नमिता मेहरोत्रा - सदस्य
3. श्रीमती एस अन्नपूरणी - सदस्य
4. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य
5. डॉ. एम. पी. रामनवास - सदस्य

वर्ष के दौरान संचालन एवं अनुरक्षण समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

7. संपत्ति विकास समिति

31 मार्च, 2022 की संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री जाफर मालिक - सदस्य
3. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य
4. श्री कुमार के.आर. - सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 45 वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

27.07.2022 को संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री जाफर मालिक - सदस्य
3. श्री डी.के. सिन्हा - सदस्य
4. श्रीमती एस अन्नपूरणी - सदस्य
5. डॉ. एम. पी. रामनवास - सदस्य

वर्ष के दौरान संपत्ति विकास समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

8. मानव संसाधन विकास एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

31 मार्च, 2022 की संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री के.आर. ज्योतिलाल - सदस्य
3. श्री सुजाता जयराज - सदस्य
4. श्री जाफर मालिक - सदस्य
5. श्री कुमार के.आर. - सदस्य

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने अपनी 45 वीं बैठक में बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन किया; पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे दी गई है:

27.07.2022 को संरचना:

1. श्री लोकनाथ बेहरा - अध्यक्ष
2. श्री के.आर. ज्योतिलाल - सदस्य



3. श्रीमती नमिता मेहरोत्रा - सदस्य
4. श्री जाफ़र मालिक - सदस्य
5. श्रीमती एस अन्नपूरणी - सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 19 मार्च, 2022 को एक बार समिति की बैठक हुई।

सदस्यों की उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	वर्ष 2021-22 में उनकी सदस्यता कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री लोकनाथ बेहरा	1	1
2.	श्री के.आर. ज्योतिलाल	1	1
3.	श्रीमती सुजाता जयराम	1	1
4.	श्री जाफ़र मालिक	1	1
5.	श्री कुमार के.आर.	1	1

9. आम बैठकें:

पिछले तीन वर्षों में आयोजित आम बैठकें:

एजीएम/ ईजीएम	8वीं एजीएम	9वीं एजीएम	10वीं एजीएम	तीसरी ईजीएम
तिथि और समय	30.09.2019 11:30 पूर्वाह्न	28.09.2020 03.00 अपराह्न	29.09.2021 05.30 अपराह्न	01.02.2020 12:30 अपराह्न
स्थान	पंजीकृत कार्यालय	पंजीकृत कार्यालय	पंजीकृत कार्यालय	पंजीकृत कार्यालय
विशेष संकल्प (यदि कोई है तो)	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. कंपनी की उधार सीमा, 5,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना। 2. एमओए के खंड III में परिवर्तन। 3. एमओए के खंड IV में परिवर्तन। 4. एओए के नए सेट को अपनाना। 5. 1250 करोड़ रुपए की सीमा तक घरेलू बांड जारी करने के लिए अनुमोदन।



कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.kochimetro.org है। परियोजना, निदेशक मंडल, नवीनतम समाचार अपडेट, अनुबंध, निविदाएँ और नौकरी भर्ती प्रक्रिया आदि सहित कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा, कंपनी सामान और सेवाओं की खरीद के बारे में समय पर सूचना प्रसारित करने के लिए वेबसाइट पर अपनी सभी निविदाएं पोस्ट करती है। वेबसाइट मेट्रो रेल परियोजना की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, गतिविधियों, प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण विकास के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है और इसे लगातार अपडेट किया जाता है।

ह0/-
अध्यक्ष



प्रपत्र संख्या. एम.आर - 3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्य,

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

सीआईएन: U60100KL2011SGC029003

जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची - 682017

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (बाद में कंपनी कहा जाता है) द्वारा बेहतर कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि जो हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

कंपनी की पुस्तकें, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकें, प्रपत्र और दाखिल दिया गया रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारी, एजेंटों, और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष (लेखा परीक्षा अवधि) नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी ने बोर्ड प्रक्रियाओं का पालन किया है और उस सीमा तक आवश्यक अनुपालन तंत्र है, इस ढंग से और उसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन:

हम ने निम्न प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा रखे गए पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है :

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एस.सी.आर.ए') और उसके तहत बनाए गए नियम;
(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह खंड लागू नहीं है)
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम; (कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह खंड लागू नहीं है)
- (iv) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार;
(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान खंड लागू नहीं होता है)
- (v) निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित है;

(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण, खंड (v) और इसके उप खंड (क) से (ज) लागू नहीं हैं)

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंशों का सबस्टेंशियल अधिग्रहण और टेकोवर) विनियम, 2011;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 1992;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी को जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999



- (ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (किसी निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009; और
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998।

हमने संबंधित अनुपालनों की भी जांच की है:

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, एसएस-1 और एसएस-2 और निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, और यह रिपोर्ट किया जाता है कि कंपनी ने प्रायः उक्त मानकों का अनुपालन किया है।
- (ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग समझौता।

(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह खंड लागू नहीं है।)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकन के अधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- क) अधिनियम की धारा 177(2) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ तीन निदेशक होंगे और अधिनियम की धारा 178(1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होने चाहिए, जिनमें कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 839 (ई) दिनांकित 05/07/2017 ने गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों, जो एक संयुक्त उद्यम हैं, को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट दी है। अतः मानव संसाधन विकास और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें स्वतंत्र निदेशकों के बिना ही आयोजित की जाती हैं।

हम, आगे रिपोर्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, कंपनी पर लागू उद्योग विशिष्ट कानूनों की प्रयोज्यता पर और प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने, हमारी राय में, आम तौर पर निम्नलिखित उद्योग विशिष्ट कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन उस सीमा तक किया है; जहाँ तक ये लागू होते हैं :

- (i) आयकर अधिनियम, 1961;
- (ii) माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;
- (iii) कंपनी के कर्मचारियों को अभिशासित करने वाले निम्नलिखित श्रम कानूनों के प्रावधान अर्थात्;
 - (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
 - (ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
 - (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
 - (घ) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
 - (ड) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923
- (iv) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970;
- (v) अंतर राष्ट्रीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979;
- (vi) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996;
- (vii) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005;



- (viii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;
- (ix) मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013;
- (x) बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और
- (xi) भारतीय विद्युत नियम, 1956।

कंपनी के संबंधित विभाग पर्यावरण संरक्षण कानूनों और उसके तहत बनाए गए नियमों सहित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ठेकेदार (रों) के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं।

तथापि, दिनांक 31.03.2022 को समाप्त तिमाही के अवधि के लिए दो ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के संबंध में प्रावधानों के उल्लंघन के दो उदाहरण थे, और कार्यकारी विभागों ने इस मामले के आगे की कार्रवाई की और आज की तारीख के अनुसार मामले को सुलझा लिया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और महिला निदेशक के उचित संतुलन के साथ किया गया है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।

बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम समय के नोटिस पर बोर्ड की बैठक बुलाई गई। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और बैठक से पहले कार्यसूची मर्दानों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों में निर्णय लिए जाते हैं और इसे निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रासंगिकता वाली निम्नलिखित कार्रवाई हुई है:

- (क) कंपनी ने जल मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव हेतु 26% की इक्विटी भागीदारी के साथ कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाया है।
- (ख) कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी, कोच्ची जल मेट्रो लिमिटेड को अपना पंजीकृत कार्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यालय स्थान देने के लिए जे.एल.एन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल पर विशेष प्रयोजन वाहन के साथ एक लाइसेंस समझौता किया गया है।
- (ग) कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक परिपत्र संकल्प पारित किया है जिसे दिनांक 16.02.2022 के बाद आयोजित बोर्ड की बैठक में नोट किया गया।

कृते : विवेक शरथ एवं नौफल

कंपनी सेक्रेटरीज

ह0/-

शरथ एस

साझेदार | सदस्य संख्या F11592 | सी.पी. संख्या 17466

स्थान : कोचीन

दिनांक: 21.07.2022

यूडीआईएन: F011592D000664981



अनुलग्नक -क

सेवा में,

सदस्य,

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

सीआईएन: U60100KL2011SGC029003

जेएलएन मेट्रो स्टेशन, चौथी मंजिल, कलूर, कोच्ची – 682017

सम तारीख की रिपोर्ट को इस अनुलग्नक के साथ पढ़ें।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया गया, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के किसी भी वित्तीय रिकॉर्ड और खाता बही की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमने लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के आधार पर अपनी राय प्रस्तुत की है और रिपोर्टिंग उस सीमा तक सीमित है।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता की जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते : विवेक शरथ एवं नौफल

कंपनी सेक्रेटरीज

ह0/-

शरथ एस

साझेदार | सदस्य संख्या F11592 | सी.पी. संख्या 17466

स्थान : कोचीन

दिनांक: 21.07.2022



एओसी फॉर्म – 2

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की अधिनियम और नियम 8(2) के धारा 134 की उप-धारा (3) का खंड (एच) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे परंतुक के तहत कुछ आर्म्स लेंथ लेन-देन शामिल हैं।

1. बिना आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण

(क)	संबंधित पार्टी का नाम और रिश्ते का प्रकार।	लागू नहीं
(ख)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का प्रकार।	लागू नहीं
(ग)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
(घ)	मूल्य सहित, अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो।	लागू नहीं
(ङ)	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में शामिल होने का कारण।	लागू नहीं
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदित तिथि।	लागू नहीं
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो।	लागू नहीं
(ज)	धारा 188 के पहले परंतुक के तहत अनुबंधानुसार आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करने की तिथि।	लागू नहीं

2. आर्म्स लेंथ आधार पर किए गए महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण :

(क)	संबंधित पार्टी का नाम और रिश्ते का स्वरूप।	कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के साथ, संबंध का स्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) के खंड (viii) के अनुसार है।
(ख)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का प्रकार	संपत्ति (कार्यालय स्थान) को पट्टे पर देने के लिए लाइसेंस समझौता।
(ग)	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की अवधि।	पाँच वर्ष।

(घ)	मूल्य सहित, अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो।	अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तें दिनांक 09.08.2021 के लाइसेंस समझौते के अनुसार है। अनुबंध का मूल्य @ 18% के जीएसटी को छोड़कर 60,000 रुपए है।
(ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि।	5 अगस्त 2021
(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो।	जी नहीं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से,

स्थान: कोच्ची

तारीख: 27.07.2022

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

ह0/-

अध्यक्ष



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड ('कंपनी') के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2022 के तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन तथा नकद प्रवाह का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, और दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, और इसके हानि (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकद प्रवाह के बारे में कंपनी (इंड एस) नियम, 2015 के साथ पठित यथा संशोधित ("इंड एस") अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

राय का आधार

हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एसएसएस) मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मद्दों का महत्व

1. हम कोविड-19 से वैश्विक महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं और दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संचालन और वित्तीय परिणामों पर प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन से संबंधित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 1.2.1 और टिप्पणी संख्या 32.41 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण, कंपनी के मेट्रो रेल संचालन दिनांक 8 मई, 2021 से 30 जून, 2021 तक निलंबित कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप फेयर-बॉक्स और गैर-फेयर बॉक्स राजस्व वसूली में भारी गिरावट आई।
2. हम, 1,317.24 लाख रुपए की परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 32.3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। डी.एम.आर.सी और कंपनी के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.20 के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("डी.एम.आर.सी") के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणीकरण लंबित है, कंपनी ने इन परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के लिए डी.एम.आर.सी द्वारा प्रस्तुत किए गए बयान पर भरोसा किया है।

इन मामलों के संबंध में वित्तीय विवरणों पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य जानकारी

कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

हमारी राय में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उनके बारे में कोई आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, हम केवल इस बात पर विचार करते हैं कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है, या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बताया गया है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में प्रमुख गलत विवरण है, तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।



हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133, जैसा कि संशोधित है, के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक ('इंड एएस') और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, नकद प्रवाह और कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। उक्त जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाना; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निष्पक्ष और विवेकपूर्ण मूल्यांकन; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति जो एक सही और निष्पक्ष परिदृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए ठोस गलत विवरण से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी की एक ऑन गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने की क्षमता, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामले का आकलन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है लेखांकन के ऑन गोइंग कंसर्न आधार का उपयोग तब किया जाता है जब प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं कि नहीं, और हमारी राय सहित एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से हो सकते हैं, लेकिन यह गलती व्यक्तिगत और समग्र रूप से है तो, उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर किए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत विवरणों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में साजिश, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का निरसन आदि शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अनुसार, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशील है।
- लागू की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करता है।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की एक ऑन गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संलग्न प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षण की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी ऑन



गोइंग कंसर्न के आधार पर काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

मेट्रीरियालिटी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक उचित ज्ञानवाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना है। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में और हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियों के बारे में भी शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद है।

हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, इस के बारे में हम अभिशासन के अधिकारियों को बयान प्रदान करते हैं, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के लिए जिम्मेदार है जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से प्रभावित करते हैं और जहाँ लागू हो वहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. चैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण आदेश की, लागू सीमा तक, हमारे द्वारा "अनुलग्नक ए" में प्रस्तुत किया गया है।
2. कंपनी के रिकॉर्ड के सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम "अनुबंध बी" में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर एक रिपोर्ट देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है और प्राप्त किया है।
- ख) हमारी राय में, खाता बहियों की जाँच से, यह स्पष्ट है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाताबहियों को बनाया रखा है;
- ग) इस रिपोर्ट के अंदर आने वाले तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण खाता बहियों के साथ सामंजस्य रखते हैं;
- घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के तहत, भारतीय लेखा मानक की अनुपालन करते हैं ;
- ङ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांकित 5 जून, 2015 के अनुसरण में एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित नियम कंपनी पर लागू नहीं है।
- च) इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित मद इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक सी" में दिए गए हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें;
- छ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांकित 5 जून, 2015 के अनुसरण में, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है;
- ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार संशोधित के रूप में, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम:
 - i) कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय

विवरणों के लिए की टिप्पणी सं. 32.29 देखें;

- ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण नुकसान हुआ हो;
- iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- iv) क) प्रबंधन ने ऐसा पेश किया है कि, अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई निधि का अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से पहचान या निवेश करेगा, चाहे जो भी हो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;
ख) प्रबंधन ने पेश किया है कि, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("निधीकरण पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;
ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसने हमें यह विश्वास दिलाया है कि उपखंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण हो।
- v) चूंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार लाभांश घोषित या भुगतान किया गया है या नहीं, इस पर टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृते जे जोसफ एण्ड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 006310S)

उमेश एल भट्ट
साझेदार

सदस्य सं. 211364

यूडीआईएन: 22211364ANYYZLN1476

स्थान : कोच्ची

दिनांक: 27/07/2022



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के संदर्भ में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलम्बक 'क'

(i) (क) (i) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ii) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) जैसा कि हमें समझाया गया है, प्रबंधन, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अनुसार सत्यापन का 50% पूरा किया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। हालांकि हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर भौतिक विसंगतियों का समाधान पूरी भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूरा होने पर ही किया जा सकता है।

(ग) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 2.3 के अनुसार ऐसी संपत्ति पर स्वामित्व प्रदान करते हुए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर कंपनी अपने नाम पर भूमि को मान्यता देती है। हमारी राय में, इस तरह के निर्णयों के साथ-साथ पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर, नीचे दिए गए को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक कार्य कंपनी के नाम पर है:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर	बया प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि - जहां उपयुक्त हो, सीमा सूचित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भूमि	25,44,000 रुपए	सुश्री फरीदा अहमद मूसा पटेल	नहीं	दिनांक 31-03-2021 से अब तक	कंपनी ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, लेकिन शीर्षक विलेख/अवार्ड के पंजीकरण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान स्टॉक ऑफ टूलस होने के कारण प्रबंधन द्वारा स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

(ख) कंपनी की चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर कंपनी को वर्ष के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा मंजूरी/आदेश के अनुसार, कंपनी को ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और अतः हमारे पास इस खंड के तहत रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

(iii) वर्ष के दौरान कंपनी ने एक सहयोगी के साथ निवेश किया है। कंपनी ने ऋण के रूप में सुरक्षित/असुरक्षित ऋण/अग्रिम या किसी पक्ष को गारंटी के रूप में खड़ा नहीं है, या सुरक्षा प्रदान नहीं किया है। अतः, आदेश के खंड 3(iii)(ए), (iii)(सी), (iii)(डी), (iii)(ई) और (iii)(एफ) के तहत के रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) निवेश के संबंध में, नियम और शर्तें जिनके तहत निवेश किया गया था, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

(iv) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण और निवेश, और इसके द्वारा प्रदान की गई गारंटी और सुरक्षा, जैसा लागू हो, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(vi) लागू नहीं होता है।

(vii)(क) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक देय राशि को आम तौर पर उपयुक्त अधिकारियों के पास नियमित रूप

से जमा किया जाता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई वैधानिक बकाया नहीं था।

(ख) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, किसी भी विवाद के कारण निम्नलिखित वैधानिक बकाया जमा नहीं किया गया है: -

कानून की प्रकृति	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹.)	अवधि से संबंधित राशि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	81,06,225 ₹.	2013-14, 2014-15 & 2015-16	आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर पर ब्याज	10,20,888 ₹.	2015-16	आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जाँच किए गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, वर्ष के दौरान कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किए गए के रूप में रोकड़ वही में कोई लेनदेन नहीं है, जिसे रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया हो।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता के साथ देय राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने आज तक कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण, समग्र आधार पर, उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए हैं जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच के अनुसार, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई राशि नहीं ली है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ए) लागू नहीं होता है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई अधिमाम्य आबंटन, शेयरों का निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(बी) लागू नहीं है।

(xi) (क) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जाँच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने वर्ष के दौरान न तो कंपनी पर या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी, जिसके कारण वित्तीय विवरणों को महत्वपूर्ण रूप से गलत तरीके से बताने का कारण बन गया होता, के किसी भी मामले को देखा या रिपोर्ट किया है और न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी भी मामले के बारे में सूचित किया गया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित के अनुसार प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(ग) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार किया गया कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जाँच पर, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई मुखबिर शिकायत (विहसलब्लोअर कम्प्लेंट) प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और अतः, आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।



- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन जहाँ लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, और संबंधित पार्टी लेनदेन के ब्योरे को लागू भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित के रूप में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- (xiv)(क) हमारी राय में और हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
(ख) हमने लेखापरीक्षा के तहत के अवधि के लिए कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।
- (xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और अतः, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष में 17,235.23 लाख रुपए और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में 14,157.75 लाख रुपए का नकद घाटा हुआ है।
- (xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक कोई लेखापरीक्षकों द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है और तदनुसार आदेश का खंड 3 (xviii) लागू नहीं होता है।
- (xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की परिपक्वता और अपेक्षित तिथियाँ, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और विभिन्न सरकारी आदेश और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य पर हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपने मौजूदा दायित्वों को, जब वे देय होते हैं, यानि तुलन पत्र की तारीख से एक साल की अवधि तक पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताएँ, और जब वे देय होने पर, कंपनी द्वारा चुका पाएगी।
- (xx)(क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत किसी भी परियोजना के आधार पर कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) और 3(xx)(बी) लागू नहीं होते हैं।
- (xxi) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में आदेश के खंड 3(xxii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है। तदनुसार, उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी इस रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है।

कृते जी जोसफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 006310S)

उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्य सं. 211364
यूडीआईएन: 22211364ANYYZN1476

स्थान: कोच्ची
तारीख : 27/07/2022



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ख

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत सी व एजी के निर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

क्रम सं.	सी व एजी निर्देश	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ
1	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खर्चों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के अलावा लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, निर्दिष्ट करें।	हमारी राय में, आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास एक प्रणाली है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को रोकने और पता लगाने हेतु कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के ऐसे कोई उदाहरण नहीं हैं।
2	क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के लिए कोई छूट/बट्टे खाते में डालने/ऋण/ब्याज आदि के मामले पर पुनर्गठन किया गया ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में निर्दिष्ट करें।	खाता बहियों और अन्य दस्तावेजों की हमारी जाँच के आधार पर और प्रस्तुत जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को एक ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के लिए छूट/ऋण को बट्टे खाते में डालने/ऋण/ब्याज आदि के मामले पर पुनर्गठन की कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया ? विचलन के मामलों को निर्दिष्ट करें।	हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों को कंपनी के खाता बहियों में उचित रूप से शामिल किया गया है। हम रिपोर्ट करते हैं कि, विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों के उपयोग के मामले में, चूंकि एकीकृत जल मेट्रो परियोजना से संबंधित निधियों को छोड़कर विशिष्ट योजनाओं के लिए निधियाँ कंपनी के अन्य निधियों के साथ एक आम बैंक खाते में प्राप्त की जाती हैं, वर्ष के दौरान, विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी, हम यह सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं। हालांकि, वर्ष के अंत में, विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधि के अप्रयुक्त हिस्से को बैंक खाते में शेष राशि के रूप में दर्शाया गया है। एकीकृत जल मेट्रो परियोजना के मामले में, निधि एक अलग बैंक खाते में प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग मंजूरी के नियमों और शर्तों के अनुसार की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31/03/2021 को विशिष्ट परियोजनाओं के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए 9,379.06 लाख रुपए का उपयोग किया गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कमी को पूरा किया गया।

कृते जी जोसफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 006310S)

उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्य सं.211364
यूडीआईएन: 22211364ANYYZN1476

स्थान: कोच्ची
तारीख : 27/07/2022



कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तारीख की रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ग'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2022 तक के कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय शासनपत्रित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन टिप्पणी में कथित के अनुसार आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड के आधार पर कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित जिम्मेदारियों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो कंपनी की नीतियों के पालन सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना और रोकथाम, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी आदि शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी मानकों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानकों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक और भारतीय शासनपत्रित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट के आधार पर किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यदि एक महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है तो, जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिमों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना आदि शामिल है। चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में हुए महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हम मानते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंध में, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाया जाता है; (2) लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने हेतु आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, इस पर उचित आश्वासन प्रदान करना; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग



पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हैं और भारतीय शासनपत्रित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2022 से प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

कृते जी जोसफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 006310S)

उमेश एल भट्ट
सहभागी

सदस्य सं. 211364

यूडीआईएन: 22211364ANYYZN1476

स्थान: कोच्ची

तारीख : 27/07/2022



कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2022 को स्टैंडअलोन तुलनापत्र

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को	31.03.2021 को
परिसंपत्तियाँ			
(I) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संरचना, संयंत्र और उपकरण	2. क	5555 31.06	5618 35.38
(ख) पूंजी कार्य प्रगति पर	2. ख	472 74.34	225 23.89
(ग) अन्य अपूर्ण परिसंपत्तियाँ	3	33 62.94	31 60.29
(घ) विकासशील अपूर्ण परिसंपत्तियाँ		-	-
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	4	1 27.40	-
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	734 71.76	693 56.93
(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	6	186 60.63	277 84.50
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (I)		6984 28.13	6846 60.99
(II) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) इन्वेंट्री	7	3 73.14	4 52.01
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	8	10 80.80	9 65.09
(ii) नकद और नकद समतुल्य	9	243 15.70	158 87.70
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10	159 35.18	122 40.60
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	4 19.39	6 12.22
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (II)		421 24.21	301 57.62
कुल परिसंपत्तियाँ (I) + (II)		7405 52.34	7148 18.61
इक्विटी और देयताएँ			
(I) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	1507 46.00	1507 46.00
(ख) अन्य इक्विटी	13	1044 41.60	1033 23.40
कुल इक्विटी (I)		2551 87.60	2540 69.40
देयताएँ			
(II) गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	14. क	4149 56.14	3900 70.92
(ii) पट्टा देयताएँ	14. ख	14.57	19.11
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	15	52 55.95	62 07.17
(ख) प्रावधान	16	17 66.78	16 19.31
(ग) आरम्भिक कर देयताएँ	17	-	-
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	18	16 15.32	7 65.55
कुल गैर-चालू देयताएँ (II)		4236 08.76	3986 82.06
(III) चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	19. क	220 46.93	178 38.96
(ii) पट्टा देयताएँ	19. ख	4.54	4.15
(iii) व्यापार प्राप्तियाँ	20	9 59.34	15 59.93
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	21	371 55.89	406 74.49
(ख) अन्य चालू देयताएँ	22	14 42.39	18 74.31
(ग) प्रावधान	23	1 46.89	1 15.31
कुल चालू देयताएँ (III)		617 55.98	620 67.15
कुल इक्विटी तथा देयताएँ (I) + (II) + (III)		7405 52.34	7148 18.61
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	1		
वित्तीय विवरणों में संलग्न टिप्पणी देखें	2-32		
सम तारीख के हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में		कृते एवं निवेशक मण्डल की ओर से	
कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स			
शासनपत्रित लेखाकार			
एफन्यारएन. 006310एस			
सीआईएन: 22211364ANYZNI476			
उमेश एल भट्ट		सोहनराज बेराट	अनूपरणी एस
सहभागी		प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त) और सीएफओ (सीआईएन: 09662978)
सदस्यता सं. 211364		(सीआईएन: 09406020)	
		स्वाम सुंदर आश्रवात	
		कंपनी सचिव	
स्थान : कोचीन		स्थान : कोचीन	
दिनांक : 27.07.2022		दिनांक : 27.07.2022	

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
I संचालन से राजस्व	24	66 70.83	39 96.98
II अन्य आय	25	75 59.96	127 49.09
III कुल आय (I + II)		142 30.79	167 46.07
IV व्यय:			
परिचालन खर्च	26	42 83.99	40 68.62
कर्मचारी लाभ व्यय	27	45 03.81	42 80.35
वित्त लागत	28	188 54.68	187 87.03
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	29	175 13.84	202 31.25
अन्य व्यय	30	30 47.13	28 45.61
कुल व्यय (IV)		482 03.45	502 12.86
V कर से पहले लाभ/(हानि) (III - IV)		(339 72.66)	(334 66.79)
VI कर व्यय:			
(1) कर पूर्व समायोजन		-	-
(2) आस्थगित कर		-	-
VII अबधि के लिए लाभ/(हानि) (V - VI)		(339 72.66)	(334 66.79)
VIII संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा (शुद्ध)			
वे मद्दे जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
- रोजगार के बाद के लाभ दायित्वों के पूर्व-माप		17.84	(23.03)
लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जानेवाले मवों से संबंधित आय कर		-	-
		17.84	(23.03)
IX वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII) वर्ष के लिए लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)		(339 54.82)	(334 89.82)
X प्रति इक्विटी शेयर आय:	31		
(1) बेसिक और डिल्यूटिव महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां वित्तीय विवरणों में संलग्न टिप्पणी देखें	1 2-32	(22.52)	(22.22)

सम तारीख के हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एवं निदेशक मंडल उनकी ओर से

कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफआरएन. 006310एस
यूडीआईएन: 22211364ANYYZN1476

उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्यता सं. 211364

लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:09406020)

अन्नपूर्णा एस
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(डीआईएन: 09662978)

श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 27.07.2022

स्थान : कोचीन
दिनांक : 27.07.2022



कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष की शुरुआत में शेयर राशि	1507 46.00	1507 46.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के प्रारंभ में पुनर्विणीत शेयर राशि	1507 46.00	1507 46.00
पूरा वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के अंत में शेयर राशि	1507 46.00	1507 46.00

ख. अन्य इक्विटी

राशि (रुए लाखों में)

विवरण	आस्थिति आय - वीटिक अनुदान		आस्थिति आय - गैर वीटिक अनुदान	आस्थिति और अधिशेष	अन्य व्यापक आय	कुल
	स्वायत्त मुक्त उपकरण भारत सरकार	स्वायत्त मुक्त उपकरण केरल सरकार	राज्य करों की प्रतिपूर्ति	केरल सरकार	प्रतिधारित आय	
दिनांक 1 अप्रैल, 2020 तक शेयर	209 63.09	1047 81.50	221 57.20	139 30.43	(801 93.11)	815 89.48
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	(68.31)	(68.31)
दिनांक 1 अप्रैल, 2020 को शेयर राशि (पुनर्विणीत)	209 63.09	1047 81.50	221 57.20	139 30.43	(802 61.42)	815 21.17
जोड़े: वर्ष के लिए पुनर्विणीत व्यापक आय/(हानि)	-	-	-	-	(334 66.79)	(23.03)
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्तन/समायोजन	-	592 54.59	-	-	-	592 54.59
घटाएँ: वर्ष के दौरान आय में अंतरण	(3 98.95)	(26 42.14)	(9 21.45)	-	-	(39 62.54)
दिनांक 31 मार्च, 2021 को शेयर राशि (पुनर्विणीत)	205 64.14	1613 93.95	212 35.75	139 30.43	(1137 28.21)	1033 23.40
दिनांक 1 अप्रैल 2021 को शेयर राशि (पुनर्विणीत)	205 64.14	1613 93.95	212 35.75	139 30.43	(1137 28.21)	1033 23.40
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
	205 64.14	1613 93.95	212 35.75	139 30.43	(1137 28.21)	1033 23.40
जोड़े: वर्ष के लिए व्यापक आय / (हानि)	-	-	-	-	(339 72.66)	17.84
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्तन/समायोजन	-	402 82.90	-	-	-	402 82.90
घटाएँ: वर्ष के दौरान आय में अंतरण	(4 39.97)	(39 92.67)	(7 77.24)	-	-	(52 09.88)
दिनांक 31 मार्च 2022 तक शेयर	201 24.17	1976 84.18	204 58.51	139 30.43	(1477 00.87)	1044 41.60

सब राशी के हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
सासनपतिट लेखाकार
एफआरएन. 006310एल
बुकीआईएन: 22211364ANYYZN1476

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

उमेश एल भट्ट
सहभागी
सहस्वता सं. 211364

लोकनाथ वेहरा
प्रबंध निदेशक
(बीआईएन:09406020)

अनूपगोपी एल
निदेशक (वित्त) और सीएफओ (बीआईएन: 09662978)

रघुम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 27.07.2022

स्थान : कोचीन
दिनांक : 27.07.2022

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन नकद प्रवाह विवरण

रुपि (सं. लक्षों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	(339 54.82)	(334 89.82)
के लिए समाशोधन		
परिसंपत्ती की बिक्री पर (लाभ)/हानि (शुद्ध)	.03	4.56
मूल्यवृद्धि और परिसोधन व्यय	175 13.84	202 31.25
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	68.31
व्यापार प्रक्रियाओं पर प्रत्याशित कृण हानि	3.54	13.44
व्याज आय	(5 23.31)	(4 40.75)
वित्तीय लागत	143 19.31	155 28.59
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	(12.09)	8.20
एकजीटीपीएल पर माफी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर उत्पन्न शुद्ध लाभ	(7 72.26)	(9 20.93)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	(34 25.76)	10 02.85
परिचालन संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समाशोधन		
वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी	(177 66.58)	(71 56.74)
नै.चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	79 51.76	(9 55.71)
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	2 71.70	(1 91.72)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	1 79.05	3 66.55
अन्य वेध में (वृद्धि)/कमी	(24 76.67)	6 36.57
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह/(में प्रयुक्त) (क)	(152 66.50)	(62 98.20)
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए भुगतान	(117 54.82)	(73 30.17)
पूजी अग्रिम सहित पूजी ढवल्प/आईपी के लिए भुगतान	(211 39.41)	(434 22.90)
कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड में निवेश	(1 27.40)	.00
प्राप्त व्याज आय	5 26.85	3 79.51
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त) (ख)	(324 94.78)	(503 73.56)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से दीर्घवधि कृण प्राप्ति	281 79.35	614 37.22
भारत सरकार के पास श्रु सहायता के माध्यम से पारित प्राप्ति	.00	24 46.67
केरल सरकार से प्राप्त	710 11.00	625 87.34
बैंक से कार्यशील पूंजी कृण के रूप में प्राप्त	11 55.97	(64 52.66)
पट्टा देयताओं से देयताओं का भुगतान	(4.15)	(1.35)
वित्त लागत का भुगतान	(274 96.27)	(249 14.92)
वर्ष के दौरान चुकाया गया कृण	(166 56.62)	(273 12.95)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (में प्रयुक्त) (ग)	561 89.28	677 89.35
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क) + (ख) + (ग)	84 28.00	111 17.59
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	158 87.70	47 70.11
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	243 15.70	158 87.70
से मुक्त		
रोकड़ शेष	17.92	14.74
बैंकों के पास शेष राशि:		
- चालू और स्वीच-इन खाते	125 00.17	83 43.46
- सावधि जमा (वारह महीने से कम परिपक्वता के साथ)	89 54.00	41 90.00
- बैंकों के पास विशेष प्रयोजन के लिए विधायित शेष राशि	28 43.61	33 39.50
कुल	243 15.70	158 87.70

सम सारीख के हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफआरएन. 006310एस
दुईआईएन: 22211364ANYYZNI476

उमेश एल गड्ड सहभागी
सहस्यता सं. 211364

लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक (द्वीआईएन:09406020)

अन्नपूर्णा एस
निदेशक (मित) और सीएफओ (द्वीआईएन: 09662978)

श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 27.07.2022

स्थान : कोचीन
दिनांक : 27.07.2022



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

निगमित जानकारी

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (एतद् पश्चात "कंपनी" या के.एम.आर.एल के रूप में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तहत दिनांक 2 अगस्त 2011 को CIN: U60100KL2011SGC029003 के साथ निगमित है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ में यह एक सरकारी कंपनी है।

कंपनी भारत सरकार (जीओआई) और केरल सरकार (जीओके) के तुल्य इक्विटी भागीदारी के साथ गठित एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी मुख्य रूप से कोच्ची शहर में मेट्रो रेल परियोजना की अवधारणा और संचालन में शामिल है। शहर में एक मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली के स्थाई संचालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी को मेट्रो नेटवर्क के बाद के विस्तार कार्य, इसका संचालन, रखरखाव और संबद्ध गतिविधियों के कार्यों को भी सौंपा गया है। कंपनी ने अपनी वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 19.06.2017 को शुरू किया। कंपनी की राजस्व स्रोतों में यात्रियों से किराया संग्रह, संपत्तियों और विज्ञापन स्थानों का लाइसेंस/पट्टे पर देना और अन्य संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना आदि शामिल है।

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1.1 अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 की धारा 133 के तहत समय-समय पर संशोधित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एस") के रूप में संदर्भित और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

1.1. क. तैयारी का आधार

इन वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य राशि पर मापा गया है; प्रोद्भव के आधार पर हिस्टोरिकल कोस्ट कन्वेंशन पर तैयार किए गए हैं:

क. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ और आकस्मिक विचार उचित मूल्य पर मापी गई हैं;

ख. परिभाषित लाभ योजनाएँ - योजना परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी गई हैं;

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों ("इंड एस") के अनुपालन के अनुरूप और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियमों सहित तैयार किए गए हैं।

लेखाकरण नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहाँ एक नए प्रकार जारी किया गया लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो। कंपनी ने आम तौर पर उद्योग में प्रचलित नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया है।

1.2 अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को कुछ अनुमान और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है, जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्ति की रिपोर्ट की गई मात्रा, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रकटीकरण और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। कुछ अनुमानों को दूसरों की तुलना में लागू करने के लिए उच्च स्तरीय निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रबंधन उपलब्ध जानकारी और उसके अनुभव के आधार पर लगातार अपने सभी अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन करता है और विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात या महत्वपूर्ण होते हैं।

निवेश की हानि, संपत्ति के उपयोगी जीवन, संयंत्र और उपकरण, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं से संबन्धित वित्तीय विवरणों की तारीख पर अनिश्चितता के आकलन के प्रमुख स्रोत, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशियों में एक महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बन सकता है।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा करती है। यह भी अनुमान



लगाया जाता है कि क्या कोई मद परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि पूंजीकरण की गारंटी दी जा सके और परिसंपत्ति के किस घटक को पूंजीकृत किया जा सके। उपयोगी जीवन का पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यहास व्यय में परिवर्तन कर सकता है। यदि पिछले अनुमानों से महत्वपूर्ण बदलाव हैं, तो भविष्य की अवधि के लिए मूल्यहास/परिशोधन को संशोधित किया है।

ख) अमूर्त कर परिसंपत्तियों की मान्यता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में अमूर्त कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है। अमूर्त कर मदों के तत्वों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। उसी के लिए नीति को टिप्पणी 1.24 के तहत वर्णित किया गया है।

ग) पट्टे

कंपनी मूल्यांकन यह करती है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। पट्टा अवधि का आकलन करने में (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर पर कंपनी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में कई कारकों के आकलन पर आधारित है, जैसेकि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और ऐसे विकल्प के प्रयोग की अनुमानित निश्चितता, परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे पर दी गई संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि शामिल है।

उक्त नीति टिप्पणी 1.29 के तहत स्पष्ट की गई है।

घ) अग्रिमों/प्राप्तिओं की वसूलीयोग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्तिओं की वसूली के आकलन के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है। निर्णय और अनुमानों के उपयोग की पहचान के लिए आवश्यकता होती है। प्रबंधन, प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि पर, अपेक्षित जीवन काल में देखी गई हिस्टोरिकल डिफॉल्ट दरों के आधार पर, बकाया प्राप्तिओं और अग्रिमों पर अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करता है।

ङ) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

एक प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारी लाभ को छोड़कर) को इसके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और तुलन पत्र के तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है। प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है। एक आकस्मिक परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन वित्तीय विवरणों में एक टिप्पणी के रूप में इसका प्रकटीकरण किया है।

च) रोजगार के बाद के हितलाभ योजनाएँ

कर्मचारी लाभ दायित्वों को परियोजना इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें नाश का दर और निकासी दर के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास के संबंध में मान्यता, वेतन वृद्धि दर और मुद्रास्फीति दर आदि शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताएँ उपयुक्त और दस्तावेजित हैं हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

छ) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि परीक्षण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की मान्यताओं के निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन वसूली योग्य राशि के मापन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

झ) प्राप्य व्यापार और ऋण तथा अग्रिम

संदिग्ध व्यापार प्राप्ति/ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है, जब वसूली की अनिश्चितता होती है, भले ही इसके देय राशि की अवधि की परवाह किए बिना और अवास्तविकता स्थापित होने पर बड़े खाते में डाल दिया जाता है।



1.2.1 कोविड-19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

कोविड 19 महामारी के फैलाव ने भारत सहित पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। कोविड -19 महामारी के कारण राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार दिनांक 8 मई 2021 से 30 जून 2021 तक मेट्रो संचालन को निलंबित कर दिया गया था।

कंपनी ने कोविड -19 से संबंधित महामारी के कारण प्राप्य राशियों और अप्राप्य राजस्व पर संभावित प्रभावों पर विचार किया। इस महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार, वहन मूल्यों पर इसके प्रभाव की समीक्षा की और निर्णय लिया और अन्य मेट्रो द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर भरोसा किया है। कोविड -19 के प्रभाव का एक निश्चित मूल्यांकन परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्योंकि वे भविष्य की अवधि में प्रकट होते हैं।

1.3 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

1.4 राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरणों और टिप्पणियों में दिए गए सभी राशियों को निकटतम हजारों में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

1.5 राजस्व मान्यता

- क) किराया संग्रह से होने वाली आय को टिकटों की बिक्री, यात्रा पास की बिक्री, स्मार्ट कार्ड के मामले में वास्तविक उपयोग के पैसे मूल्य और अन्य प्रत्यक्ष किराया संग्रह के आधार पर पहचाना जाता है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट और छूट के निवल राशि है।
- ख) परिसंपत्ति के लाइसेंस /किराए की आय को लाइसेंसधारी/पट्टेदार के साथ अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है और अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रोद्घवन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।
- ग) रद्दीमाल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिकूल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशियाँ, रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट, माल तथा सेवा कर और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि आदि का शुद्ध है। कंपनी राजस्व का प्रकटीकरण तब करता है जब राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, और यह संभव है कि भविष्य में इकाई को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।
- घ) प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय को प्रोद्घवन के आधार पर पहचाना जाता है।
- ङ.) परामर्श सेवाओं से प्राप्त आय को निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है, अन्यथा जहां अनुबंध प्रदान करने वाले मामलों को छोड़कर मान्यता प्राप्त है।
- च) अन्य आय को प्रोद्घवन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

1.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर) को उनकी अधिग्रहण लागत/हिस्टोरिकल लागत कम संचित मूल्यहास और हानि, यदि कोई हो, पर वर्णित किया गया है। कंपनी सकल वहन राशि निर्धारित करने के लिए लागत मॉडल अपना रही है।

स्थायी परिसंपत्ति की लागत में किसी भी आघात शुल्क और अन्य कर वसूली योग्य करों का शुद्ध सहित इसकी खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई प्रत्यक्ष आरोपणीय व्यय आदि शामिल है।

निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर जमा कार्यों/अनुबंधों को और उसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। लागत में उस तारीख तक की अर्हक स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उधार पर ब्याज भी शामिल है, जिस तारीख तक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है और किसी भी व्यापार बट्टा और छूट और अन्य आकस्मिक खर्चों का शुद्ध और निराकरण की लागत का एक प्रारंभिक अनुमान, यदि कोई हो, मर्दों को हटाने और उस साइट पर पुनर्स्थापित करना जिस पर यह स्थित है, भी शामिल है।

एक वर्ष से अधिक के उपयोगी जीवन वाले पुर्जों को संबंधित शीर्षों के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के अलग उपयोगी जीवन हैं, तो उन्हें अलग-अलग मर्दों (प्रमुख घटकों) के रूप में लेखाकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित प्रतिस्थापन पुर्जों /प्रमुख निरीक्षण की लागत केवल पूंजीकृत तभी किया जाता है जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है।

सार्वजनिक रूप से खोले जाने वाले नए खंड के लिए परिसंपत्ति का पूंजीकरण प्रशासनिक औपचारिकताओं के अनुसार, सभी प्रकार की पूर्णता सुनिश्चित करने के बाद और इस तरह के खंड के उद्घाटन के लिए "मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त" द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।



प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को “अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों” के तहत “पूँजीगत अग्रिम” के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसी तारीख से पहले इस्तेमाल न की जाने वाली परिसंपत्तियों की लागत “पूँजीगत कार्य प्रगति पर” के तहत प्रकट की जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित वाद के व्ययों का पूँजीकरण केवल तभी किया जाता है जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता हो।

परिसंपत्ति की बिक्री या समापन पर वित्तीय विवरणों से लागत और संबंधित संचित मूल्यहास समाप्त कर दिया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

1.7 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्ति को लागत कम संचित परिशोधन और हानि पर निर्दिष्ट है। अमूर्त परिसंपत्तियों को उस तारीख से जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

ब्रांडिंग लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूँजीकृत किया जाता है और पाँच साल की अवधि में एक स्ट्रेट-लाइन आधार पर परिशोधित किया जाता है।

रेलवे को वे लीव चार्ज होने के नाते, उपयोग के अधिकार (अनुमति) के लिए रेलवे को भुगतान की गई राशि, अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूँजीकृत है और सत्तर वर्षों की अवधि में एक स्ट्रेट-लाइन आधार पर परिशोधित किया गया।

सॉफ्टवेयर की लागत जो आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, जिसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूँजीकृत किया जाता है और पाँच वर्षों की अवधि में एक स्ट्रेट-लाइन आधार पर परिशोधित किया जाता है।

1.8 पूँजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

तुलन पत्र की तारीख में निर्माणाधीन परिसंपत्तियों को पूँजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में दिखाया गया है। निर्माण गतिविधि से सीधे संबंधित व्यय पूँजीकृत किया गया है। परियोजना के विभिन्न घटकों के फलस्वरूप होने वाले सभी प्रत्यक्ष व्यय सीडब्ल्यूआईपी के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। सामान्य व्यय और बाहरी उधार पर ब्याज जो सीधे निर्माण गतिविधियों से संबंधित हैं, लेकिन कार्यों के एक से अधिक घटकों के कारण सीडब्ल्यूआईपी के तहत निर्माण के दौरान खर्च के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे पूरा होने पर विभिन्न परिसंपत्तियों में आबंटित किया जाता है। मूल्य परिवर्तन सहित दावों को प्राप्ति पर लेखांकित किए जाते हैं।

निकषेप कार्य/अनुबंध के रूप में निष्पादित परियोजनाओं के जो कार्य प्रगति पर है, उसे निष्पादन एजेंसी से प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर और इसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त हैं। अधिशेष परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज सीडब्ल्यूआईपी से घटा दिया गया है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे कि अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज (इविटटी और ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से प्राप्त धन की अस्थायी परिनियोजन के अलावा), ठेकेदार को मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि सीडब्ल्यूआईपी के लिए व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

परियोजना के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार प्रशासनिक और सामान्य उपरिव्यय (आय का शुद्ध) सीडब्ल्यूआईपी की कुल लागत के लिए पूँजीकृत परिसंपत्तियों की लागत के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं।

1.9 भूमि

भूस्वामियों द्वारा सौंपी गई और कंपनी द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से ली गई भूमि का मूल्य जिला कलेक्टर के तत्वावधान में कार्यरत भूमि कंपनी के नाम पर टाइटल डीड के पूँजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना अधिग्रहण इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर पूँजीकृत किया गया है। अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/लागत के लिए प्रदान की गई देयता या कब्जे में भूमि से संबंधित मुआवजे को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है। निर्माण के लिए सौंपी गई विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों से संबंधित भूमि का मूल्य का पूँजीकरण नहीं किया गया है क्योंकि देय राशि और अन्य शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है अतः निर्धारित नहीं किया गया है।

वर्धित क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार” के तहत जब भुगतान किया जाता है, तब दर्ज किया जाएगा और राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकने के कारण भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा। भूमि में संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत और भूमि भरने का व्यय भूमि की लागत में प्रभाषित किया जाता है। राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क प्राप्त भूमि, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास निहित है, को सरकारी आदेश के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, जिसकी गणना “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार” की धारा 26 के आधार पर की जाती है और भूमि का कब्जा सौंपते समय भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में माना जाता है।



1.10. परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों की हानि के लिए, यदि कोई हो। समीक्षा की जाती है, यदि ऐसी हानि का कोई संकेत मौजूद है, ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हानि की पहचान की जाती है, उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त के रूप में चिह्नित किया जाता है। वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति के उचित मूल्य से निपटान की लागत कम करके और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, मानी जाती है। हानि के बाद, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर पहले से मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्तता हानि बढ़ जाती है या उलट जाती है। हालांकि, उलटने के बाद के वहन मूल्य को वहन मूल्य से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है, यदि कोई हानि नहीं होती तो सामान्य मूल्यहास चार्ज करके प्रबल होता है।

1.11. इन्वेंटरी

ढीले उपकरणों सहित इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो, पर किया जाता है।

1.12. संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब बकाया राशि की अवधि पर ध्यान दिए बिना वसूली की अनिश्चितता होती है और अप्राप्ति सिद्ध होने पर बड़े खाते में डाल दिया जाता है।

1.13. बीमा दावे

बीमा दावों की पहचान बीमा कंपनी द्वारा दावों की स्वीकृति के आधार पर की जाती है।

1.14. मूल्यहास और परिशोधन

- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार और कुछ परिसंपत्तियों/संपत्ति के घटकों के मामले को छोड़कर जहाँ तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन निर्धारित किया जाता है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास स्ट्रेट-लाइन आधार पर प्रदान किया जाता है।
- उपयोग के अधिकार परिसंपत्तिय के उपयोगी जीवन के अंत में या पट्टे की पट्टे की अवधि के अंत में उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति का मूल्यहास प्रारंभ तिथि से एक स्ट्रेट लाइन आधार पर किया जाता है।
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु और प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को निपटान पर या जब इसके उपयोग से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो मान्यता रद्द कर दी जाती है। संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब संपत्ति की पहचान नहीं की जाती है।
- कंपनी द्वारा चरण I की परिसंपत्तियों को सौंपते समय, परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन का अनुमान डीएमआरसी द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

परिसंपत्ति का विवरण	परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन (वर्षों में)
बिल्डिंग धीमिंग (उप संपत्ति)	10
रोलिंग स्टॉक	30
रोलिंग स्टॉक के घटक	18
एस्केलेटर और लिफ्ट	
लिफ्ट	30
लिफ्ट और अन्य घटक	20
एस्केलेटर	30
एस्केलेटर और अन्य घटक	15
यूपीएस बैटरी के घटक	10
ए टाइप की सीढ़ी - 4-मीटर ऊँचाई	2

परिसंपत्ति का विवरण	परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन (वर्षों में)
स्काडा सर्वर (मुख्य और स्टैंडबाय)	3
कम मूल्य की परिसंपत्तियान (प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए से कम)	1
रेलवे को वे लीव शुल्क*	70
ब्रांडिंग	5
वयाडकट, पुल, सुरंग और पुलिया	60
सीसीटीवी	6
सौर पेनल	25

- (v) सभी स्थाई परिसंपत्तियों के लिए 5% का अवशिष्ट मूल्य बरकरार रखा गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुरूप है।
- (vi) 5,000/- या उससे कम की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियाँ (कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ) को खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहास/परिशोधित किया जाता है।
- (vii) घटकों का अधिकतम जीवन मुख्य परिसंपत्ति के जीवन तक सीमित कर दिया गया है।
- (viii) मर्दों पर व्यय, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, ऐसे व्यय के वर्ष में राजस्व पर लगाया जाता है।
- (ix) अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से, उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम अनुमान पर व्यवस्थित आधार पर परिशोधन किया जाता है।
- (x) रेलवे को भुगतान किए गए मार्ग-अवकाश प्रभार अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं और 70 वर्षों (*) की अवधि में स्ट्रेट-लाइन पद्धति पर परिशोधित किया गया है।
- (xi) कार्यालय उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मोबाइल फोन का उपयोगी जीवन, तीन साल तक अनुमानित किया है।
- (xii) उपयोगी जीवन, बचत मूल्य और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति के मूल्यहास की विधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

1.15. सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जहां एक उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त होंगे और कंपनी सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ताकि उन्हें उन लागतों के साथ मिलान किया जा सके जिनकी वे क्षतिपूर्ति करने और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं।

जब कंपनी को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों का अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मूल्य राशि पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ या हानि के विवरण के लिए जारी किया गया।

जब ऋण या इसी तरह की सहायता सरकारों या संबंधित संस्थानों द्वारा वर्तमान लागू बाजार दर से कम ब्याज दर या ब्याज मुक्त के साथ प्रदान की जाती है, तो बाजार दर से कम/ब्याज मुक्त के लाभ को भारतीय लेखा मानक 109 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक 113 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक वहन मूल्य और प्राप्त लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। "अन्य इक्विटी" के तहत आस्थगित आय के रूप में आर्थिक अनुदान को स्थापित करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया है और उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिसके दौरान भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार ऋण बकाया है। ऋण को बाद में वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है।

1.16. वर्तमान बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

तुलन पत्र में परिसंपत्तियाँ और देयताएँ चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए हैं:

किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब यह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करता है:

- सामान्य परिचालन चक्र में साकार होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की अपेक्षा, या



- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, या
- नकद या नकद समकक्ष, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए किसी देयता का निपटान करने के लिए विनियम या उपयोग करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

किसी देयता को चालू रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब वह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करता हो:

- सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर निपटारा होने के कारण, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू माना जाएगा।

1.17. बिक्री के लिए गैर चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी एक गैर-वर्तमान परिसंपत्ति को बिक्री के लिए निर्धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि इसकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा माना जाता है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत बंद संचालन सहित गैर-वर्तमान संपत्ति को अग्रणीत राशि और उचित मूल्य कम बिक्री लागत पर मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, परिसंपत्ति मूल्यहास या परिशोधन के अधीन नहीं हैं।

बंद किए गए परिचालनों की बिक्री या पुनः माप से उत्पन्न कोई लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में एकल पंक्ति वस्तु के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

1.18. संचालन चक्र

कंपनी की परिचालन गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच सामान्य समय को देखते हुए कंपनी ने अपनी परिसंपत्ति और देयताओं को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

1.19 वित्तीय उपकरण

क) प्रारंभिक मान्यता, माप और गैर-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी उपकरणों के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बन जाती है।

प्रारंभ में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर प्रारंभिक रूप से मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और कार्य हस्तांतरित हो जाते हैं। एक वित्तीय देयता को मुक्त, समाप्त, रद्द या समाप्त होने पर अमान्य कर दिया जाता है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, प्रारंभिक माप/मान्यता के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर मापा जाना और;
- उचित मूल्य पर अनुवर्ती रूप से मापे जाने हेतु (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से)

ग) वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन



लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं को छोड़कर, वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

1.20 निवेश

निवेश जो आसानी से वसूली योग्य हैं और जिस तारीख से वे बने हैं, उस तारीख से एक वर्ष से अधिक के लिए रखने करने का इरादा नहीं है, तो उसे चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दीर्घकालिक अवधि के निवेश लागत पर किए जाते हैं। हालांकि, अस्थायी के अलावा, निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को इंड एस 27 - अलग वित्तीय विवरण के अनुसार लागत पर मापा जाता है।

1.21. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

एक प्रावधान को तभी मान्यता दी जाती है जब,

- क) पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) है।
- ख) यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।
- ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों को तुलन पत्र की की तारीख पर दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है।

निम्न परिस्थिति में आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है,

- क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।
- ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं है।

आकस्मिक देयताओं का आकलन प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, जब आय की प्राप्ति वस्तुतः निश्चित होती है, तो संबंधित परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है।

1.22. प्रतिबद्धताएँ

प्रतिबद्धताएँ संविदात्मक व्यय के लिए भविष्य की देयताएँ हैं। प्रतिबद्धताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत और प्रकट किया जाता है:

- क) पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
- ख) अन्य
- ग) अन्य गैर-रद्द करने योग्य प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों, जिस हद तक उन्हें प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माना जाता है।

1.23. पूर्व अवधि समायोजन

त्रुटियों के कारण पूर्व अवधि के समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हुए, पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्ववर्ती अवधि के लिए तुलनात्मक राशि को पुनः प्रस्तुत करके जिसमें त्रुटि हुई थी या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण को पुनः स्थापित करके ठीक किया जाता है।

1.24. कराधान

आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल हैं। लाभ और हानि के विवरण में वर्तमान और आस्थगित करों को मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हैं, इस मामले में, क्रमशः वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

वर्तमान कर



वर्तमान अवधि के लिए आय पर कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर और आकलन/अपील के अपेक्षित परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणी राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक भविष्य में कर लाभ प्राप्त होने की संभावना हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की भरपाई तब की जाती है जब मौजूदा कर परिसंपत्तियों और देयताओं को भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब आस्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकारी से संबंधित हैं।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देयताओं को ऑफसेट किया जाता है जहाँ इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखता है, या परिसंपत्ति को स्पष्ट करने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा रखता है।

1.25. विदेशी मुद्रा लेनदेन/ परिवर्तन

संस्था के वित्तीय विवरणों में शामिल मर्दों का आकलन प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके किया जाता है जिसमें इकाई संचालित होती ("कार्यात्मक मुद्रा") है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए ("आईएनआर") में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा है। संबंधित लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर को अपनाते हुए कार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।

वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित और विदेशी मुद्रा अनुबंधों द्वारा कवर नहीं की गई मौद्रिक वस्तुओं को "वर्ष के अंत विनिमय दरों" में अनुवादित किया जाता है, जबकि वायदा विनिमय अनुबंधों द्वारा कवर किए गए उनके संबंधित अनुबंधों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मर्दों सहित सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक मर्दों के परिवर्तन/निपटान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, भारतीय लेखा मानक 101 में दी गई स्वैच्छिक छूट के आधार पर भारतीय लेखा मानक 21 के तहत प्रदान किए गए दायरे को छोड़कर लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.26 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। अंशदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में किया जाता है।

भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी भी भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त भविष्य निधि पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं लिया जाता है और नियोक्ता के योगदान से भुगतान किया जाता है।

उपदान : चालू वर्ष के दौरान पात्र कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान के लिए प्रावधान किया गया है।

अर्जित और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है। संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है। संबंधित देयताओं की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी के अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा के व्यय लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित देयता की पहचान अवच्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को रोज़गार लाभ

अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी लाभ का भुगतान विदेश सेवा अंशदान (एफएससी) के रूप में उनके निर्देश के आधार पर उनके संबंधित मूल संगठन नियोक्ता को किया जाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देय ऐसे लाभों के लिए आवश्यक प्रावधान का अनुमान लगाया गया है और इसके लिए प्रावधान किया गया है।

भारतीय लेखा मानक 19 के तहत - इसकी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके अवचुरीस के आधार पर की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को घटाकर निर्धारित किया जाता है।



ब्याज आय / (व्यय) की गणना शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर छूट दर लागू करके की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर शुद्ध ब्याज आय/ (व्यय) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

अवच्युरियल मान्यताओं और अनुभव समायोजनों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं।

1.27 वित्त लागत

वित्त लागत में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः माप पर उत्पन्न होने वाले उधार, लाभ या हानि पर ब्याज लागत और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस सीमा तक शामिल किया जाता है, जिसे उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

धन उधार लेने के संबंध में लागत अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित अर्हक परिसंपत्तियों को आबंटित किया जाता है, जो अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ से लेकर ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित है। ऐसे उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय, अर्हक परिसंपत्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से घटाया जाता है। इसके बाद, उधार लेने की लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

एक अर्हक परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है।

1.28 निर्माण के दौरान ब्याज का आबंटन

उधार लेने की लागत, उधार पर ब्याज होने के नाते जो सीधे तौर पर एक योग्य परिसंपत्ति के निर्माण/उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाई होते हैं, भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। वर्ष के दौरान चालू की गई योग्य परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज, कमीशन की गई परिसंपत्तियों के मूल्य के अनुपात में महीने के अंत में योग्यता पूंजी कार्य प्रगति के मूल्य के अनुपात में आबंटित किया जाता है।

1.29 पट्टे

पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब पट्टे की शर्तों के अनुसार, पट्टादाता पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों, लाभों को काफी हद तक हस्तांतरित करता है। अन्य सभी पट्टे संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

वित्त पट्टों को पट्टे की शुरुआत में पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर या, यदि कम हो, तो न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे के भुगतानों को वित्त प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि बकाया देयता पर ब्याज की एक स्थिर दर प्राप्त हो सके। लाभ और हानि के विवरण में वित्त प्रभारों को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि वे सीधे योग्य परिसंपत्तियों के लिए जिम्मेदार न हों, उस स्थिति में उन्हें उधार लेने की लागतों की मान्यता पर सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।

परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान एक स्ट्रेट-लाइन आधार पर लाभ और हानि विवरण में एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, सिवाय इसके कि जहाँ एक और व्यवस्थित आधार समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि है जिसमें पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

1.30 सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय खंड है, जो मेट्रो रेल प्रणाली का विकास, संचालन और रखरखाव कर रहा है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम और रिटर्न, संगठन संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर एकल परिचालन सेगमेंट में संचालित होता है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाली राशियाँ कंपनी के एकल व्यवसाय खंड से संबंधित हैं।

1.31 नकद और नकद समकक्ष (नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए)

नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजन के राशि में हाथ में बकाया, सरकारी कोष और बैंकों के पास डिमांड जमा आदि शामिल हैं। नकद समकक्ष तीन महीने या उससे अधिक की मूल परिपक्वता लेकिन अधिग्रहण की तारीख से बारह महीने से कम, के साथ अल्पकालिक शेष राशि हैं, लेकिन अधिग्रहण की तारीख से बारह महीने से कम, अत्यधिक लिक्विड निवेश जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

1.32 नकद प्रवाह विवरण

'नकद प्रवाह विवरण' पर नकद प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एसएस) - 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।



1.33 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों को निर्धारित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर लिक्विड आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों को निर्धारित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।



राशि (रुपय लाखों में)

विवरण	साल का बॉक				सूचनात्मक/परिचालन/कामची				सूचनात्मक	
	अप्रैल 2021 का	वर्ष के दौरान परिवर्तन/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटारा/समायोजन	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के लिए	वर्षो/मासांतर	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
भूमि (प्रीहोल्ड) (टिपपरी 2.1 में)	954,38.23	87,10.95	-	1,041,69.18	-	-	-	1,041,69.18	954,38.23	
स्वाम्य	1,303,02.16	2,63.59	-	1,305,65.75	64,10.10	22,14.00	-	1,219,41.65	1,238,92.06	
अस्थायी संरचनाएं	6.89	-	-	6.89	5.57	1.39	-	1.32	1.32	
वायुमंडल, पृथ्वी, सूर्य और पृथिवी	2,159,10.73	-	-	2,159,10.73	191,43.21	32,49.90	-	1,935,17.62	1,967,67.52	
संरचना एवं स्थानिकी	84,32.21	2,72.85	-	87,05.06	15,61.22	11,93.42	-	59,50.42	68,70.99	
रोडिंग स्टॉक	767,31.49	-	-	767,31.49	79,35.31	27,94.59	-	640,01.59	687,96.18	
एक्सेलरेटर और लिफ्ट	116,26.08	-	-	116,26.08	14,62.63	4,90.70	-	96,72.75	101,63.48	
सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण	196,45.08	8,10.13	-	204,55.21	37,90.01	14,94.81	-	151,70.39	158,55.07	
सड़कें	12,73.91	6.82	-	12,80.73	4,61.54	1,24.88	-	6,94.31	8,12.37	
वाहन, कुर्सी, बस/ट्रक	1,84.44	6.14	-	1,90.58	81.36	36.11	-	73.11	1,03.08	
सफ़ाई	64,13.45	4,90.18	7.73	68,95.90	42,37.50	8,10.45	7.05	18,55.00	21,75.95	
विद्युतीकरण उपकरण	365,47.79	2,05.12	-	357,52.91	96,20.70	33,86.51	-	227,45.70	259,27.09	
केबल और तारिकाएं	103,17.61	2.54	-	105,20.15	16,45.67	5,45.73	-	81,28.75	86,71.94	
सिंचिका केंद्र	28,99.74	-	-	28,99.74	5,60.30	2,11.91	-	21,27.53	23,39.44	
फनिचर व फिक्स्चर	13,34.69	78.52	-	14,13.21	3,49.16	1,26.12	-	9,37.93	9,85.53	
कार्यालय उपकरण	42,19.43	23.78	-	42,43.19	12,72.02	4,78.96	-	24,92.21	29,47.39	
कम मूल्य की परिवहनियाँ	6,01.51	3.32	-	6,04.83	6,01.51	3.32	-	6,04.83	-	
वाहन	95.02	-	-	95.02	50.60	9.96	-	34.46	44.42	
उपकरण का अधिभार	25.06	-	-	25.06	1.73	5.02	-	18.33	21.35	
कुल	6,210,23.52	108,73.94	7.73	6,318,91.73	591,90.14	171,77.28	7.05	5,555,31.06	5,618,35.38	
गैर वर्ष (पुनः निर्धारित)	5,785,69.90	422,00.66	44.98	6,207,70.52	393,32.28	158,94.07	36.21	5,618,35.38	5,396,05.94	

विवरण	अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्तन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूर्णतः	
				अप्रैल 2021 को	31 मार्च 2022 को
घर 1ए और 1बी	194,41.51	263,10.97	457,52.48	-	45,752.48
घर 11 (टिपपरी संख्या 32.4 में)	5,60.36	6.70	5,67.06	-	567.06
अन्य	25,22.02	4,11.04	29,33.06	19,78.26	9,54.80
कुल	225,23.89	267,28.71	492,52.60	19,78.26	472,74.34
गैर वर्ष (पुनर्निर्धारित)	1,244,05.69	588,02.60	1,832,08.29	1,586,84.40	225,23.89



राशि (एक लाखों में)

विवरण	सकत वार्षिक				मूल्यवादायक/परिशिष्ट/कर्म				सूचक वार्षिक	
	अंतिम वर्ष 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्तन/परिशिष्ट/कर्म	वर्ष के दौरान निरंतर/संशोधन	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के लिए	वर्षों/परिशिष्ट/कर्म	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	17,29.99	33.13	-	17,63.12	10,92.51	2,95.87	-	13,88.38	3,74.74
ऑडियो-विश्वेश्वरी मेट्रो	61.60	-	-	61.60	61.60	-	-	61.60	-	-
रेलवे को के सीएम प्रसार	27,76.22	5,05.78	-	32,82.00	2,53.41	40.39	-	2,93.80	29,88.20	25,22.81
कुल	45,67.81	5,38.91	-	51,06.72	14,07.52	3,36.26	-	17,43.78	33,63.94	31,60.29
पाठ्य (पुरविधिगत)	42,52.92	4,85.54	1,70.65	48,67.81	12,40.99	3,37.18	1,70.65	14,07.52	31,60.29	33,28.92

विवरण:

- वित्तिक 31 मार्च 2022 तक, कंपनी ने 38,133 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 36,022.7 हेक्टेयर) जमीन भूमि का कब्जा ले लिया है।
- भूमि का पूंजीकरण मूल्य भूकल्पितों और किराया करों के बीच बराबर रहने मूल्य है। वित्तिक 25 दिसंबर 2014 को केरल सरकार द्वारा जारी शासनादेश की ओ. ए.सी. सं. 164/2014/TD/2353 & 2354 के तहत (संशोधन) भूमि और स्थान (संशोधन) भूमि और स्थान पर किराया नहीं किया जाता है, और कंपनी ने इन मामलों पर कोई काम नहीं किया।
- 186,33.47 लाख रुपये मूल्य की 2,686 हेक्टेयर भूमि के संबंध में सरकारों अभिलेखों में कंपनी के नाम पर जमीन भूमि के संशोधन की प्रक्रिया प्रक्रियागत है। 385,11.07 लाख रुपए मूल्य वाले 25,389 हेक्टेयर भूमि एक अनाई पालि करके लिया जाता है।
- केरल सरकार ने शासनादेश (एनएन) सं. 140/2020/आरटी डिसाफिड 22 नवंबर 2020 के तहत केएमआरएल को लोक निर्माण विभाग (पिडब्ल्यूडी) के कब्जे वाली 17,430 एकड़ जमीन की पिडब्ल्यूडी मि-शुल्क सीधे दे है। बशर्तों में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास/आय अर्थिक, 2013 में उचित मुआवजा और परदर्शिका का अधिग्रहण की धारा 26 के अनुसार भूमि को 139,30.43 लाख रुपए के चार्ज बाजार मूल्य पर विद्यमान था है।
- वित्तिक सरकारों निकालों/विशेषों/एनएन से संबंधित 5,753 हेक्टेयर भूमि पर मेट्रो के कार्य पूर्ण/प्रगति पर हैं। मूल्य को अंतिम रूप देने, एस्टीमेट की औपचारिकताओं और अन्य विषयों और शर्तों के संशोधन में शामिल नहीं किया है।
- कंपनी ने वित्तिक वर्ष 2014-15 के दौरान रेलवे भूमि पर कोल्ची मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण हेतु दायित्व रेलवे को वे लीव भूमि के रूप में 27.76 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया। वर्ष 2014-15 में भूमि के मौजूदा बाजार मूल्य के 99% के बाबर एमएमएल भुगतान के लिए 35 साल की प्राथमिक अवधि के लिए अनुमति ली गई। लघु माल्सी शुल्क के भुगतान पर अनुमति की अवधि को 35 वर्ष की ओर अग्रिम के लिए बढ़ाया जा सकता है। रेलवे को भुगतान की गई 27.76 करोड़ रुपए की राशि को अग्रिम संशोधन के तहत विद्यमान था है और 70 साल की अवधि के लिए परिसंचित किया गया है, एक औपचारिक समझौते का निष्पादन तय है।
- आवक, गांधी भवन समिति से अधिप्रीत भवन (अधिक) के पुनर्निर्माण प्रयास पर के आधार पर बढ़ती, यदि कोई हो, तो भू-अर्जन विभाग से भूमि का पुनर्निर्माण मूल्यांकन किया जा रहे या प्रकृति की जायगी। भूमि के मूल्य में 49.93 लाख रुपए की अक्षयशी अभी हुई है।
- भूमि प्राप्त के संबंध में 3.35 एकड़ की जमीन एक सीधे विलेख कंपनी के नाम पर गलत तरीके से पंजीकृत है और इसे कंपनी के स्वार्थी विलेख/परिशिष्टों शामिल नहीं किया है। इस भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण इकाई द्वारा कोल्ची मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कार्यों के लिए किया गया है और लागत को केरल सरकार के प्राथमिक कार्यों के लिए ही गई निधि से पूरी की जा रही है।
- आवक, गांधी भवन समिति से अधिप्रीत भवन (अधिक) के पुनर्निर्माण प्रयास पर के आधार पर बढ़ती, यदि कोई हो, तो भू-अर्जन विभाग से भूमि का पुनर्निर्माण मूल्यांकन किया जा रहे या प्रकृति की जायगी। भूमि के मूल्य में 49.93 लाख रुपए की अक्षयशी अभी हुई है।
- भूमि प्राप्त के संबंध में 3.35 एकड़ की जमीन एक सीधे विलेख कंपनी के नाम पर गलत तरीके से पंजीकृत है और इसे कंपनी के स्वार्थी विलेख/परिशिष्टों शामिल नहीं किया है। इस भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण इकाई द्वारा कोल्ची मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक कार्यों के लिए किया गया है और लागत को केरल सरकार के प्राथमिक कार्यों के लिए ही गई निधि से पूरी की जा रही है।
- वर्ष के दौरान, कंपनी ने 114,12.82 लाख रुपए मूल्य की भूमि और अन्य अग्रिम परिसंचितों का पूंजीकरण किया।
- केरल सरकार ने चरण I, चरण II और चरण III के लिए संयुक्त व्यापक प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अनुमोदन प्रदान करने सफल, यह संकेत दिया गया था कि, चरण II और चरण III के लिए सभी परिसंचितों/राज्य सरकार के पास निहित हो जायें। केरल सरकार ने अपने पत्र सं. टूम-सी2/43/2020-टूम डिसाफिड 24.05.2022 के तहत यह सूचित किया गया है कि अनुमति प्राप्त होने के बाद इन वर्त में संशोधन किया जाएगा।

टिप्पणी 4 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ - निवेश	31 मार्च 2022 को	रशि (रुपए लाखों में) 31 मार्च 2021 को
कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड में इनिव्हेटी इंस्ट्रुमेंट्स (गैर उद्भूत) (टिप्पणी सं. 32.36 देखें)		
	1,27.40	.00
100 रुपए के प्रत्येक 1,27,400 इनिव्हेटी शेयर। पूरी तरह से भुगतान किया गया; गत वर्ष - शून्य		
कुल	1,27.40	.00
		<i>रशि (रुपए लाखों में)</i>

टिप्पणी 5 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ- वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के विरुद्ध केरल सरकार से प्राप्त (टिप्पणी संख्या 32.11 देखें) सुरक्षा जमा (असुरक्षित और अच्छा माना जाता है)	733 19.01	691 91.84
	1 52.75	1 65.09
कुल	734 71.76	693 56.93

टिप्पणी 6 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पूर्वीगत अग्रिम - परियोजना के लिए (असुरक्षित और अच्छा माना गया);		
- दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को परियोजना अग्रिम	.00	5 23.81
- भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर को (नोट संख्या 32.8 देखें)	72 02.35	58 21.81
- पूर्वीगत अग्रिम	73 12.98	93 41.82
पूर्वीगत अग्रिम - प्रारंभिक कार्यों के लिए (असुरक्षित और अच्छा माना जाता है);		
- भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर को (नोट संख्या 32.8 देखें)	35 70.93	115 94.06
पूर्वगत व्यय	71.44	75.42
प्राप्त कर वापसी	4 85.49	4 10.14
प्राप्त एमएटी क्रेडिट	17.44	17.44
कुल	186 60.63	277 84.50

टिप्पणी 7 : इन्वेंट्री	31 मार्च 2022 को	रशि (रुपए लाखों में) 31 मार्च 2021 को
स्टॉक ऑफ टूल	452.00	473.90
घटार्पण : मूल्य में कमी का प्रावधान	(78.86)	(21.89)
कुल	3 73.14	4 52.01

टिप्पणी 8 : प्राप्त व्याज [चालू] वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2022 को	रशि (रुपए लाखों में) 31 मार्च 2021 को
असुरक्षित- अच्छा माना जाता है (नोट संख्या 32.31.2. ब देखें)		
व्यापार ग्राहक	12 53.77	11 38.06
घटार्पण : व्यापार प्राप्त - क्रेडिट खराब	(1 72.97)	(1 72.97)
कुल	10 80.80	9 65.09

टिप्पणी 9 : नकद और नकद समतुल्य [चालू]	31 मार्च 2022 को	रशि (रुपए लाखों में) 31 मार्च 2021 को
नकद शेष	17.92	14.74
बैंकों के साथ बकाया (चालू और स्वीप खातों में)	125 00.17	83 43.46
बैंकों में सावधि जमा (बचत गहने से कम की परिपक्वता अवधि के साथ)	89 54.00	41 90.00
बैंकों के साथ विशेष प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट बकाया *	28 43.61	33 39.50
कुल	243 15.70	158 87.70
* केरल वाणिज्यिक कर/वहन सेवा आरक्षित खाते के साथ गिरवी रखे गए बैंकों में सावधि जमा		

टिप्पणी 10 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ [चालू]	31 मार्च 2022 को	रशि (रुपए लाखों में) 31 मार्च 2021 को
केरल सरकार से प्राप्त		
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के एवज में (नोट संख्या 32.11 देखें)	144 20.51	104 74.19
- प्रारंभिक और अन्य कार्यों के लिए	84.69	95.71
असुरक्षित, बेहतर माना गया, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो		
- अर्जित व्याज	69.91	73.45
- अर्जित आय, किन्तु देय नहीं	27.19	14.38
- सुरक्षित जमा	13 19.88	13 04.32
- अन्य कर्मचारी अग्रिम	5.46	8.83
- अन्य (केरल सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता सहित - टिप्पणी सं. 32.18 देखें)	7.54	2 69.72
कुल	159 35.18	122 40.60

टिप्पणी 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2022 को	रशि (रुपए लाखों में) 31 मार्च 2021 को
पूर्वगत व्यय	266.21	253.82
अन्य अग्रिम	9.09	8.37
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	144.09	150.03
कुल	4 19.39	6 12.22



टिप्पणी 12 : इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2022 को शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)	31 मार्च 2021 को शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)
प्राधिकृत				
प्रत्येक 100 रुपये के इक्विटी शेयर	20 00 00 000	2000 00.00	20 00 00 000	2000 00.00
जारी, अधिदा और पूरी तरह से भुगतान किया गया				
पूर्ण रूप से भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के इक्विटी शेयर	15 07 46 000	1507 46.00	15 07 46 000	1507 46.00

शेयरों की संख्या और बकाया राशि की सुलह

विवरण	31 मार्च 2022 को शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)	31 मार्च 2021 को शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)
वर्ष की प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयर	15 07 46 000	1507 46.00	15 07 46 000	1507 46.00
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	15 07 46 000	1507 46.00	15 07 46 000	1507 46.00

12.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2022 को शेयरों की संख्या	धारित %	31 मार्च 2021 को शेयरों की संख्या	धारित %
भारत के राष्ट्रपति	7 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00
केरल के राज्यपाल	7 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00

12.2 कंपनी के पास 100/- रुपए के प्रति शेयर का सममूल्य मूल्य के एक वर्ग के इक्विटी शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और कंपनी की बैठक में प्रति शेयर एक वोट के लिए हकदार है। परिसमाप्त की स्थिति में, सभी अधिमान्य राशि के वितरण के बाद, यदि कोई दो, इक्विटी शेयरधारक उनके द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए अर्ह है। भारत के माननीय राष्ट्रपति और केरल के माननीय राज्यपाल क्रमशः पाँच और चार नामांकित निदेशकों को नामित किए हैं।

रुपि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 13 : अन्य इन्विंटी	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
भौतिक अनुदान		
न्याय मुक्त उप क्रम (टिप्पणी संख्या 32.5 देखें)		
भारत सरकार	201 24.17	205 64.14
केरल सरकार	1976 84.18	1613 93.95
केरल सरकार - राज्य कर की प्रतिपूर्ति (टिप्पणी संख्या 32.6 देखें)	204 58.51	212 35.75
	2382 66.86	2091 93.84
गैर भौतिक अनुदान		
केरल सरकार - जागीर भूमि (टिप्पणी संख्या 32.7 देखें)	139 30.43	139 30.43
लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	(1137 28.21)	(801 93.11)
जोड़े: लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	(68.31)
जोड़े: चालू वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	(339 72.66)	(334 66.79)
वर्ष के अंत में बकाया राशि	(1477 00.87)	(1137 28.21)
अन्य व्यापक आय		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	(72.66)	(49.63)
जोड़े: चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	17.84	(23.03)
वर्ष के अंत में बकाया राशि	(54.82)	(72.66)
कुल	1044 41.60	1033 23.40

रुपि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 14 क: उधार (गैर चालू)	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सावधि ऋण (सुरक्षित)		
बैंकों से (टिप्पणी सं. 32.10 देखें)	1955 84.20	1831 45.18
सावधि ऋण (असुरक्षित)		
विनीय संस्थानों से (टिप्पणी संख्या 32.10 देखें)	532 77.00	506 08.00
पासा डू सहायता - भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 32.12 देखें)	1086 15.28	1152 50.82
न्याय मुक्त उप क्रम (असुरक्षित) (टिप्पणी संख्या 32.5 देखें)		
भारत सरकार	47 25.83	42 85.86
केरल सरकार	527 53.83	367 81.06
कुल	4149 56.14	3900 70.92

रुपि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 14 बी: पहा देवताएं (गैर चालू)	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पहा देवता (नोट संख्या 32.26.1 देखें)	14.57	19.11
	14.57	19.11

रुपि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 15: अन्य विनीय देवताएं (गैर चालू)	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रतिभारण	3 57.14	1 16.78
सुरक्षित ऋण	8 69.00	10 53.13
केरल राज्य सहकारी बैंक ऋण पर देय न्याय	40 29.81	50 37.26
कुल	52 55.95	62 07.17

रुपि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 16: प्रावधान (गैर चालू)	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 32.13 और 32.14 देखें)		
उत्थान के लिए प्रावधान	6 97.42	6 15.65
अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान	7 73.25	7 12.19
अर्पण वेतन छुट्टी के लिए प्रावधान	2 17.87	2 16.32
छुट्टी यात्रा विन्यास के लिए प्रावधान	78.24	75.15
कुल	17 66.78	16 19.31

रुपि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 17: आस्थगित कर देवताएं (गैर चालू)	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आस्थगित कर देवताएं (टिप्पणी संख्या 32.19 देखें)		
संपत्ति, संपन्न और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति का मही शेष और कर शेष पर अंतर	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति (टिप्पणी संख्या 32.19 देखें)		
अनवशोषित मूल्यहास और हानि	-	-
कुल	-	-



टिप्पणी 18: अन्य चालू देयताएँ	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
ग्राहकों से प्राप्त अधिमिम	4 76.08	5 38.29
आस्थागत उचित मूल्यांकन-लाभ (सुरक्षा जमा)	11 39.24	2 27.26
कुल	16 15.32	7 65.55

टिप्पणी 19 क: उधार (चालू)	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सावधि ऋण (सुरक्षित)		
बैंकों से (टिप्पणी संख्या 32.10 देखें)	49 50.00	53 00.00
सावधि ऋण (असुरक्षित)		
वित्तीय संस्थानों से (टिप्पणी संख्या 32.10 देखें)	72 28.00	38 26.00
पास डू सहाता - भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 32.12 देखें)	66 35.54	66 35.54
कार्यशाला पूर्ती ऋण - केनरा बैंक (सुरक्षित) (टिप्पणी संख्या 32.10 देखें)	32 33.39	20 77.42
कुल	220 46.93	178 38.96

टिप्पणी 19 ख: पट्टा देयताएँ (चालू)	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
- पट्टा देयता (टिप्पणी संख्या 32.26.1 देखें)	4.54	4.15
कुल	4.54	4.15

टिप्पणी 20: देय व्यापार (चालू)	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
- देय व्यापार (नोट संख्या 32.35 देखें)	9 59.34	15 59.93
कुल	9 59.34	15 59.93

टिप्पणी 21: अन्य वित्तीय देयताएँ (चालू)	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
चालू एवं देय:		
व्याज उपार्जित लेकिन उधार लेने पर देय नहीं	18 18.17	18 05.83
असुरक्षित		
- प्रतिधारण	7 39.02	3 27.70
- प्राप्त व्यापार/ सुरक्षा जमा	9 83.85	12 05.24
- भूमि अधिग्रहण और संरचनात्मक मूल्यांकन	79 67.05	89 07.39
- अन्य:		
- परिचोजना संबंधी देयताएँ	85 14.12	79 86.18
- केरल सरकार (टिप्पणी सं. 32.17 देखें)	160 09.28	191 17.99
- अन्य	11 24.40	13 24.16
कुल	371 55.89	406 74.49

टिप्पणी 22: अन्य चालू देयताएँ	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वैधानिक भुगतान	4 58.47	5 50.35
ग्राहकों से प्राप्त अधिमिम	8 84.16	12 33.82
आस्थागत उचित मूल्यांकन लाभ (सुरक्षा जमा)	99.76	90.14
कुल	14 42.39	18 74.31

टिप्पणी 23: प्रावधान (चालू)	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 32.13 और 32.14 देखें)		
उपदान का प्रावधान	49.19	31.03
अर्जित छुट्टी का प्रावधान	57.78	49.91
अर्ध वेतन छुट्टी का प्रावधान	19.12	15.30
छुट्टी यात्रा रिशायत का प्रावधान	20.80	19.07
कुल	1 46.89	1 15.31



टिप्पणी 24: संचालन से राजस्व	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ट्रेन परिचालन से प्राप्त राजस्व	30 78.45	12 89.87
गैर किराया बॉक्स राजस्व	35 92.38	27 07.11
कुल	66 70.83	39 96.98

टिप्पणी 25: अन्य आय	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण से लाभ)	44 32.64	30 41.09
सरकारी अनुदान (केरल से राज्य करों की प्रतिपूर्ति से लाभ)	7 77.24	9 21.45
परामर्श आय	3 05.57	8 69.59
बैंक जमा पर ब्याज	5 23.31	4 40.75
बाढ़ के नुकसान पर बीमा दावा वसूली (टिप्पणी संख्या 32.37 देखें)	10 91.84	71 34.74
अन्य गैर-परिचालन आय (टिप्पणी संख्या 25.1 देखें)	3 33.58	1 24.63
सुरक्षा जमा की समाप्ति से आय	95.78	2 16.84
कुल	75 59.96	127 49.09

25.1 अन्य गैर परिचालन आय:

आवेदन/निविदा प्रसंस्करण शुल्क	7.91	10.54
अन्य ब्याज	5.98	18.91
अन्य	3 19.69	95.18
कुल	3 33.58	1 24.63

टिप्पणी 26: परिचालन व्यय	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहक सुविधा व्यय	12 41.56	10 23.71
विजली और पानी के शुल्क	13 60.21	11 83.65
सुरक्षा व्यय	11 24.09	10 27.59
आयोग	1 45.30	60.88
बाहरी परियोजना परामर्श	1 77.61	6 10.02
अन्य परिचालन व्यय	2 35.22	1 62.77
कुल	42 83.99	40 68.62

टिप्पणी 27: कर्मचारी लाभ व्यय	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	38 64.47	36 14.08
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	3 35.34	3 04.78
उपदान व्यय (टिप्पणी संख्या 32.13 और 32.14 देखें)	99.62	1 09.22
कर्मचारी कल्याण व्यय	2 04.38	2 52.27
कुल	45 03.81	42 80.35



राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 28: वित्त लागत	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ए) पास ब्रू सहायता पर ब्याज - भारत सरकार		
सकल ब्याज (ए)	12 49.47	13 89.15
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (बी)	.00	.00
लाभ और हानि के विवरण में कुल हस्तांतरण (ए-बी)	12 49.47	13 89.15
बी) बैंकों से ऋण पर ब्याज		
सकल ब्याज (ए)	154 29.21	149 97.58
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (बी)	(24 96.66)	(9 96.25)
लाभ और हानि विवरण में कुल हस्तांतरण (ए-बी)	129 32.55	140 01.33
सी) अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (टिप्पणी संख्या 32.5 देखें)		
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय की समाप्ति (ए)	44 32.64	30 41.09
लाभ और हानि के विवरण में कुल हस्तांतरण (ए)	44 32.64	30 41.09
डी) प्रतिधारण राशि और सुरक्षा जमा के उचित मूल्यांकन पर ब्याज		
प्रतिधारण राशि जमा पर ब्याज व्यय की समाप्ति (ए)	1 07.62	2 22.68
कम करें : निर्माण के दौरान व्यय (बी)	(1.34)	(1.22)
कम करें : केरल सरकार को देय (सी)	(5.52)	(4.11)
लाभ और हानि के विवरण में कुल स्थानांतरण (ए-बी-सी)	1 00.76	2 17.35
ई) पट्टा देयता पर ब्याज		
पट्टा देयता पर ब्याज व्यय (ए)	1.97	0.77
लाभ और हानि के विवरण में कुल हस्तांतरण (ए)	1.97	0.77
ई) पट्टा देयता पर ब्याज		
पट्टा देयता पर ब्याज व्यय (ए)	1 37.29	1 37.34
लाभ और हानि के विवरण में कुल हस्तांतरण (ए)	1 37.29	1 37.34
कुल योग-लाभ और हानि विवरण के लिए हस्तांतरण	188 54.68	187 87.03

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 29: मूल्यहास और परिशोधन व्यय	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास (टिप्पणी संख्या 1.14 और 2ए देखें)	171 72.56	198 92.34
उपयोग के अधिकार पर मूल्यहास	5.02	1.73
अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन (टिप्पणी संख्या 1.14 और 3ए देखें)	3 36.26	3 37.18
कुल	175 13.84	202 31.25



टिप्पणी 30 : अन्य व्यय	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
बीमा	10 33.15	10 73.44
मरम्मत और रखरखाव	9 79.85	6 18.08
सड़क कार्य/स्टेशन उन्मुखी कार्य	5 06.17	1 07.09
कानूनी और पेशेवर	1 47.22	1 42.78
कार्यालय और अन्य विविध व्यय	1 21.16	1 07.52
विज्ञापन और प्रचार व्यय	1 01.50	87.42
यात्रा और परिवहन व्यय	77.06	85.28
बाढ़ बहाली के बाद का खर्च	67.67	5 61.44
किराया, दरें और कर	10.76	18.16
बैंक प्रभार	3.69	15.70
विनिमय उतार-चढ़ाव हानि / (लाभ) (नोट संख्या 32.2.2 देखें)	(12.09)	8.20
व्यापार प्रारंभों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	3.54	13.44
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नोट संख्या 30.1 देखें)	7.45	7.06
कुल	30 47.13	28 45.61

30.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा - परिक्षण शुल्क	6.54	6.26
अन्य सेवाएं	.83	.80
व्यय की प्रतिपूर्ति	.08	.00
कुल	7.45	7.06

टिप्पणी 31 : प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (लाख रुपये में)	(339 54.82)	(334 89.82)	
इक्विटी शेयरों की संख्या	1507460 00.00	1507460 00.00		
मूल और मिश्रित प्रति शेयर आय (ईपीएस) (रुपए में) (टिप्पणी संख्या 32.23 देखें)	(22.52)	(22.22)		



टिप्पणी सं. 32 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त जानकारी
32.1 विदेशी मुद्रा में व्यय
राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	दिनांक 31.03.2022	दिनांक 31.03.2021
	को समाप्त वर्ष के लिए	को समाप्त वर्ष के लिए
के.एम.आर.एल द्वारा व्यय		
- अनुबंध	30 91.46	4 61.85
- अन्य	शून्य	46.13
डी.एम.आर.सी द्वारा अनुबंधों पर व्यय (नीचे की टिप्पणी देखें)	शून्य	26 98.61

वर्ष 2020-21 के लिए, डीएमआरसी द्वारा कंपनी द्वारा उनके खातों के विवरण के अनुसार, भारतीय रुपये में किए गए भुगतानों में से, विदेशी मुद्रा में किया गया पूंजीगत व्यय।

वर्ष 2021-22 के लिए डीएमआरसी से पुष्टि प्राप्त न होने के कारण उक्त राशि को शून्य मानी जा रही है।

32.2 विदेशी विनिमय दर भिन्नता

32.2.1 भारत सरकार द्वारा कंपनी को प्रदान की जाने वाली पास थ्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में जेंसक्रैसेज डी डेवलपमेंट (एएफडी) और भारत सरकार (भारत सरकार), उधारकर्ता के रूप में के बीच चरण I के लिए 180 मिलियन यूरो के ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है। चरण I के लिए पीटीए निधि भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए में बजटीय प्रावधानों के माध्यम से कंपनी को जारी किए गए। पीटीए के रूप में 13,27,10.77 लाख रुपए (180 मिलियन यूरो के बराबर) की संपूर्ण ऋण राशि को कई चरणों में पीटीए के रूप में आईएनआर में कंपनी को हस्तांतरित किया गया। कंपनी की देयताएँ भारत सरकार के साथ हैं। कंपनी की चुकौती दायित्व प्राप्त पीटीए की राशि के बराबर आईएनआर में सीमित है। कंपनी का दायित्व भारत सरकार के प्रति है। कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व प्राप्त पीटीए की राशि के बराबर भारतीय रुपए तक सीमित है। तदनुसार, संबंधित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से विदेशी विनिमय दर भिन्नता हानियों/लाभों को मान्यता नहीं दी है।

के.एम.आर.एल की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल की ओर भारत सरकार ने 27 मिलियन यूरो के लिए क्रेडिट सुविधा समझौता किया। भारतीय रुपए में भारत के राज्यों को विकास सहायता के लिए भारत सरकार की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार धनराशि को केरल सरकार को स्थानांतरित की जाती है। केरल सरकार द्वारा प्राप्त 24,46.67 लाख (2.84 मिलियन यूरो के बराबर) रुपए की राशि वर्ष 2020-21 के दौरान के.एम.आर.एल को पीटीए के रूप में भारत सरकार द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व पीटीए की राशि के बराबर भारतीय रुपये तक सीमित है। तदनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से संबंधित तुलन पत्र की तारीख में विदेशी विनिमय दर भिन्नता हानियों/लाभों को मान्यता नहीं दी है।

के.एम.आर.एल की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल की ओर भारत सरकार ने 27 मिलियन यूरो के लिए क्रेडिट सुविधा समझौता किया। भारतीय रुपए में भारत के राज्यों को विकास सहायता के लिए भारत सरकार की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार धनराशि को केरल सरकार को स्थानांतरित की जाती है। केरल सरकार द्वारा प्राप्त 24,46.67 लाख (2.84 मिलियन यूरो के बराबर) रुपए की राशि वर्ष 2020-21 के दौरान के.एम.आर.एल को पीटीए के रूप में भारत सरकार द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व पीटीए की राशि के बराबर भारतीय रुपये तक सीमित है। तदनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से संबंधित तुलन पत्र की तारीख में विदेशी विनिमय दर भिन्नता हानियों/लाभों को मान्यता नहीं दी है।

इसके अलावा, भारत सरकार केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.1 के अनुसार, विनिमय दर भिन्नताओं को केरल सरकार द्वारा पूरा/व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 273 के तहत, ऋण पूरी तरह से चुकाए जाने के बाद और ऋण अवधि के दौरान नहीं, भारत सरकार विदेशी विनिमय दर भिन्नताओं को पहचान लेगा और विनिमय दर भिन्नता के ऐसे लेखांकन को "8680 विविध सरकारी खातों" में समायोजित/बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार ऐसी विनिमय दर भिन्नता के कारण हो रहे अंतर का केरल सरकार द्वारा निपटान किया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा चुकाई गई राशि और जब भारत सरकार द्वारा विनिमय



भिन्नता का निपटान किया जाता है, तब कंपनी द्वारा आईएनआर में भारत सरकार को चुकाई गई राशि के बीच का अंतर, केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

तदनुसार, तुलन पत्र में, पीटीए के तहत देयता को आईएनआर में मान्यता दी गई है।

32.2.2 भारतीय लेखा मानक -21 के संबंध में प्रकटीकरण, "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव"। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (पीटीए से संबंधित लेनदेन के अलावा) का प्रभाव निम्नानुसार है:

चालू वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनिमय अंतर (शुद्ध विदेशी मुद्रा) की कुल राशि 12.09 लाख रुपए (पि. वर्ष 2020-21, 8.20 लाख रुपए की हानि) है।

32.3 सीडब्ल्यूआईपी से परिसंपत्तियों का पूंजीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्षों के दौरान पहले से पूंजीकृत परिसंपत्ति के मूल्य में 13,17.24 लाख रुपए के अंतर को मान्यता दी है। दिनांक 23 मई 2013 को डी.एम.आर.सी और के.एम.आर.एल के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.20 के अनुसार डी.एम.आर.सी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित स्थाई परिसंपत्ति रजिस्टर प्राप्त करने में देरी की प्रत्याशा में, के.एम.आर.एल ने डी.एम.आर.सी द्वारा सौंपे गए बयान पर भरोसा किया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के आधार पर, स्थाई परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर यदि कोई अंतर हो तो, उसको वर्ष 2022-23 में मान्यता दी जाएगी।

सीडब्ल्यूआईपी की चालू वर्ष की अनुसूची

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	अधशेष	वर्ष के दौरान हुए जोड़	21-22 में पूंजीकृत	रोकड़ बाकी
चरण Iए & Iबी *	194 41.51	263 10.97	0.00	457 52.48
चरण II	5 60.36	6.70	0.00	5 67.06
अन्य	25 22.02	4 11.04	1978.26	9 54.80
कुल योग	225 23.89	267 28.71	19 78.26	472 74.34

- चरण I, चरण Iए और चरण Iबी के लिए संयुक्त व्यापक प्रशासनिक मंजूरी के लिए अनुमोदन प्रदान करते हुए, केरल सरकार ने यह ह संकेत दिया गया था कि, चरण Iए और चरण Iबी के सभी परिसंपत्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित हो जाएँ। केरल सरकार के दिनांक 24.05.2022 के पत्र संख्या ट्रांस-सी2/43/2020-ट्रांस के तहत केरल सरकार ने यह जानकारी दी है, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के बाद शर्त में संशोधन किया जाएगा।

32.4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

निर्माण गतिविधि से सीधे संबंधित व्यय को पूंजीकृत किया गया है। परियोजना के विभिन्न घटकों के कारण होने वाले सभी प्रत्यक्ष व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के तहत मान्यता प्राप्त है।

उधार लेने की लागतें जो सीधे तौर पर एक योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण और निर्माण के उत्तरदाई होती हैं, उन्हें सीडब्ल्यूआईपी के लंबित पूंजीकरण के तहत वर्गीकृत हैं। उधार लागत का विवरण नीचे दिया गया है:



राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	वर्ष के अंत में कुल उधार लागत	वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत	लाभ और हानि के विवरण के लिए वसूल की गई उधार लागत	सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत वर्गीकृत उधार लागत
चालू वर्ष	168 15.97	शून्य	143 19.31	24 96.66
गत वर्ष	163 86.73	शून्य	153 90.48	9 96.25

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने पत्र एफ.सं.30 (03) /पीएफसी.II/2019 दिनांकित 15 अप्रैल 2020 के तहत कोची मेट्रो रेल परियोजना - चरण II के कार्यान्वयन की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपना पत्र एफ.सं.30 (03) /पीएफसी.II/2019 दिनांकित 15 अप्रैल 2020 के तहत कोची मेट्रो रेल परियोजना - चरण II के कार्यान्वयन की सिफारिश की।

विस्तार के लिए कंपनी द्वारा किए गए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, यातायात अध्ययन और अन्य संबंधित व्यय की तैयारी के लिए किए गए व्यय को सीडब्ल्यूआईपी-द्वितीय चरण के तहत समूहबद्ध किया गया है। तीसरे चरण की परियोजना अर्थात अलुवा से अंगमाली (हवाईअड्डा लिंक के साथ) के प्रस्ताव को कोची मेट्रो विस्तार कार्यों के हिस्से के रूप में माना जा रहा है।

सीडब्ल्यूआईपी का एजिंग शेड्यूल

राशि (रुपए लाखों में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	31.03.2022 को	275 40.08	143 19.63	45 05.70	9 08.93	472 74.34
	31.03.2021 को	169 42.17	46 71.57	3 35.24	5 74.91	225 23.89

32.5 सरकारी ऋण लेखांकन (अधीनस्थ ऋण) और संबंधित वित्त लागत

32.5.1 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए, यह संकेत दिया गया कि अधिग्रहित भूमि की लागत के लिए 67200 लाख रुपए की राशि केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तदनुसार, केरल सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2017 को भूमि अधिग्रहण के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 306,25 लाख रुपए जारी किए। शेष राशि के लिए, केरल सरकार ने कंपनी को सरकार की ओर से सावधि ऋण लेने का निर्देश दिया।

केरल सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या (एमएस) 20/2015/ट्रांस दिनांकित 25.03.2015 के तहत निर्देशित के अनुसार, कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के लिए "केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक" जिसे पहले "एरणाकुलम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ईडीसीबी)" के नाम से जाना जाता था, से 470,00 लाख रुपए की एक सावधि ऋण ले लिया। कुल 470,00 लाख रुपए में से 366,00 लाख रुपए चरण I के भूमि अधिग्रहण के लिए है और 104,00 लाख रुपए कुन्नरा पार्क से पेड्डा तक के वैट्टिला-पेड्डा रोड के लिए है। केरल सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर ऋण की चुकौती और ब्याज सेवा कार्य की गई है। वित्तीय विवरणों में उक्त ऋण को उधार के रूप में दर्शाया गया है।

संक्षेप में, ईडीसीबी से लिया गया ऋण परियोजना अनुमोदन आदेश के अनुसार केरल सरकार से प्राप्त होने वाले अधीनस्थ ऋण के विशेषता को दर्शाता है। तदनुसार, 366,00 लाख रुपए की राशि को दिनांक 01.04.2016 से केरल सरकार से प्राप्य अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

32.5.2 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के -14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए, यह संकेत दिया गया था कि प्रत्येक 248,50 लाख रुपए की राशि, केंद्रीय करों की तरफ भारत सरकार और केरल सरकार

द्वारा वहन किया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा जारी की गई निधियों को अनुमोदित निधिकरण पैटर्न के अनुसार अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

32.5.3 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 के समझौता ज्ञापन के खंड 11.1 के अनुरूप में, पार्टियों के बीच यह सहमति हुई है कि परियोजना की समयावधि के भीतर या उसके बाद किसी भी प्रकार की लागत वृद्धि को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। तदनुसार, केरल सरकार द्वारा निर्देशित जीओ (आरटी) संख्या 215/2020/ट्रांस 22.06.2020 के तहत, कंपनी ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए गैप निधीकरण की दिशा में 390,00 लाख रुपए की राशि के लिए मेसर्स आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया है। समझौते की शर्तों के अनुसार, ऋण को केरल सरकार की गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान मेसर्स हडको से निकाली गई राशि शून्य है (पिछले वर्ष 331,23 लाख रुपए), उक्त का समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के लिए दूसरी लागत वृद्धि, केरल सरकार के हिस्से की ओर, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 51,91 लाख रुपए की राशि (जीओ (आरटी) संख्या 353/2020/ट्रांस दिनांकित 28.10.2020) और 88,44 लाख रुपए (जीओ (आरटी) संख्या 358/2021/ट्रांस दिनांकित 26.10.20) 2021) के तहत प्राप्त हुआ, जिसका समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

32.5.4 केरल सरकार ने पेड्डा से एस एन जंक्शन तक मेट्रो लाइन के चरण I के विस्तार के लिए, जीओ (एमएस) संख्या 73/2014/ट्रांस दिनांकित 17/10/2014 के तहत 359,00 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। दिनांक 15.7.2019 के जी.ओ. (एमएस) सं. 36/2019/ट्रांस के तहत 97,38 लाख रुपए के भूमि लागत सहित परियोजना लागत को संशोधित कर 710,92 लाख रुपए कर दिया गया है।

जीओ (एमएस) संख्या 63/2018/ट्रांस दिनांकित 23.10.2018 के तहत 9738 लाख रुपए में से 58,11 लाख रुपए केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए सीधे विशेष तहसीलदार एलए को जारी किए गए, जिसका अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

केरल सरकार के भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक शेष राशि के लिए सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.03.2020 के द्वारा निर्देशित कंपनी ने मेसर्स हडको से ऋण लिया। वर्ष 2020-21 के दौरान मेसर्स हडको से लिए गए 39,27 लाख रुपए के ऋण के बराबर राशि को स्वीकृत परियोजना निधीकरण पैटर्न के हिस्से के रूप में, अधीनस्थ ऋण का केरल सरकार का हिस्सा होने के नाते केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

32.5.5 केरल सरकार ने सरकारी आदेश सं. (एमएस) 27/2019/ट्रांस दिनांकित 14/06/2019 के तहत एसएन जंक्शन से त्रिपुनितुरा रेलवे स्टेशन/बस डिपो तक के मेट्रो लाइन के चरण I की राशि के रूप में, चरण I के विस्तार के लिए 356.00 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। सरकारी आदेश सं. (एमएस) 2/2021/ट्रांस, दिनांकित 16.01.2021 के तहत, 135.86 लाख रुपए की भूमि लागत सहित परियोजना लागत को संशोधित कर 448,33 लाख रुपए किया गया है।

दिनांक 11.10.2021 के सरकारी आदेश सं. (आरटी) 347/2021/ट्रांस के तहत केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 135,86 लाख रुपए में से, 92,63 लाख रुपए जारी किए गए, जिसका केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक शेष निधि के लिए, केरल सरकार द्वारा दिनांक 17.03.2020 के सरकारी आदेश (आरटी) सं.112/2020/ट्रांस के तहत जारी निर्देश के अनुसार, कंपनी ने मेसर्स हडको से ऋण लिया। 2021-22 के दौरान मेसर्स हडको से 43,23 लाख रुपए के ऋण के समतुल्य राशि को अनुमोदित परियोजना निधिकरण पैटर्न के हिस्से के रूप में गौण ऋण में केरल सरकार का हिस्सा होने के नाते इसे केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

32.5.6 केरल सरकार ने सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 24 /2021/ट्रांस दिनांकित 16.01.2011 के तहत, कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के लिए 239,00 लाख रुपए की राशि के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की यानि, भारत सरकार से पास भ्रू सहायता के रूप में 202,54 लाख रुपए और केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में 36,46 लाख रुपए।



कंपनी ने 31 मार्च, 2022 तक गौण ऋण के रूप में कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल के लिए केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में प्राप्त रु.36,45 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु.16,00 लाख तक) की संचयी राशि को मान्यता दी।

32.5.7 दिनांक 4 नवंबर 2013 के समझौता ज्ञापन के खंड 12.26 के अनुसार भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार, नकद घाटे के कारण, यदि कंपनी इसे चुकाने में सक्षम नहीं है तो वह वरिष्ठ अवधि ऋण चुकाने (जैसा और जब यह देय हो जाता है) का दायित्व केरल सरकार का है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2022 तक केनरा बैंक और यूनियन बैंक को केरल से अधीनस्थ ऋण के रूप में प्राप्त 393,84 लाख रुपए (पिछले वर्ष 245,48 लाख रुपये तक) की संचयी राशि को मान्यता प्राप्त है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 तक एएफडी, फ्रांस के लिए भारत सरकार को ब्याज और मूलधन की चुकौती के लिए केरल सरकार से प्राप्त रु.249,04 लाख (पिछले वर्ष तक रु.174,62 लाख) रुपए की संचयी राशि को केरल से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

32.5.8 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.19 के अनुसार, अपने स्वयं के संसाधनों से परिचालन चरण के दौरान यदि केएमआरएल द्वारा इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है तो, नकद घाटे को वित्त पोषित करने का दायित्व केरल सरकार का है।

केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में शुद्ध परिचालन नकदी हानि की ओर प्राप्त 199,48 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक रु.144,38 लाख) की संचयी राशि को कंपनी ने 31 मार्च, 2022 तक मान्यता प्राप्त की।

अधीनस्थ ऋण को उचित मूल्य पर मापा जाता है और सरकारी अनुदान, लाभ होने के नाते, भारतीय लेखा मानक 109- वित्तीय साधनों और उचित मूल्य के अनुसार निर्धारित प्रारंभिक वहन मूल्यों के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और भारतीय लेखा मानक 20-अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स के अनुसार अनुदान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

32.6 राज्य करों की प्रतिपूर्ति

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 द्वारा कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए, यह संकेत दिया गया था कि राज्य करों के लिए 237,33.00 लाख रुपए की राशि का वहन केरल सरकार द्वारा किया जाएगा।

तदनुसार, सरकारी आदेश (एमएस) सं. 170/2019/वित्त दिनांकित 3 मई 2019 के तहत, कोच्ची मेट्रो परियोजना के निष्पादन के लिए केएमआरएल/डीएमआरसी द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर की प्रतिपूर्ति के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की गई है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक, राज्य सरकार ने केवीएटी और एसजीएसटी की ओर 237,33.52 लाख रुपए की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति की।

32.7 काक्कनाड में भूमि का हस्तांतरण

केरल सरकार के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 140/2019/आरडी दिनांकित 22 मई 2019 के तहत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे वाली भूमि को केएमआरएल को निःशुल्क रजिस्ट्री पर आवंटित करने और उक्त भूमि पर संपत्ति का विकास करने के लिए मंजूरी प्रदान की। मार्च 2020 में कंपनी को 17.430 एकड़ भूमि को रजिस्ट्री पर सौंपा गया। भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार भूमि पार्सल का मूल्य गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में माना जाता है। अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित किया गया है और इसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाएगी।

केरल सरकार ने सरकारी आदेश संख्या 169/2022/आरडी दिनांकित 24.06.2022 के तहत संपत्ति विकास परियोजना शुरू करने के लिए लोक निर्माण विभाग की 14 एकड़ अतिरिक्त भूमि काक्कनाड में निःशुल्क हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की। कंपनी को रजिस्ट्री में इस भूमि को नियत करने का काम बाकी है।



32.8 मेट्रो रेल परियोजना और प्रारंभिक एवं अन्य परियोजना कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जिलाधीश को अग्रिम राशि
रुपए (रुपए लाखों में)
मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2022 को	दिनांक 31 मार्च, 2021 को
चरण (अलुवा से पेड्डा)	49 19.51	57 16.98
चरण Iए (पेड्डा से एस एन जंक्शन)	0.95	54.83
चरण Iबी (एसएन जंक्शन से त्रिपुनितुरा)	22 81.89	50.00
कुल	72 02.35	58 21.81

प्रारंभिक और अन्य परियोजना कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2022 को	दिनांक 31 मार्च, 2021 को
वैट्टिला-पेड्डा रोड चौड़ीकरण	5.19	5.19
नई मेट्रो लाइन की तैयारी का कार्य - जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फोपार्क से होकर कावकनाड तक	1 37.75	91 57.09
नई मेट्रो लाइन की तैयारी का कार्य- सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड का चौड़ीकरण	4 06.75	4 01.00
एकीकृत जल मेट्रो परिवहन प्रणाली	30 21.24	20 30.78
कुल	35 70.93	115 94.06

32.9 एकीकृत जल परिवहन प्रणाली

केरल सरकार (जीओके) ने जी.ओ (एमएस) सं. 73/2015/ट्रांस दिनांकित 19/11/2015 के तहत कोच्ची में एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली की अवधारणा के लिए 682,01 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना को जर्मन फंडिंग एजेंसी "क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेरउफबाउ" (केएफडब्ल्यू) द्वारा भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत "जलवायु अनुकूल शहरी गतिशीलता" पहल के हिस्से के रूप में, और केरल सरकार द्वारा 102,30 लाख रुपए की सीमा तक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है। परियोजना के सभी वित्तीय और परिचालन संबंधी जोखिम, परियोजना के कानूनी मालिक के रूप में केरल सरकार के पास निहित होंगे और केएमआरएल, केरल सरकार की ओर से कार्यकारी और संचालन की एजेंसी होगी।

केरल सरकार ने दिनांक 18.6.2021 के सरकारी आदेश (एमएस) सं.14/2021/ट्रांस के तहत 72,00 लाख रुपए की भूमि अधिग्रहण लागत को छोड़कर 1064,83 लाख रुपए की संशोधित परियोजना लागत के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। संशोधित निधीकरण पैटर्न के अनुसार, केरल सरकार का योगदान 156.07 लाख रुपए और केएफडब्ल्यू का योगदान 908,76 लाख रुपए हैं। अतिरिक्त निधीकरण के लिए केएफडब्ल्यू से मंजूरी की प्रतीक्षा में है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, केरल सरकार ने 57,30 लाख रुपए (पिछले वर्ष 82,00 लाख रुपए) की राशि जारी की और केएफडब्ल्यू ने 38,86.16 लाख रुपए (पिछले वर्ष - 30,10 लाख रुपए) की राशि जारी की। दिनांक 31.3.2022 तक जारी संचयी निधि 295,62.84 लाख रुपए है (जिसमें केरल सरकार का योगदान 159,30 लाख रुपए और केएफडब्ल्यू का 136,32.84 लाख रुपए है)।

दिनांक 31.03.2022 तक का कुल व्यय 210,76.34 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक 102,75.20 लाख रुपए) है। ठेकेदारों को दिनांक 31.03.2022 तक अग्रिम के रूप में 87,24.32 लाख रुपए (पिछले वर्ष 79,50.20 लाख रुपए) की राशि का भुगतान किया गया।

केरल सरकार ने दिसंबर 2023 तक केएफडब्ल्यू ऋण आहरण अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध किया। केएफडब्ल्यू ने 290005 यूरो की क्षतिपूर्ति लागत के भुगतान पर संवितरण अवधि को दिसंबर 30,2023 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।



केरल सरकार ने दिनांक 23/10/2020 के सरकारी आदेश (एमएस) सं.26/2020/ट्रांस के तहत कोच्ची वाटर मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) के गठन के लिए 4,90 रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ केरल सरकार द्वारा 74% इक्विटी और केएमआरएल द्वारा 26% स्वेट इक्विटी के साथ मंजूरी प्रदान की। तदनुसार, दिनांक 14 जुलाई, 2021 को मेसर्स कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडबल्यूएमएल) को कंपनी के साथ संयोजित किया गया। कंपनी और केरल सरकार के दायित्वों को निरूपित करते हुए कंपनी ने केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओडबल्यू) भी हस्ताक्षरित किया।



32.10 बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उधार
राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	बैंक/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान प्रारंभ करने की तारीख	पुनर्भुगतान समाप्त करने की तारीख	वर्ष 21-22 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज	प्रतिवर्ष ब्याज की दर प्रतिशत	दिनांक 31.03.2022 को राशि	दिनांक 31.03.2021 को राशि
क	केनरा बैंक - चरण I	54 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	108 27.68	9.20% 17.2.2022 तक 8.25% 18.2.2022 से	1189 88.61	1198 80.04
ख	केनरा बैंक - प्रथम चरण (अतिरिक्त उधार)	54 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	15 16.97	8.85% 31.7.2021 तक 8.00% 01.8.2021 से	182 73.19	182 77.01
ग	केनरा बैंक ऋण - चरण I विस्तार	56 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 1, 2025-26	तिमाही 4, 2038-39	14 73.53	8.85% 15.3.2022 तक 8.00% 16.3.2022 से	232 59.41	132 57.89
घ	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया -चरण I विस्तार	56 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 1, 2025-26	तिमाही 4, 2038-39	10 20.37	8.85% 15.3.2022 तक 8.00% 16.3.2022 से	162 63.80	79 82.97
ड	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण)				44 70.38	9.75%	183 00.00	219 60.00
च	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण - वैट्टिला - पेट्टा रोड)	10 वार्षिक किस्तें	मार्च, 2018	मार्च, 2027			52 00.00	62 40.00
छ	केनरा बैंक - कार्यशील पूंजी माँग ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5 30.44	9.30% 19.12.2021 तक 7.75% 20.12.2021 से	32 33.39	20 77.42
ज	केनरा बैंक - कार्यशील पूंजी माँग ऋण (कोविड-19 सहायता)	18 मासिक किस्तें	मार्च -21	अगस्त -2022	51.04	8.85%	2 49.19	8 47.27
झ	हडको-प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण	52 त्रैमासिक किस्तें	फरवरी -2022	नवंबर - 2034	25 12.65	भूमि अधिग्रहण के लिए प्रति वर्ष 9.75% और कार्यों के लिए प्रति वर्ष 9.25% (एक वर्ष के लिए निर्धारित)	3 07 47.00	2 19 84.00
ट	हडको - चरण I	58 त्रैमासिक किस्तें	फरवरी -2021	मई -2035	29 29.12		2 97 58.00	3 24 50.00
कुल							26 42 72.59	24 49 56.60



वित्तीय विवरणों में उपरोक्त ऋणों की प्रस्तुति

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	संदर्भ टिप्पणी संख्या	दिनांक 31.03.2022 को राशि	दिनांक 31.03.2021 को राशि
बैंकों से सावधि ऋण (सुरक्षित) का गैर-चालू भाग	14क	19 55 84.20	18 31 45.18
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण (असुरक्षित) का गैर-चालू भाग	14क	5 32 77.00	5 06 08.00
कार्यशील पूंजी ऋण (सुरक्षित)	19क	32 33.39	20 77.42
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण की चालू परिपक्वता			
बकाया	19क	.00	.00
बकाया नहीं		1 21 78.00	91 26.00
कुल		26 42 72.59	24 49 56.60

उपरोक्त ऋणों पर विस्तृत टिप्पणी नीचे दिया गया है;

क) केनरा बैंक- चरण I

कंपनी ने केनरा बैंक के साथ 1170,00 लाख रुपए की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया। केएमआरएल के अनुरोध के अनुसार, मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज सर्विसिंग के लिए स्थगन की मंजूरी दी गई। कंपनी ने ब्याज अधिस्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, सावधि ऋण (पुनर्भुगतान का शुद्ध) पर प्रोद्भूत ब्याज को कोविड-19 सहायता के रूप में पूंजीकृत किया गया। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है।

ख) केनरा बैंक- चरण I (अतिरिक्त उधार)

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की वृद्धि की लागत को पूरा करने के लिए कंपनी ने केनरा बैंक के साथ दिनांक 18.7.2019 को 179,00 लाख रुपए की राशि के लिए सावधि ऋण का समझौता किया। केरल सरकार ने जीओ (आरटी) संख्या 323/2019/ट्रांस दिनांकित 18.7.2019 के तहत मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए गारंटी जारी की। केएमआरएल के अनुरोध के अनुसार, मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज सर्विसिंग के लिए स्थगन के लिए मंजूरी दी गई। कंपनी ने ब्याज अधिस्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, बकाया सावधि ऋण (पुनर्भुगतान का शुद्ध) पर प्रोद्भूत ब्याज को कोविड -19 सहायता के रूप में पूंजीकृत किया गया है। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है और ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत किया है।

ग एवं घ) केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच कंसोर्टियम ऋण - चरण I का विस्तार

कंपनी ने पहले चरण के विस्तार के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्टियम से सावधि ऋण लिया था। कंसोर्टियम ऋण समझौता दिनांक 25.05.2020 को निष्पादित किया गया। समझौते के अनुसार, केनरा बैंक 730,67 लाख रुपए के सावधि ऋण के साथ चरण Iए और चरण Iबी की परियोजना के वित्तपोषण के लिए अग्रणी बैंकर होगा, जिसमें केनरा बैंक द्वारा रु. 430,00 लाख और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रु. 300,67 लाख के अनुपात में साझा किया जाएगा। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर है। चरण I विस्तार की चल और अचल परिसंपत्ति पर परिपासु शुल्क द्वारा ऋण सुरक्षित किया जाता है और ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है। केरल सरकार ने (आरटी) सं.211/2020/ट्रांस दिनांकित 18.6.2020 के तहत ऋण के ब्याज और मूलधन की अदायगी के लिए गारंटी जारी की। चूंकि परियोजना को केरल सरकार



द्वारा वित्त पोषित किया जाना है, गारंटी आयोग की ओर से दिनांक 31.3.2022 तक 4,55.80 लाख रुपए की राशि को भी केरल सरकार से (पिछले वर्ष 1,59.31 लाख रुपए) प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है।

ड) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक के रूप में जाने जाते थे (ईडीसीबी) (भूमि अधिग्रहण)

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के -14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए यह संकेत दिया गया था कि केरल सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए 672,000 लाख रुपए ब्याज मुक्त उप ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। केरल सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2017 तक कुल 672,00 लाख रुपए में से 306,25 लाख रुपए राशि जारी की। बकाया राशि के लिए, केरल सरकार ने निर्णय लिया कि उप ऋण योगदान के रूप में 366,00 लाख रुपए की राशि का ऋण केरल सरकार द्वारा प्रदान करेगी, उसे केएमआरएल केरल सरकार की ओर से प्राप्त करेगा।

केरल सरकार ने जी.ओ.(एमएस)सं.20/2015/ट्रांस दिनांकित 25.03.2015 के तहत, भूमि अधिग्रहण के लिए केरल राज्य सहकारी बैंक से 366,00 लाख रुपयों का सावधि ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 20 जनवरी 2015 को आयोजित 19 वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदित के अनुसार ईडीसीबी के साथ सावधि ऋण समझौता किया। शासनादेश के अनुसार, ऋण की अवधि दो वर्ष की अधिस्थगन के साथ 12 वर्ष की होगी और चुकौती दस वर्षों में वार्षिकी आधार पर होगी जो कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित होगी। ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही अंतराल पर संयोजित होगी। ब्याज दर हर तीन साल में रीसेट की जाएगी और दिनांक 1 अप्रैल 2020 से उसी को प्रतिवर्ष 9.95% से 9.75% तक घटा दिया गया। ब्याज सहित ऋण की अदायगी केरल सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर की जाती है और जब भी देय हो, को केरल सरकार से प्राप्त के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशानुसार 366,00 लाख रुपए की पूरी ऋण राशि को आइत किया है।

च) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के रूप में जाना जाता था (भूमि अधिग्रहण-वैट्टिला रोड)

केरल सरकार ने वैट्टिला-पेड्डा रोड की चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत को पूरा करने हेतु जीओ (एमएस) संख्या 24/2015/ट्रांस दिनांकित 30.04.2015 के तहत केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के रूप में जाना जाता था) (भूमि अधिग्रहण-वायटिला पेड्डा रोड) से 104,00 लाख रुपए के सावधि ऋण लेने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 20 जनवरी 2015 को आयोजित अपनी 19 वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदित के अनुसार केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ सावधि ऋण समझौता किया। ऋण की अवधि दो वर्ष की अधिस्थगन के साथ 12 वर्ष की होगी और चुकौती दस वर्षों में वार्षिकी आधार पर होगी जो कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित होगी। ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही अंतराल पर संयोजित होगी। ब्याज दर हर तीन साल में रीसेट की जाएगी और दिनांक 1 अप्रैल 2020 से उसी को प्रतिवर्ष 9.95% से 9.75% तक घटा दिया गया। ब्याज सहित ऋण की अदायगी का दायित्व केरल सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर लिया जाता है और जब देय हो, को केरल सरकार से प्राप्त के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशानुसार 104,00 लाख रुपए की पूरी ऋण राशि को आइत किया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 91,70.38 लाख रुपए, (पिछले वर्ष 201,80.33 लाख रुपए, तीसरी और चौथी किस्त) सावधि ऋण के पाँचवीं किस्त का भुगतान मार्च 2022 में किया।

छ) केनरा बैंक- कार्यशील पूंजी माँग ऋण

कंपनी ने दिनांक 30.09.2019 को केनरा बैंक के साथ क्रमशः 90,00 लाख रुपए और 5,00 लाख रुपए की राशि के लिए एक निधि आधारित कार्यशील पूंजी सुविधा और गैर-निधि आधारित बैंक गारंटी सीमा में दाखिल किया और वार्षिक आधार पर नवीकरण किया। कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है।



ज) केनरा बैंक- कार्यशील पूंजी मांग ऋण (कोविड-19 समर्थन)

कंपनी ने दिनांक 28 अगस्त 2020 को केनरा बैंक के साथ कोविड -19 केनरा क्रेडिट समर्थन के हिस्से के रूप में 9,00 लाख रुपए का एक कार्यशील पूंजी मांग ऋण सुविधा पर समझौता किया। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्चिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (ऋण दरों के आधारित निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है।

झ) हडको - प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण

कंपनी ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I, चरण Iए, चरण Iबी और चरण II के भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों के लिए दिनांक 19.3.2020 को 589,82.00 लाख रुपए की राशि के लिए हडको के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया। इस पर दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी को हडको द्वारा 318.81 रुपए की राशि वितरित की गई। मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि फरवरी 2022 तक है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक 11,34 लाख रुपए का भुगतान किया गया। ऋण जीओ (आरटी) सं.112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.3.2020 के तहत, ब्याज के भुगतान और मूलधन की अदायगी के लिए सरकारी गारंटी द्वारा सुरक्षित है।

चूंकि कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से और प्रारंभिक कार्यों के लिए ऋण लिया गया है, ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन सहित ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान जीओके से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। तदनुसार, दिनांक 31 मार्च 2022 तक 1,23.90 लाख रुपए और 4,96.22 लाख रुपए की राशि, क्रमशः ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी आयोग की राशि के रूप में, केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ब) हडको - चरण I

कंपनी ने दिनांक 26.06.2020 को परियोजना के गैप फंडिंग हेतु 390,00 लाख रुपए की राशि के लिए हडको के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया। इस पर, हडको द्वारा कंपनी को 331,23 लाख रुपए की राशि वितरित की गई और दिनांक 31 मार्च, 2021 तक 33,65 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

शासनादेश (आरटी) 215/2020/ट्रांस दिनांकित 22.06.2020 के तहत, सरकार ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के संबंध में पर्याप्त बजट प्रावधान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन सहित ब्याज और मूलधन की चुकौती को केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, 123.90 लाख रुपये और 470.23 लाख रुपये की राशि को ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन की राशि को दिनांक 31 मार्च 2022 तक केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ट) दिनांक 16 अक्टूबर 2004 के शासनादेश (एमएस) सं. 487/04 /वित्त के खंड 4 (i) के अनुसार, देय गारंटी कमीशन पिछले वर्ष के 31 मार्च को ब्याज, दंडात्मक ब्याज आदि सहित बकाया ऋण की वास्तविक शेष राशि का 0.75% होगा। एक वर्ष में देय राशि का भुगतान दो समान किश्तों में किया जाएगा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक 01 अप्रैल को और दूसरा 1 अक्टूबर को।

कंपनी द्वारा भुगतान किए गए गारंटी कमीशन का विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है;

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	गारंटी कमीशन	देय और 31.3.2022 तक भुगतान किया गया	31.3.2022 को देय नहीं है	कुल
1	केनरा बैंक - चरण I, कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए (अतिरिक्त उधार)	2 63.11	1 37.29	4 00.40



2	केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच कंसोर्टियम लोन - चरण I का विस्तार	1 59.31	2 96.49	4 55.80
3	हडको - प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण	2 63.75	2 32.47	4 96.22
4	हडको - कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए अंतर वित्तपोषण	2 45.28	2 24.94	4 70.22
	कुल	9 31.45	8 91.19	18 22.64

32.11 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के प्रति केरल सरकार से प्राप्य

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	विस्तृत टिप्पणी संदर्भ संख्या	31- मार्च -22			31- मार्च -21		
		चालू	गैर- चालू	कुल	चालू	गैर- चालू	कुल
केरल राज्य सहकारी बैंक से लिए गए ऋण पर	32.10.ड एवं 32.10.च	47 00.00	1 87 94.81	2 34 94.81	47 00.00	2 34 94.82	2 81 94.82
केरल राज्य सहकारी बैंक से ऋण के लिए प्राप्य ब्याज पर		10 07.45	40 30.18	50 37.63	10 07.45	50 37.25	60 44.70
हडको से लिए गए ऋण पर	32.10.झ एवं 32.10.ब	69 82.87	5 04 94.02	5 74 76.89	46 07.43	4 06 59.77	4 52 67.20
गारंटी कमीशन पर, गारंटी कमीशन और प्रसंस्करण शुल्क पर ब्याज	32.10. ग,घ,झ एवं ब	17 30.19	0.00	17 30.19	15 9.31	0.00	1 59.31
कुल		1 44 20.51	7 33 19.01	8 77 39.52	1 04 4.19	6 91 91.84	7 96 66.03



32.12 भारत सरकार की ओर से पास श्रू सहायता
राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	बैंकों/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान आरंभ तिथि	पुनर्भुगतान समाप्त तिथि	21-22 के दौरान चुकाया गया ब्याज	ब्याज की दर	31.03.2022 को राशि*	31.03.2021 को राशि
क	चरण I के लिए पास श्रू सहायता	40 अर्धवार्षिक किश्तें	सितंबर, 2019	March, 2039	122.63	6 मासिक यूरिबोर के साथ 155 आधार अंक का मार्जिन	11 28 04.15	11 94 39.69
ख	एनएमटी के लिए पास श्रू सहायता	20 अर्धवार्षिक किश्तें	मई, 2025	नवंबर, 2034	20.61	1.52% या 6 महीने यूरिबोर + 1.35% (मार्जिन)	24 46.67	24,46.67
Total							11 52 50.82	12 18 86.36

*टिप्पणी 19क में दर्शाई गई पीटीए की चालू परिपक्वता सहित

चरण I कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के लिए 180 मिलियन यूरो की भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई पास श्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में एंजिस फ्रैन्काइज डी डेवलपमेंट (एफ़डी), एक फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एंजेंसी, और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (जीओआई) के बीच क्रेडिट सुविधा समझौते पर आधारित है। ऋण भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गारंटी के माध्यम से सुरक्षित है। 1327,10.77 लाख रुपए के बराबर के 180 मिलियन यूरो की संपूर्ण ऋण राशि, एफ़डी द्वारा भारत सरकार को जारी कर दी गई है। केएमआरएल को भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार कई चरणों में भारतीय रुपए में राशि वितरित की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार को 66,35.54 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए देय किस्तों के लिए प्रत्येक को 66,35.54 लाख रुपए) है।

केरल सरकार के माध्यम से भारत सरकार द्वारा केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के लिए 27 मिलियन यूरो की राशि के लिए प्रदान की जाने वाली पास श्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में एंजिस फ्रैन्काइज डी डेवलपमेंट (एफ़डी), एक फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एंजेंसी, और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (जीओआई) के बीच क्रेडिट सुविधा समझौते पर आधारित है। ऋण भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गारंटी के माध्यम से सुरक्षित है। वर्ष 2021-22 के दौरान, आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से केरल सरकार को शून्य (पिछले वर्ष 24,46.67 लाख रुपए) जारी की गई थी जिसे बाद में केएमआरएल को जारी किया गया। इसके अलावा, दिनांक 31 मार्च, 2022 को पीटीए पर ब्याज के रूप में 40.27 (पिछले वर्ष तक 19.66 लाख रुपए) लाख रुपए की राशि केरल सरकार को देय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

32.13 भारतीय लेखा मानक-19, "कर्मचारी लाभ" से संबंधित प्रकटीकरण

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। अंशदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में किया जाता है।

कंपनी की पेंशन योजना भविष्य निधि योजना से जुड़ी हुई है। भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत भी शामिल किया गया है, कंपनी के उन कर्मचारियों को छोड़कर जो 1 सितंबर 2014 के बाद भविष्य निधि (पीएफ) के सदस्य बन गए हैं और जिनका वेतन प्रति माह 15,000/- रुपए से अधिक है। ऐसे कर्मचारी ईपीएस योजना के तहत कवर होने के लिए अर्ह नहीं हैं। उक्त लाभ केवल तभी बढ़ाया जाता है, जब कर्मचारी केएमआरएल में शामिल होने के दौरान पीएफ योजना का मौजूदा सदस्य हो। उपरोक्त पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से योगदान नहीं लिया जाता है और पूरी तरह से नियोजित के योगदान से भुगतान किया जाता है।

उपदान: उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को उपदान देय है, जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की हो। उपदान योजना के संबंध में देयताओं को प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में भारतीय लेखा मानक 19 द्वारा अपेक्षित अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। खाता बहियों में उपदान के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार हालांकि नियोजित परिसंपत्तियाँ दिखाई जाती हैं, कंपनी ने खाता बहियों में परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी है, चूंकि कंपनी ने फंड ट्रस्ट नहीं बनाया है।

अर्जित और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी कर्मचारियों को मानव संसाधन नीति के अनुसार अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है। इस खाते की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी के अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा के व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित देयता को अक्यूरीयल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बीमा: कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान अपने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी भी ली है।



32.14 बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि विवरण और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की सक्षम स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	प्रकटीकरण								राशि (रुपए लाखों में)	
	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)		31/03/2021 को	31/03/2022 को
	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को		
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व	6 46.47	4 69.11	7 62.09	6 46.46	2 31.62	2 05.25	94.22	47.25		
वर्तमान सेवा लागत	1 16.24	1 35.73	1 42.23	1 17.90	39.13	36.66	21.19	19.06		
ब्याज लागत	43.30	32.84	53.65	45.25	17.06	14.37	6.64	3.30		
भुगतान किए गए लाभ/वापस ले लिया गया प्रावधान	(37.91)	(18.57)	(95.33)	(35.70)	(8.79)	(6.54)	(11.73)	(3.93)		
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से अक्टूरियल (लाभ) / हानि	(46.34)	8.33	(41.11)	8.13	(12.37)	2.47	(3.97)	0.72		
बीमांकिक (लाभ)दायित्वों पर हानि										
- अनुभव समायोजन और जनसांख्यिकी अनुमान के कारण	24.85	19.03	9.49	(19.95)	(29.66)	(20.59)	(7.31)	(0.77)		
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व	7 46.61	6 46.47	8 31.02	7 62.09	2 36.99	2 31.62	99.04	94.22		

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ व्यय के तहत लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ इस प्रकार हैं:											
	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)					
	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को				
वर्तमान सेवा लागत	1 16.24	1 35.73	1 42.23	1 17.90	39.13	36.66	21.19	19.06				
ब्याज लागत	43.30	32.84	53.65	45.25	17.06	14.37	6.64	3.30				
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59				
प्रतिपूर्ति सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ब्याज आय	0.00	(0.73)	0.00	(0.50)	0.00	(0.27)	0.00	0.00				
प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	(31.62)	(11.31)	(42.04)	(17.86)	(11.29)	(0.05)				
कुल	1 59.54	1 67.84	1 64.26	1 51.34	14.15	32.90	16.54	50.90				
घटाएं: बीमांकिक (लाभ)/सीडबल्यूआईपी को हस्तांतरित हानि/परियोजना निधि/अन्य	59.92	58.62	72.59	68.70	2.99	16.97	2.81	9.16				
लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त व्यय	99.62	1 09.22	91.67	82.64	11.16	15.93	13.73	41.74				



राशि (रुपए लाखों में)

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अन्य व्यापक आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नानुसार हैं:		
विवरण	उपदान पात्रता (गैर-वित्त पोषित)	
	31/03/2022 को	31/03/2021 को
निबल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) का पुनर्मापन		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से अक्चूरियल (लाभ) हानि	(46.34)	9.05
एक्चूरियल (लाभ) हानि- अनुभव समायोजन और जनसांख्यिकीय धारणा के कारण	24.85	19.03
ओसीआई में कुल प्रतिपूर्ति	(21.49)	28.08
घटाएं: सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित अक्चूरियल लाभ/हानि	3.65	5.05
ओसीआई के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	(17.84)	23.03

दिनांक 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 तक उपदान, अर्जित छुट्टी नकदीकरण, अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी यात्रा रियायत लाभ दायित्वों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ इस प्रकार हैं :

विवरण	31/03/2022 को	31/03/2021 को
छूट की दर	7.51%	6.90%
वेतन वृद्धि दर - पहले 5 वर्ष	6.00%	6.00%



राशि (रुपए लाखों में)

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त कुल परिसंपत्ति/देयता								
विवरण	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)	
	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021
	को	को	को	को	को	को	को	को
दायित्व का वर्तमान मूल्य	7 46.61	6 46.47	8 31.02	7 62.10	2 36.99	2 31.62	99.04	94.22
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतर	74 6.61	6 46.47	8 31.02	7 62.10	2 36.99	2 31.62	99.04	94.22
गैर-मान्य ट्रांसिशनल देयता	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर मान्य पिछली सेवा लागत - गैर निहित लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	7 46.61	6 46.47	8 31.02	7 62.10	2 36.99	2 31.62	99.04	94.22



32.15 केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों/परियोजनाओं का विवरण, जो दिनांक 31 मार्च, 2022 तक प्रगति पर हैं।

राशि (रुए लाखों में)

क्रम सं	चालू किए गए प्रारंभिक कार्य/परियोजना का विवरण	परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का शासनादेश	अनुमोदित परियोजना लागत	दिनांक 31.03.2022 तक प्राप्त निधि			दिनांक 31.03.2022 तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त राशि	कुल	
1	कुन्नरा पार्क से पेड्डा तक के 1.5 किलोमीटर बैट्टिला-पेड्डा रोड का चौड़ीकरण	G.O (Ms) No. 13/2015/Trans दिनांकित 10/03/2015	22 35.00	केरल सरकार	22 35.00	22 35.00	19 43.36
2	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इंफोपार्क होकर काक्कनाड तक नई मेट्रो लाइन का प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 13/2016/Trans दिनांकित 08/02/2016	1 89 00.00	केरल सरकार	20 00.00		
				हडको से ऋण लिया है	1 26 71.00	1 46 71.00	140 42.25
3	सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड की चौड़ीकरण के लिए कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के II चरण के प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 73/2018/Trans दिनांकित 17/12/2018	74 07.00	हडको से ऋण लिया है	54 99.84	54 99.84	33 31.07
4	इडपल्ली से जेएलएन स्टेडियम/कल्लूर तक इडपल्ली -हाई कोर्ट रोड के सुधार और जल निकासी व्यवस्था के उन्नयन के लिए प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 56/2016/Trans दिनांकित 26/08/2016	39 41.40	केरल सरकार	34 00.00	34 00.00	15 93.93
5	त्रिप्पुनितुरा के पेड्डा से एसएन जंक्शन तक कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 31/2016/Trans दिनांकित 31/03/2016	1 23 00.00	केरल सरकार	61 20.00		
				हडको से ऋण लिया है	44 24.16		
				अन्य	8 14.17		
			कुल		3 71 64.17	3 71 64.17	3 22 68.94
			4 47 83.40				

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का कुल शेष राशि, जो दिनांक 31 मार्च, 2022 तक प्रगति पर हैं, केरल सरकार से प्राय:देय होने के कारण तुलन पत्र में टिप्पणी संख्या 5.9 और 19 में दिखाया गया है।

32.16 केरल सरकार की ओर से कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों / परियोजनाओं का विवरण, जो डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	लिया गया और पूरा किया गया प्रारंभिक कार्य/परियोजना का विवरण	केरल सरकार के प्रशासनिक मंजूरी आदेश	अनुमोदित परियोजना लागत	दिनांक 31.03.2022 तक प्राप्त निधि		दिनांक 31.03.2021 तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त राशि	
1	प्रारंभिक कार्य	G.O.(MS) No. 110/2013/Trans दिनांकित 07-12-2013	242 47.00	केरल सरकार	220 45.27	197 40.50
2	पच्चालम रेल ओवर ब्रिज (आरओबी)	G.O.(Ms) No. 23/2014/Trans दिनांकित 05/03/2014 and G.O.(Ms) No.56/2014/Trans दिनांकित 24/07/2014	52 59.00	केरल सरकार	52 59.00	23 67.17
3	इडपल्ली फ्लाईओवर	G.O (Rt) No.714/2013/PWD दिनांकित 13/05/2013	108 77.00	केरल रोड फंड बोर्ड (केआरएफबी)	34 43.55	35 28.25
4	चार लेन चंबक्करा पुल के निर्माण का प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 68/2016/Trans दिनांकित 09/11/2016 and G.O(Ms) No. 64/2018/Trans दिनांकित 11/11/2018	38 36.44	केरल सरकार हडको से ऋण	27 00.00 10 36.00	37 09.75
	कुल		442 19.44		344 83.82	293 45.67

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का कुल शेष, जो डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित की जाती है, केरल सरकार से प्राप्य/देय को तुलन पत्र के नोट संख्या 4, 9 और 19 में दिखाया गया है।



32.17 दिनांक 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध प्रारंभिक और अन्य परियोजना कार्यों के लिए केरल सरकार से

प्राप्त अग्रिम का विवरण।
राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31-मार्च-22 को	31-मार्च-21 को
नई मेट्रो लाइन के प्रारंभिक कार्य --काककनाड से होकर इन्फोपार्क तक	0.00	19 24.06
एकीकृत जल परिवहन प्रणाली	84 87.68	96 71.59
पांच प्रारंभिक कार्य	25 34.04	25 34.04
पच्चालम कार्य	28 91.83	28 92.43
इडपल्ली-हाई कोर्ट रोड का सुधार	18 04.09	18 04.09
कुन्नारा से पेड्डा तक के प्रारंभिक कार्य	2 91.64	2 91.78
कुल	160 09.28	191 17.99

32.18 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयू) और केरल सरकार (जीओके) से केंद्रीय

वित्तीय सहायता (सीएफए)

कंपनी को शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) से शहरी परिवहन योजना स्कीम के तहत, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में निधि प्राप्त हुआ, जिसमें सभी प्रकार के यातायात और परिवहन अध्ययन आदि के लिए कुल व्यय का 80% एमओयूडी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा 20% वहन किया जाएगा।

दिनांक 31 मार्च 2022 तक किए गए कुल व्यय के 2,26.73 लाख रुपए के कुल व्यय में से, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपना पूरा हिस्सा जारी कर दिया है, केरल सरकार से, और 45.35 लाख रुपए की शेष राशि केरल सरकार से बकाया है, जो कि उनकी वित्तीय सहायता का हिस्सा है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने जीओ (आरटी) संख्या 192/2020/ट्रांस दिनांकित 08.06.2020 के तहत प्राप्त निधि में से शून्य (पिछले वर्ष 32.61 लाख रुपये) की राशि को समायोजित किया और 12.74 लाख रुपए की कुल बकाया राशि को केरल सरकार से प्राप्य के रूप में दिखाया है।

32.19 भारतीय लेखा मानक-12, "आयकर" के संबंध में प्रकटीकरण

दिनांक 31.03.2022 (दिनांक 31.03.2021 को 538,31.49 लाख रुपए) तक अनवशोषित मूल्यहास और संचित हानियों के अस्तित्व पर कंपनी के पास 554,58.39 लाख रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति है। दिनांक 31.03.2022 को आस्थगित कर देयता 3,83,63.94 लाख रुपए (दिनांक 31.03.2021 को 308,41.43 लाख रुपए) है।

दिनांक 31.03.2022 को कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति 1,70,94.45 लाख रुपए (दिनांक 31.03.2021 को 229,90.06 लाख रुपए) है और प्रूडेंस के आधार पर, आस्थगित कर परिसंपत्ति खाता बही में मान्यता प्राप्त नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के संबंध में जैसा कि दिनांक 16.06.2022 को आयकर विभाग, भारत सरकार के सीबीडीटी पोर्टल में प्रदर्शित के अनुसार स्रोत पर कर कटौती को 26 लेखा मानक के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।



30.20 एमएनआरई से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष" के तहत कुल 4.0 मेगावाट की कुल क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 4,80 लाख रुपये की राशि (32,00 लाख रुपए की अनुमानित परियोजना लागत का 15%) को मंजूरी दी गई है।

केएमआरएल ने 2.67 मेगावाट की क्षमता वाली बिजली संयंत्र स्थापित किया और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीएफए की पहली किस्त के रूप में 1,44.00 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1,58.47 लाख रुपए की राशि प्राप्त किए।

डीएमआरसी द्वारा मैसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (डेवलपर) को सोलर पीवी बिजली संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना, जाँच और कमीशनिंग का अनुबंध दिया गया। अनुबंध रेस्को (अक्षय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल पर आधारित है, जहाँ परियोजना की लागत डेवलपर द्वारा वहन की जाती है और केएमआरएल ने पीपीए (पावर परचेज एग्रीमेंट) पर 25 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए हैं। एमएनआरई से प्राप्त पूरी वित्तीय सहायता विकासकर्ता को सवितरण कर दिया गया।

दिनांक 21.06.2016 के एमएनआरई पत्र खंड 6 के अनुसार, दिनांक 24.09.2021 को 14.95 लाख रुपए की राशि पर अर्जित ब्याज एमएनआरई को स्थानांतरित किया गया, जो निर्धारित करता है कि जारी की जा रही राशि को ब्याज वाले खाते में रखा जा सकता है और उपार्जित ब्याज को सरकारी खाते में जमा किया जा सकता है।

32.21 केएमआरएल में गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल

केरल सरकार जीओ (आरटी) संख्या 24/2021/ट्रांस दिनांकित 16.01.2021 के तहत, कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के लिए 239,00 लाख रुपए की राशि के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की यानि 202,54 लाख रुपए भारत सरकार से पास श्रु सहायता के रूप में और 36,46 लाख रुपए केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में। एनएमटी योजना में स्टेशन-उन्मुख विकास, प्रमुख जंक्शन सुधार और शहरी स्थान बनाने वाली पैदल यात्री परियोजना आदि शामिल है।

तदनुसार, दिनांक 27.12.2019 को कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना की एनएमटी पहलों के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार और एएफडी के बीच 27 मिलियन यूरो के लिए क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के राज्यों को विकास सहायता के हिस्से के रूप में, भारत सरकार द्वारा केएमआरएल को भारत सरकार द्वारा केरल सरकार के माध्यम से निधि उपलब्ध कराया जाएगा। दिनांक 05.02.2020 को केएमआरएल (अंतिम लाभार्थी) और एएफडी के बीच परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रत्येक भुगतान तिथि पर यानि प्रत्येक वर्ष 31 मई और 30 नवंबर को ब्याज देय होता है। मूलराशि की अदायगी बीस समान अर्धवार्षिक किश्तों में होगी और पहली किस्त दिनांक 31 मई, 2025 को देय है और अंतिम किस्त दिनांक 30 नवंबर 2034 को केरल सरकार द्वारा देय होगी।

वर्ष 2021-22 के दौरान, आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से केरल सरकार को शून्य (पिछले वर्ष 24,46.67 लाख रुपए) जारी किया गया।

केरल सरकार ने कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए 36,45 लाख रुपए (पिछले वर्ष 16,00 लाख रुपए तक) की संचयी राशि जारी की।

32.22 भारतीय लेखा मानक - 23 "उधार लेने की लागत" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, "उधार लागत" पर लेखा नीति के अनुरूप शून्य रुपए की राशि (पिछले वर्ष शून्य) उधार लेने की लागत से पूंजीकृत किया गया और क्रमशः 143,19.31 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु.153,90.48 लाख रुपए) तथा 24,96.66 लाख रुपए (पिछले वर्ष 9,96.25 लाख रुपए) राजस्व और सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रभारित किया गया है।



32.23 भारतीय लेखा मानक -33, "प्रति शेयर आय" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	2021-22	2020-21
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (रुपए लाखों में)	(3 39 54.82)	(3 34 89.82)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या		
- बुनियादी	15 07 46 000	15 07 46 000
- डिल्यूटड	15 07 46 000	15 07 46 000
प्रति शेयर मूल आय (रु. 100/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) (रु.)	(22.52)	(22.22)
प्रति शेयर डाइल्यूटड आय (रु. 100/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) (रु.)	(22.52)	(22.22)

32.24 भारतीय लेखा मानक -1, "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति", भारतीय लेखा मानक 8, "लेखा नीतियाँ", लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों के संबंध में प्रकटीकरण

क. पूंजी प्रबंधन

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(क) कुल ऋण	4 37 003.07	4 07 909.88
(ख) कुल पूंजी	2 55 187.60	2 54 069.40
(ग) ऋण / इक्विटी अनुपात (क/ख)	1.71	1.61

कंपनी के पूंजी प्रबंधन की गणना के उद्देश्य से, पूंजी में जारी पूंजी और अन्य इक्विटी शामिल हैं।
ऋण में दीर्घकालिक ऋण और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं।

ख. पिछले वर्ष के वित्तीय पुनर्कथन के कारण

पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित कारणों से पुनर्कथित किया गया :

- पिछले वर्षों से संबंधित डीएमआरसी से ली गई परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतनीकरण और ठेकेदार के दावों के अंतिम निपटान, केएमआरएल की मौजूदा परिसंपत्तियों में मूल्य अद्यतन के कारण,
- डीएमआरसी के ठेकेदारों के दावों के अंतिम निपटान और बाढ़ बहाली कार्यों से संबंधित कार्यों के मूल्य के कारण डीएमआरसी से पिछले वर्षों से ली गई परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतन थे। इस कारण पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन करना पड़ा।

ऐसे पुनर्कथनों का शुद्ध प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है,

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	कुल प्रभाव
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में (वृद्धि)	11 36.36
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों में (वृद्धि)	9.64

वर्ष 2020-21 तक मूल्यहास में (वृद्धि)	1 58.72
अन्य वित्तीय देयताओं (चालू) में (वृद्धि)	(13 04.72)
पूँजीगत कार्य-प्रगति में (वृद्धि)	41.25
अन्य व्यय में (कमी)	(41.25)
अन्य इक्विटी में (कमी)	(1 17.47)
प्रति इक्विटी शेयर आय में (कमी)	0.03

32.25 भारतीय लेखा मानक (इंड एस) -8 "लेखा नीतियाँ, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ" के संबंध में प्रकटीकरण

इमारतों, सीसीटीवी और सौर पैनलों का मूल्यहास क्रमशः 30 वर्ष, 18 वर्ष और 15 वर्ष की अवधि में किया गया। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा इन परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की समीक्षा की गई और स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर क्रमशः 60 वर्ष, 6 वर्ष और 25 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया। तदनुसार, कंपनी ने तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अब निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुरूप 60 वर्ष, 6 वर्ष और 25 वर्ष की अवधि में ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्यहास किया है।

इसके फलस्वरूप, इस वर्ष के इस खाते पर मूल्यहास व्यय 29,76.34 लाख रुपए कम है और परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का डब्ल्यूडीवी उस हद तक अधिक है।

32.26 भारतीय लेखा मानक-116, "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

32.26.1 कंपनी ने कर्मचारियों के लाभ के लिए कुछ परिसरों को पट्टे/किराए पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्था आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 29.00 लाख रुपए (गत वर्ष 39.26 लाख रुपए) का पट्टा किराए (वसूली का शुद्ध) का भुगतान किया है और इस प्रकार भुगतान किया गया पट्टा किराए को व्यय-कर्मचारी कल्याण व्यय शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

कंपनी ने पार्किंग सुविधा प्रदान करने के लिए 5 साल की अवधि पर केरल राज्य आवास बोर्ड से खाली जमीन पट्टे पर ली है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरओयू परिसंपत्तियों के अग्रणीत मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	वर्ष 2021-22 के दौरान	वर्ष 2020-21 के दौरान
प्रारंभ में बकाया	23.35	-
योग	-	25.08
विलोपन	-	-
मूल्यहास	5.01	1.73
अंत में बकाया	18.34	23.35

पट्टा देयताओं में उतार-चढ़ाव इस प्रकार है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	वर्ष 2021-22 के दौरान	वर्ष 2020-21 के दौरान
प्रारंभ में बकाया	23.26	-
परिवर्धन	-	24.61



अवधि के दौरान उपार्जित वित्त लागत	1.97	0.77
पट्टा देयताओं का भुगतान	(6.12)	(2.12)
अंत में बकाया	19.11	23.26

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार वर्तमान और गैर-वर्तमान पत्ता देयताओं का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वर्ष 2021-22 के दौरान	वर्ष 2020-21 के दौरान
वर्तमान पट्टा देयताएँ	14.57	19.11
गैर-चालू पट्टा देयताने	4.54	4.15
कुल	19.11	23.26

32.26.2 पट्टे जिसके तहत कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से ग्रहण करती है, उन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिग्रहित होने पर, ऐसी परिसंपत्तियों को उचित मूल्य या पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो, पर पूंजीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में सीधी रेखा के आधार पर व्यव के रूप में मान्यता दी गई है।

कंपनी ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों को परिचालन पट्टे के आधार पर पार्टियों को लाइसेंस दिया है। परिचालन पट्टों से किराए की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि में एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मान्यता दी जाती है। जहाँ किरायों को केवल कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाने के लिए संरचित किया गया है, उक्त वृद्धियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसे लाभ अर्जित होते हैं।

परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त होने वाली भविष्य की न्यूनतम लाइसेंस राशि नीचे दी गई है:

राशि (रुपए लाखों में)

परिचालन पट्टा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	8 34.60	3 92.36
एक वर्ष से अधिक और पांच साल तक	36 14.28	20 81.73
पांच साल से परे	48 61.27	22 44.18

32.27 भारतीय लेखा मानक-24, "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

32.27.1 प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति:

- 32.27.1.1 श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, (अध्यक्ष, दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक)
- 32.27.1.2 श्री मनोज जोशी, (अध्यक्ष, दिनांक 10 जनवरी 2022 से)
- 32.27.1.3 श्रीमती सुजाता जयराम, (नामित निदेशक दिनांक 16 मई 2022 तक)
- 32.27.1.4 श्रीमती नमिता मेहरोत्रा, (नामांकित निदेशक दिनांक 30 मई 2022 से)
- 32.27.1.5 श्री जयदीप, (नामित निदेशक)
- 32.27.1.6 श्री डी.के. सैनी, (नामित निदेशक)
- 32.27.1.7 श्री वी.पी. जोय , (नामित निदेशक, दिनांक 29 अप्रैल 2021 से)



- 32.27.1.8 श्री राजेश कुमार सिंह, (नामित निदेशक)
- 32.27.1.9 श्री अलकेश कुमार शर्मा (प्रबंध निदेशक, दिनांक 7 अप्रैल 2021 तक)
- 32.27.1.10 श्री के.आर. ज्योतिलाल, (नामित निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार 7 अप्रैल 2021 से 27 अगस्त 2021 तक)
- 32.27.1.11 श्री. लोकनाथ बेहरा (प्रबंध निदेशक, दिनांक 27 अगस्त 2021 से)
- 32.27.1.12 श्री एस सुहास, (नामित निदेशक दिनांक 7 जुलाई 2021 तक)
- 32.27.1.13 श्री जाफर मलिक (नामित निदेशक दिनांक 2 अगस्त 2021 से)
- 32.27.1.14 श्री भूपेंद्र सिंह बोध, (नामित निदेशक)
- 32.27.1.15 श्री कुमार के आर (निदेशक-वित्त दिनांक 31 मई 2022 तक)
- 32.27.1.16 श्रीमती अन्नपूर्णा एस, (निदेशक-वित्त दिनांक 13 जून 2022 से)
- 32.27.1.17 श्री. डी के सिन्हा (निदेशक- सिस्टम)
- 32.27.1.18 श्री तिरुमन अर्चुनन (निदेशक-परियोजनाएं दिनांक 1 जून 2021 तक)
- 32.27.1.19 श्री डॉ एम पी राम नवास (निदेशक-परियोजनाएं दिनांक 28 जून 2022 से)
- 32.27.1.20 श्री श्याम सुंदर अग्रवाल (कंपनी सचिव)

32.27.2 उन कंपनियों का विवरण जहाँ महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है और जिनके साथ

कंपनी ने लेनदेन किया था

32.27.2.1 कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)।

32.27.3 प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ कंपनी के लेनदेन का प्रकटीकरण:

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	वेतन और भत्ते	1 37.15	1 79.73
2	भविष्य निधि और अन्य के लिए अंशदान	10.74	16.11
3	अन्य लाभ	22.59	13.72
	कुल (कर्मचारी लागत में शामिल किया गया है)	170.48	209.56

- क) पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी की नीति के अनुसार वसूली के अधीन निजी यात्राओं के लिए कंपनी के वाहनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
- ख) उपरोक्त राशि में अक्चूरियल मूल्यांकन पर सुनिश्चित किए गए उपदान, छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी यात्रा रियायत में योगदान के प्रावधान शामिल नहीं हैं।

32.27.4 कंपनियों के साथ कंपनी के लेनदेन का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने इक्विटी अंशदान के रूप में कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड को 127.40 लाख रुपए का भुगतान किया। कंपनी ने कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडबल्यूएमएल) के साथ 5 साल की अवधि के लिए परिसंपत्ति को पट्टे पर देने हेतु समझौता किया है। कंपनी ने निगमन और विविध व्ययों के लिए प्रारंभिक व्यय वहन किया, और दिनांक 31 मार्च 2022 को केडबल्यूएमएल से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।



राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	2021-22	2020-21
इक्विटी योगदान	1 27.40	
गैर-किराया बॉक्स राजस्व		
- लाइसेंस शुल्क	0.10	0.00
व्यय की प्रतिपूर्ति		
- प्राथमिक खर्च	8.24	0.00
- विविध	0.60	0.00
कुल (केडबल्यूएमएल से प्राप्य)	8.94	0.00

32.28 भारतीय लेखा मानक-36 (परिसंपत्ति की हानि) के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान परिसंपत्ति पर क्षतिपूर्ति शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि के लिए मान्यता प्राप्त है। (टिप्पणी संख्या 32.37 भी देखें)।

32.29 भारतीय लेखा मानक -37 "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटीकरण

क) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/हस्तांतरण/उपयोग	दिनांक 31.03.2022 को
	राशि		अंश शेष
प्रावधान	46 42.22	19 28.61	65 70.83
आकस्मिक देयताएँ			
क. कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना की ओर			
i. भूमि अधिग्रहण संबंधी दावे	186 54.87	95 51.00	282 05.87
ii. राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ)	20 49.39	20 49.39	0.00
iii. जिला कलेक्टर को स्थापना एवं आकस्मिक प्रभार**	52 92.54	34 77.02	87 69.57
iv. मध्यस्थता का दावा	64 43.18	15.24	64 58.42
v. अन्य	50 94.12	91 36.79	142 30.91
ख. केरल सरकार (जीओके) की ओर से केएमआरएल द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों की ओर	140 73.54	49 57.06	190 30.60
बैंक द्वारा दी गई गारंटी के कारण	1 41.95	1.10	1 43.05
घ. संवैधानिक प्राधिकरण	81.24	6 16.49	6 95.73
आकस्मिक परिसंपत्ति ***	10 91.08	10 91.08	-

*केरल सरकार ने दिनांक 02.07.2022 के शासनादेश सं. (एमएस) सं.132/2022/होम के तहत केरल पुलिस-राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) द्वारा वर्ष 2025 तक सुरक्षा प्रदान करने पर कंपनी को "लागत बिल" शर्त से छूट देने की मंजूरी प्रदान की।

**प्रारंभिक कार्यों से संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्थापना और आकस्मिक शुल्क के लिए दावा की गई राशि को छोड़कर, राज्य सरकार के नाम पर प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

*** वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी के लिए 10,91.08 लाख रुपए के दावे को बीमाकर्ता द्वारा भुगतान के लिए अनुमोदित किया गया।

दिनांक 31 मार्च 2022 तक, परियोजनाओं से संबंधित कुछ भूमि अधिग्रहण मामले उप-न्यायालय एरणाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एरणाकुलम के पास लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण दायर किए गए संबंधित मुआवजे के कारण हुए अनुमानित अतिरिक्त देयता 282,05.87 लाख रुपए हैं। यह आकस्मिक देयताओं के तहत सम्मिलित है।

इसके अलावा, उप-न्यायालय एरणाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एरणाकुलम के साथ लंबित प्रारंभिक कार्यों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मामले, जिसका याचिकाकर्ताओं द्वारा 190,30.60 लाख रुपए की अनुमानित देयताओं के लिए दावा बयान किया गया है, वह भी आकस्मिक देयताओं के तहत सम्मिलित है।

शेष मामलों के लिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण अभी तक दाखिल नहीं किया गया है और अतः ऐसे संदर्भों के कारण कंपनी वर्तमान देयता को निर्धारित करने में असमर्थ है। न्यायालयों में लंबित इन मामलों के संबंध में देयताएं, यदि कोई हों, कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद या अंतिम आदेश प्राप्त होने पर प्रदान की जाएंगी।

प्रारंभिक कार्यों के दावों के संबंध में, ऐसे प्रारंभिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त धन से निपटारा किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनः स्थापन (केरल) नियम 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के नियम 4(2) और नियम 4(3) के तहत, भूमि अधिग्रहण लागत के क्रमशः 30% और 5% की दर से स्थापना और आकस्मिकता शुल्क, जिला कलेक्टर को अग्रिम भुगतान किया जाना है। चूंकि भूमि अधिग्रहण दिनांक 04.11.2013 को किए भारत सरकार, केरल सरकार और केएमआरएल के बीच के समझौता ज्ञापन के अनुसार केरल सरकार का दायित्व है, केएमआरएल ने कई मौकों पर राजस्व विभाग से इस तरह के स्थापना शुल्क और आकस्मिकता को अधित्यजन करने का अनुरोध किया है। ऐसी पुष्टि लंबित होने पर, स्थापना शुल्क और आकस्मिकता के कारण राशि (अग्रिम/प्रावधान, यदि कोई हो का शुद्ध) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।

32.30 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, निश्चित सीमा को पूरा करने वाली कंपनी को अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करने की आवश्यकता है। हालांकि सीएसआर प्रावधान केएमआरएल पर लागू होते हैं, कंपनी नुकसान में होने के कारण सीएसआर पर अनिवार्य रूप से कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अतः, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए कोई व्यय नहीं किया है।



32.31 भारतीय लेखा मानक - 107 "वित्तीय साधन: प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

32.31.1 श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधन

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को			31 मार्च 2021 को		
	परिशोधन लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीओसी आई	अमूर्त लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीओसी आई
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 5 एवं 10 देखें)	8 94 06.94	-	-	8 15 97.53	-	-
व्यापार प्राप्तियाँ (टिप्पणी 8 देखें)	10 80.80	-	-	9 65.09	-	-
कुल	9 04 87.74	-	-	8 25 62.62	-	-
वित्तीय देयताएँ						
उधार (टिप्पणी संख्या 14क और 19क देखें)	43 70 03.07	-	-	40 79 09.88	-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ (टिप्पणी संख्या 15 और 21 देखें)	4 24 11.86	-	-	4 68 81.69	-	-
कुल	47 94 14.93	-	-	45 47 91.57	-	-

32.31.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय साधनों के संबंध में विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं को श्रेणी के अनुसार ऊपर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्य प्रकार के जोखिम बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों में जोखिम को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकद प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है।

कंपनी के संपर्क में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम निम्नानुसार हैं;

क. बाजार जोखिम

कंपनी को बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम है। साथ ही कंपनी के पास मूल्य जोखिम नहीं है चूंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

ख. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है। कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए इस जोखिम के संपर्क में है, उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम देना, ग्राहकों से प्राप्तियां, सुरक्षा जमा आदि। रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि से है।

- व्यापार प्राप्तियाँ
- परिशोधन लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाने गए, ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों की चूक की लगातार निगरानी करती है, और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में सम्मिलित करते हैं। जहां उचित लागत पर उपलब्ध हो, बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और उनका उपयोग किया जाता है।

ग. लिक्विडिटी जोखिम

कंपनी की लिक्विडिटी आवश्यकताओं की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के लिक्विडिटी के प्रमुख स्रोत परिचालन से उत्पन्न राजस्व, वाणिज्यिक दीर्घकालिक उधार, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं।

अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी देय, वैधानिक बकाया, वर्तमान परिपक्वता और बाहरी उधार पर ब्याज और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य प्रकार के दौरान उत्पन्न होने वाली जमा राशि आदि शामिल है। कंपनी अपनी अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद और नकद समकक्षों और अन्य बैंक बकाया राशि में पर्याप्त बकाया राशि बनाए रखती है।

कंपनी समय-समय पर दीर्घकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं का आकलन करती है और आंतरिक संचय के माध्यम से उनका प्रबंधन करती है। कंपनी की गैर-चालू देयताओं में उधार का पुनर्भुगतान, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण और जमा और कर्मचारी लाभ के लिए देयताएँ आदि शामिल हैं।

घ. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

i. व्यापार प्राप्तियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की बकाया व्यापार प्राप्य (सकल) राशि क्रमशः 12,53.77 लाख रुपए और 11,38.06 लाख रुपए हैं। व्यापार प्राप्य आम तौर पर असुरक्षित होते हैं और वह ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं। व्यापार प्राप्तियों से संबंधित ऋण जोखिम ग्राहकों से सुरक्षा जमा लेने से कम हो जाते हैं। कंपनी देयताओं की क्रेडिट योग्यता पर बारीकी से निगरानी करती है और केवल क्रेडिट योग्य पार्टियों के साथ व्यवहार करता है। कंपनी के आंतरिक प्रणाली ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए विन्यस्त किए गए हैं, जिससे क्रेडिट जोखिम पूर्व-गणना की गई राशि तक सीमित हो जाता है।

ii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जिसमें कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण और अग्रिम शामिल हैं, जिसे परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ड. प्रत्याशित ऋण हानि - कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है: व्यापार प्राप्तियाँ

व्यापार प्राप्य राशियाँ तब प्रभावित होती हैं जब व्यक्तिगत व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली को संदिग्ध माना जाता है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो खराब नहीं हैं और समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथियों के लिए बकाया हैं, अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं। कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए 1,72.97 लाख रुपए की राशि का अनुमान लगाया है।



प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों का संक्षेप में आयु विश्लेषण निम्नानुसार है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		छह महीने से कम	6 महीने - 1 साल	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	31 मार्च 2022 को	5 05.55	1 30.38	3 17.59	30.27	2 69.98	12 53.77
	31 मार्च 2021 को	1 48.99	1 49.38	3 99.60	4 37.64	2.45	11 38.06
घटाएँ: क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	31 मार्च 2022 को						1 72.97
	31 मार्च 2021 को						1 72.97
कुल प्राप्य व्यापार	31 मार्च 2022 को						10 80.80
	31 मार्च 2021 को						9 65.09

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की लगातार वसूली योग्यता की निगरानी करके किया जाता है, जबकि एक ही समय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि यह राशियाँ निर्धारित सीमा के भीतर हैं। मध्यस्थता के तहत अनुबंध से संबंधित बकाया राशि के खिलाफ संदिग्ध ऋणों के लिए 1,72.97 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

क्रेडिट हानि के हिस्टोरिकल पैटर्न के अतिरिक्त, कंपनी ने कोविड-19 के कारण हुए उभरती स्थितियों पर भी विचार किया। यह मूल्यांकन किसी गणितीय मॉडल पर आधारित नहीं है, बल्कि उन ग्राहकों की वित्तीय ताकत पर विचार करते हुए एक आकलन है, जिनके संबंध में राशि प्राप्य है।

परिसंपत्तियों के प्रकार के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि ऊपर बताए गए के अलावा परिसंपत्ति के वहन मूल्य पर कोई संभावित प्रभाव नहीं है। कंपनी उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तिथियों पर अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता स्थिति में मानती है। तदनुसार, रिपोर्टिंग तिथि पर इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति कोई अन्य हानि का प्रावधान नहीं है। कंपनी समीक्षा करना जारी रखेगी और जब भी कोई आवश्यकता होगी, उस समय हानि के प्रावधान पर विचार किया जाएगा।

32.32 भारतीय लेखा मानक -108, "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड है, जो कोच्ची शहर में मेट्रो रेल सुविधा के निर्माण, संचालन और रखरखाव को कार्यान्वित कर रहा है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम और रिटर्न, संगठन संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर एकल ऑपरेटिंग सेगमेंट में संचालित होता है। कंपनी की अन्य सभी गतिविधियाँ इसी मुख्य व्यवसाय के अनुरूप हैं। संपत्ति विकास परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टे की जगह (स्टेशनों और बाहरी स्टेशनों में) से अर्जित परामर्श आय और किराए की आय सहित, अन्य परिचालन राजस्व कंपनी के आंतरिक निर्णय लेने और प्रदर्शन मापन प्रक्रिया के तहत कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार, परिचालन खंड को मुख्य परिचालन निर्णय लेनेवाले (चीफ ऑपरेटिंग डिजाइन मेकर) को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप रिपोर्ट किया जाना है। चीफ ऑपरेटिंग डिजाइन मेकर एक सेगमेंट के रूप में पूरी कंपनी के ऑपरेटिंग परिणाम की निगरानी और समीक्षा करता है। इसलिए कंपनी का एकमात्र परिचालन खंड "मेट्रो संचालन" है। इस प्रकार, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" में पहचाना गया है कंपनी का पूरा कारोबार एक ऑपरेशन सेगमेंट के अंतर्गत आता है और अतः भारतीय लेखा मानक 108 के तहत कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान नहीं किया जाना है।

32.33 पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में प्रकटीकरण
राशि (रुपए लाखों में)

पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं	31.03.2022 को	31.03.2021 को
केएमआरएल की ओर से डीएमआरसी द्वारा किए गए मूर्त परिसंपत्ति अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों के कुल विदेशी मुद्रा अनुबंधों सहित) निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	30 38.72	14 51.08
केएमआरएल द्वारा किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिम का शुद्ध अनुबंधों) को निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।		
क. मूर्त परिसंपत्तियाँ	3 30 72.94	4 81 54.82
कुल	3 61 11.66	4 96 05.90

32.34 कंपनी के पास प्रासंगिक और अन्य संभावनाओं के शेष की अधिकार प्राप्त करने की प्रणाली है। बैंक खाते के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। बैंक खातों के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है।

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी ग्राहकों को नियमित चालान/पुष्टि पत्र भेजती है और बकाया राशि की अवधि के बावजूद वसूली की अनिश्चितता होने पर प्रावधान किए जाते हैं और अवास्तविकता स्थापित होने पर बड़े खाते में डाल दिया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य देय और ऋण और अग्रिम का संबंध है, पार्टियों को शेष राशि पुष्टि पत्र भेज देते हैं। कुछ शेष राशि यदि कोई हो, पुष्टि/समाधान, समायोजन के अधीन हैं, जो पुष्टि/समायोजन पर लेखांकित लगाया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

32.35 सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों को बकाया

31 मार्च, 2022 तक, 10,97.61 लाख रुपए (पिछले वर्ष, 1,03.40 लाख रुपए) की राशि बकाया है, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय नहीं है। इस पर कोई ब्याज देय या बकाया नहीं है।

सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों को देय राशि
राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2022 को	मार्च 31, 2021 को
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूल राशि	शून्य	शून्य
उपर्युक्त को देय ब्याज	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	शून्य	शून्य



एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे)	शून्य	शून्य
अर्जित ब्याज की राशि और प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में भुगतान न किया गया राशि	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए उस तिथि तक जब तक ऊपर के रूप में बकाया ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक आगे के वर्षों में बकाया और देय ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बारे में उपरोक्त जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की सीमा तक निर्धारित की गई है। इसे लेखा परीक्षकों ने विश्वास में लिया है।

देय व्यापार लेखा तालिका

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	अवधि	एक वर्ष से			कुल	
		कम *	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष		3 वर्ष से अधिक
एमएसएमई	31.03.2022 को	0.05	शून्य	शून्य	शून्य	0.05
	31.03.2021 को	0.35	शून्य	शून्य	शून्य	0.35
अन्य	31.03.2022 को	1 66.89	29.47	0.72	0.46	1 97.54
	31.03.2021 को	1 78.26	0.07	0.73	0.19	1 79.25
विवादित बकाया - एमएसएमई	31.03.2022 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31.03.2021 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विवादित बकाया - अन्य	31.03.2022 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31.03.2021 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* ऐसी राशि शामिल है जो बकाया नहीं है।



बिल न किया गया देय

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	अवधि	एक वर्ष से	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
		कम/देय नहीं				
बिल न किया गया देय	31.03.2022 को	7 50.71	शून्य	शून्य	शून्य	7 50.71
	31.03.2021 को	12 94.26	शून्य	शून्य	शून्य	12 94.26

32.36 सहयोगियों में निवेश

वर्ष 2021-22 के दौरान, KMRL ने कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड में 26% के इक्विटी शेयर के लिए रु.1,27.40 लाख (प्रत्येक रु.100/- के 1,27,400 शेयर) का निवेश किया।

सहयोगियों में निवेश का विवरण नीचे दिया गया है :

कंपनी का नाम	कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड
व्यापार का मुख्य केंद्र	कोच्ची, भारत
दिनांक 31.03.2022 को होलिंग प्रतिशत	26%

32.37 केरल राज्य में हुए बाढ़ के कारण बीमा दावे के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष 2018-19 के दौरान, दिनांक 15 अगस्त 2018 से 20 अगस्त 2018 की अवधि के लिए, कोच्ची सहित केरल राज्य में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण अलुवा स्टेशन, कंपनीपडी स्टेशन और मुट्टम यार्ड में स्थापित परिसंपत्ति आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। केएमआरएल ने वर्ष 2018-19 के दौरान 78,99.11 लाख रुपए की पहचान योग्य सीमा तक हानि को पहचाना। मरम्मत कार्य प्रगति पर है और परिसंपत्ति को उस सीमा तक बहाल किया जाता है, जिसे बहियों में पूंजीकृत किया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, बीमाकर्ता ने जीएसटी को छोड़कर, 71,34.74 लाख रुपए की राशि के लिए कंपनी के दावों का अनुमोदन किया है और तदनुसार, कंपनी ने वर्ष 2020-21 में 71,34.74 लाख रुपए की आय को मान्यता दी। वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी दावे की भुगतान के लिए 10,91.08 लाख रुपए को अनुमोदित किया और इसे "अन्य आय" के तहत आय के रूप में मान्यता दी गई है।

32.38 हाल की लेखा घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2022 दिनांक 23 मार्च 2022 को निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक में संशोधन हेतु अधिसूचित किया है जो 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हैं।

(i) भारी अनुबंध - एक अनुबंध को पूरा करने की लागत - भारतीय लेखा मानक 37

भारतीय लेखा मानक 37 में संशोधन निर्दिष्ट करता है कि अनुबंध हमारे लिए कठिन है या घाटे का हो तो, एक इकाई को यह आकलन करते समय किस लागत को शामिल करने की आवश्यकता है।

(ii) वैचारिक ढांचे का संदर्भ - भारतीय लेखा मानक 103



आईसीआई की "भारतीय लेखा मानकों के तहत वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ढांचा" के संदर्भ में हुए संशोधन करने से अपनी आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण रूप से बदले बिना "भारतीय लेखा मानकों के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक रूपरेखा" के संदर्भ में बदल दिया है।

(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण - भारतीय लेखा मानक 16

भारतीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद 17 का संशोधन यह स्पष्ट करता है कि जांच की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध विक्री आय से अधिक है, यदि कोई हो, तो लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से लागत से कटौती की जाएगी।

(iv) वित्तीय साधन - भारतीय लेखा मानक 109

संशोधन ने उस शुल्क को स्पष्ट किया जो एक प्रतिष्ठान में शामिल है जब यह आकलन किया जाता है कि क्या एक नई या संशोधित वित्तीय देयता की शर्तें मूल वित्तीय देयता की शर्तों से काफी भिन्न हैं।

संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रभावी हैं। इसकी प्रयोज्यता के आधार पर, कंपनी कानून द्वारा अपेक्षित प्रभाव/प्रकटीकरण देने के लिए इसका मूल्यांकन करेगी।

32.39 अन्य वैधानिक जानकारी

- (i) सभी अस्थाई संपत्तियों के शीर्षक विलेख, (अस्थाई परिसंपत्तियों के अलावा जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजी कार्य-प्रगति में शामिल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, कंपनी के नाम पर तुलन पत्र की तारीख (टिप्पणी सं. 2 और 3 के बिंदु संख्या 2.3 और टिप्पणी सं. 32.4 देखें) के रूप में आयोजित किए जाते हैं।
- (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ।
- (iii) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (iv) कंपनी ने कंपनी (लयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित लयर्स की संख्या की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
- (v) कंपनी विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है इस समझ के साथ कि मध्यस्थ ने :
 - क. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या
 - ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या अन्य समान चीजें प्रदान करना।
- (vi) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (यों) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी:
 - क. निधीकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) या की ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या
 - ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना।
- (vii) कंपनी ने विशिष्ट उद्देश्य के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया उधार का उपयोग किया है।
- (viii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वास्तविक मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

- (ix) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है या लंबित है।
- (x) कंपनी के पास कोई शुल्क या ऋणमुक्ति नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होना बाकी है।
- (xi) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो या वर्ष के दौरान जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे अभ्यर्पित किया गया है, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में आय के रूप में प्रकट किया गया है।

32.40 अनुपात विश्लेषण

क्रम सं.	विवरण	अंशागणक	विभाजक	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	भिन्नता (% में)
1	वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देयताएँ	0.68	0.49 ¹	39%
2	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	1.71	1.61	6%
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	कुल ऋण सेवा	(0.09)	(0.16) ²	44%
4	इक्विटी पर लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	(0.13)	(0.14)	7%
5	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	आय	औसत व्यापार प्राप्य	3.81	3.09	23%
6	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	सेवाओं और अन्य खर्चों की खरीद	औसत व्यापार देय	7.64	4.43 ³	72%
7	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	आय	कार्यशील पूंजी	(0.72)	(0.52) ⁴	-38%
8	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	आय	(5.09)	(8.37) ⁵	39%
9	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी	(0.02)	(0.02)	0%
10	निवेश पर प्रतिफल	निवेशित निधियों से उत्पन्न आय	औसत निवेशित निधि	-	-	0%

1 वर्तमान परिसंपत्तियों में समग्र वृद्धि के कारण अनुपात में सुधार हुआ है।

2 शुद्ध परिचालन आय में वृद्धि।

3 व्यापार देय में कमी के परिणामस्वरूप अनुपात में सुधार हुआ है।

4 कार्यशील पूंजी सुधार पर उच्च दक्षता के साथ-साथ राजस्व वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुपात में सुधार हुआ है।

5 परिचालन गतिविधि से राजस्व में वृद्धि के कारण।

32.41 कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण दुनिया भर में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न होने के कारण मेट्रो परिचालन में कोविड-19 के प्रभाव पर प्रकटीकरण किया है। कंपनी के मेट्रो रेल परिचालन को चरण 1 के कार्यों के साथ दिनांक 8 मई 2021 से 30 जून 2021 तक निलंबित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप कम किराया बॉक्स और गैर-किराया बॉक्स राजस्व में भारी कमी आ गई। दिनांक 1 जुलाई 2021 से मेट्रो का वाणिज्यिक संचालन फिर से शुरू हुआ। वर्ष 2021-22 के दौरान मेट्रो का संचालन नहीं होने से किराया बॉक्स राजस्व का अनुमानित नुकसान 12,42 लाख रुपए हैं।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान गैर-किराया बॉक्स ग्राहकों को दी गई छूट/रियायतों के कारण राजस्व की अनुमानित हानि 2,45.02 लाख रुपए है। कंपनी ने ग्राहकों से विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज/जुर्माना नहीं लगाया है।



38.42 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाने और दिनांक 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III की आवश्यकताओं की पुष्टि करने के लिए, जहाँ कहीं आवश्यक हो, निम्नलिखित के अनुसार पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

क. पट्टा देयताओं को 'वित्तीय देयताओं' के तहत अलग से प्रकट किया गया (टिप्पणी सं.14.ख और 19.ख) है।

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है।

कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफआरएन: 006310 एस
यूडीआईएन: 22211364ANYYZN1476

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

उमेश एल भट
सहयोगी
सदस्यता संख्या: 211364

लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09406020)

अन्नपूर्णा.एस
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(डीआईएन: 09662978)

श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 27.07.2022

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 27.07.2022





भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का कार्यालय, चेन्नै

Indian Audit and Accounts Department
Office of the Director General of Commercial Audit, Chennai

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किए गए स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 27.07.2022 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया, ऐसा बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक के पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत मेरे ध्यान में आए, और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं, निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूँ।

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

31 मार्च 2022 तक तुलनपत्र

अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ- 18660.63 लाख रुपए (टिप्पणी सं. 6)

उपरोक्त में 105.91 लाख रुपए की राशि शामिल है, जो दक्षिण रेलवे द्वारा पट्टे किराए के गैर-भुगतान/भुगतान में देरी के लिए लगाया गया परिसमापन नुकसान है। चूंकि उक्त राशि का भुगतान परिसमापन क्षति के लिए किया गया था, इसलिए इसे व्यय के रूप में मानना चाहिए। व्यय के रूप में लेखांकन के बजाय परिसमाप्त क्षतियों को परियोजना के लिए 'पूँजीगत अग्रिम' में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों पर शामिल करने से हानि को कम करके दिखाया गया है और अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों को 105.91 लाख रुपए से अधिक बताया गया है।

चालू देयताएँ - 61755.98 लाख रुपए

पट्टा किराया देयता - 4.54 लाख रुपए (कृपया टिप्पणी सं. 19 बी देखें)

उपरोक्त में दिनांक 1 नवंबर 2016 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिए दक्षिण रेलवे स्टेशन पर भूमि के पट्टे किराए के जीएसटी के रूप में देय 74.70 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं की है। के.एम.आर.एल द्वारा सांविधिक बकाए का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं और पूँजीगत कार्य प्रगति पर, को 74.70 लाख से कम बताया गया है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
एवं उनकी ओर से

(देविका नायर)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के महानिदेशक, चेन्नै

स्थान : चेन्नै
तारीख : 06.10.2022



स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सी वी एजी की टिप्पणियों का उत्तर/स्पष्टीकरण

क. स्टैंडअलोन वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

31 मार्च 2022 को तुलन पत्र

1) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ - 18660.63 लाख रुपए (टिप्पणी 6)

उपरोक्त में 105.91 लाख रुपए की राशि शामिल है, जो पट्टे के किराए के भुगतान में देरी/भुगतान न करने के लिए दक्षिण रेलवे द्वारा लगाया गया परिसमापन नुकसान है। चूंकि राशि का भुगतान परिसमापन क्षति के लिए किया गया था, इसलिए इसे व्यय के रूप में मानना चाहिए।

परियोजना के लिए 'पूँजीगत अग्रिमों' में परिसमाप्त क्षतियों को व्यय के रूप में व्यवहार किए जाने के बजाय गैर-चालू आस्तियों के अंतर्गत शामिल करने के परिणामस्वरूप हानियों को कम करके दिखाया गया और अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों को 105.91 लाख रुपए से अधिक बताया गया।

105.91 लाख रुपए की राशि, डी.एम.आर.सी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) द्वारा विलंबित भुगतान के लिए दक्षिणी रेलवे द्वारा लगाया गया परिसमापन हर्जाना है। डी.एम.आर.सी ने पहले चरण के निर्माण के हिस्से के रूप में एरणाकुलम जंक्शन पर दक्षिण रेलवे की भूमि पर कब्जा कर लिया था।

कंपनी अपने चरण I के विस्तार के हिस्से के रूप में, त्रिपुनितुरा मेट्रो स्टेशन और वायडवट के निर्माण के लिए रेलवे भूमि के माप क्षेत्र 1804 वर्गमीटर का उपयोग करने की अनुमति के लिए दक्षिण रेलवे से संपर्क किया। दक्षिण रेलवे ने भूमि के अनुमति शुल्क और एलडी (यानी क्रमशः 506.19 लाख रुपए + 105.91 लाख रुपए) के लिए 612.10 लाख रुपए की राशि का संकेत दिया।

कंपनी ने दक्षिण रेलवे से डी.एम.आर.सी से देय जुमाने के मुद्दे को अलग से निपटाने का अनुरोध किया, चूंकि डी.एम.आर.सी द्वारा भूमि का उपयोग किया गया था और कंपनी डी.एम.आर.सी और रेलवे के बीच लेनदेन की पक्षकार नहीं है। जब तक 105.91 लाख रुपए का भुगतान उपलब्ध नहीं कराया जाता, वे त्रिपुनितुरा के भूमि के लिए अनुमति देने को तैयार नहीं थे। त्रिपुनितुरा मेट्रो कार्यों के निर्माण में विलंब न होने के उद्देश्य से कंपनी को उपलब्ध सभी अधिकारों और उपायों के पूर्वाग्रह के बिना, दक्षिण रेलवे को विरोध के तहत भुगतान किया गया।

भुगतान की गई राशि के बारे में कंपनी पहले से ही डी.एम.आर.सी को अवगत करा चुकी है। डी.एम.आर.सी के साथ हुए चर्चा के परिणामस्वरूप, उसे डी.एम.आर.सी से वसूल करने का निर्णय लिया। अतः टिप्पणी 6- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत पूँजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, उक्त व्यय कंपनी द्वारा किए गए किसी भी व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित नहीं है और अतः लाभ और हानि के विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

2) चालू देयताएँ - 61755.98 लाख रुपए

पट्टा किराया देयता लायबिलिटी - 4.54 लाख रुपए (टिप्पणी सं. 19 बी)

उपरोक्त में दिनांक 01 नवंबर 2016 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए एरणाकुलम दक्षिण रेलवे स्टेशन पर भूमि के पट्टा किराए पर देय जी.एस.टी. के रूप में 74.70 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है। के.एम.आर.एल ने न तो सांविधिक देय राशि प्रदान की है और न ही भुगतान किया है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रगति पर पूँजीगत कार्य को 74.70 लाख रुपए से कम बताया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट 74.70 लाख रुपए की राशि दक्षिण रेलवे स्टेशन पर डी.एम.आर.सी द्वारा ली गई भूमि के पट्टे किराए से संबंधित जी.एस.टी. राशि है। दिनांक 01.11.2016 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान भंडारण और निर्माण के उद्देश्य से डी.एम.आर.सी द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया था। कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डी.एम.आर.सी ने लाइसेंस शुल्क के रूप में 3.67



	<p>करोड़ रुपए का भुगतान किया और कर चालान के अभाव में जी.एस.टी का भुगतान नहीं किया गया।</p> <p>जी.एस.टी के लिए 74.70 लाख रुपए का प्रावधान खाता बहियों में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि कंपनी दक्षिण रेलवे और डी.एम.आर.सी के बीच लेन-देन की पक्षकार नहीं है। कंपनी को भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार कोई प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं है। पट्टा किराए का भुगतान डी.एम.आर.सी द्वारा किया गया और कर, यदि कोई हो तो डी.एम.आर.सी द्वारा वहन/भुगतान किया जाना है।</p>
--	---



फॉर्म एओसी-1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसार)

सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग ए सहायक कंपनियाँ: लागू नहीं

भाग बी सहयोगी और संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार वक्तव्य

सहयोगी या संयुक्त उद्यमों का नाम	कोच्ची जल मेट्रो लिमिटेड
1. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31.03.2022
2. तारीख जिस पर सहयोगी या संयुक्त उद्यम संबद्ध या अधिग्रहित किया गया	14.07.2021
3. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी या संयुक्त उद्यम के शेयर	
- संख्या	1,27,400 इक्विटी शेयर
- सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	127.40 लाख रुपए
- होल्डिंग की सीमा (प्रतिशत में)	26%
4. महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है इसका विवरण	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) के अनुसार
5. सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित न होने का कारण	लागू नहीं
6. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	(1.19) लाख रुपए
7. वर्ष के लिए लाभ या हानि	
i. समेकन में विचारणीय	(1.19) लाख रुपए
ii. समेकन में विचार न किया गया	लागू नहीं

- उन सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका संचालन शुरू होना बाकी है। शून्य
- सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या विक्री की गई है। शून्य

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है।

कृते जी जोसफ एवं एसोसिएट्स

एफ़आरएन: 006310S

यूडीआईएन: 22211364ANYYZN1476

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से शासनपत्रित लेखाकार

उमेश एल भट्ट

सदस्यता सं.: 211364

लोकनाथ बेहरा

प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09406020)

अन्नपूरणी.एस साझेदार

निदेशक (वित्त) एवं सीएफ़ओ
डीआईएन:09662978)

श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान: कोच्ची

दिनांक: 27.07.2022

स्थान: कोच्ची

दिनांक: 27.07.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (बाद में "कंपनी" के रूप में संदर्भित) और उसके सहयोगी के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2022 तक के समेकित तुलनपत्र और लाभ और हानि के समेकित विवरण (अन्य व्यापक सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह का समेकित विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (बाद में "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) सहित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी आदि शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित किया गया ऐसे सहयोगी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, और दिनांक 31 मार्च 2022 को कंपनी और उसके सहयोगियों के मामलों की समेकित स्थिति और इसके समेकित हानि और अन्य व्यापक हानि, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह के बारे में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

राय का आधार

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एसएएस) मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत के हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ अधिनियम और उसके अंतर्गत आनेवाले नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरण हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

मदों का महत्व

1. हम कोविड-19 से वैश्विक महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं और दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संचालन और वित्तीय परिणामों पर प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 1.2.1 और टिप्पणी संख्या 32.40 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण, कंपनी के मेट्रो रेल संचालन दिनांक 8 मई, 2021 से 30 जून, 2021 तक निलंबित कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप फेयर-बॉक्स और गैर-फेयर बॉक्स राजस्व और अन्य संबंधित राजस्व वसूली में भारी गिरावट आई।
2. हम 1,317.24 लाख रुपए की परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 32.3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। (डी.एम.आर.सी और कंपनी के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.20 के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("डी.एम.आर.सी") के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणीकरण लंबित होने के कारण, कंपनी ने इन परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के लिए डी.एम.आर.सी द्वारा प्रस्तुत किए गए बयान पर भरोसा किया है। इन मामलों के संबंध में वित्तीय विवरणों पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य जानकारी

कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

हमारी राय में, समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उनके बारे में कोई आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।



समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, हम केवल इस बात पर विचार करते हैं कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बताया गया है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की संशोधित धारा 133, के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक ('इंड एएस') और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो कंपनी के समेकित स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित लाभ/हानि, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उसके सहयोगियों सहित समूह के समेकित नकद प्रवाह आदि का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। उक्त जिम्मेदारी में कंपनी और उसके सहयोगी के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल प्रत्येक कंपनी की परिपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाना, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निष्पक्ष और विवेकपूर्ण मूल्यांकन; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति जो एक सही और निष्पक्ष परिदृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए ठोस गलत विवरण से मुक्त हैं, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी और उसके सहयोगी के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल चालू कंपनी के रूप में जारी रखने के लिए प्रत्येक कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करना, और जब तक संबंधित निदेशक मंडल या तो कंपनी को परिसमापन या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है तो तब तक गोइंग कंसर्न के रूप में लेखांकन करना है।

कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल और उसके सहयोगी प्रत्येक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और हमारी राय सहित एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा इसकी गारंटी नहीं देती है कि किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी के मौजूद होने पर उसका हमेशा पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना और हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत विवरणों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में साजिश, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का निरसन आदि शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करता है। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अनुसार, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशील है।
- लागू की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करता है।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी को एक ऑन गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षण की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी ऑन गोइंग कंसर्न के आधार पर काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए कंपनी और उसके सहयोगियों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक होने के नाते, समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी इकाई की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सहयोगी के लिए, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई हो, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में "अन्य मामलों" वाली अनुच्छेद में आगे वर्णित किया गया है।
- मेटैरियालिटी समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित ज्ञानवाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना है। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक मेटैरियालिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।
- स्वतंत्र लेखापरीक्षक होने के नाते हम, अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते गए, अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों और आंतरिक नियंत्रण में पाए गए कोई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में भी हम कंपनी के शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।
- हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, इस के बारे में हम अभिशासन के अधिकारियों को बयान प्रदान करते हैं, और उन सभी रिस्कों और अन्य मामलों के लिए जिम्मेदार है जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से प्रभावित करते हैं और जहाँ लागू हो वहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं।

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 1.19 लाख रुपए की कंपनी की शुद्ध हानि (और अन्य व्यापक आय) (समेकन समायोजन से पहले) का हिस्सा भी शामिल है। सहयोगी के संबंध में कहें तो, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय है, सहयोगी के संबंध में जहाँ तक यह शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) के संदर्भ में पूर्वोक्त सहयोगी से संबंधित हमारी रिपोर्ट, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और निम्नलिखित अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामले के संबंध में किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण आदेश की, लागू सीमा तक, हमारे द्वारा "अनुलग्नक क" में प्रस्तुत किया गया है।
2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है और प्राप्त किया है।
 - ख) हमारी राय में, खाता बहियों की जाँच से, यह स्पष्ट है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित खाताबहियों को उचित रूप से बनाया रखा है;
 - ग) इस रिपोर्ट के अंदर आने वाले समेकित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय विवरण सहित लाभ और हानि का विवरण, समेकित नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण खाता बहियों के साथ सामंजस्य रखते हैं;
 - घ) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के तहत, भारतीय लेखा मानक की अनुपालन करते हैं;



- (ड) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई) दिनांकित 5 जून, 2015 के अनुसरण में एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित नियम कंपनी पर लागू नहीं है।
- च) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में भारत में निगमित कंपनी और उसकी सहयोगी के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता, इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक ख" में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट देखें;
- छ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांकित 5 जून, 2015 के अनुसरण में, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है; कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 197(16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं जिन पर हमारे द्वारा टिप्पणी करने की आवश्यकता है।
- ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार संशोधित के रूप में, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम:
- कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा अपने समेकित वित्तीय विवरणों में किया है - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 32.29 देखें;
 - कंपनी और उसके सहयोगी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण नुकसान हुआ हो;
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे ग्रुप और संयुक्त उद्यमों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
 - क) प्रबंधन ने ऐसा पेश किया है कि, अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी या उसके सहयोगी द्वारा कोई निधि का अप्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरह से पहचान या निवेश करेगा, चाहे जो भी हो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से जो कुछ भी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करता है;
- ख) प्रबंधन ने पेश किया है कि, कंपनी या उसके सहयोगी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("निधीकरण पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी या उसके सहयोगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधीकरण पार्टियों ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेंगे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेंगे; तथा
- ग) परिस्थिति के अनुरूप उचित और उपयुक्त माना गया लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसने हमें यह विश्वास दिलाया है कि उपखंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- चूंकि कंपनी उसके सहयोगी ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार लाभांश घोषित या भुगतान किया गया या नहीं, इस पर टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृते जे जोसफ एण्ड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 006310S)

उमेश एल भट्ट
साझेदार

सदस्य सं. 211364

यूडीआईएन: 22211364AOBKQE3059

स्थान : कोच्ची

दिनांक: 27/07/2022

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तारीख के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक क

- (xxi) हमारी राय और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 भारत में निगमित कंपनी की रिपोर्ट और समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा कोई क्वालिफिकेशन या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।

कृते जे जोसफ & एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 006310S)

उमेश एल भट्ट
साझेदार

सदस्य सं. 211364

यूडीआईएन: 22211364AOBKQE3059

स्थान : कोच्ची

दिनांक: 27/07/2022



कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तारीख के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

राय

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ, हमने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणों और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में निगमित ऐसी कंपनी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया है, जो उस तिथि के अनुसार इसकी सहयोगी कंपनी है। हमारी राय में, कंपनी और भारत में निगमित ऐसी कंपनी जो इसकी सहयोगी कंपनी है, के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण मामलों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी ("मार्गदर्शन टिप्पणी") में बताए गए ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए ऐसी कंपनियों द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरण मानदंड के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2022 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन की जिम्मेदारी

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखना संबंधित प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारी जिम्मेदारी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित कंपनी और उसके सहयोगी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी और लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा की। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं, इस पर लेखापरीक्षा निष्पादित करना।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद होने के कारण हुए जोखिम का आकलन करना, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चुनिंदा प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंध में, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाया जाता है; (2) लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने हेतु आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकारियों के अनुसार किए जा रहे हैं, इस पर उचित आश्वासन प्रदान करना; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं जोकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकता है।

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहाँ तक यह भारत में निगमित एक सहयोगी कंपनी से संबंधित है, भारत में निगमित ऐसी कंपनी के लेखापरीक्षक की संगत रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते जी जोसफ एन्ड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 006310S)

उमेश एल भट्ट
सहभागी
सदस्य सं.211364

यूडीआईएन: 22211364A0BKQ3059

स्थान: कोच्ची
तारीख : 27/07/2022



कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2022 को समेकित तुलन पत्र

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को	31.03.2021 को
परिसंपत्तियाँ			
(I) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संवेन और उपकरण	2.क	5555 31.06	5618 35.38
(ख) पूंजी कार्य प्रगति पर	2.ख	472 74.34	225 23.89
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	33 62.94	31 60.29
(घ) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियाँ		-	-
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) विभेद	4	1 26.21	-
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	734 71.76	693 56.93
(च) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	6	186 60.63	277 84.50
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (I)		6984 26.94	6846 60.99
(II) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) इन्वेंट्री	7	3 73.14	4 52.01
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्रतिशियाँ	8	10 80.80	9 65.09
(ii) नकद और नकद समतुल्य	9	243 15.70	158 87.70
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10	159 35.18	122 40.60
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	4 19.39	6 12.22
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (II)		421 24.21	301 57.62
कुल परिसंपत्तियाँ (I) + (II)		7405 51.15	7148 18.61
इन्विंटी और देयताएँ			
(I) इन्विंटी			
(क) इन्विंटी मेयर पूंजी	12	1507 46.00	1507 46.00
(ख) अन्य इन्विंटी	13	1044 40.41	1033 23.40
कुल इन्विंटी (I)		2551 86.41	2540 69.40
देयताएँ			
(II) गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) ऊपर	14.क	4149 56.14	3900 70.92
(ia) पट्टा देयताएँ	14.ख	14.57	19.11
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	15	52 55.95	62 07.17
(ख) प्रावधान	16	17 66.78	16 19.31
(ग) आसन्नित कर देयताएँ	17	-	-
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	18	16 15.32	7 65.55
कुल गैर-चालू देयताएँ (II)		4236 08.76	3986 82.06
(III) चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) ऊपर	19.क	220 46.93	178 38.96
(ia) पट्टा देयताएँ	19.ख	4.54	4.15
(ii) व्यापार प्रतिशियाँ	20	9 59.34	15 59.93
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	21	371 55.89	406 74.49
(ख) अन्य चालू देयताएँ	22	14 42.39	18 74.31
(ग) प्रावधान	23	1 46.89	1 15.31
कुल चालू देयताएँ (III)		617 55.98	620 67.15
कुल इन्विंटी तथा देयताएँ (I) + (II) + (III)		7405 51.15	7148 18.61

वालयपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ
वित्तीय विवरणों में संलग्न टिप्पणी देखें
सम सारिख के हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
शासननियत लेखाकार
एफआरएल. 006310एल
बुडोआईएन: 22211364A0BKQE3059

उपरोक्त एल भाइ
सहभागी
सदस्यता सं. 211364

स्थान : कोचीन
दिनांक : 27.07.2022

कृते निदेशक मंडल और जम्मी और से

लोकनाथ बेहा
प्रबंध निदेशक
(सीआईएन:09406020)

स्वाम सुंदर आश्रमाल
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 27.07.2022

अननपूर्णी एस
निदेशक (वित्त) और सीएफओ (सीआईएन: 09662978)

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि का समेकित विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
<i>राशि (रुपए लाखों में)</i>			
I संचालन से राजस्व	24	66 70.83	39 96.98
II अन्य आय	25	75 59.96	127 49.09
III कुल आय (I + II)		142 30.79	167 46.07
IV व्यय:			
परिचालन खर्च	26	42 83.99	40 68.62
कर्मचारी लाभ व्यय	27	45 03.81	42 80.35
वित्त लागत	28	188 54.68	187 87.03
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	29	175 13.84	202 31.25
अन्य व्यय	30	30 47.13	28 45.61
कुल व्यय (IV)		482 03.45	502 12.86
V कर से पहले लाभ/(हानि) (III - IV)		(339 72.66)	(334 66.79)
VI कर व्यय:			
(1) कर पूर्व समायोजन		-	-
(2) आस्थगित कर		-	-
VII अवधि के लिए लाभ/(हानि) (V - VI)		(339 72.66)	(334 66.79)
VIII संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा (शुद्ध)		(1.19)	
IX अन्य व्यापक आय			
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
- रोजगार के बाद के लाभ दायित्वों के पूर्व-माप		17.84	(23.03)
लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जानेवाले मदों से संबन्धित आय कर		-	-
		17.84	(23.03)
X वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII) वर्ष के लिए लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)		(339 56.01)	(334 89.82)
XI प्रति इक्विटी शेयर आय:	31		
(1) बेसिक और डिल्यूटिव		(22.53)	(22.22)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	1		
वित्तीय विवरणों में संलग्न टिप्पणी देखें	2-32		
सम तारीख के हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में		कृते एवं निदेशक मंडल उनकी ओर से	
कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स			
शासनपत्रित लेखाकार			
एफआरएन. 006310एस			
यूडीआईएन: 22211364A0BKQE3059			
उमेश एल भट्ट	लोकनाथ बेहरा	अन्नपूर्णा एस	
सहभागी	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त) और सीएफओ	
सदस्यता सं. 211364	(डीआईएन:09406020)	(डीआईएन: 09662978)	
	श्याम सुंदर अग्रवाल		
	कंपनी सचिव		
स्थान : कोचीन	स्थान : कोचीन		
दिनांक : 27.07.2022	दिनांक : 27.07.2022		



कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के इन्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इन्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष की शुरुआत में शेयर राशि	1507 46.00	1507 46.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इन्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के प्रारंभ में पुनर्निर्धारित शेयर राशि	1507 46.00	1507 46.00
वर्ष के दौरान इन्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्ष के अंत में शेयर राशि	1507 46.00	1507 46.00

ख. अन्य इन्विटी

₹ (एक लाखों में)

विवरण	आसम्भित आय - भौतिक अनुदान			आसम्भित आय - वर	आपदाग्रत आर	अन्य व्यापक आय	कुल
	व्यापक मुक्त उपक्रम भारत सरकार	व्यापक मुक्त उपक्रम केरल सरकार	एनय करों की प्रतिपूर्ति केरल सरकार	भौतिक अनुदान	अधिरोष		
				केरल सरकार	प्रतिधारित आय		
दिनांक अप्रैल, 2020 तक शेयर	209 63.09	1047 81.50	221 57.20	139 30.43	(801 93.11)	(49.63)	815 89.48
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	(68.31)	-	(68.31)
दिनांक अप्रैल, 2020 को शेयर राशि (पुनर्निर्धारित)	209 63.09	1047 81.50	221 57.20	139 30.43	(802 61.42)	(49.63)	815 21.17
जोड़े: वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित व्यापक आय (हानि)	-	-	-	-	(334 66.79)	(23.03)	(334 89.82)
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्तन/समायोजन	-	392 54.59	-	-	-	-	392 54.59
घटाएँ: वर्ष के दौरान आय में अंतरण	(3 98.96)	(26 42.14)	(9 21.45)	-	-	-	(39 62.54)
दिनांक 31 मार्च, 2021 को शेयर राशि (पुनर्निर्धारित)	205 64.14	1613 93.95	212 35.75	139 30.43	(1137 28.21)	(72.66)	1033 23.40
दिनांक 1 अप्रैल 2021 को शेयर राशि (पुनर्निर्धारित)	205 64.14	1613 93.95	212 35.75	139 30.43	(1137 28.21)	(72.66)	1033 23.40
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
	205 64.14	1613 93.95	212 35.75	139 30.43	(1137 28.21)	(72.66)	1033 23.40
जोड़े: वर्ष के लिए व्यापक आय / (हानि)	-	-	-	-	(339 73.85)	17.84	(339 56.01)
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्तन/समायोजन	-	402 82.90	-	-	-	-	402 82.90
घटाएँ: वर्ष के दौरान आय में अंतरण	(4 39.97)	(39 92.67)	(7 77.24)	-	-	-	(52 09.88)
दिनांक 31 मार्च 2022 तक शेयर	201 24.17	1976 84.18	204 58.51	139 30.43	(1477 02.06)	(54.82)	1044 40.41

सम तारीख के हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते बी बीओके एंड एसोसिएट्स
शासनपरिचित लेखाकार
एकआएन. 006310एस
सीआईएन: 22211364A0BKQE3059

कृते एवं निदेशक महल की ओर से

उमेश एल थड
सहपाती
सदस्यता सं. 211364

लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक
(सीआईएन:09406020)

अनूपपूबी एस
निदेशक (नित) और सीएफओ (सीआईएन: 09662978)

स्वाम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 27.07.2022

स्थान : कोचीन
दिनांक : 27.07.2022

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के समेकित नकद प्रवाह विवरण

रुपि (एक लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	(339 56.01)	(334 89.82)
के लिए समायोजन		
परिसंपत्ती की बिक्री पर (लाभ)/हानि (शुद्ध)	.03	4.56
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	175 13.84	202 31.25
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	68.31
व्यापार प्रतिियों पर प्रत्याशित ऋण हानि	3.54	13.44
स्वाज आय	(5 23.31)	(4 40.75)
वित्तीय लागत	143 19.31	155 28.59
निवेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	1.19	-
परिसंपत्ती की बिक्री पर (लाभ)/हानि (शुद्ध)	(12.09)	8.20
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	(7 72.26)	(9 20.93)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	(34 25.76)	10 02.85
परिचालन संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी	(177 66.58)	(71 56.74)
फै-चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	79 51.76	(9 55.71)
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	2 71.70	(1 91.72)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	1 79.05	3 66.55
अन्य देय में (वृद्धि)/कमी	(24 76.67)	6 36.57
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह/(में प्रयुक्त) (क)	(152 66.50)	(62 98.20)
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए भुगतान	(117 54.82)	(73 30.17)
पूर्वी अधिग्रहण मुंबई इन्फ्रास्ट्रक्चर्स के लिए भुगतान	(211 39.41)	(434 22.90)
कोच्ची मेट्रो लिमिटेड में निवेश	(1 27.40)	-
प्राप्त व्याज आय	5 26.85	3 79.51
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त) (ख)	(324 94.78)	(503 73.56)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से दीर्घवधि ऋण प्राप्ति	281 79.35	614 37.22
भारत सरकार के पास श्रु सहायता के माध्यम से जारीत प्राप्ति	-	24 46.67
केवल सरकार से प्राप्त	710 11.00	625 87.34
बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में प्राप्त	11 55.97	(64 52.66)
पट्टा देयताओं से देयताओं का भुगतान	(4.15)	(1.35)
वित्त लागत का भुगतान	(274 96.27)	(249 14.92)
वर्ष के दौरान नुकसान गया ऋण	(166 56.62)	(273 12.95)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (में प्रयुक्त) (ग)	561 89.28	677 89.35
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क) + (ख) + (ग)	84 28.00	111 17.59
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	158 87.70	47 70.11
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	243 15.70	158 87.70
से युक्त		
रोकड़ रोष	17.92	14.74
बैंकों के पास रोष राशि:		
- चालू और स्वीप इन खाते	125 00.17	83 43.46
- सावधि जमा (भारत महीने से कम परिपक्वता के साथ)	89 54.00	41 90.00
- बैंकों के पास विशेष प्रयोजन के लिए निर्धारित रोष राशि	28 43.61	33 39.50
कुल	243 15.70	158 87.70

सम सारिख के हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते बी ओसेफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफआरएन. 006310एस
दुईआईएन: 22211364A0BKQE3059

उमेश एल भट्ट सहभागी
सहस्यता सं. 211364

लोकनाथ बेहल
प्रबंध निदेशक (डीआईएन:09406020)

अनूपूष्पी एस
निदेशक (वित्त) और सीएफओ (डीआईएन: 09662978)

श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान : कोचीन
दिनांक : 27.07.2022

स्थान : कोचीन
दिनांक : 27.07.2022



31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

निगमित जानकारी

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (एतदू पश्चात "कंपनी" या के.एम.आर.एल के रूप में संदर्भित) और इसकी सहयोगी कंपनी (समग्र रूप से, "ग्रुप") के विवरण शामिल हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तहत दिनांक 2 अगस्त 2011 को CIN: U60100KL2011SGC029003 के साथ निगमित है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ में यह एक सरकारी कंपनी है।

यह ग्रुप मुख्य रूप से कोच्ची शहर में मेट्रो रेल परियोजना की अवधारणा और संचालन और एकीकृत जल मेट्रो के संचालन करते हैं। इस ग्रुप को मेट्रो नेटवर्क के बाद के विस्तार का कार्य, इसका संचालन, चिरस्थायी संचालन सुनिश्चित करने हेतु रखरखाव और संबद्ध गतिविधियाँ को कोच्ची शहर में एक मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली लागू करना आदि कार्य सौंपा गया है। कंपनी की राजस्व स्रोतों में यात्रियों से किराया संग्रह, संपत्तियों और विज्ञापन स्थानों का लाइसेंस/पट्टे पर देना और अन्य संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना आदि शामिल है।

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1.1 अनुपालन का विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 की धारा 133 के तहत समय-समय पर संशोधित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एस") के रूप में संदर्भित) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू होता है।

1.1. क. तैयारी का आधार

इन समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य राशि पर मापा गया है; प्रोद्घवन के आधार पर हिस्टोरिकल कोस्ट कन्वेंशन पर तैयार किए गए हैं:

क. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ और आकस्मिक विचार उचित मूल्य पर मापी गई है।

ख. परिभाषित लाभ योजनाएँ - योजना परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी गई है;

ग्रुप के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों ("इंड एस") के अनुपालन के अनुरूप और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियमों सहित तैयार किए गए हैं।

लेखाकरण नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहाँ एक नए प्रकार जारी किया गया लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो। कंपनी ने आम तौर पर उद्योग में प्रचलित नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया है।

1.2 अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को कुछ अनुमान और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है, जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्ति की रिपोर्ट की गई मात्रा, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रकटीकरण और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय को प्रभावित करते हैं। कुछ अनुमानों को दूसरों की तुलना में लागू करने के लिए उच्च स्तरीय निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रबंधन उपलब्ध जानकारी और उसके अनुभव के आधार पर लगातार अपने सभी अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन करता है और विश्वास करता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात या महत्वपूर्ण रूप होते हैं।



निवेश की हानि, संपत्ति के उपयोगी जीवन, संयंत्र और उपकरण, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख पर अनिश्चितता के आकलन के प्रमुख स्रोत, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणी राशियों में एक महत्वपूर्ण समायोजन का कारण बन सकता है।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा करती है। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि क्या कोई मद परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि पूंजीकरण की गारंटी दी जा सके और परिसंपत्ति के किस घटक को पूंजीकृत किया जा सके। उपयोगी जीवन का पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यहास व्यय में परिवर्तन कर सकता है। यदि पिछले अनुमानों से महत्वपूर्ण बदलाव हैं, तो भविष्य की अवधि के लिए मूल्यहास/परिशोधन को संशोधित किया है।

ख) अमूर्त कर परिसंपत्तियों की मान्यता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अमूर्त कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है। अमूर्त कर मदों के तत्वों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। उसी के लिए नीति को टिप्पणी 1.24 के तहत वर्णित किया गया है।

ग) पट्टे

कंपनी मूल्यांकन यह करती है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। पट्टा अवधि का आकलन करने में (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर पर कंपनी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में कई कारकों के आकलन पर आधारित है, जैसेकि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और ऐसे विकल्प के प्रयोग की अनुमानित निश्चितता, परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे पर दी गई संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि शामिल है।

उक्त नीति टिप्पणी 1.31 के तहत स्पष्ट की गई है।

घ) अग्रिमों/प्राप्तियों की वसूलीयोग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्तियों की वसूली के आकलन के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है। निर्णय और अनुमानों के उपयोगपहचान के लिए आवश्यकता होती है। प्रबंधन, प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि पर, अपेक्षित जीवन काल में देखी गई हिस्टोरिकल डिफॉल्ट दरों के आधार पर, बकाया प्राप्तियों और अग्रिमों पर अपेक्षित ऋण हानि का आकलन करता है।

ङ) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

एक प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (बीमाकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारी लाभ को छोड़कर) को इसके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और तुलन पत्र के तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है। प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है। एक आकस्मिक परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन समेकित वित्तीय विवरणों में एक टिप्पणी के रूप में इसका प्रकटीकरण किया है।



च) रोजगार के बाद के हितलाभ योजनाएँ

कर्मचारी लाभ दायित्वों को परियोजना इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें नाश का दर और निकासी दर के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास के संबंध में मान्यता, वेतन वृद्धि दर और मुद्रास्फीति दर आदि शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताएँ उपयुक्त और दस्तावेजित हैं हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

छ) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि परीक्षण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की मान्यताओं के निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन वसूली योग्य राशि के मापन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

झ) प्राप्य व्यापार और ऋण तथा अग्रिम

संदिग्ध व्यापार प्राप्त/ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है, जब वसूली की अनिश्चितता होती है, भले ही इसके देय राशि की अवधि की परवाह किए बिना और अवास्तविकता स्थापित होने पर बड़े खाते में डाल दिया जाता है।

1.2.1 कोविड-19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

कोविड 19 महामारी के फैलाव ने भारत सहित पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। कोविड -19 महामारी के कारण राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार दिनांक 8 मई 2021 से 30 जून 2021 तक मेट्रो संचालन को निलंबित कर दिया गया था।

कंपनी ने कोविड -19 से संबंधित महामारी के कारण प्राप्य राशियों और अप्राप्य राजस्व पर संभावित प्रभावों पर विचार किया। इस महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने इन समेकित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार, वहन मूल्यों पर इसके प्रभाव की समीक्षा की और निर्णय लिया और अन्य मेट्रो द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर भरोसा किया है। कोविड -19 के प्रभाव का एक निश्चित मूल्यांकन परिस्थितियों पर निर्भर करता है क्योंकि वे भविष्य की अवधि में प्रकट होते हैं।

1.3 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2022 तक के कंपनी और कंपनी द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

1.4 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

1.5 राशियों का पूर्णांकन

समेकित वित्तीय विवरणों और टिप्पणियों में दिए गए सभी राशियों को निकटतम हजारों में पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

1.6 राजस्व मान्यता

क) किराया संग्रह से होने वाली आय को टिकटों की बिक्री, यात्रा पास की बिक्री, स्मार्ट कार्ड के मामले में वास्तविक उपयोग के पैसे मूल्य और अन्य प्रत्यक्ष किराया संग्रह के आधार पर पहचाना जाता है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट और छूट के निवल राशि है।

ख) परिसंपत्ति के लाइसेंस/किराए की आय को लाइसेंसधारी/पट्टेदार के साथ अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार मान्यता दी जाती है और अनुबंध के



नियमों और शर्तों के अनुसार प्रोद्घवन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

- ग) रद्दीमाल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशियाँ, रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट, माल तथा सेवा कर और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि आदि का शुद्ध है। कंपनी राजस्व का प्रकटीकरण तब करता है जब राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, और यह संभव है कि भविष्य में इकाई को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।
- घ) प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय को प्रोद्घवन के आधार पर पहचाना जाता है।
- ङ.) परामर्श सेवाओं से प्राप्त आय को निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है, अन्यथा जहां अनुबंध प्रदान करने वाले मामलों को छोड़कर मान्यता प्राप्त है।
- च) अन्य आय को प्रोद्घवन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

1.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर) को उनकी अधिग्रहण लागत/हिस्टोरिकल लागत कम संचित मूल्यहास और हानि, यदि कोई हो, पर वर्णित किया गया है। कंपनी सकल बहन राशि निर्धारित करने के लिए लागत मॉडल अपना रही है।

स्थायी परिसंपत्ति की लागत में किसी भी आयात शुल्क और अन्य कर वसूली योग्य करों का शुद्ध सहित इसकी खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई प्रत्यक्ष आरोपणीय व्यय आदि शामिल है।

निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर जमा कार्यों/अनुबंधों को और उसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। लागत में उस तारीख तक की अर्हक स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण उधार पर ब्याज भी शामिल है, जिस तारीख तक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार है और किसी भी व्यापार बट्टा और छूट और अन्य आकस्मिक खर्चों का शुद्ध और निराकरण की लागत का एक प्रारंभिक अनुमान, यदि कोई हो, मर्दों को हटाने और उस साइट पर पुनर्स्थापित करना जिस पर यह स्थित है, भी शामिल है।

एक वर्ष से अधिक के उपयोगी जीवन वाले पुर्जों को संबंधित शीर्षों के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है।

जब किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के अलग उपयोगी जीवन हैं, तो उन्हें अलग-अलग मदों (प्रमुख घटकों) के रूप में लेखाकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित प्रतिस्थापन पुर्जों/प्रमुख निरीक्षण की लागत केवल पूंजीकृत तभी किया जाता है जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता है।

सार्वजनिक रूप से खोले जाने वाले नए खंड के लिए परिसंपत्ति का पूंजीकरण प्रशासनिक औपचारिकताओं के अनुसार, सभी प्रकार की पूर्णता सुनिश्चित करने के बाद और इस तरह के खंड के उद्घाटन के लिए "मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त" द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को "अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों" के तहत "पूंजीगत अग्रिम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसी तारीख से पहले इस्तेमाल न की जाने वाली परिसंपत्तियों की लागत "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" के तहत प्रकट की जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित बाद के व्ययों का पूंजीकरण केवल तभी किया जाता है जब यह संभावना हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वासपूर्वक मापा जा सकता हो।

परिसंपत्ति की बिक्री या समापन पर समेकित वित्तीय विवरणों से लागत और संबंधित संचित मूल्यहास समाप्त कर दिया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

1.8 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्ति को लागत कम संचित परिशोधन और हानि पर निर्दिष्ट है। अमूर्त परिसंपत्तियों को उस तारीख से जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, उनके संबंधित



व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

ब्रांडिंग लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और पाँच साल की अवधि में एक स्ट्रेट-लाइन आधार पर परिशोधित किया जाता है।

रेलवे को वे लीव चार्ज होने के नाते, उपयोग के अधिकार (अनुमति) के लिए रेलवे को भुगतान की गई राशि, अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत है और सत्तर वर्षों की अवधि में एक स्ट्रेट-लाइन आधार पर परिशोधित किया गया।

सॉफ्टवेयर की लागत जो आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, जिसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और पांच वर्षों की अवधि में एक स्ट्रेट-लाइन आधार पर परिशोधित किया जाता है।

1.9 पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

तुलन पत्र की तारीख में निर्माणाधीन परिसंपत्तियों को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में दिखाया गया है। निर्माण गतिविधि से सीधे संबंधित व्यय पूंजीकृत किया गया है। परियोजना के विभिन्न घटकों के फलस्वरूप होने वाले सभी प्रत्यक्ष व्यय सीडब्ल्यूआईपी के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। सामान्य व्यय और बाहरी उधार पर ब्याज जो सीधे निर्माण गतिविधियों से संबंधित हैं, लेकिन कार्यों के एक से अधिक घटकों के कारण सीडब्ल्यूआईपी के तहत निर्माण के दौरान खर्च के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे पूरा होने पर विभिन्न परिसंपत्तियों में आवंटित किया जाता है। मूल्य परिवर्तन सहित दावों को प्राप्ति पर लेखांकित किए जाते हैं।

निकेप कार्य/अनुबंध के रूप में निष्पादित परियोजनाओं के जो कार्य प्रगति पर है, उसे निष्पादन एजेंसी से प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर और इसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त हैं। अधिशेष परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज सीडब्ल्यूआईपी से घटा दिया गया है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे कि अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज (इक्विटी और ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से प्राप्त धन की अस्थाई परिनियोजन के अलावा), ठेकेदार को मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि सीडब्ल्यूआईपी के लिए व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

परियोजना के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार प्रशासनिक और सामान्य उपरिव्यय (आय का शुद्ध) सीडब्ल्यूआईपी की कुल लागत के लिए पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत के अनुपात में आवंटित किए जाते हैं।

1.10. भूमि

भूस्वामियों द्वारा सौंपी गई और कंपनी द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से ली गई भूमि का मूल्य जिला कलेक्टर के तत्वावधान में कार्यरत भूमि कंपनी के नाम पर टाइल डीड के पूंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना अधिग्रहण इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर पूंजीकृत किया गया है। अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/लागत के लिए प्रदान की गई देयता या कब्जे में भूमि से संबंधित मुआवजे को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है। निर्माण के लिए सौंपी गई विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों से संबंधित भूमि का मूल्य का पूंजीकरण नहीं किया गया है क्योंकि देय राशि और अन्य शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है अतः निर्धारित नहीं किया गया है।

वर्धित क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार" के तहत जब भुगतान किया जाता है, तब दर्ज किया जाएगा और राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकने के कारण भूमि की लागत के रूप में माना जाएगा। भूमि में संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत और भूमि भरने का व्यय भूमि की लागत में प्रभाषित किया जाता है।

राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क प्राप्त भूमि, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास निहित है, को सरकारी आदेश के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, जिसकी गणना "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार" की धारा 26 के आधार पर की जाती है और भूमि का कब्जा सौंपते समय भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में माना जाता है।



1.11. परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों की हानि के लिए, यदि कोई हो। समीक्षा की जाती है, यदि ऐसी हानि का कोई संकेत मौजूद है, ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हानि की पहचान की जाती है, उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त के रूप में चिह्नित किया जाता है। वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति के उचित मूल्य से निपटान की लागत कम करके और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, मानी जाती है। हानि के बाद, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित अग्रणीत राशि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर पहले से मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्तता हानि बढ़ जाती है या उलट जाती है। हालांकि, उलटने के बाद के वहन मूल्य को वहन मूल्य से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है, यदि कोई हानि नहीं होती तो सामान्य मूल्यहास चार्ज करके प्रबल होता है।

1.12. इन्वेंटरी

ढीले उपकरणों सहित इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो, पर किया जाता है।

1.13. संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब बकाया राशि की अवधि पर ध्यान दिए बिना वसूली की अनिश्चितता होती है और अप्राप्ति सिद्ध होने पर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

1.14. बीमा दावे

बीमा दावों की पहचान बीमा कंपनी द्वारा दावों की स्वीकृति के आधार पर की जाती है।

1.15. मूल्यहास और परिशोधन

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार और कुछ परिसंपत्तियों/संपत्ति के घटकों के मामले को छोड़कर जहाँ तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन निर्धारित किया जाता है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास स्ट्रेट-लाइन आधार पर प्रदान किया जाता है।
- (ii) उपयोग के अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत में या पट्टे की अवधि के अंत में उपयोग के अधिकार की संपत्ति का मूल्यहास प्रारंभ तिथि से एक स्ट्रेट लाइन आधार पर किया जाता है।
- (iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु और प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को निपटान पर या जब इसके उपयोग से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो मान्यता रद्द कर दी जाती है। संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब संपत्ति की पहचान नहीं की जाती है।
- (iv) कंपनी द्वारा चरण I की परिसंपत्तियों को सौंपते समय, परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन का अनुमान डीएमआरसी द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

परिसंपत्ति का विवरण	परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन (वर्षों में)
बिल्डिंग धीमिंग (उप संपत्ति)	10
रोलिंग स्टॉक	30
रोलिंग स्टॉक के घटक	18
एस्केलेटर और लिफ्ट	
लिफ्ट	30
लिफ्ट और अन्य घटक	20



परिसंपत्ति का विवरण	परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन (वर्षों में)
एस्केलेटर	30
एस्केलेटर और अन्य घटक	15
यूपीएस बैटरी के घटक	10
ए टाइप की सीढ़ी - 4-मीटर ऊँचाई	2
स्काडा सर्वर (मुख्य और स्टैंडबाय)	3
कम मूल्य की परिसंपत्तियान (प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए से कम)	1
रेलवे को वे लीव शुल्क*	70
ब्रांडिंग	5
वयाडकट, पुल, सुरंग और पुलिया	60 वर्ष
सीसीटीवी	6 वर्ष
सौर पेनल	25 वर्ष

- v) सभी स्थाई परिसंपत्तियों के लिए 5% का अवशिष्ट मूल्य बरकरार रखा गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुरूप है।
- (vi) 5,000/- या उससे कम की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियाँ (कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ) को खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहास/परिशोधित किया जाता है।
- (vii) घटकों का अधिकतम जीवन मुख्य परिसंपत्ति के जीवन तक सीमित कर दिया गया है।
- (viii) मर्दों पर व्यय, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, ऐसे व्यय के वर्ष में राजस्व पर लगाया जाता है।
- (ix) अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से, उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम अनुमान पर व्यवस्थित आधार पर परिशोधन किया जाता है।
- (x) रेलवे को भुगतान किए गए मार्ग-अवकाश प्रभार अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं और 70 वर्षों (*) की अवधि में स्ट्रेट-लाइन पद्धति पर परिशोधित किया गया है।
- (xi) कार्यालय उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मोबाइल फोन का उपयोगी जीवन, तीन साल तक अनुमानित किया है।
- (xii) उपयोगी जीवन, बचत मूल्य और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति के मूल्यहास की विधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

1.16. सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जहां एक उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त होंगे और कंपनी सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है ताकि उन्हें उन लागतों के साथ मिलान किया जा सके जिनकी वे क्षतिपूर्ति करने और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं।

जब कंपनी को गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों का अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मूल्य राशि पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ या हानि के विवरण के लिए जारी किया गया।

जब ऋण या इसी तरह की सहायता सरकारों या संबंधित संस्थानों द्वारा वर्तमान लागू बाजार दर से कम ब्याज दर या ब्याज मुक्त के साथ प्रदान की जाती है, तो बाजार दर से कम ब्याज मुक्त के लाभ को भारतीय लेखा मानक 109 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक 113 के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक

वहन मूल्य और प्राप्त लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। “अन्य इक्विटी” के तहत आस्थगित आय के रूप में आर्थिक अनुदान को स्थापित करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया है और उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिसके दौरान भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार ऋण वकाया है। ऋण को बाद में वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है।

1.17. वर्तमान बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

तुलन पत्र में परिसंपत्तियाँ और देयताएँ चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए हैं;

किसी परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब यह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करता है:

- सामान्य परिचालन चक्र में साकार होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की अपेक्षा, या
 - मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित, या
 - रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, या
 - नकद या नकद समकक्ष, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए किसी देयता का निपटान करने के लिए विनिमय या उपयोग करने से प्रतिबंधित न हो।
- अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

किसी देयता को चालू रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब वह निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करता हो:

- सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर निपटारा होने के कारण, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू माना जाएगा।

1.18. बिक्री के लिए गैर चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी एक गैर-वर्तमान परिसंपत्ति को बिक्री के लिए निर्धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि इसकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा माना जाता है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत बंद संचालन सहित गैर-वर्तमान संपत्ति को अग्रणीत राशि और उचित मूल्य कम बिक्री लागत पर मापा जाता है और समेकित वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। एक बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, परिसंपत्ति मूल्यहास या परिशोधन के अधीन नहीं हैं।

बंद किए गए परिचालनों की बिक्री या पुनः माप से उत्पन्न कोई लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में एकल पंक्ति वस्तु के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

1.19. संचालन चक्र

कंपनी की परिचालन गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच सामान्य समय को देखते हुए कंपनी ने अपनी परिसंपत्ति और देयताओं को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।



1.20 वित्तीय उपकरण

क) प्रारंभिक मान्यता, माप और गैर-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी उपकरणों के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बन जाती है।

प्रारंभ में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर प्रारंभिक रूप से मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और कार्य हस्तांतरित हो जाते हैं। एक वित्तीय देयता को मुक्त, समाप्त, रद्द या समाप्त होने पर अमान्य कर दिया जाता है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, प्रारंभिक माप/मान्यता के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर मापा जाना और;
- उचित मूल्य पर अनुवर्ती रूप से मापे जाने हेतु (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से)

ग) वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं को छोड़कर, वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी व्याज दर का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

1.21 निवेश

निवेश जो आसानी से वसूली योग्य हैं और जिस तारीख से वे बने हैं, उस तारीख से एक वर्ष से अधिक के लिए रखने करने का इरादा नहीं है, उसे चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान निवेश कम लागत और व्यक्तिगत निवेश के आधार पर निर्धारित उचित मूल्य पर किए जाते हैं। दीर्घकालिक अवधि के निवेश लागत पर किए जाते हैं। हालांकि, अस्थायी के अलावा, निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

1.22 सहयोगी में निवेश

सहयोगी वे संस्थाएँ हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होते हैं। कंपनी के पास निवेशिती के 20 प्रतिशत या अधिक वोटिंग अधिकार होने पर महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है, ऐसा माना जाता है। यदि सहयोगियों की लेखांकन नीतियां समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों से भिन्न हैं, सहयोगियों की लेखांकन नीतियां ग्रुप के साथ संरेखित होता है। इसका परिणाम, इन वित्तीय विवरणों में सहयोगियों की परिसंपत्तियों और देयताओं को लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके नीचे वर्णित के रूप में शामिल किया गया है।

लेखांकन की इक्विटी विधि (इक्विटी लेखा निवेशी)

सहयोगी या संयुक्त उद्यम को निवेशिती के सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख से इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखाबद्ध किया जाता है और प्रारंभ में लागत पर मान्यता प्राप्त होती है। निवेशिती के सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तिथि से इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम में रुचि का लेखा-जोखा किया जाता है और शुरुआत में इसे लागत पर मान्यता दी जाती है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश का वहन मूल्य में अधिग्रहण की तिथि पर पहचान की गई सद्भावना, किसी भी संचित हानि नुकसान का शुद्ध शामिल होता है। समेकित वित्तीय विवरणों में



लाभ या हानि में कंपनी का हिस्सा, अन्य व्यापक आय और इक्विटी लेखा निवेशों की इक्विटी गतिविधियाँ, महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण शुरू होने की तारीख से महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण समाप्त होने तक शामिल हैं। जब कंपनी के घाटे का हिस्सा इक्विटी लेखा निवेश में अपनी रुचि से अधिक हो जाता है, उस ब्याज की अग्रणीत राशि (शुद्ध निवेश की प्रकृति में किसी भी दीर्घकालिक हितों सहित) को घटाकर शून्य कर दिया जाता है और कंपनी द्वारा रचनात्मक या कानूनी दायित्वों को पूरा करने या निवेशिती की ओर से भुगतान करने की सीमा को छोड़कर आगे के नुकसान की पहचान बंद कर दी गई है।

जब कंपनी अपनी किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम के साथ लेन-देन करती है, अपने सहयोगी या संयुक्त उद्यम के मामले में अचेतन लाभ और हानि को कंपनी के हित की सीमा तक रद्द कर दिया जाता है।

भुगतान प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होने पर लाभांश की पहचान की जाती है।

समेकन में शामिल सहयोगी कंपनी और उसमें कंपनी की होलिंग निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड
व्यापार का मुख्य केंद्र	कोच्ची, भारत
दिनांक 31.03.2022 को होलिंग का%	26%

1.23. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

एक प्रावधान को तभी मान्यता दी जाती है जब,

- क) पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) है।
- ख) यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।
- ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों को तुलन पत्र की तारीख पर दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है।

निम्न परिस्थिति में आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है,

- क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।
- ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं है।

आकस्मिक देयताओं का आकलन प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालाँकि, जब आय की प्राप्ति वस्तुतः निश्चित होती है, तो संबंधित परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है।



1.24. प्रतिबद्धताएँ

प्रतिबद्धताएँ संविदात्मक व्यय के लिए भविष्य की देयताएँ हैं। प्रतिबद्धताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत और प्रकट किया जाता है:

- क) पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
- ख) अन्य गैर-रद्द करने योग्य प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों, जिस हद तक उन्हें प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माना जाता है।

1.25. पूर्व अवधि समायोजन

त्रुटियों के कारण पूर्व अवधि के समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हुए, पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्ववर्ती अवधि के लिए तुलनात्मक राशि को पुनः प्रस्तुत करके जिसमें त्रुटि हुई थी या यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई थी, तो इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण को पुनः स्थापित करके ठीक किया जाता है।

1.26. कराधान

आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल हैं। लाभ और हानि के विवरण में वर्तमान और आस्थगित करों को मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हैं, इस मामले में, क्रमशः वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

वर्तमान कर

वर्तमान अवधि के लिए आय पर कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर और आकलन/अपील के अपेक्षित परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणी राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद की जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक भविष्य में कर लाभ प्राप्त होने की संभावना हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की भरपाई तब की जाती है जब मौजूदा कर परिसंपत्तियों और देयताओं को भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब आस्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकारी से संबंधित हैं।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देयताओं को ऑफसेट किया जाता है जहाँ इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और या तो शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा रखता है, या परिसंपत्ति को स्पष्ट करने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा रखता है।

1.27. विदेशी मुद्रा लेनदेन/ परिवर्तन

संस्था के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का आकलन प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके किया जाता है जिसमें इकाई संचालित होती है ("कार्यात्मक मुद्रा") है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए ("आईएनआर") में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा है।

संबंधित लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर को अपनाते हुए कार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।



वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित और विदेशी मुद्रा अनुबंधों द्वारा कवर नहीं की गई मौद्रिक वस्तुओं को "वर्ष के अंत विनिमय दरों" में अनुवादित किया जाता है, जबकि वायदा विनिमय अनुबंधों द्वारा कवर किए गए उनके संबंधित अनुबंधों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों सहित सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन/निपटान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, भारतीय लेखा मानक 101 में दी गई स्वैच्छिक छूट के आधार पर भारतीय लेखा मानक 21 के तहत प्रदान किए गए दायरे को छोड़कर लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.28 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। अंशदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में किया जाता है।

भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी भी भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त भविष्य निधि पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं लिया जाता है और नियोजता के योगदान से भुगतान किया जाता है।

उपदान : चालू वर्ष के दौरान पात्र कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान के लिए प्रावधान किया गया है।

अर्जित और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है। संबंधित देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है। संबंधित देयताओं की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी के अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा के व्यय लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित देयता की पहचान अक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को रोजगार लाभ

अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी लाभ का भुगतान विदेश सेवा अंशदान (एफएससी) के रूप में उनके निर्देश के आधार पर उनके संबंधित मूल संगठन नियोजता को किया जाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देय ऐसे लाभों के लिए आवश्यक प्रावधान का अनुमान लगाया गया है और इसके लिए प्रावधान किया गया है।

भारतीय लेखा मानक 19 के तहत - इसकी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्व की वार्षिक गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके अक्चुरीस के आधार पर की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को घटाकर निर्धारित किया जाता है।

ब्याज आय / (व्यय) की गणना शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर छूट दर लागू करके की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर शुद्ध ब्याज आय/ (व्यय) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

अक्च्यूरियल मान्यताओं और अनुभव समायोजनों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः माप लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं।

1.29 वित्त लागत

वित्त लागत में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः माप पर उत्पन्न होने वाले उधार, लाभ या हानि पर ब्याज लागत और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस सीमा तक शामिल किया जाता है, जिसे उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।



धन उधार लेने के संबंध में लागत अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित अर्हक परिसंपत्तियों को आबंटित किया जाता है, जो अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ से लेकर ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित है। ऐसे उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय, अर्हक परिसंपत्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से घटाया जाता है। इसके बाद, उधार लेने की लागत को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

एक अर्हक परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है।

1.30 निर्माण के दौरान ब्याज का आबंटन

उधार लेने की लागत, उधार पर ब्याज होने के नाते जो सीधे तौर पर एक योग्य परिसंपत्ति के निर्माण/उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाई होते हैं, भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। वर्ष के दौरान चालू की गई योग्य परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज, कमीशन की गई परिसंपत्तियों के मूल्य के अनुपात में के महीने के अंत में योग्यता पूंजी कार्य प्रगति के मूल्य के अनुपात में आबंटित किया जाता है।

1.31 पट्टे

पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब पट्टे की शर्तों के अनुसार, पट्टादाता पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों, लाभों को काफी हद तक हस्तांतरित करता है। अन्य सभी पट्टे संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

वित्त पट्टों को पट्टे की शुरुआत में पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर या, यदि कम हो, तो न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे के भुगतानों को वित्त प्रभारों और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि बकाया देयता पर ब्याज की एक स्थिर दर प्राप्त हो सके। लाभ और हानि के विवरण में वित्त प्रभारों को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि वे सीधे योग्य परिसंपत्तियों के लिए जिम्मेदार न हों, उस स्थिति में उन्हें उधार लेने की लागतों की मान्यता पर सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।

परिचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान एक स्ट्रेट-लाइन आधार पर लाभ और हानि विवरण में एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, सिवाय इसके कि जहाँ एक और व्यवस्थित आधार समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि है जिसमें पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

1.32 सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय खंड है, जो मेट्रो रेल प्रणाली का विकास, संचालन और रखरखाव कर रहा है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम और रिटर्न, संगठन संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर एकल परिचालन सेगमेंट में संचालित होता है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाली राशियाँ कंपनी के एकल व्यवसाय खंड से संबंधित हैं।

1.33 नकद और नकद समकक्ष (नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए)

नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजन के राशि में हाथ में बकाया, सरकारी कोष और बैंकों के पास डिमांड जमा आदि शामिल हैं। नकद समकक्ष तीन महीने या उससे अधिक की मूल परिपक्वता लेकिन अधिग्रहण की तारीख से बारह महीने से कम, के साथ अल्पकालिक शेष राशि हैं, लेकिन अधिग्रहण की तारीख से बारह महीने से कम, अत्यधिक लिक्विड निवेश जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

1.34 नकद प्रवाह विवरण

'नकद प्रवाह विवरण' पर नकद प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एस) - 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।



1.35 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों को निर्धारित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर लिक्विड आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों को निर्धारित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।



राशि (रुपय लाखों में)

विवरण	सकल व्ययिक				मूल्यवास्तव/परिपोषण/कमी				मुनि व्ययिक	
	अंतिम 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्तन/समाप्तियन	वर्ष के दौरान निपटारा/समाप्तियन	31 मार्च 2022 को	(अंतिम 2021 को	वर्ष के लिए	संशोधन / समायोजन	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 से	31 मार्च 2021 को)
भूमि (अडिस्ट्रिक्ट) (टिपोग्राफी 2.1) लेहें	954,58.23	87,10.95	-	1,041,69.18	-	-	-	-	1,041,69.18	954,58.23
इमारत	1,303,02.16	2,63.59	-	1,305,65.75	64,10.10	22,14.00	-	86,24.10	1,219,41.65	1,238,92.06
अव्ययार्थी सव्यार	6.89	-	-	6.89	5.57	1.19	-	6.76	.13	1.32
क्याबडक, सुर, सुंग और पुलिका	2,159,10.73	-	-	2,159,10.73	1,91,43.21	32,49.90	-	2,23,93.11	1,935,17.62	1,967,67.52
संरक्ष एवं मशीनरी	84,32.21	2,72.85	-	87,05.06	15,61.22	11,93.42	-	27,54.64	59,50.42	68,70.99
रेलिंग स्टॉक	767,31.49	-	-	767,31.49	79,35.31	27,94.59	-	107,29.90	660,01.59	607,96.18
एक्सेलेटर और लिफ्ट	1,116,26.08	-	-	1,116,26.08	14,62.63	4,90.70	-	19,53.33	96,72.75	1,01,63.45
सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण	1,96,46.08	8,10.13	-	2,04,56.21	37,96.01	14,94.81	-	52,84.82	151,70.39	158,55.07
सफुके	12,73.91	6.82	-	12,80.73	4,61.54	1,24.80	-	5,86.42	6,94.31	8,12.37
बाड, बर्ल, गलसून	1,84.44	6.14	-	1,90.58	81.36	36.11	-	1,17.47	73.11	1,03.08
कंस्ट्रु	64,13.45	4,00.18	7.73	68,95.90	42,37.50	8,10.45	7.05	50,40.90	18,55.00	21,75.95
चिबकती के उपकरण	355,47.79	2,05.12	-	357,52.91	96,20.70	33,86.51	-	130,07.21	227,45.70	259,27.09
केबल और बलिबक	1,03,17.61	2.54	-	1,03,20.15	16,45.67	5,45.73	-	21,91.40	81,28.75	86,71.94
स्विचिंग केंद्र	28,99.74	-	-	28,99.74	5,60.30	2,11.91	-	7,72.21	21,27.53	23,39.44
पलिवर व फिलसवर	13,34.69	78.52	-	14,13.21	3,49.16	1,26.12	-	4,75.28	9,37.93	9,05.53
कार्यालय उपकरण	42,19.41	23.78	-	42,43.19	12,72.02	4,78.96	-	17,50.98	24,92.21	29,47.39
कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ	6,01.51	3.32	-	6,04.83	6,01.51	3.32	-	6,04.83	-	-
वाहन	95.02	-	-	95.02	50.00	9.96	-	60.56	34.46	44.42
उद्योग का अधिकार	25.08	-	-	25.08	1.73	5.02	-	6.75	18.33	23.35
कुल	6,210,25.52	1,08,73.94	7.73	6,318,94.73	5,91,90.14	1,71,77.58	7.05	7,63,60.67	5,555,31.06	5,618,35.38
गठन वर्ष (मुद्र-निर्धारित)	5,700,69.90	422,00.60	44.98	6,210,25.52	3,93,32.28	1,90,94.07	36.21	5,91,90.14	5,618,35.38	5,396,05.94

विवरण	अंतिम 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्तन/समाप्तियन	कुल	वर्ष के दौरान पूर्णिकार	
				वर्ष के दौरान परिवर्तन/समाप्तियन	31 मार्च 2022 को
काम I ए और बी	1,94,41.52	263,10.97	457,52.48	-	45,752.48
काम II (टिपोग्राफी संख्या 32.4) लेहें	5,60.36	6.70	5,67.06	-	567.06
अन्य	25,22.02	4,11.04	29,33.06	19,78.26	9,54.80
कुल	2,25,23.89	267,28.71	492,52.60	19,78.26	472,74.34
गठन वर्ष (पूर्वनिर्धारित)	12,44,05.69	568,02.60	1,812,08.29	1,586,84.40	225,23.89

राशि (रुपए लाखों में)

Particulars	सकल व्यय				मूल्यदाता/परिशोधन व्यय				शुद्ध व्यय	
	अंश 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समाप्तोक्त	वर्ष के दौरान निरन्तर/समाप्तोक्त	31 मार्च 2022 को	1 अंश 2021 को	वर्ष के लिए	व्यय/ समाप्तोक्त	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अभ्युक्त सौकर्योत्तर	17,29,996	33,13	-	17,63,12	10,92,51	2,95,87	-	13,88,38	3,74,74	6,37,48
भूदान - कोच्ची मेट्रो	61,600	-	-	61,600	61,600	-	-	61,600	-	-
रेलवे को वे लीज प्रचार	27,76,22	5,05,78	-	32,82,00	2,53,41	40,39	-	2,93,80	29,89,26	25,22,81
कुल	45,67,81	5,38,91	-	51,06,72	14,07,52	3,36,26	-	17,43,78	33,62,94	31,60,29
व्यय (पुनर्विक्रय)	42,52,92	4,85,54	170,05	45,67,81	12,40,99	3,37,18	170,05	14,07,52	31,60,29	33,28,92

टिप्पणियाँ:

- 2.1. दिनांक 31 मार्च 2022 तक कंपनी ने 38,133 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 36,022.7 हेक्टेयर) निजी भूमि का कब्जा ले लिया है।
- 2.2. भूमि का पूर्वीकृत मूल्य भूस्वामियों और जिला स्तरीय जय समिति के बीच सहमत खरीद मूल्य है। दिनांक 25 सितंबर 2014 को केरल सरकार द्वारा जारी शासनादेशों की. और (पी) में, 164/2014/TD/2353 & 2354 के तहत भूस्वीकरण शुल्क और स्टॉप शुल्क की लागत पर खिास नहीं किया जाता है.
- 2.3. और कंपनी ने इन वर्षों पर कोई व्यय नहीं किया।
- 2.4. 186,33,47 लाख रुपये मूल्य की 2,686 हेक्टेयर भूमि के संबंध में सरकारी अधिलेखों में कंपनी के नाम पर निजी भूमि के स्वीकरण की प्रक्रिया प्रक्रियापत्र है। 385,11.07 लाख रुपए मूल्य वाले 23,389 हेक्टेयर भूमि एक अर्वाइ चांस करके लिया जाता है।
- 2.5. केरल सरकार ने शासनादेश (एएमए) में, 140/2020/आरटी डिनॉकिड 22 मई 2020 के तहत केरलमहात्तल को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूटी) के कब्जे वाली 17,430 एकड़ जमीन की रिकस्ट्री डि-सुल्क सौंपी गई है। बरिषों में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिग्रहण की घना 26 के अनुसार भूमि को 139,30.43 लाख रुपए के बालू बाजार मूल्य पर दिखाया गया है।
- 2.6. विभिन्न सरकारी निष्कर्षों/सुझावों के संदर्भ में संवर्धित 5,753 हेक्टेयर भूमि पर मेट्रो के कर्ल पूर्ण प्राप्ति पर है। मूल्य को अंतिम रूप देने, हस्तांतरण की औपचारिकताओं और अन्य विषयों और जमीन के लिक होने के कारण, भूमि के इन टुकड़ों को स्थाई परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया है।
- 2.7. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान रेलवे भूमि पर कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के लिए वायावट्ट के निर्माण हेतु दक्षिण रेलवे को वे लीज शुल्क के रूप में 27.76 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया। वर्ष 2014-15 में भूमि के मीट्टुड बाजार मूल्य के 99% के बराबर एकमुस्त भुगतान के लिए 35 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए अनुमति ली गई। लागू मामूली शुल्क के भुगतान पर अनुमति की अवधि को 35 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। रेलवे को भुगतान की गई 27.76 करोड़ रुपए की राशि को अर्वाइ संपत्ति के तहत दिखाया गया है और 70 साल की अवधि के लिए परीक्षण किया गया है, एक औपचारिक समझौते का निष्पत्तन संश्लित है।
- 2.8. अत्याध, गांधी भवन समिति से अधिभूत भवन (ऑफिस) के पुनर्स्थापन प्रयास पर के आधार पर वसूली, यदि कोई हो, तो भू-अर्कम विभाग से भूमि का पुनर्स्थापन विवरण प्राप्त होने पर प्रभावी की जाएगी। भूमि के मूल्य में 49.93 लाख रुपए की अस्थायी कमी हुई है।
- 2.9. भूमि पार्लर के संबंध में 3.33 एकड़ की सीमा तक सीमा विरोध कंपनी के नाम पर चलत तरीके से परीक्षण है और इसे कंपनी के स्थाई परिसंपत्तियों शामिल नहीं किया है। इस भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण इकाई द्वारा कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्यों के लिए किया गया है और लागत को केरल सरकार के प्रारंभिक कार्यों के लिए दी गई निधि से पूरी की जा रही है।
- 2.10. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 114,12.82 लाख रुपए मूल्य की भूमि और अन्य अर्वाइ परिसंपत्तियों का पूर्वीकरण किया।
- 2.11. केरल सरकार ने बरण I, बरण II और बरण III के लिए संयुक्त व्यापक प्रशासनिक स्वीकृति के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय, यह संकेत दिया गया था कि, बरण II और बरण III के लिए सभी परिसंपत्तियाँ उमम सरकार के पास स्थित हो जाएँ। केरल सरकार ने अपने पत्र में, टुंस सी 243/2020/टुंस दिनांकित 24.05.2022 के तहत यह सूचित किया गया है कि अनुमदन प्राप्त होने के बाद इस बात में संशोधन किया जाएगा।



	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
टिप्पणी 4 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ - निवेश		
कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड में इन्विस्टी इंट्रूमेंट्स (गैर ड्यूबत) (टिप्पणी सं. 32.36 देखें)	127.40	-
100 रुपए के प्रत्येक 1,27,400 इन्विस्टी शेयर 1 पूरी तरह से भुगतान किया गया घटाएँ : संघित रिजर्व का हिस्सा	(1.19)	-
कुल	126.21	-
	राशि (रुपए लाखों में)	
टिप्पणी 5 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के विरुद्ध केरल सरकार से प्राप्य (टिप्पणी संख्या 32.11 देखें)	733 19.01	691 91.84
सुरक्षा जमा (असुरक्षित और अच्छा माना जाता है)	1 52.75	1 65.09
कुल	734 71.76	693 56.93
	राशि (रुपए लाखों में)	
टिप्पणी 6 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ		
पूर्वीगत अग्रिम - परियोजना के लिए (असुरक्षित और अच्छा माना गया), - दिल्ली मेट्रो रेल कोर्पोरेशन को परियोजना अग्रिम - भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर को (नोट संख्या 32.8 देखें) - पूर्वीगत अग्रिम	.00 72 02.35 73 12.98	5 23.81 58 21.81 93 41.82
पूर्वीगत अग्रिम - प्रारंभिक कार्यों के लिए (असुरक्षित और अच्छा माना जाता है), - भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर को (नोट संख्या 32.8 देखें)	35 70.93	115 94.06
पूर्वदत्त व्यय	71.44	75.42
प्राप्य कर वापसी	4 85.49	4 10.14
प्राप्य एमएचटी क्रेडिट	17.44	17.44
कुल	186 60.63	277 84.50
	राशि (रुपए लाखों में)	
टिप्पणी 7 : इन्वेंट्री		
स्टॉक ऑफ टूल्स	452.00	473.90
घटाएँ : मूल्य में कमी का प्रावधान	(78.86)	(21.89)
कुल	3 73.14	4 52.01
	राशि (रुपए लाखों में)	
टिप्पणी 8 : प्राप्य व्यापार (चालू) वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
असुरक्षित- अच्छा माना जाता है (नोट संख्या 32.31.2, 3 देखें)		
व्यापार आहूत	12 53.77	11 38.06
घटाएँ : व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब	(1 72.97)	(1 72.97)
कुल	10 80.80	9 65.09
	राशि (रुपए लाखों में)	
टिप्पणी 9 : नकद और नकद समतुल्य (चालू)		
नकद शेष	17.92	14.74
बैंकों के साथ बकाया (चालू और स्वीप खातों में)	125 00.17	83 43.46
बैंकों में सावधि जमा (बाहर महीने से कम की परिपक्वता अवधि के साथ)	89 54.00	41 90.00
बैंकों के साथ विशेष प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट बकाया *	28 43.61	33 39.50
कुल	243 15.70	158 87.70
* केरल वाणिज्यिक बचत बैंक से आरक्षित खाते के साथ गिरवी रखे गए बैंकों में सावधि जमा		
	राशि (रुपए लाखों में)	
टिप्पणी 10 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (चालू)		
केरल सरकार से प्राप्य		
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के एजेंट में (नोट संख्या 32.11 देखें)	144 20.51	104 74.19
- प्रारंभिक और अन्य कार्यों के लिए	84.69	95.71
* असुरक्षित, बेहतर माना गया , जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो		
- अर्जित व्याज	69.91	73.45
- अर्जित आय, विन्तु देय नहीं	27.19	14.38
- सुरक्षित जमा	13 19.88	13 04.32
- अन्य कर्मचारी अग्रिम	5.46	8.83
- अन्य (केरल सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता सहित - टिप्पणी सं. 32.18 देखें)	7.54	2 69.72
कुल	159 35.18	122 40.60
	राशि (रुपए लाखों में)	
टिप्पणी 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
पूर्वदत्त व्यय	266.21	253.82
अन्य अग्रिम	9.09	8.37
ओएसटी इनपुट क्रेडिट	144.09	350.03
कुल	4 19.39	6 12.22



टिप्पणी 11 : इक्विटी शेयर पूंजी	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
विवरण	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
	(रुपए लाखों में)	(रुपए लाखों में)
प्राधिकृत		
प्रत्येक 100 रुपये के इक्विटी शेयर	20 00 00 000	20 00 00 000
बारी, अधिदा और पूरी तरह से भुगतान किया गया		
पूर्ण रूप से भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के इक्विटी शेयर	15 07 46 000	15 07 46 000
		2000 00.00
		1507 46.00
		1507 46.00

Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at 31st March 2022		As at 31st March 2021	
	Number of Shares	Amount (Rs. in Lakhs)	Number of Shares	Amount (Rs. in Lakhs)
वर्ष की प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयर	15 07 46 000	1507 46.00	15 07 46 000	1507 46.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	15 07 46 000	1507 46.00	15 07 46 000	1507 46.00

12.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या	धारित %	शेयरों की संख्या	धारित %
भारत के राष्ट्रपति	7 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00
केरल के राज्यपाल	7 53 73 000	50.00	7 53 73 000	50.00

12.2 कंपनी के पास 100% - रुपये के प्रति शेयर का सममूल्य मूल्य के एक वर्ग के इक्विटी शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक समग्र-समय पर परिचित लाभों का प्राप्त करने और कंपनी की बैठक में प्रति शेयर एक वोट के लिए हकदार है। परिभाषित की स्थिति में, सभी अधिमूल्य शेयरों के धारण के बाद, यदि कोई हो, इक्विटी शेयरधारक उनके द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए अर्ह हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति और केरल के माननीय राज्यपाल क्रमशः पाँच और चार नामांकित निदेशकों को नामित किए हैं।



		रुपि (रुपए लाखों में)	
टिप्पणी 13 : अन्य इक्विटी		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आस्थगित अल्प			
भौतिक अनुदान			
न्याय मुक्त उप ऋण (टिप्पणी संख्या 32.5 देखें)			
भारत सरकार		201 24.17	205 64.14
केरल सरकार		1976 84.18	1613 93.95
केरल सरकार - राज्य कर की प्रतिपूर्ति (टिप्पणी संख्या 32.6 देखें)		204 58.51	212 35.75
		2382 66.86	2031 93.84
गैर भौतिक अनुदान			
केरल सरकार - जागीर भूमि (टिप्पणी संख्या 32.7 देखें)		139 30.43	139 30.43
लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष			
वर्ष के प्रारंभ में बकाया		(1137 28.21)	(801 93.11)
जोड़े: लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		-	(68.31)
जोड़े: चालू वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय		(339 73.85)	(334 66.79)
वर्ष के अंत में बकाया राशि		(1477 02.06)	(1137 28.21)
अन्य व्यापक आय			
वर्ष के प्रारंभ में बकाया		(72.66)	(49.63)
जोड़े: चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		17.84	(23.03)
वर्ष के अंत में बकाया राशि		(54.82)	(72.66)
	कुल	1044 40.41	1033 23.40
		रुपि (रुपए लाखों में)	
टिप्पणी 14 क: उधार (गैर चल)		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सावधि ऋण (सुरक्षित)			
बैंकों से (टिप्पणी सं. 32.10 देखें)		1955 84.20	1831 45.18
सावधि ऋण (असुरक्षित)			
विनीय संस्थानों से (टिप्पणी संख्या 32.10 देखें)		532 77.00	506 08.00
पास व सहायता - भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 32.12 देखें)		1086 15.28	1152 50.82
न्याय मुक्त उप ऋण (असुरक्षित)			
(टिप्पणी संख्या 32.5 देखें)			
भारत सरकार		47 25.83	42 85.86
केरल सरकार		527 53.83	367 81.06
	कुल	4149 56.14	3900 70.92
		रुपि (रुपए लाखों में)	
पट्टा देयता (नोट संख्या 32.26.1 देखें)		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पट्टा देयता (नोट संख्या 32.26.1 देखें)		14.57	19.11
		14.57	19.11
		रुपि (रुपए लाखों में)	
टिप्पणी 15: अन्य वित्तीय देयताएं (गैर चल)		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्रतिधारण		3 57.14	1 16.78
सुरक्षित जमाना		8 69.00	10 53.13
केरल राज्य सहकारी बैंक ऋण पर देय ब्याज		40 29.81	50 37.26
	कुल	52 55.95	62 07.17
		रुपि (रुपए लाखों में)	
टिप्पणी 16: प्रावधान (गैर चल)		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 32.13 और 32.14 देखें)			
उपदान के लिए प्रावधान		6 97.42	6 15.65
अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान		7 73.25	7 12.19
अर्ध वेतन छुट्टी के लिए प्रावधान		2 17.87	2 16.32
छुट्टी यात्रा रियायत के लिए प्रावधान		78.24	75.15
	कुल	17 66.78	16 19.31
		रुपि (रुपए लाखों में)	
टिप्पणी 17: आस्थगित कर देयताएं (गैर चल)		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आस्थगित कर देयताएं (टिप्पणी संख्या 32.19 देखें)			
संपत्ति, संवत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति का नशी शेष और कर शेष पर अंश		-	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति (टिप्पणी संख्या 32.19 देखें)			
अनवशोषित मूल्यहास और हानि		-	-
	कुल	-	-



टिप्पणी 18: अन्य चालू देयताएँ	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	4 76.08	5 38.29
आस्थगत उचित मूल्यांकन-लाभ (सुरक्षा जमा)	11 39.24	2 27.26
कुल	16 15.32	7 65.55

टिप्पणी 19.क: उधार [चालू]	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सावधि ऋण (सुरक्षित)		
बैंकों से (टिप्पणी संख्या 32.10 देखें)	49 50.00	53 00.00
सावधि ऋण (असुरक्षित)		
वित्तीय संस्थानों से (टिप्पणी संख्या 32.10 देखें)	72 28.00	38 26.00
पारस श्रु सहाता - भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 32.12 देखें)	66 35.54	66 35.54
कार्यशील पूंजी ऋण - केनरा बैंक (सुरक्षित) (टिप्पणी संख्या 32.10 देखें)	32 33.39	20 77.42
कुल	220 46.93	178 38.96

टिप्पणी 19.ख: पट्टा देयताएँ [चालू]	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
- पट्टा देयता (टिप्पणी संख्या 32.26.1 देखें)	4.54	4.15
कुल	4.54	4.15

टिप्पणी 20: देय व्यापार [चालू]	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
- देय व्यापार (नोट संख्या 32.35 देखें)	9 59.34	15 59.93
कुल	9 59.34	15 59.93

टिप्पणी 21: अन्य वित्तीय देयताएँ [चालू]	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
चालू एवं देय:		
व्याज उपार्जित लेकिन उधार लेने पर देय नहीं	18 18.17	18 05.83
असुरक्षित		
- प्रतिधारण	7 39.02	3 27.70
- प्राप्त व्यापार/ सुरक्षा जमा	9 83.85	12 05.24
- भूमि अधिग्रहण और संरचनात्मक मूल्यांकन	79 67.05	89 07.39
- अन्य:		
- परियोजना संबंधी देयताएँ	85 14.12	79 86.18
- केरल सरकार (टिप्पणी सं. 32.17 देखें)	160 09.28	191 17.99
- अन्य	11 24.40	13 24.16
कुल	371 55.89	406 74.49

टिप्पणी 22: अन्य चालू देयताएँ	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वैधानिक भुगतान	4 58.47	5 50.35
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	8 84.16	12 33.82
आस्थगत उचित मूल्यांकन लाभ (सुरक्षा जमा)	99.76	90.14
कुल	14 42.39	18 74.31

टिप्पणी 23: प्रावधान [चालू]	रशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 32.13 और 32.14 देखें)		
उपदान का प्रावधान	49.19	31.03
अर्जित छुट्टी का प्रावधान	57.78	49.91
अर्ध वेतन छुट्टी का प्रावधान	19.12	15.30
छुट्टी यात्रा रिवायत का प्रावधान	20.80	19.07
कुल	1 46.89	1 15.31



टिप्पणी 24: संचालन से राजस्व	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ट्रेन परिचालन से प्राप्त राजस्व	30 78.45	12 89.87
गैर किराया बॉक्स राजस्व	35 92.38	27 07.11
कुल	66 70.83	39 96.98

टिप्पणी 25: अन्य आय	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण से लाभ)	44 32.64	30 41.09
सरकारी अनुदान (केरल से राज्य करों की प्रतिपूर्ति से लाभ)	7 77.24	9 21.45
परामर्श आय	3 05.57	8 69.59
बैंक जमा पर ब्याज	5 23.31	4 40.75
बाढ़ के नुकसान पर बीमा दावा वसूली (टिप्पणी संख्या 32.37 देखें)	10 91.84	71 34.74
अन्य गैर-परिचालन आय (टिप्पणी संख्या 25.1 देखें)	3 33.58	1 24.63
सुरक्षा जमा की समाप्ति से आय	95.78	2 16.84
कुल	75 59.96	127 49.09

25.1 अन्य गैर परिचालन आय:

आवेदन/निविदा प्रसंस्करण शुल्क	7.91	10.54
अन्य ब्याज	5.98	18.91
अन्य	3 19.69	95.18
कुल	3 33.58	1 24.63

टिप्पणी 26: परिचालन व्यय	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहक सुविधा व्यय	12 41.56	10 23.71
बिजली और पानी के शुल्क	13 60.21	11 83.65
सुरक्षा व्यय एवं अन्य आउटसोर्स व्यय	11 24.09	10 27.59
आयोग	1 45.30	60.88
बाहरी परियोजना परामर्श	1 77.61	6 10.02
अन्य परिचालन व्यय	2 35.22	1 62.77
कुल	42 83.99	40 68.62

Note 27 : Employee Benefits Expense	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	38 64.47	36 14.08
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	3 35.34	3 04.78
उपदान व्यय (टिप्पणी संख्या 32.13 और 32.14 देखें)	99.62	1 09.22
कर्मचारी कल्याण व्यय	2 04.38	2 52.27
कुल	45 03.81	42 80.35



टिप्पणी 28: वित्त लागत	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ए) पास ध्रु सहायता पर ब्याज - भारत सरकार		
सकल ब्याज (ए)	12 49.47	13 89.15
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (बी)	.00	
लाभ और हानि के विवरण में कुल हस्तांतरण (ए-बी)	12 49.47	13 89.15
बी) बैंकों से ऋण पर ब्याज		
सकल ब्याज (ए)	154 29.21	149 97.58
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय (बी)	(24 96.66)	(9 96.25)
लाभ और हानि विवरण में कुल हस्तांतरण (ए-बी)	129 32.55	140 01.33
सी) अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (टिप्पणी संख्या 32.5 देखें)		
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय की समाप्ति (ए)		
लाभ और हानि के विवरण में कुल हस्तांतरण (ए)	44 32.64	30 41.09
	44 32.64	30 41.09
डी) प्रतिधारण राशि और सुरक्षा जमा के उचित मूल्यांकन पर ब्याज		
प्रतिधारण राशि जमा पर ब्याज व्यय की समाप्ति (ए)	1 07.62	2 22.68
कम करें: निर्माण के दौरान व्यय (बी)	(1.34)	(1.22)
कम करें: केरल सरकार को देय (सी)	(5.52)	(4.11)
लाभ और हानि के विवरण में कुल स्थानांतरण (ए-बी-सी)	1 00.76	2 17.35
ई) पट्टा देयता पर ब्याज		
पट्टा देयता पर ब्याज व्यय (ए)	1.97	0.77
लाभ और हानि के विवरण में कुल हस्तांतरण (ए)	1.97	0.77
ई) गारंटी आयोग		
केरल सरकार को देय गारंटी कमीशन (ए)	1 37.29	1 37.34
लाभ और हानि के विवरण में कुल स्थानांतरण (ए)	1 37.29	1 37.34
कुल योग-लाभ और हानि विवरण के लिए हस्तांतरण	188 54.68	187 87.03

टिप्पणी 29: मूल्यहास और परिशोधन व्यय	राशि (रुपए लाखों में)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास (टिप्पणी संख्या 1.14 और 2 क देखें)	171 72.56	198 92.34
उपयोग के अधिकार पर मूल्यहास	5.02	1.73
अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन (टिप्पणी संख्या 1.14 और 3क देखें)	3 36.26	3 37.18
कुल	175 13.84	202 31.25



रुपि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 30 : अन्य व्यय	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
	के लिए	के लिए
बीमा	10 33.15	10 73.44
मरम्मत और रखरखाव	9 79.85	6 18.08
सड़क कार्य/स्टेशन उन्मुखी कार्य	5 06.17	1 07.09
कानूनी और पेरोवर	1 47.22	1 42.78
कार्यालय और अन्य विविध व्यय	1 21.16	1 07.52
विज्ञापन और प्रचार व्यय	1 01.50	87.42
यात्रा और परिवहन व्यय	77.06	85.28
बाढ़ बहाली के बाद का खर्च	67.67	5 61.44
किराया, दौरे और कर	10.76	18.16
शैक प्रभार	3.69	15.70
विनिमय उतार-चढ़ाव हानि / (लाभ)	(12.09)	8.20
व्यापार प्राप्ति पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	3.54	13.44
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नोट संख्या 30.1 देखें)	7.45	7.06
कुल	30 47.13	28 45.61

रुपि (रुपए लाखों में)

30.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
	के लिए	के लिए
लेखा - परिष्करण शुल्क	6.54	6.26
अन्य सेवाएं	.83	.80
व्यय की प्रतिपूर्ति	.08	.00
कुल	7.45	7.06

टिप्पणी 31 : प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
	के लिए	के लिए
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (लाभ रुपये में)	(339 56.01)	(334 89.82)
इक्विटी शेयरों की संख्या	1507460 00.00	1507460 00.00
मूल और मिश्रित प्रति शेयर आय (ईपीएस) (रुपए में) (टिप्पणी संख्या 32.23 देखें)	(22.53)	(22.22)



टिप्पणी सं. 32 समेकित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त जानकारी
32.1 विदेशी मुद्रा में व्यय
राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	दिनांक 31.03.2022	दिनांक 31.03.2021
	को समाप्त वर्ष के लिए	को समाप्त वर्ष के लिए
के.एम.आर.एल द्वारा व्यय		
- अनुबंध	30 91.46	4 61.85
- अन्य	शून्य	46.13
डी.एम.आर.सी द्वारा अनुबंधों पर व्यय (नीचे की टिप्पणी देखें)	शून्य	26 98.61

वर्ष 2020-21 के लिए, डीएमआरसी द्वारा कंपनी द्वारा उनके खातों के विवरण के अनुसार, भारतीय रुपये में किए गए भुगतानों में से, विदेशी मुद्रा में किया गया पूंजीगत व्यय।

वर्ष 2021-22 के लिए डीएमआरसी से पुष्टि प्राप्त न होने के कारण उक्त राशि को शून्य मानी जा रही है।

32.2 विदेशी विनिमय दर भिन्नता

32.2.1 भारत सरकार द्वारा कंपनी को प्रदान की जाने वाली पास थ्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में जेंसक्रैसेज डी डेवलपमेंट (एएफडी) और भारत सरकार (भारत सरकार), उधारकर्ता के रूप में के बीच चरण I के लिए 180 मिलियन यूरो के ऋण सुविधा समझौते पर आधारित है। चरण I के लिए पीटीए निधि भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए में बजटीय प्रावधानों के माध्यम से कंपनी को जारी किए गए। पीटीए के रूप में 13,27,10.77 लाख रुपए (180 मिलियन यूरो के बराबर) की संपूर्ण ऋण राशि को कई चरणों में पीटीए के रूप में आईएनआर में कंपनी को हस्तांतरित किया गया। कंपनी की देयताएँ भारत सरकार के साथ है। कंपनी की चुकौती दायित्व प्राप्त पीटीए की राशि के बराबर आईएनआर में सीमित है। कंपनी का दायित्व भारत सरकार के प्रति है। कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व प्राप्त पीटीए की राशि के बराबर भारतीय रुपए तक सीमित है। तदनुसार, संबंधित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से विदेशी विनिमय दर भिन्नता हानियों/लाभों को मान्यता नहीं दी है।

भारत सरकार ने केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल के लिए 27 मिलियन यूरो का एक उधार सुविधा समझौता किया। भारत के राज्यों को विकास सहायता हेतु भारत सरकार की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार निधियों को भारतीय रुपए में केरल सरकार को स्थानांतरित कर दिया। वर्ष 2020-21 के दौरान केरल सरकार द्वारा भारत सरकार से पीटीए के रूप में प्राप्त 24,46.67 लाख रुपए (2.84 मिलियन यूरो के बराबर) की राशि को के.एम.आर.एल को स्थानांतरित कर दिया गया। कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व पीटीए की राशि के बराबर भारतीय रुपए तक सीमित है। तदनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से संबंधित राशि को तुलन-पत्र की तारीख तक विदेशी विनिमय दर परिवर्तन हानियों/लाभों को मान्यता नहीं दी है।

इसके अलावा, भारत सरकार केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.1 के अनुसार, विनिमय दर भिन्नताओं को केरल सरकार द्वारा पूरा/व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 273 के तहत, ऋण पूरी तरह से चुकाए जाने के बाद और ऋण अवधि के दौरान नहीं, भारत सरकार विदेशी विनिमय दर भिन्नताओं को पहचान लेगा और विनिमय दर भिन्नता के ऐसे लेखांकन को "8680 विविध सरकारी खातों" में समायोजित/बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार ऐसी विनिमय दर भिन्नता के कारण हो रहे अंतर का केरल सरकार द्वारा निपटान किया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा चुकाई गई राशि और जब भारत सरकार द्वारा विनिमय भिन्नता का निपटान किया जाता है, तब कंपनी द्वारा आईएनआर में भारत सरकार को चुकाई गई राशि के बीच का अंतर, केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

तदनुसार, तुलन पत्र में, पीटीए के तहत देयता को आईएनआर में मान्यता दी गई है।



32.2.2 भारतीय लेखा मानक -21 के संबंध में प्रकटीकरण, "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव"। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (पीटीए से संबंधित लेनदेन के अलावा) का प्रभाव निम्नानुसार है:

चालू वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनिमय अंतर (शुद्ध विदेशी मुद्रा) की कुल राशि 12.09 लाख रुपए (पि. वर्ष 2020-21, 8.20 लाख रुपए की हानि) है।

32.3 सीडब्ल्यूआईपी से परिसंपत्तियों का पूंजीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्षों के दौरान पहले से पूंजीकृत परिसंपत्ति के मूल्य में 13,17.24 लाख रुपए के अंतर को मान्यता दी है। दिनांक 23 मई 2013 को डी.एम.आर.सी और के.एम.आर.एल के बीच हुए समझौता ज्ञापन के खंड 6.1.20 के अनुसार डी.एम.आर.सी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित स्थाई परिसंपत्ति रजिस्टर प्राप्त करने में देरी की प्रत्याशा में, के.एम.आर.एल ने डी.एम.आर.सी द्वारा सौंपे गए बयान पर भरोसा किया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के आधार पर, स्थाई परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर यदि कोई अंतर हो तो, उसको वर्ष 2022-23 में मान्यता दी जाएगी।

सीडब्ल्यूआईपी की चालू वर्ष की अनुसूची

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	अथशेष	वर्ष के दौरान हुए जोड़	21-22 में पूंजीकृत	रोकड़ बाकी
चरण Iए & Iबी *	194 41.51	263 10.97	0.00	457 52.48
चरण II	5 60.36	6.70	0.00	5 67.06
अन्य	25 22.02	4 11.04	1978.26	9 54.80
कुल योग	225 23.89	267 28.71	19 78.26	472 74.34

- चरण I, चरण Iए और चरण Iबी के लिए संयुक्त व्यापक प्रशासनिक मंजूरी के लिए अनुमोदन प्रदान करते हुए, केरल सरकार ने यह ह संकेत दिया गया था कि, चरण Iए और चरण Iबी के सभी परिसंपत्तियाँ राज्य सरकार के पास निहित हो जाएँ। केरल सरकार के दिनांक 24.05.2022 के पत्र संख्या ट्रांस-सी2/43/2020-ट्रांस के तहत केरल सरकार ने यह जानकारी दी है, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के बाद शर्त में संशोधन किया जाएगा।

32.4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

निर्माण गतिविधि से सीधे संबंधित व्यय को पूंजीकृत किया गया है। परियोजना के विभिन्न घटकों के कारण होने वाले सभी प्रत्यक्ष व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के तहत मान्यता प्राप्त है।

उधार लेने की लागतें जो सीधे तौर पर एक योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण और निर्माण के उत्तरदाई होती हैं, उन्हें सीडब्ल्यूआईपी के लंबित पूंजीकरण के तहत वर्गीकृत हैं। उधार लागत का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	वर्ष के अंत में कुल उधार लागत	वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत	लाभ और हानि के विवरण के लिए वसूल की गई उधार लागत	सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत वर्गीकृत उधार लागत
चालू वर्ष	168 15.97	NIL	143 19.31	24 96.66
गत वर्ष	163 86.73	NIL	153 90.48	9 96.25



वित्त मंत्रालय, वय्य विभाग ने अपने पत्र एफ.सं.30 (03) /पीएफसी.II/2019 दिनांकित 15 अप्रैल 2020 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना - चरण II के कार्यान्वयन की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय, वय्य विभाग ने अपना पत्र एफ.सं.30 (03) /पीएफसी.II/2019 दिनांकित 15 अप्रैल 2020 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना - चरण II के कार्यान्वयन की सिफारिश की।

विस्तार के लिए कंपनी द्वारा किए गए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, यातायात अध्ययन और अन्य संबंधित वय्य की तैयारी के लिए किए गए वय्य को सीडब्ल्यूआईपी-द्वितीय चरण के तहत समूहबद्ध किया गया है। तीसरे चरण की परियोजना अर्थात अलुवा से अंगमाली (हवाईअड्डा लिंक के साथ) के प्रस्ताव को कोच्ची मेट्रो विस्तार कार्यों के हिस्से के रूप में माना जा रहा है।

सीडब्ल्यूआईपी का एजिंग शेड्यूल

राशि (रुपए लाखों में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	31.03.2022 को	275 40.08	143 19.63	45 05.70	9 08.93	472 74.34
	31.03.2021 को	169 42.17	46 71.57	3 35.24	5 74.91	225 23.89

32.5 सरकारी ऋण लेखांकन (अधीनस्थ ऋण) और संबंधित वित्त लागत

32.5.1 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए, यह संकेत दिया गया कि अधिग्रहित भूमि की लागत के लिए 67200 लाख रुपए की राशि केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तदनुसार, केरल सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2017 को भूमि अधिग्रहण के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 306,25 लाख रुपए जारी किए। शेष राशि के लिए, केरल सरकार ने कंपनी को सरकार की ओर से सावधि ऋण लेने का निर्देश दिया।

केरल सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या (एमएस) 20/2015/ट्रांस दिनांकित 25.03.2015 के तहत निर्देशित के अनुसार, कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के लिए "केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक" जिसे पहले "एरणाकुलम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (ईडीसीबी)" के नाम से जाना जाता था, से 470,00 लाख रुपए की एक सावधि ऋण ले लिया। कुल 470,00 लाख रुपए में से 366,00 लाख रुपए चरण I के भूमि अधिग्रहण के लिए है और 104,00 लाख रुपए कुन्नर पार्क से पेड्डा तक के वैड्डिला-पेड्डा रोड के लिए है। केरल सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर ऋण की चुकौती और ब्याज सेवा कार्य की गई है। वित्तीय विवरणों में उक्त ऋण को उधार के रूप में दर्शाया गया है।

संक्षेप में, ईडीसीबी से लिया गया ऋण परियोजना अनुमोदन आदेश के अनुसार केरल सरकार से प्राप्त होने वाले अधीनस्थ ऋण के विशेषता को दर्शाता है। तदनुसार, 366,00 लाख रुपए की राशि को दिनांक 01.04.2016 से केरल सरकार से प्राप्य अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

32.5.2 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए, यह संकेत दिया गया था कि प्रत्येक 248,50 लाख रुपए की राशि, केंद्रीय करों की तरफ भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा जारी की गई निधियों को अनुमोदित निधिकरण पैटर्न के अनुसार अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

32.5.3 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 के समझौता ज्ञापन के खंड 11.1 के अनुरूप में, पार्टियों के बीच यह सहमति हुई है कि परियोजना की समयावधि के भीतर या उसके बाद किसी भी प्रकार की लागत वृद्धि को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। तदनुसार, केरल सरकार द्वारा निर्देशित जीओ (आरटी) संख्या 215/2020/ट्रांस 22.06.2020 के तहत, कंपनी ने



कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए गैप निधीकरण की दिशा में 390,00 लाख रुपए की राशि के लिए मेसर्स आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया है। समझौते की शर्तों के अनुसार, ऋण को केरल सरकार की गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान मेसर्स हडको से निकाली गई राशि शून्य है (पिछले वर्ष 331,23 लाख रुपए), उक्त का समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के लिए दूसरी लागत वृद्धि, केरल सरकार के हिस्से की ओर, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 51,91 लाख रुपए की राशि (सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 353/2020/ट्रांस दिनांकित 28.10.2020) और 88,44 लाख रुपए (सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 358/2021/ट्रांस दिनांकित 26.10.20) के तहत प्राप्त हुआ, जिसका समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

32.5.4 केरल सरकार ने पेड्डा से एस एन जंक्शन तक मेट्रो लाइन के चरण I के विस्तार के लिए सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 73/2014/ट्रांस दिनांकित 17/10/2014 के तहत 359,00 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। दिनांक 15.7.2019 के जी.ओ. (एमएस) सं. 36/2019/ट्रांस के तहत 97,38 लाख रुपए के भूमि लागत सहित परियोजना लागत को संशोधित कर 710,92 लाख रुपए कर दिया गया है।

सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 63/2018/ट्रांस दिनांकित 23.10.2018 के तहत 97,38.00 लाख रुपए में से 58,11 लाख रुपए केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए सीधे विशेष तहसीलदार एलए को जारी किए गए, जिसे अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

केरल सरकार के भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक शेष राशि के लिए सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.03.2020 के द्वारा निर्देशित कंपनी ने मेसर्स हडको से ऋण लिया। वर्ष 2020-21 के दौरान मेसर्स हडको से लिए गए 39,27 लाख रुपए के ऋण के बराबर राशि को स्वीकृत परियोजना निधीकरण पैटर्न के हिस्से के रूप में, अधीनस्थ ऋण का केरल सरकार का हिस्सा होने के नाते केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

32.5.5 केरल सरकार ने सरकारी आदेश सं. (एमएस) 27/2019/ट्रांस दिनांकित 14/06/2019 के तहत एसएन जंक्शन से त्रिपुनित्तुरा रेलवे स्टेशन/बस डिपो तक के मेट्रो लाइन के चरण 1 बी के रूप में, चरण I के विस्तार के लिए 356.00 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। सरकारी आदेश सं. (एमएस) 2/2021/ट्रांस, दिनांकित 16.01.2021 के तहत, 135.86 लाख रुपए की भूमि लागत सहित परियोजना लागत को संशोधित कर 448,33 लाख रुपए किया गया है।

दिनांक 11.10.2021 के सरकारी आदेश सं. (आरटी) 347/2021/ट्रांस के तहत केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 135,86 लाख रुपए में से, 92,63 लाख रुपए जारी किए गए, जिसका केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक शेष निधि के लिए, केरल सरकार द्वारा दिनांक 17.03.2020 के सरकारी आदेश (आरटी) सं.112/2020/ट्रांस के तहत जारी निर्देश के अनुसार, कंपनी ने मेसर्स हडको से ऋण लिया। 2021-22 के दौरान मेसर्स हडको से 43,23 लाख रुपए के ऋण के समतुल्य राशि को अनुमोदित परियोजना निधीकरण पैटर्न के हिस्से के रूप में गौण ऋण में केरल सरकार का हिस्सा होने के नाते इसे केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

32.5.6 केरल सरकार ने सरकारी आदेश (आरटी) संख्या 24 /2021/ट्रांस दिनांकित 16.01.2011 के तहत, कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के लिए 239,00 लाख रुपए की राशि के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की यानि, भारत सरकार से पास श्रु सहायता के रूप में 202,54 लाख रुपए और केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में 36,46 लाख रुपए।

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 तक गौण ऋण के रूप में कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल के लिए केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में प्राप्त रु.36,45 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु.16,00 लाख तक) की संचयी राशि को मान्यता दी।

32.5.7 दिनांक 4 नवंबर 2013 के समझौता ज्ञापन के खंड 12.26 के अनुसार भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच हुए समझौते के अनुसार, नकद घाटे के कारण, यदि कंपनी इसे चुकाने में सक्षम नहीं है तो वह वरिष्ठ अधिधि ऋण चुकाने (जैसा और जब यह देय हो जाता है) का दायित्व केरल सरकार का है।



कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2022 तक केनरा बैंक और यूनिबन बैंक को केरल से अधीनस्थ ऋण के रूप में प्राप्त 393,84 लाख रुपए (पिछले वर्ष 245,48 लाख रुपये तक) की संचयी राशि को मान्यता दी।

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 तक एएफडी, फ्रांस के लिए भारत सरकार को ब्याज और मूलधन की चुकौती के लिए केरल सरकार से प्राप्त ₹.249,04 लाख (पिछले वर्ष तक ₹.174,62 लाख) रुपए की संचयी राशि को केरल से अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

32.5.8 भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.19 के अनुसार, अपने स्वयं के संसाधनों से परिचालन चरण के दौरान यदि केएमआरएल द्वारा इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है तो, नकद घाटे को वित्त पोषित करने का दायित्व केरल सरकार का है।

केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में शुद्ध परिचालन नकदी हानि की ओर प्राप्त 199,48 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक ₹.144,38 लाख) की संचयी राशि को कंपनी ने 31 मार्च, 2022 तक मान्यता प्राप्त की।

अधीनस्थ ऋण को उचित मूल्य पर मापा जाता है और सरकारी अनुदान, लाभ होने के नाते, भारतीय लेखा मानक 109- वित्तीय साधनों और उचित मूल्य के अनुसार निर्धारित प्रारंभिक वहन मूल्यों के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और भारतीय लेखा मानक 20-अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स के अनुसार अनुदान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

32.6 राज्य करों की प्रतिपूर्ति

तदनुसार, सरकारी आदेश (एमएस) सं. 170/2019/वित्त दिनांकित 3 मई 2019 के तहत, कोच्ची मेट्रो परियोजना के निष्पादन के लिए केएमआरएल/डीएमआरसी द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर की प्रतिपूर्ति के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की गई है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक, राज्य सरकार ने केवीएटी और एसजीएसटी की ओर 237,33.52 लाख रुपए की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति की।

32.7 काक्कनाड में भूमि का हस्तांतरण

केरल सरकार के सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 140/2019/आरडी दिनांकित 22 मई 2019 के तहत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे वाली भूमि को केएमआरएल को निःशुल्क रजिस्ट्री पर आबंटित करने और उक्त भूमि पर संपत्ति का विकास करने के लिए मंजूरी प्रदान की। मार्च 2020 में कंपनी को 17.430 एकड़ भूमि को रजिस्ट्री पर सौंपा गया। भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार भूमि पार्सल का मूल्य गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में माना जाता है। अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित किया गया है और इसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाएगी।

केरल सरकार ने सरकारी आदेश संख्या 169/2022/आरडी दिनांकित 24.06.2022 के तहत संपत्ति विकास परियोजना शुरू करने के लिए लोक निर्माण विभाग की 14 एकड़ अतिरिक्त भूमि काक्कनाड में निःशुल्क हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान की। कंपनी को रजिस्ट्री में इस भूमि को नियत करने का काम बाकी है।

32.8 मेट्रो रेल परियोजना और प्रारंभिक एवं अन्य परियोजना कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जिलाधीश को अग्रिम राशि

रुपए (रुपए लाखों में)

मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2022 को	दिनांक 31 मार्च, 2021 को
चरण (अलुवा से पेड़ा)	49 19.51	57 16.98
चरण Iए (पेड़ा से एस एन जंक्शन)	0.95	54.83
चरण Iबी (एसएन जंक्शन से त्रिपुनित्तुरा)	22 81.89	50.00
कुल	72 02.35	58 21.81



प्रारंभिक और अन्य परियोजना कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2022 को	दिनांक 31 मार्च, 2021 को
वैट्टिला-पेड्डा रोड चौड़ीकरण	5.19	5.19
नई मेट्रो लाइन की तैयारी का कार्य - जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फोपार्क से होकर काक्कनाड तक	1 37.75	91 57.09
नई मेट्रो लाइन की तैयारी का कार्य- सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड का चौड़ीकरण	4 06.75	4 01.00
एकीकृत जल मेट्रो परिवहन प्रणाली	30 21.24	20 30.78
कुल	35 70.93	115 94.06

32.9 एकीकृत जल परिवहन प्रणाली

केरल सरकार (जीओके) ने जी.ओ (एमएस) सं. 73/2015/ट्रांस दिनांकित 19/11/2015 के तहत कोच्ची में एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली की अवधारणा के लिए 682,01 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना को जर्मन फंडिंग एजेंसी "क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेरउफबाउ" (केएफडब्ल्यू) द्वारा भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत "जलवायु अनुकूल शहरी गतिशीलता" पहल के हिस्से के रूप में, और केरल सरकार द्वारा 102,30 लाख रुपए की सीमा तक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है। परियोजना के सभी वित्तीय और परिचालन संबंधी जोखिम, परियोजना के कानूनी मालिक के रूप में केरल सरकार के पास निहित होंगे और केएमआरएल, केरल सरकार की ओर से कार्यकारी और संचालन की एजेंसी होगी।

केरल सरकार ने दिनांक 18.6.2021 के सरकारी आदेश (एमएस) सं.14/2021/ट्रांस के तहत 72,00 लाख रुपए की भूमि अधिग्रहण लागत को छोड़कर 1064,83 लाख रुपए की संशोधित परियोजना लागत के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। संशोधित निधीकरण पैटर्न के अनुसार, केरल सरकार का योगदान 156.07 लाख रुपए और केएफडब्ल्यू का योगदान 908,76 लाख रुपए हैं। अतिरिक्त निधीकरण के लिए केएफडब्ल्यू से मंजूरी की प्रतीक्षा में है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, केरल सरकार ने 57,30 लाख रुपए (पिछले वर्ष 82,00 लाख रुपए) की राशि जारी की और केएफडब्ल्यू ने 38,86.16 लाख रुपए (पिछले वर्ष - 30,10 लाख रुपए) की राशि जारी की। दिनांक 31.3.2022 तक जारी संचयी निधि 295,62.84 लाख रुपए है (जिसमें केरल सरकार का योगदान 159,30 लाख रुपए और केएफडब्ल्यू का 136,32.84 लाख रुपए है)।

दिनांक 31.03.2022 तक का कुल व्यय 210,76.34 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक 102,75.20 लाख रुपए) है। ठेकेदारों को दिनांक 31.03.2022 तक अग्रिम के रूप में 87,24.32 लाख रुपए (पिछले वर्ष 79,50.20 लाख रुपए) की राशि का भुगतान किया गया।

केरल सरकार ने दिसंबर 2023 तक केएफडब्ल्यू ऋण आहरण अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध किया। केएफडब्ल्यू ने 290005 यूरो की क्षतिपूर्ति लागत के भुगतान पर संवितरण अवधि को दिसंबर 30,2023 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

केरल सरकार ने दिनांक 23/10/2020 के सरकारी आदेश (एमएस) सं.26/2020/ट्रांस के तहत कोच्ची वाटर मेट्रो परियोजना के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) के गठन के लिए 4,90 रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ केरल सरकार द्वारा 74% इक्विटी और केएमआरएल द्वारा 26% स्वेट इक्विटी के साथ मंजूरी प्रदान की। तदनुसार, दिनांक 14 जुलाई, 2021 को मेसर्स कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडब्ल्यूएमएल) को कंपनी के साथ संयोजित किया गया। कंपनी और केरल सरकार के दायित्वों को निरूपित करते हुए कंपनी ने केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओडब्ल्यू) भी हस्ताक्षरित किया।



32.10 बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उधार

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	बैंक/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान प्रारंभ करने की तारीख	पुनर्भुगतान समाप्त करने की तारीख	वर्ष 21-22 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज	प्रतिवर्ष ब्याज की दर प्रतिशत	वित्तीय वर्ष 31.03.2022 को राशि	वित्तीय वर्ष 31.03.2021 को राशि
क	केनरा बैंक - चरण I	54 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	108 27.68	9.20% 17.2.2022 तक 8.25% 18.2.2022 से	1189 88.61	1198 80.04
ख	केनरा बैंक - प्रथम चरण (अतिरिक्त उधार)	54 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 2, 2023-24	तिमाही 3, 2036-37	15 16.97	8.85% 31.7.2021 तक 8.00% 01.8.2021 से	182 73.19	182 77.01
ग	केनरा बैंक ऋण - चरण I विस्तार	56 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 1, 2025-26	तिमाही 4, 2038-39	14 73.53	8.85% 15.3.2022 तक 8.00% 16.3.2022 से	232 59.41	132 57.89
घ	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया -चरण I विस्तार	56 त्रैमासिक किस्तें	तिमाही 1, 2025-26	तिमाही 4, 2038-39	10 20.37	8.85% 15.3.2022 तक 8.00% 16.3.2022 से	162 63.80	79 82.97
ड	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण)						183 00.00	219 60.00
च	केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण - वैट्टिला - पेट्टा रोड)	10 वार्षिक किस्तें	मार्च, 2018	मार्च, 2027	44 70.38	9.75%	52 00.00	62 40.00
छ	केनरा बैंक - कार्यशील पूंजी माँग ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5 30.44	9.30% 19.12.2021 तक 7.75% 20.12.2021 से	32 33.39	20 77.42
ज	केनरा बैंक - कार्यशील पूंजी माँग ऋण (कोविड-19 सहायता)	18 मासिक किस्तें	मार्च -21	अगस्त -2022	51.04	8.85%	2 49.19	8 47.27
झ	हडको-प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण	52 त्रैमासिक किस्तें	फरवरी -2022	नवंबर - 2034	25 12.65	भूमि अधिग्रहण के लिए प्रति वर्ष 9.75% और कार्यों के लिए प्रति वर्ष 9.25% (एक वर्ष के लिए निर्धारित)	3 07 47.00	2 19 84.00
ट	हडको - चरण I	58 त्रैमासिक किस्तें	फरवरी -2021	मई -2035	29 29.12		2 97 58.00	3 24 50.00
				कुल			26 42 72.59	24 49 56.60



वित्तीय विवरणों में उपरोक्त ऋणों की प्रस्तुति
राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	संदर्भ टिप्पणी संख्या	दिनांक 31.03.2022 को राशि	दिनांक 31.03.2021 को राशि
बैंकों से सावधि ऋण (सुरक्षित) का गैर-चालू भाग	14 ए	19 55 84.20	18 31 45.18
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण (असुरक्षित) का गैर-चालू भाग	14 ए	5 32 77.00	5 06 08.00
कार्यशील पूंजी ऋण (सुरक्षित)	19 ए	32 33.39	20 77.42
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण की चालू परिपक्वता			
बकाया	19 ए	.00	.00
बकाया नहीं		1 21 78.00	91 26.00
कुल		26 42 72.59	24 49 56.60

उपरोक्त ऋणों पर विस्तृत टिप्पणी नीचे दिया गया है;

क) केनरा बैंक- चरण I

कंपनी ने केनरा बैंक के साथ 1170,00 लाख रुपए की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया। केएमआरएल के अनुरोध के अनुसार, मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज सर्विसिंग के लिए स्थगन की मंजूरी दी गई। कंपनी ने ब्याज अधिस्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, सावधि ऋण (पुनर्भुगतान का शुद्ध) पर प्रोद्भूत ब्याज को कोविड-19 सहायता के रूप में पूंजीकृत किया गया। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है।

ख) केनरा बैंक- चरण I (अतिरिक्त उधार)

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की वृद्धि की लागत को पूरा करने के लिए कंपनी ने केनरा बैंक के साथ दिनांक 18.7.2019 को 179,00 लाख रुपए की राशि के लिए सावधि ऋण का समझौता किया। केरल सरकार ने जीओ (आरटी) संख्या 323/2019/ट्रांस दिनांकित 18.7.2019 के तहत मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए गारंटी जारी की। केएमआरएल के अनुरोध के अनुसार, मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज सर्विसिंग के लिए स्थगन के लिए मंजूरी दी गई। कंपनी ने ब्याज अधिस्थगन का लाभ उठाया और तदनुसार, बकाया सावधि ऋण (पुनर्भुगतान का शुद्ध) पर प्रोद्भूत ब्याज को कोविड -19 सहायता के रूप में पूंजीकृत किया गया है। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है और ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत किया है।

ग एवं घ) केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच कंसोर्टियम ऋण - चरण I का विस्तार

कंपनी ने पहले चरण के विस्तार के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्टियम से सावधि ऋण लिया था। कंसोर्टियम ऋण समझौता दिनांक 25.05.2020 को निष्पादित किया गया। समझौते के अनुसार, केनरा बैंक 730,67 लाख रुपए के सावधि ऋण के साथ चरण Iए और चरण Iबी की परियोजना के वित्तपोषण के लिए अग्रणी बैंकर होगा, जिसमें केनरा बैंक द्वारा रु. 430,00 लाख और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रु. 300,67 लाख के अनुपात में साझा किया जाएगा। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर है। चरण I विस्तार की चल और अचल परिसंपत्ति पर परिपासु शुल्क द्वारा ऋण सुरक्षित किया जाता है और ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है। केरल सरकार ने (आरटी) सं.211/2020/ट्रांस दिनांकित 18.6.2020 के तहत ऋण के ब्याज और मूलधन की अदायगी के लिए गारंटी जारी की। चूँकि परियोजना को केरल सरकार



द्वारा वित्त पोषित किया जाना है, गारंटी आयोग की ओर से दिनांक 31.3.2022 तक 4,55.80 लाख रुपए की राशि को भी केरल सरकार से (पिछले वर्ष 1,59.31 लाख रुपए) प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है।

ड) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक के रूप में जाने जाते थे (ईडीसीबी) (भूमि अधिग्रहण)

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या के -14011/37/2005-एमआरटीएस-IV दिनांकित 12 जुलाई 2012 के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का अनुमोदन करते हुए यह संकेत दिया गया था कि केरल सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए 672,000 लाख रुपए ब्याज मुक्त उप ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। केरल सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2017 तक कुल 672,00 लाख रुपए में से 306,25 लाख रुपए राशि जारी की। बकाया राशि के लिए, केरल सरकार ने निर्णय लिया कि उप ऋण योगदान के रूप में 366,00 लाख रुपए की राशि का ऋण केरल सरकार द्वारा प्रदान करेगी, उसे केएमआरएल केरल सरकार की ओर से प्राप्त करेगा।

केरल सरकार ने जी.ओ.(एमएस)सं.20/2015/ट्रांस दिनांकित 25.03.2015 के तहत, भूमि अधिग्रहण के लिए केरल राज्य सहकारी बैंक से 366,00 लाख रुपये का सावधि ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 20 जनवरी 2015 को आयोजित 19 वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदित के अनुसार ईडीसीबी के साथ सावधि ऋण समझौता किया। शासनादेश के अनुसार, ऋण की अवधि दो वर्ष की अधिस्थगन के साथ 12 वर्ष की होगी और चुकौती दस वर्षों में वार्षिकी आधार पर होगी जो कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित होगी। ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही अंतराल पर संयोजित होगी। ब्याज दर हर तीन साल में रीसेट की जाएगी और दिनांक 1 अप्रैल 2020 से उसी को प्रतिवर्ष 9.95% से 9.75% तक घटा दिया गया। ब्याज सहित ऋण की अदायगी केरल सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर की जाती है और जब भी देय हो, को केरल सरकार से प्राप्त के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशानुसार 366,00 लाख रुपए की पूरी ऋण राशि को आइत किया है।

च) केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के रूप में जाना जाता था (भूमि अधिग्रहण-वैट्टिला रोड)

केरल सरकार ने वैट्टिला-पेड्डा रोड की चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत को पूरा करने हेतु जीओ (एमएस) संख्या 24/2015/ट्रांस दिनांकित 30.04.2015 के तहत केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के रूप में जाना जाता था) (भूमि अधिग्रहण-वायटिला पेड्डा रोड) से 104,00 लाख रुपए के सावधि ऋण लेने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 20 जनवरी 2015 को आयोजित अपनी 19 वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदित के अनुसार केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ सावधि ऋण समझौता किया। ऋण की अवधि दो वर्ष की अधिस्थगन के साथ 12 वर्ष की होगी और चुकौती दस वर्षों में वार्षिकी आधार पर होगी जो कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित होगी। ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम होगी, जो तिमाही अंतराल पर संयोजित होगी। ब्याज दर हर तीन साल में रीसेट की जाएगी और दिनांक 1 अप्रैल 2020 से उसी को प्रतिवर्ष 9.95% से 9.75% तक घटा दिया गया। ब्याज सहित ऋण की अदायगी का दायित्व केरल सरकार द्वारा बैंक-टू-बैंक आधार पर लिया जाता है और जब देय हो, को केरल सरकार से प्राप्त के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशानुसार 104,00 लाख रुपए की पूरी ऋण राशि को आइत किया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 91,70.38 लाख रुपए, (पिछले वर्ष 201,80.33 लाख रुपए, तीसरी और चौथी किस्त) सावधि ऋण के पाँचवीं किस्त का भुगतान मार्च 2022 में किया।

छ) केनरा बैंक- कार्यशील पूंजी माँग ऋण

कंपनी ने दिनांक 30.09.2019 को केनरा बैंक के साथ क्रमशः 90,00 लाख रुपए और 5,00 लाख रुपए की राशि के लिए एक निधि आधारित कार्यशील पूंजी सुविधा और गैर-निधि आधारित बैंक गारंटी सीमा में दाखिल किया और वार्षिक आधार पर नवीकरण किया। कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्जिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है।



ज) केनरा बैंक- कार्यशील पूंजी मांग ऋण (कोविड-19 समर्थन)

कंपनी ने दिनांक 28 अगस्त 2020 को केनरा बैंक के साथ कोविड -19 केनरा क्रेडिट समर्थन के हिस्से के रूप में 9,00 लाख रुपए का एक कार्यशील पूंजी मांग ऋण सुविधा पर समझौता किया। लागू ब्याज दर वार्षिक अंतराल में मार्चिन के साथ एक साल की एमसीएलआर (ऋण दरों के आधारित निधि की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को परिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित किया है।

ब) हडको - प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण

कंपनी ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I, चरण Iए, चरण Iबी और चरण II के भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों के लिए दिनांक 19.3.2020 को 589,82.00 लाख रुपए की राशि के लिए हडको के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया। इस पर दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी को हडको द्वारा 318.81 रुपए की राशि वितरित की गई। मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि फरवरी 2022 तक है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक 11,34 लाख रुपए का भुगतान किया गया। ऋण जीओ (आरटी) सं.112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.3.2020 के तहत, ब्याज के भुगतान और मूलधन की अदायगी के लिए सरकारी गारंटी द्वारा सुरक्षित है।

चूंकि कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से और प्रारंभिक कार्यों के लिए ऋण लिया गया है, ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन सहित ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान जीओके से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। तदनुसार, दिनांक 31 मार्च 2022 तक 1,23.90 लाख रुपए और 4,96.22 लाख रुपए की राशि, क्रमशः ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी आयोग की राशि के रूप में, केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ट) हडको - चरण I

कंपनी ने दिनांक 26.06.2020 को परियोजना के गैप फंडिंग हेतु 390,00 लाख रुपए की राशि के लिए हडको के साथ एक सावधि ऋण समझौता किया। इस पर, हडको द्वारा कंपनी को 331,23 लाख रुपए की राशि वितरित की गई और दिनांक 31 मार्च, 2021 तक 33,65 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

शासनादेश (आरटी) 215/2020/ट्रांस दिनांकित 22.06.2020 के तहत, सरकार ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के संबंध में पर्याप्त बजट प्रावधान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन सहित ब्याज और मूलधन की चुकौती को केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, 123.90 लाख रुपये और 470.23 लाख रुपये की राशि को ऋण प्रसंस्करण शुल्क और गारंटी कमीशन की राशि को दिनांक 31 मार्च 2022 तक केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ठ) दिनांक 16 अक्टूबर 2004 के शासनादेश (एमएस) सं. 487/04/वित्त के खंड 4 (i) के अनुसार, देय गारंटी कमीशन पिछले वर्ष के 31 मार्च को ब्याज, दंडात्मक ब्याज आदि सहित बकाया ऋण की वास्तविक शेष राशि का 0.75% होगा। एक वर्ष में देय राशि का भुगतान दो समान किश्तों में किया जाएगा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक 01 अप्रैल को और दूसरा 1 अक्टूबर को।

कंपनी द्वारा भुगतान किए गए गारंटी कमीशन का विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है;

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	गारंटी कमीशन	देय और 31.3.2022 तक भुगतान किया गया	31.3.2022 को देय नहीं है	कुल
1	केनरा बैंक - चरण I, कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए (अतिरिक्त उधार)	2 63.11	1 37.29	4 00.40
2	केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच कंसोर्टियम लोन - चरण I का विस्तार	1 59.31	2 96.49	4 55.80



3	हडको - प्रारंभिक कार्य/भूमि अधिग्रहण	2 63.75	2 32.47	4 96.22
4	हडको - कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए अंतर वित्तपोषण	2 45.28	2 24.94	4 70.22
	कुल	9 31.45	8 91.19	18 22.64

32.11 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के प्रति केरल सरकार से प्राप्य

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	विस्तृत टिप्पणी संदर्भ संख्या	31- मार्च -22			31- मार्च -21		
		चालू	गैर- चालू	कुल	चालू	गैर- चालू	कुल
केरल राज्य सहकारी बैंक से लिए गए ऋण पर	32.10.ड एवं 32.10.च	47 00.00	1 87 94.81	2 34 94.81	47 00.00	2 34 94.82	2 81 94.82
केरल राज्य सहकारी बैंक से ऋण के लिए प्राप्य ब्याज पर		10 07.45	40 30.18	50 37.63	10 07.45	50 37.25	60 44.70
हडको से लिए गए ऋण पर	32.10.झ एवं 32.10.ञ	69 82.87	5 04 94.02	5 74 76.89	46 07.43	4 06 59.77	4 52 67.20
गारंटी कमीशन पर, गारंटी कमीशन और प्रसंस्करण शुल्क पर ब्याज	32.10. ग,घ,झ एवं ञ	17 30.19	0.00	17 30.19	15 9.31	0.00	1 59.31
कुल		144 20.51	733 19.01	877 39.52	104 4.19	691 91.84	796 66.03



32.12 भारत सरकार की ओर से पास श्रू सहायता

30 राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	बैंकों/वित्तीय संस्थानों का नाम	पुनर्भुगतान की अवधि	पुनर्भुगतान आरंभ तिथि	पुनर्भुगतान समाप्त तिथि	21-22 के दौरान चुकाया गया ब्याज	ब्याज की दर	31.03.2021 को राशि*	31.03.2020 को राशि
क	चरण I के लिए पास श्रू सहायता	40 अर्धवार्षिक किरतें	सितंबर, 2019	March, 2039	12 32.63	6 मासिक यूरिबोर के साथ 155 आधार अंक का मार्जिन	11 28 04.15	11 94 39.69
ख	एनएमटी के लिए पास श्रू सहायता	20 अर्धवार्षिक किरतें	मई, 2025	नवंबर, 2034	20.61	1.52% या 6 महीने यूरिबोर + 1.35% (मार्जिन)	24 46.67	24,46.67
Total							11 52 50.82	12 18 86.36

31 *टिप्पणी 19क में दर्शाई गई पीटीए की चालू परिष्कृता सहित

चरण I कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के लिए 180 मिलियन यूरो की भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई पास श्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में एंजेंस फ्रैन्काइज डी डेवलपमेंट (एफ़डी), एक फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एंजेंसी, और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (जीओआई) के बीच क्रेडिट सुविधा समझौते पर आधारित है। ऋण भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गारंटी के माध्यम से सुरक्षित है। 1327,10.77 लाख रुपए के बराबर के 180 मिलियन यूरो की संपूर्ण ऋण राशी, एफ़डी द्वारा भारत सरकार को जारी कर दी गई है। केएमआरएल को भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार कई चरणों में भारतीय रुपए में राशि वितरित की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार को 66,35.54 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए देय किस्तों के लिए प्रत्येक को 66,35.54 लाख रुपए) है।

केरल सरकार के माध्यम से भारत सरकार द्वारा केएमआरएल की गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के लिए 27 मिलियन यूरो की राशि के लिए प्रदान की जाने वाली पास श्रू सहायता (पीटीए), ऋणदाता के रूप में एंजेंस फ्रैन्काइज डी डेवलपमेंट (एफ़डी), एक फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एंजेंसी, और उधारकर्ता के रूप में भारत सरकार (जीओआई) के बीच क्रेडिट सुविधा समझौते पर आधारित है। ऋण भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गारंटी के माध्यम से सुरक्षित है। वर्ष 2020-21 के दौरान, आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से केरल सरकार को शून्य (पिछले वर्ष 24,46.67 लाख रुपए) जारी की गई थी जिसे बाद में केएमआरएल को जारी किया गया। इसके अलावा, दिनांक 31 मार्च, 2021 को पीटीए पर ब्याज के रूप में 40.27 (पिछले वर्ष तक 19.66 लाख रुपये) लाख रुपए की राशि केरल सरकार को देय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

32.13 भारतीय लेखा मानक-19, "कर्मचारी लाभ" से संबंधित प्रकटीकरण

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं। अंशदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में किया जाता है।

कंपनी की पेंशन योजना भविष्य निधि योजना से जुड़ी हुई है। भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत भी शामिल किया गया है, कंपनी के उन कर्मचारियों को छोड़कर जो 1 सितंबर 2014 के बाद भविष्य निधि (पीएफ) के सदस्य बन गए हैं और जिनका वेतन प्रति माह 15,000/- रुपये से अधिक है। ऐसे कर्मचारी ईपीएस योजना के तहत कवर होने के लिए अर्ह नहीं हैं। उक्त लाभ केवल तभी बढ़ाया जाता है, जब कर्मचारी केएमआरएल में शामिल होने के दौरान पीएफ योजना का मौजूदा सदस्य हो। उपरोक्त पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से योगदान नहीं लिया जाता है और पूरी तरह से नियोक्ता के योगदान से भुगतान किया जाता है।

उपदान: उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को उपदान देय है, जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की हो। उपदान योजना के संबंध में देयताओं को प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में भारतीय लेखा मानक 19 द्वारा अपेक्षित अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। खाता बहियों में उपदान के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार हालांकि नियोजित परिसंपत्तियाँ दिखाई जाती हैं, कंपनी ने खाता बहियों में परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी है, चूंकि कंपनी ने फंड ट्रस्ट नहीं बनाया है।

अर्जित और अर्ध-वेतन छुट्टी: कंपनी कर्मचारियों को मानव संसाधन नीति के अनुसार अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है। इस खाते की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी के अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा के व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित देयता को अक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बीमा: कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान अपने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी भी ली है।



32.14 बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि विवरण और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	प्रकटीकरण								राशि (रुपए लाखों में)	
	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)			
	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व	6 46.47	4 69.11	7 62.09	6 46.46	2 31.62	2 05.25	94.22	47.25		
वर्तमान सेवा लागत	1 16.24	1 35.73	1 42.23	1 17.90	39.13	36.66	21.19	19.06		
ब्याज लागत	43.30	32.84	53.65	45.25	17.06	14.37	6.64	3.30		
भुगतान किए गए लाभ/वापस ले लिया गया प्रावधान	(37.91)	(18.57)	(95.33)	(35.70)	(8.79)	(6.54)	(11.73)	(3.93)		
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से अवटूरियल (लाभ) / हानि	(46.34)	8.33	(41.11)	8.13	(12.37)	2.47	(3.97)	0.72		
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि - अनुभव समायोजन और जनसांख्यिकी अनुमान के कारण	24.85	19.03	9.49	(19.95)	(29.66)	(20.59)	(7.31)	(0.77)		
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व	7 46.61	6 46.47	8 31.02	7 62.09	2 36.99	2 31.62	99.04	94.22		

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ व्यय के तहत लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ इस प्रकार हैं:									
	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)			
	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को	31/03/2022 को	31/03/2021 को
वर्तमान सेवा लागत	1 16.24	1 35.73	1 42.23	1 17.90	39.13	36.66	21.19	19.06		
ब्याज लागत	43.30	32.84	53.65	45.25	17.06	14.37	6.64	3.30		
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59		
प्रतिपूर्ति सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ब्याज आय	0.00	(0.73)	0.00	(0.50)	0.00	(0.27)	0.00	0.00		
प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	(31.62)	(11.31)	(42.04)	(17.86)	(11.29)	(0.05)		
कुल	1 59.54	1 67.84	1 64.26	1 51.34	14.15	32.90	16.54	50.90		
घटाएं: बीमांकिक (लाभ)/सीडबल्यूआईपी को हस्तांतरित हानि/परियोजना निधि/अन्य	59.92	58.62	72.59	68.70	2.99	16.97	2.81	9.16		
लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त व्यय	99.62	1 09.22	91.67	82.64	11.16	15.93	13.73	41.74		



राशि (रुपए लाखों में)

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के अन्य व्यापक आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नानुसार हैं:		
विवरण	उपदान पात्रता (गैर-वित्त पोषित)	
	31/03/2022 को	31/03/2021 को
निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) का प्रतिपूर्ति		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से अक्चूरियल (लाभ)/हानि	(46.34)	9.05
एक्चूरियल (लाभ)/हानि- अनुभव समायोजन और जनसांख्यिकीय धारणा के कारण	24.85	19.03
ओसीआई में कुल प्रतिपूर्ति	(21.49)	28.08
घटाएं: सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित अक्चूरियल लाभ/हानि	3.65	5.05
ओसीआई के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	(17.84)	23.03

दिनांक 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 तक उपदान, अर्जित छुट्टी नकदीकरण, अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी यात्रा रियायत लाभ दायित्वों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएँ इस प्रकार हैं :

विवरण	31/03/2022 को	31/03/2021 को
छूट की दर	7.51%	6.90%
वेतन वृद्धि दर - पहले 5 वर्ष	6.00%	6.00%

राशि (रुपए लाखों में)

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त कुल परिसंपत्ति/देयता								
विवरण	उपदान पात्रता (गैर वित्तपोषित)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (गैर वित्तपोषित)		छुट्टी यात्रा रियायत (गैर वित्तपोषित)	
	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021
	को	को	को	को	को	को	को	को
दायित्व का वर्तमान मूल्य	7 46.61	6 46.47	8 31.02	7 62.10	2 36.99	2 31.62	99.04	94.22
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतर	74 6.61	6 46.47	8 31.02	7 62.10	2 36.99	2 31.62	99.04	94.22
गैर-मान्य ट्रांसिशनल देयता	-	-	-	-	-	-	-	-
गैर मान्य पिछली सेवा लागत - गैर निहित लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	7 46.61	6 46.47	8 31.02	7 62.10	2 36.99	2 31.62	99.04	94.22



32.15 केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों/परियोजनाओं का विवरण, जो दिनांक 31 मार्च, 2022 तक प्रगति पर हैं।

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं	चालू किए गए प्रारंभिक कार्य/परियोजना का विवरण	परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का शासनादेश	अनुमोदित परियोजना लागत	दिनांक 31.03.2022 तक प्राप्त निधि			दिनांक 31.03.2022 तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त राशि	कुल	
1	कुन्नर पार्क से पेड्डा तक के 1.5 किलोमीटर वैडिला-पेड्डा रोड का चौड़ीकरण	G.O (Ms) No. 13/2015/Trans दिनांकित 10/03/2015	22 35.00	केरल सरकार	22 35.00	22 35.00	19 43.36
2	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इफोपार्क होकर काक्कनाड तक नई मेट्रो लाइन का प्रारंभिक कार्य	G.O(s) No. 13/2016/Trans दिनांकित 08/02/2016	1 89 00.00	केरल सरकार	20 00.00	1 46 71.00	140 42.25
				हडको से ऋण लिया है	1 26 71.00		
3	सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड की चौड़ीकरण के लिए कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के II चरण के प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 73/2018/Trans दिनांकित 17/12/2018	74 07.00	हडको से ऋण लिया है	54 99.84	54 99.84	33 31.07
4	इडपल्ली से जेएलएन स्टेडियम/कलूर तक इडपल्ली -हाई कोर्ट रोड के सुधार और जल निकासी व्यवस्था के उन्नयन के लिए प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 56/2016/Trans दिनांकित 26/08/2016	39 41.40	केरल सरकार	34 00.00	34 00.00	15 93.93
5	त्रिप्युनितुरा के पेड्डा से एसएन जंक्शन तक कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 31/2016/Trans दिनांकित 31/03/2016	1 23 00.00	केरल सरकार	61 20.00	1 13 58.33	1 13 58.33
				हडको से ऋण लिया है	44 24.16		
				अन्य	8 14.17		
			4 47 83.40		3 71 64.17	3 71 64.17	3 22 68.94
	कुल						

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का कुल शेष राशि, जो दिनांक 31 मार्च, 2022 तक प्रगति पर हैं, केरल सरकार से प्राप्य/देय होने के कारण तुलन पत्र में टिप्पणी संख्या 5.9 और 19 में दिखाया गया है।

32.16 केरल सरकार की ओर से कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों / परियोजनाओं का विवरण, जो डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	लिया गया और पूरा किया गया प्रारंभिक कार्य/परियोजना का विवरण	केरल सरकार के प्रशासनिक मंजूरी आदेश	अनुमोदित परियोजना लागत	दिनांक 31.03.2022 तक प्राप्त निधि		दिनांक 31.03.2021 तक व्यय की गई राशि
				निधि का स्रोत	प्राप्त राशि	
1	प्रारंभिक कार्य	G.O.(MS) No. 110/2013/Trans दिनांकित 07-12-2013	242 47.00	केरल सरकार	220 45.27	197 40.50
2	पञ्चालम रेल ओवर ब्रिज (आरओबी)	G.O(Ms) No. 23/2014/Trans दिनांकित 05/03/2014 and G.O(Ms) No.56/2014/Trans दिनांकित 24/07/2014	52 59.00	केरल सरकार	52 59.00	23 67.17
3	इडपल्ली फ्लाईओवर	G.O (Rt) No.714/2013/PWD दिनांकित 13/05/2013	108 77.00	केरल रोड फंड बोर्ड (केआरएफबी)	34 43.55	35 28.25
4	चार लेन चंबक्करा पुल के निर्माण का प्रारंभिक कार्य	G.O(Ms) No. 68/2016/Trans दिनांकित 09/11/2016 and G.O(Ms) No. 64/2018/Trans दिनांकित 11/11/2018	38 36.44	केरल सरकार हडको से ऋण	27 00.00 10 36.00	37 09.75
	कुल		442 19.44		344 83.82	293 45.67

केरल सरकार (जीओके) की ओर से कंपनी द्वारा किए गए उपर्युक्त प्रारंभिक कार्यों और परियोजनाओं का कुल शेष, जो डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित की जाती है, केरल सरकार से प्राप्य/देय को तुलन पत्र के नोट संख्या 4, 9 और 19 में दिखाया गया है।



32.17 दिनांक 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध प्रारंभिक और अन्य परियोजना कार्यों के लिए केरल सरकार से
**प्राप्त अग्रिम का विवरण।
राशि (रुपए लाखों में)**

विवरण	31-मार्च-22 को	31-मार्च-21 को
नई मेट्रो लाइन के प्रारंभिक कार्य --काककनाड से होकर इन्फोपार्क तक	0.00	19 24.06
एकीकृत जल परिवहन प्रणाली	84 87.68	96 71.59
पांच प्रारंभिक कार्य	25 34.04	25 34.04
पच्चालम कार्य	28 91.83	28 92.43
इडपल्ली-हाई कोर्ट रोड का सुधार	18 04.09	18 04.09
कुन्नारा से पेड्डा तक के प्रारंभिक कार्य	2 91.64	2 91.78
कुल	160 09.28	191 17.99

32.18 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयू) और केरल सरकार (जीओके) से केंद्रीय
वित्तीय सहायता (सीएफए)

कंपनी को शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) से शहरी परिवहन योजना स्कीम के तहत, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में निधि प्राप्त हुआ, जिसमें सभी प्रकार के यातायात और परिवहन अध्ययन आदि के लिए कुल व्यय का 80% एमओयूडी द्वारा और राज्य सरकार द्वारा 20% वहन किया जाएगा।

दिनांक 31 मार्च 2022 तक किए गए कुल व्यय के 2,26.73 लाख रुपए के कुल व्यय में से, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपना पूरा हिस्सा जारी कर दिया है, केरल सरकार से, और 45.35 लाख रुपए की शेष राशि केरल सरकार से बकाया है, जो कि उनकी वित्तीय सहायता का हिस्सा है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने जीओ (आरटी) संख्या 192/2020/ट्रांस दिनांकित 08.06.2020 के तहत प्राप्त निधि में से शून्य (पिछले वर्ष 32.61 लाख रुपये) की राशि को समायोजित किया और 12.74 लाख रुपए की कुल बकाया राशि को केरल सरकार से प्राप्य के रूप में दिखाया है।

32.19 भारतीय लेखा मानक-12, "आयकर" के संबंध में प्रकटीकरण

दिनांक 31.03.2022 (दिनांक 31.03.2021 को 538,31.49 लाख रुपए) तक अनवशेषित मूल्यहास और संचित हानियों के अस्तित्व पर कंपनी के पास 554,58.39 लाख रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति है। दिनांक 31.03.2022 को आस्थगित कर देयता 3,83,63.94 लाख रुपए (दिनांक 31.03.2021 को 308,41.43 लाख रुपए) है।

दिनांक 31.03.2022 को कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति 1,70,94.45 लाख रुपए (दिनांक 31.03.2021 को 229,90.06 लाख रुपए) है और प्रूडेंस के आधार पर, आस्थगित कर परिसंपत्ति खाता बही में मान्यता प्राप्त नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के संबंध में जैसा कि दिनांक 16.06.2022 को आयकर विभाग, भारत सरकार के सीबीडीटी पोर्टल में प्रदर्शित के अनुसार स्रोत पर कर कटौती को 26 लेखा मानक के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।



32.20 एमएनआरई से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष" के तहत कुल 4.0 मेगावाट की कुल क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 4,80 लाख रुपये की राशि (32,00 लाख रुपए की अनुमानित परियोजना लागत का 15%) को मंजूरी दी गई है।

केएमआरएल ने 2.67 मेगावाट की क्षमता वाली बिजली संयंत्र स्थापित किया और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीएफए की पहली किस्त के रूप में 1,44.00 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1,58.47 लाख रुपए की राशि प्राप्त किए।

डीएमआरसी द्वारा मैसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (डेवलपर) को सोलर पीवी बिजली संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना, जाँच और कमीशनिंग का अनुबंध दिया गया। अनुबंध रेस्को (अक्षय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल पर आधारित है, जहाँ परियोजना की लागत डेवलपर द्वारा वहन की जाती है और केएमआरएल ने पीपीए (पावर परचेज एग्रीमेंट) पर 25 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए हैं। एमएनआरई से प्राप्त पूरी वित्तीय सहायता विकासकर्ता को सवितरण कर दिया गया।

दिनांक 21.06.2016 के एमएनआरई पत्र खंड 6 के अनुसार, दिनांक 24.09.2021 को 14.95 लाख रुपए की राशि पर अर्जित ब्याज एमएनआरई को स्थानांतरित किया गया, जो निर्धारित करता है कि जारी की जा रही राशि को ब्याज वाले खाते में रखा जा सकता है और उपार्जित ब्याज को सरकारी खाते में जमा किया जा सकता है।

32.21 केएमआरएल में गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल

केरल सरकार जीओ (आरटी) संख्या 24/2021/ट्रांस दिनांकित 16.01.2021 के तहत, कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन पहल के लिए 239,00 लाख रुपए की राशि के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की यानि 202,54 लाख रुपए भारत सरकार से पास श्रु सहायता के रूप में और 36,46 लाख रुपए केरल सरकार से अधीनस्थ ऋण के रूप में। एनएमटी योजना में स्टेशन-उन्मुख विकास, प्रमुख जंक्शन सुधार और शहरी स्थान बनाने वाली पैदल यात्री परियोजना आदि शामिल है।

तदनुसार, दिनांक 27.12.2019 को कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना की एनएमटी पहलों के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार और एएफडी के बीच 27 मिलियन यूरो के लिए क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के राज्यों को विकास सहायता के हिस्से के रूप में, भारत सरकार द्वारा केएमआरएल को भारत सरकार द्वारा केरल सरकार के माध्यम से निधि उपलब्ध कराया जाएगा। दिनांक 05.02.2020 को केएमआरएल (अंतिम लाभार्थी) और एएफडी के बीच परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रत्येक भुगतान तिथि पर यानि प्रत्येक वर्ष 31 मई और 30 नवंबर को ब्याज देय होता है। मूलराशि की अदायगी बीस समान अर्धवार्षिक किस्तों में होगी और पहली किस्त दिनांक 31 मई, 2025 को देय है और अंतिम किस्त दिनांक 30 नवंबर 2034 को केरल सरकार द्वारा देय होगी।

वर्ष 2021-22 के दौरान, आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से केरल सरकार को शून्य (पिछले वर्ष 24,46.67 लाख रुपए) जारी किया गया।

केरल सरकार ने कंपनी की गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहलों के लिए 36,45 लाख रुपए (पिछले वर्ष 16,00 लाख रुपए तक) की संचयी राशि जारी की।

32.22 भारतीय लेखा मानक - 23 "उधार लेने की लागत" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, "उधार लागत" पर लेखा नीति के अनुरूप शून्य रुपए की राशि (पिछले वर्ष शून्य) उधार लेने की लागत से पूंजीकृत किया गया और क्रमशः 143,19.31 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु.153,90.48 लाख रुपए) तथा 24,96.66 लाख रुपए (पिछले वर्ष 9,96.25 लाख रुपए) राजस्व और सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रभारित किया गया है।



32.23 भारतीय लेखा मानक -33, "प्रति शेयर आय" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण
राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	2021-22	2020-21
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (रुपए लाखों में)	(3 39 54.82)	(3 34 89.82)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या		
- बुनियादी	15 07 46 000	15 07 46 000
- डिल्यूटड	15 07 46 000	15 07 46 000
प्रति शेयर मूल आय (रु. 100/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) (रु.)	(22.52)	(22.22)
प्रति शेयर डाइल्यूटड आय (रु. 100/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) (रु.)	(22.52)	(22.22)

32.24 भारतीय लेखा मानक -1, "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति", भारतीय लेखा मानक 8, "लेखा नीतियाँ", लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों के संबंध में प्रकटीकरण
क. पूंजी प्रबंधन
राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(क) कुल ऋण	4 37 003.07	4 07 909.88
(ख) कुल पूंजी	2 55 187.60	2 54 069.40
(ग) ऋण / इक्विटी अनुपात (क/ख)	1.71	1.61

कंपनी के पूंजी प्रबंधन की गणना के उद्देश्य से, पूंजी में जारी पूंजी और अन्य इक्विटी शामिल हैं।
ऋण में दीर्घकालिक ऋण और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं।

ख. पिछले वर्ष के वित्तीय पुनर्कथन के कारण

पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित कारणों से पुनर्कथित किया गया :

- पिछले वर्षों से संबंधित डीएमआरसी से ली गई परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतनीकरण और ठेकेदार के दावों के अंतिम निपटान, केएमआरएल की मौजूदा परिसंपत्तियों में मूल्य अद्यतन के कारण,
- डीएमआरसी के ठेकेदारों के दावों के अंतिम निपटान और बाढ़ बहाली कार्यों से संबंधित कार्यों के मूल्य के कारण डीएमआरसी से पिछले वर्षों से ली गई परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य में अद्यतन थे। इस कारण पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन करना पड़ा।
- ऐसे पुनर्कथनों का शुद्ध प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है,

(iv)
राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	कुल प्रभाव
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में (वृद्धि)	11 36.36
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों में (वृद्धि)	9.64



वर्ष 2020-21 तक मूल्यहास में (वृद्धि)	1 58.72
अन्य वित्तीय देयताओं (चालू) में (वृद्धि)	(13 04.72)
पूँजीगत कार्य-प्रगति में (वृद्धि)	41.25
अन्य व्यय में (कमी)	(41.25)
अन्य इक्विटी में (कमी)	(1 17.47)
प्रति इक्विटी शेयर आय में (कमी)	0.03

32.25 भारतीय लेखा मानक (इंड एस) -8 "लेखा नीतियाँ, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ" के संबंध में प्रकटीकरण

इमारतों, सीसीटीवी और सौर पैनलों का मूल्यहास क्रमशः 30 वर्ष, 18 वर्ष और 15 वर्ष की अवधि में किया गया। वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा इन परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की समीक्षा की गई और स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर क्रमशः 60 वर्ष, 6 वर्ष और 25 वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया। तदनुसार, कंपनी ने तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अब निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुरूप 60 वर्ष, 6 वर्ष और 25 वर्ष की अवधि में ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्यहास किया है।

इसके फलस्वरूप, इस वर्ष के इस खाते पर मूल्यहास व्यय 29,76.34 लाख रुपए कम है और परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का डब्ल्यूडीवी उस हद तक अधिक है।

32.26 भारतीय लेखा मानक-116, "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

32.26.1 कंपनी ने कर्मचारियों के लाभ के लिए कुछ परिसरों को पट्टे/किराए पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्था आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 34.94 लाख रुपए (गत वर्ष 39.26 लाख रुपए) का पट्टा किराए (वसूली का शुद्ध) का भुगतान किया है और इस प्रकार भुगतान किया गया पट्टा किराए को व्यय-कर्मचारी कल्याण व्यय शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

कंपनी ने पार्किंग सुविधा प्रदान करने के लिए 5 साल की अवधि पर केरल राज्य आवास बोर्ड से खाली जमीन पट्टे पर ली है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आरओयू परिसंपत्तियों के अग्रणीत मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	वर्ष 2021-22	वर्ष 2020-21
	के दौरान	के दौरान
प्रारंभ में बकाया	23.35	-
योग	-	25.08
विलोपन	-	-
मूल्यहास	5.01	1.73
अंत में बकाया	18.34	23.35

पट्टा देयताओं में उतार-चढ़ाव इस प्रकार है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	वर्ष 2021-22	वर्ष 2020-21
	के दौरान	के दौरान
प्रारंभ में बकाया	23.26	-



परिवर्धन	-	24.61
अवधि के दौरान उपार्जित वित्त लागत	1.97	0.77
पट्टा देयताओं का भुगतान	(6.12)	(2.12)
अंत में बकाया	19.11	23.26

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार वर्तमान और गैर-वर्तमान पट्टा देयताओं का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वर्ष 2021-22के दौरान	वर्ष 2020-21 के दौरान
वर्तमान पट्टा देयताएँ	14.57	19.11
गैर-चालू पट्टा देयताएँ	4.54	4.15
कुल	19.11	23.26

32.26.2 पट्टे जिसके तहत कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से ग्रहण करती है, उन्हें वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिग्रहित होने पर, ऐसी परिसंपत्तियों को उचित मूल्य या पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो, पर पूंजीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

कंपनी ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों को परिचालन पट्टे के आधार पर पार्टियों को लाइसेंस दिया है। परिचालन पट्टों से किराए की आय को आम तौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि में एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मान्यता दी जाती है। जहाँ किरायों को केवल कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाने के लिए संरचित किया गया है, उक्त वृद्धियों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसे लाभ अर्जित होते हैं।

परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त होने वाली भविष्य की न्यूनतम लाइसेंस राशि नीचे दी गई है;

राशि (रुपए लाखों में)

परिचालन पट्टा	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	8 34.60	3 92.36
एक वर्ष से अधिक और पांच साल तक	36 14.28	20 81.73
पांच साल से परे	48 61.27	22 44.18

32.27 भारतीय लेखा मानक-24, "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

32.27.1 प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति:

- 32.27.1.1 श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, (अध्यक्ष, दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक)
- 32.27.1.2 श्री मनोज जोशी, (अध्यक्ष, दिनांक 10 जनवरी 2022 से)
- 32.27.1.3 श्रीमती सुजाता जयराम, (नामित निदेशक दिनांक 16 मई 2022 तक)
- 32.27.1.4 श्रीमती नमिता मेहरोत्रा, (नामांकित निदेशक दिनांक 30 मई 2022 से)
- 32.27.1.5 श्री जयदीप, (नामित निदेशक)
- 32.27.1.6 श्री डी.के. सैनी, (नामित निदेशक)
- 32.27.1.7 श्री वी.पी. जोय, (नामित निदेशक, दिनांक 29 अप्रैल 2021 से)

- 32.27.1.8 श्री राजेश कुमार सिंह, (नामित निदेशक)
- 32.27.1.9 श्री अलकेश कुमार शर्मा (प्रबंध निदेशक, दिनांक 7 अप्रैल 2021 तक)
- 32.27.1.10 श्री के.आर. ज्योतिलाल, (नामित निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार अप्रैल 2021 से 27 अगस्त 2021 तक)
- 32.27.1.11 श्री. लोकनाथ बेहरा (प्रबंध निदेशक, दिनांक 27 अगस्त 2021 से)
- 32.27.1.12 श्री एस सुहास, (नामित निदेशक दिनांक 7 जुलाई 2021 तक)
- 32.27.1.13 श्री जाफर मलिक (नामित निदेशक दिनांक 2 अगस्त 2021 से)
- 32.27.1.14 श्री भूपेंद्र सिंह बोध, (नामित निदेशक)
- 32.27.1.15 श्री कुमार के आर (निदेशक-वित्त दिनांक 31 मई 2022 तक)
- 32.27.1.16 श्रीमती अन्नपूर्णा एस, (निदेशक-वित्त दिनांक 13 जून 2022 से)
- 32.27.1.17 श्री. डी के सिन्हा (निदेशक- सिस्टम)
- 32.27.1.18 श्री तिरुमन अर्चुनन (निदेशक-परियोजनाएं दिनांक 1 जून 2021 तक)
- 32.27.1.19 श्री डॉ एम पी राम नवास (निदेशक-परियोजनाएं दिनांक 28 जून 2022 से)
- 32.27.1.20 श्री श्याम सुंदर अग्रवाल (कंपनी सचिव)

32.27.2 उन कंपनियों का विवरण जहाँ महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है और जिनके साथ

कंपनी ने लेनदेन किया था

32.27.2.1 कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)।

32.27.3 प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ कंपनी के लेनदेन का प्रकटीकरण:

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	2021-22	2020-21
1	वेतन और भत्ते	1 37.15	1 79.73
2	भविष्य निधि और अन्य के लिए अंशदान	10.74	16.11
3	अन्य लाभ	22.59	13.72
	कुल (कर्मचारी लागत में शामिल किया गया है)	170.48	209.56

क) पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी की नीति के अनुसार वसूली के अधीन निजी यात्राओं के लिए कंपनी के वाहनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

ख) उपरोक्त राशि में अक्च्यूरियल मूल्यांकन पर सुनिश्चित किए गए उपदान, छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी यात्रा रियायत में योगदान के प्रावधान शामिल नहीं हैं। अतः वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक भुगतान अन्य लाभों में शामिल किया है।

32.27.4 कंपनियों के साथ कंपनी के लेनदेन का प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने इक्विटी अंशदान के रूप में कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड को 127.40 लाख रुपए का भुगतान किया। कंपनी ने कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड (केडबल्यूएमएल) के साथ 5 साल की अवधि के लिए परिसंपत्ति को पट्टे पर देने हेतु समझौता किया है। कंपनी ने निगमन और विविध व्ययों के लिए प्रारंभिक व्यय वहन किया, और दिनांक 31 मार्च 2022 को केडबल्यूएमएल से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।



राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	2021-22	2020-21
इक्विटी योगदान	1 27.40	
गैर-किराया बॉक्स राजस्व		
- लाइसेंस शुल्क	0.10	0.00
व्यय की प्रतिपूर्ति		
- प्राथमिक खर्च	8.24	0.00
- विविध	0.60	0.00
कुल (केडबल्यूएमएल से प्राप्य)	8.94	0.00

32.28 भारतीय लेखा मानक -36 (परिसंपत्तियों की हानि) के संबंध में प्रकटीकरण

परिसंपत्तियों पर क्षति हानि, वर्ष के दौरान शून्य (पिछले वर्ष शून्य) (नोट संख्या 32.37 भी देखें) के लिए मान्यता प्राप्त है।

32.29 भारतीय लेखा मानक -37 "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों" के संबंध में प्रकटीकरण

क) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	01.04.2021 को प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान परिवर्धन/हस्तांतरण/उपयोग	दिनांक 31.03.2022 को अंश शेष
प्रावधान	46 42.22	19 28.61	65 70.83
आकस्मिक देयताएँ			
क. कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना की ओर			
i. भूमि अधिग्रहण संबंधी दावे	186 54.87	95 51.00	282 05.87
ii. राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ)	20 49.39	20 49.39	0.00
iii. जिला कलेक्टर को स्थापना एवं आकस्मिक प्रभार**	52 92.54	34 77.02	87 69.57
iv. मध्यस्थता का दावा	64 43.18	15.24	64 58.42
v. अन्य	50 94.12	91 36.79	142 30.91
ख. केरल सरकार (जीओके) की ओर से केएमआरएल द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों की ओर	140 73.54	49 57.06	190 30.60
बैंक द्वारा दी गई गारंटी के कारण	1 41.95	1.10	1 43.05
घ. संवैधानिक प्राधिकरण	81.24	6 16.49	6 95.73
आकस्मिक परिसंपत्ति ***	10 91.08	10 91.08	-

*केरल सरकार ने दिनांक 02.07.2022 के शासनादेश सं. (एमएस) सं.132/2022/होम के तहत केरल पुलिस-राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) द्वारा वर्ष 2025 तक सुरक्षा प्रदान करने पर कंपनी को "लागत बिल" शर्त से छूट देने की मंजूरी प्रदान की।

**प्रारंभिक कार्यों से संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्थापना और आकस्मिक शुल्क के लिए दावा की गई राशि को छोड़कर, राज्य सरकार के नाम पर प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

*** वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी के लिए 10,91.08 लाख रुपए के दावे को बीमाकर्ता द्वारा भुगतान के लिए अनुमोदित किया गया।

दिनांक 31 मार्च 2022 तक, परियोजनाओं से संबंधित कुछ भूमि अधिग्रहण मामले उप-न्यायालय एरणाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एरणाकुलम के पास लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण दायर किए गए संबंधित मुआवजे के कारण हुए अनुमानित अतिरिक्त देयता 282,05.87 लाख रुपए हैं। यह आकस्मिक देयताओं के तहत सम्मिलित है।

इसके अलावा, उप-न्यायालय एरणाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एरणाकुलम के साथ लंबित प्रारंभिक कार्यों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मामले, जिसका याचिकाकर्ताओं द्वारा 190,30.60 लाख रुपए की अनुमानित देयताओं के लिए दावा बयान किया गया है, वह भी आकस्मिक देयताओं के तहत सम्मिलित है।

शेष मामलों के लिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा विवरण अभी तक दाखिल नहीं किया गया है और अतः ऐसे संदर्भों के कारण कंपनी वर्तमान देयता को निर्धारित करने में असमर्थ है। न्यायालयों में लंबित इन मामलों के संबंध में देयताएं, यदि कोई हों, कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद या अंतिम आदेश प्राप्त होने पर प्रदान की जाएंगी।

प्रारंभिक कार्यों के दावों के संबंध में, ऐसे प्रारंभिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त धन से निपटारा किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनः स्थापन (केरल) नियम 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के नियम 4(2) और नियम 4(3) के तहत, भूमि अधिग्रहण लागत के क्रमशः 30% और 5% की दर से स्थापना और आकस्मिकता शुल्क, जिला कलेक्टर को अग्रिम भुगतान किया जाना है। चूंकि भूमि अधिग्रहण दिनांक 04.11.2013 को किए भारत सरकार, केरल सरकार और केएमआरएल के बीच के समझौता ज्ञापन के अनुसार केरल सरकार का दायित्व है, केएमआरएल ने कई मौकों पर राजस्व विभाग से इस तरह के स्थापना शुल्क और आकस्मिकता को अधित्यजन करने का अनुरोध किया है। ऐसी पुष्टि लंबित होने पर, स्थापना शुल्क और आकस्मिकता के कारण राशि (अग्रिम/प्रावधान, यदि कोई हो का शुद्ध) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।

32.30 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, निश्चित सीमा को पूरा करने वाली कंपनी को अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करने की आवश्यकता है। हालांकि सीएसआर प्रावधान केएमआरएल पर लागू होते हैं, कंपनी नुकसान में होने के कारण सीएसआर पर अनिवार्य रूप से कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अतः, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए कोई व्यय नहीं किया है।

32.31 भारतीय लेखा मानक - 107 "वित्तीय साधन: प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

32.31.1 श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधन

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को			31 मार्च 2021 को		
	परिशोधन लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीओसी आई	अमूर्त लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीओसी आई
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 5 एवं 10 देखें)	8 94 06.94	-	-	8 15 97.53	-	-
व्यापार प्राप्तियाँ (टिप्पणी 8 देखें)	10 80.80	-	-	9 65.09	-	-



कुल	9 04 87.74	-	-	8 25 62.62	-	-
वित्तीय देयताएँ						
उधार (टिप्पणी संख्या 14क और 19क देखें)	43 70 03.07	-	-	40 79 09.88	-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ (टिप्पणी संख्या 15 और 21 देखें)	4 24 11.86	-	-	4 68 81.69	-	-
कुल	47 94 14.93			45 47 91.57		

32.31.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय साधनों के संबंध में विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं को श्रेणी के अनुसार ऊपर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्य प्रकार के जोखिम बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों में जोखिम को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकद प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है।

कंपनी के संपर्क में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम निम्नानुसार हैं;

क. बाजार जोखिम

कंपनी को बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम और व्याज दर जोखिम है। साथ ही कंपनी के पास मूल्य जोखिम नहीं है चूंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

ख. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है। कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए इस जोखिम के संपर्क में है, उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम देना, ग्राहकों से प्राप्तियां, सुरक्षा जमा आदि। रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि से है।

- व्यापार प्राप्तियाँ

- परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाने गए ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों की चूक की लगातार निगरानी करती है और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में सम्मिलित करती है। जहाँ उचित लागत पर उपलब्ध हो, बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और उनका उपयोग किया जाता है।

ग. लिक्विडिटी जोखिम

कंपनी की लिक्विडिटी आवश्यकताओं की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती

है। कंपनी के लिक्विडिटी के प्रमुख स्रोत परिचालन से उत्पन्न राजस्व, वाणिज्यिक दीर्घकालिक उधार, व्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं।

कंपनी नकद प्रवाह की निरंतर निगरानी और पर्याप्त नकद और नकद समकक्ष बनाए रखकर अपनी लिक्विडिटी की जरूरतों का प्रबंधन करती है। किसी भी कमी को निर्धारित करने के लिए शुद्ध नकद आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकद से की जाती है।



अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी देय, वैधानिक बकाया, वर्तमान परिपक्वता और बाहरी उधार पर ब्याज और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य प्रकार के दौरान उत्पन्न होने वाली जमा राशि आदि शामिल है। कंपनी अपनी अल्पकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद और नकद समकक्षों और अन्य बैंक बकाया राशि में पर्याप्त बकाया राशि बनाए रखती है।

कंपनी समय-समय पर दीर्घकालिक लिक्विडिटी आवश्यकताओं का आकलन करती है और आंतरिक संचय के माध्यम से उनका प्रबंधन करती है। कंपनी की गैर-चालू देयताओं में उधार का पुनर्भुगतान, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण और जमा और कर्मचारी लाभ के लिए देयताएँ आदि शामिल हैं।

घ. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

i. व्यापार प्राप्तियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की बकाया व्यापार प्राप्य (सकल) राशि क्रमशः 12,53.77 लाख रुपए और 11,38.06 लाख रुपए हैं। व्यापार प्राप्य आम तौर पर असुरक्षित होते हैं और यह ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं। व्यापार प्राप्तियों से संबंधित ऋण जोखिम ग्राहकों से सुरक्षा जमा लेने से कम हो जाते हैं। कंपनी देयताओं की क्रेडिट योग्यता पर बारीकी से निगरानी करती है और केवल क्रेडिट योग्य पार्टियों के साथ व्यवहार करता है। कंपनी के आंतरिक प्रणाली ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए विन्यस्त किए गए हैं, जिससे क्रेडिट जोखिम पूर्व-गणना की गई राशि तक सीमित हो जाता है।

ii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जिसमें कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण और अग्रिम शामिल हैं, जिसे परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ङ. प्रत्याशित ऋण हानि - कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है:
व्यापार प्राप्तियाँ

व्यापार प्राप्य राशियाँ तब प्रभावित होती हैं जब व्यक्तिगत व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली को संदिग्ध माना जाता है। कंपनी का मानना है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो खराब नहीं हैं और समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथियों के लिए बकाया हैं, अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता की हैं। कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए 1,72.97 लाख रुपए की राशि का अनुमान लगाया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों का संक्षेप में आयु विश्लेषण निम्नानुसार है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		छह महीने से कम	6 महीने - 1 साल	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	31 मार्च 2022 को	5 05.55	1 30.38	3 17.59	30.27	2 69.98	12 53.77
	31 मार्च 2021 को	1 48.99	1 49.38	3 99.60	4 37.64	2.45	11 38.06
घटाएँ: क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	31 मार्च 2022 को						1 72.97
	31 मार्च 2021 को						1 72.97
कुल प्राप्य व्यापार	31 मार्च 2022 को						10 80.80
	31 मार्च 2021 को						9 65.09

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है।



इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की लगातार वसूली योग्यता की निगरानी करके किया जाता है, जबकि एक ही समय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि यह राशियाँ निर्धारित सीमा के भीतर हैं। मध्यस्थता के तहत अनुबंध से संबंधित बकाया राशि के खिलाफ संदिग्ध ऋणों के लिए 1,72.97 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

क्रेडिट हानि के हिस्टोरिकल पैटर्न के अतिरिक्त, कंपनी ने कोविड-19 के कारण हुए उभरती स्थितियों पर भी विचार किया। यह मूल्यांकन किसी गणितीय मॉडल पर आधारित नहीं है, बल्कि उन ग्राहकों की वित्तीय ताकत पर विचार करते हुए एक आकलन है, जिनके संबंध में राशि प्राप्य है।

परिसंपत्तियों के प्रकार के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि ऊपर बताए गए के अलावा परिसंपत्ति के वहन मूल्य पर कोई संभावित प्रभाव नहीं है। कंपनी उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तिथियों पर अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता स्थिति में मानती है। तदनुसार, रिपोर्टिंग तिथि पर इन वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति कोई अन्य हानि का प्रावधान नहीं है। कंपनी समीक्षा करना जारी रखेगी और जब भी कोई आवश्यकता होगी, उस समय हानि के प्रावधान पर विचार किया जाएगा।

32.32 भारतीय लेखा मानक -108, "ऑपरेटिंग सेगमेंट" के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड है, जो कोच्ची शहर में मेट्रो रेल सुविधा के निर्माण, संचालन और रखरखाव को कार्यान्वित कर रहा है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम और रिटर्न, संगठन संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर एकल ऑपरेटिंग सेगमेंट में संचालित होता है। कंपनी की अन्य सभी गतिविधियाँ इसी मुख्य व्यवसाय के अनुरूप हैं। संपत्ति विकास परिसंपत्तियों के संबंध में पट्टे की जगह (स्टेशनों और बाहरी स्टेशनों में) से अर्जित परामर्श आय और किराए की आय सहित, अन्य परिचालन राजस्व कंपनी के आंतरिक निर्णय लेने और प्रदर्शन मापन प्रक्रिया के तहत कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार, परिचालन खंड को मुख्य परिचालन निर्णय लेनेवाले (चीफ ऑपरेटिंग डिजीजन मेकर) को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप रिपोर्ट किया जाना है। चीफ ऑपरेटिंग डिजीजन मेकर एक सेगमेंट के रूप में पूरी कंपनी के ऑपरेटिंग परिणाम की निगरानी और समीक्षा करता है। इसलिए कंपनी का एकमात्र परिचालन खंड "मेट्रो संचालन" है। इस प्रकार, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" में पहचाना गया है कंपनी का पूरा कारोबार एक ऑपरेशन सेगमेंट के अंतर्गत आता है और अतः भारतीय लेखा मानक 108 के तहत कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान नहीं किया जाना है।

32.33 पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में प्रकटीकरण

राशि (रुपए लाखों में)

पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं	31.03.2022 को	31.03.2021 को
केएमआरएल की ओर से डीएमआरसी द्वारा किए गए मूर्त परिसंपत्ति अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों के कुल विदेशी मुद्रा अनुबंधों सहित) निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	30 38.72	14 51.08
केएमआरएल द्वारा किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिम का शुद्ध अनुबंधों) को निष्पादित किया जाना बाकी है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।		
क. मूर्त परिसंपत्तियाँ	3 30 72.94	4 81 54.82
कुल	3 61 11.66	4 96 05.90



32.34 कंपनी के पास प्रासंगिक और अन्य संभावनाओं के शेष की अधिकार प्राप्त करने की प्रणाली है। बैंक खाते के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है।

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी ग्राहकों को नियमित चालान/पुष्टि पत्र भेजती है और बकाया राशि की अवधि के बावजूद वसूली की अनिश्चितता होने पर प्रावधान किए जाते हैं और अवास्तविकता स्थापित होने पर बड़े खाते में डाल दिया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य देय और ऋण और अग्रिम का संबंध है, पार्टियों को शेष राशि पुष्टि पत्र भेज देते हैं। कुछ शेष राशि यदि कोई हो, पुष्टि/समाधान, समायोजन के अधीन हैं, जो पुष्टि/समायोजन पर लेखांकित लगाया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

32.35 सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों को बकाया

31 मार्च, 2022 तक, 10,97.61 लाख रुपए (पिछले वर्ष, 1,03.40 लाख रुपए) की राशि बकाया है, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय नहीं है। इस पर कोई ब्याज देय या बकाया नहीं है।

सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों को देय राशि

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2022	मार्च 31, 2021
	को	को
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूल राशि	शून्य	शून्य
उपर्युक्त को देय ब्याज	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे)	शून्य	शून्य
अर्जित ब्याज की राशि और प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में भुगतान न किया गया राशि	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए उस तिथि तक जब तक ऊपर के रूप में बकाया ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक आगे के वर्षों में बकाया और देय ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बारे में उपरोक्त जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की सीमा तक निर्धारित की गई है। इसे लेखा परीक्षकों ने विश्वास में लिया है।

देय व्यापार लेखा तालिका



राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	अवधि	एक वर्ष से				कुल
		कम *	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	31.03.2022 को	0.05	शून्य	शून्य	शून्य	0.05
	31.03.2021 को	0.35	शून्य	शून्य	शून्य	0.35
अन्य	31.03.2022 को	1 66.89	29.47	0.72	0.46	1 97.54
	31.03.2021 को	1 78.26	0.07	0.73	0.19	1 79.25
विवादित बकाया - एमएसएमई	31.03.2022 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31.03.2021 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विवादित बकाया - अन्य	31.03.2022 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	31.03.2021 को	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* ऐसी राशि शामिल है जो बकाया नहीं है।

बिल न किया गया देय

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	अवधि	एक वर्ष से			कुल
		कम/देय नहीं	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
बिल न किया गया देय	31.03.2022 को	7 50.71	शून्य	शून्य	7 50.71
	31.03.2021 को	12 94.26	शून्य	शून्य	12 94.26

32.36 इक्विटी लेखाबद्ध निवेशकों में निवेश

वर्ष 2021-22 के दौरान, केएमआरएल ने कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड में 26% के इक्विटी शेयर के लिए रु.1,27.40 लाख (प्रत्येक रु.100/- के 1,27,400 शेयर) का निवेश किया।

समेकन में शामिल सहयोगी कंपनी और उसमें कंपनी की होल्डिंग निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड
व्यापार का मुख्य केंद्र	कोच्ची, भारत
दिनांक 31.03.2022 को होल्डिंग प्रतिशत	26%

इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए उत्तरदाई कंपनी के सहयोगियों के संबंध में वित्तीय जानकारी नीचे दी गई है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के इक्विटी उपकरणों में निवेश (लागत पर)	127.40	-
घटाएँ : सहयोगियों में कुल व्यापक आय में कंपनी का हिस्सा	(1.19)	-
कुल	126.21	-

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यमों सहयोगी-भारतीय (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) के रूप में समेकित उद्यमों की संख्या

उद्यम का नाम	31 मार्च, 2022 को	कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड
शुद्ध परिसंपत्तियाँ, यानी कुल परिसंपत्तियों कम किए कुल देयताएँ	समेकित शुद्ध संपत्ति के % के रूप में	(0.0004)%
	राशि (रुपए लाखों में)	(1.19)
लाभ या हानि में हिस्सा	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	(0.0035)%
	राशि (रुपए लाखों में)	(1.19)
अन्य व्यापक आय में हिस्सा	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	-
	राशि (रुपए लाखों में)	-
कुल व्यापक आय में हिस्सा	कुल व्यापक आय के % के रूप में	(0.0035)%
	राशि (रुपए लाखों में)	(1.19)

32.37 केरल राज्य में हुए बाढ़ के कारण बीमा दावे के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष 2018-19 के दौरान, दिनांक 15 अगस्त 2018 से 20 अगस्त 2018 की अवधि के लिए, कोच्ची सहित केरल राज्य में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण अलुवा स्टेशन, कंपनीपडी स्टेशन और मुट्टम गार्ड में स्थापित परिसंपत्ति आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। केएमआरएल ने वर्ष 2018-19 के दौरान 78,99.11 लाख रुपए की पहचान योग्य सीमा तक हानि को पहचाना। मरम्मत कार्य प्रगति पर है और परिसंपत्ति को उस सीमा तक बहाल किया जाता है, जिसे बहियों में पूंजीकृत किया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, बीमाकर्ता ने जीएसटी को छोड़कर, 71,34.74 लाख रुपए की राशि के लिए कंपनी के दावों का अनुमोदन किया है और तदनुसार, कंपनी ने वर्ष 2020-21 में 71,34.74 लाख रुपए की आय को मान्यता दी। वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी दावे की भुगतान के लिए 10,91.08 लाख रुपए को अनुमोदित किया और इसे "अन्य आय" के तहत आय के रूप में मान्यता दी गई है।

32.38 हाल की लेखा घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2022 दिनांक 23 मार्च 2022 को निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक में संशोधन हेतु अधिसूचित किया है जो 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हैं।

(i) भारी अनुबंध - एक अनुबंध को पूरा करने की लागत - भारतीय लेखा मानक 37

भारतीय लेखा मानक 37 में संशोधन निर्दिष्ट करता है कि अनुबंध हमारे लिए कठिन है या घाटे का हो तो, एक इकाई को यह आकलन करते समय किस लागत को शामिल करने की आवश्यकता है।

(ii) वैचारिक ढांचे का संदर्भ - भारतीय लेखा मानक 103

आईसीएआई की "भारतीय लेखा मानकों के तहत वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए ढांचा" के संदर्भ में हुए संशोधन करने से अपनी आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण रूप से बदले बिना "भारतीय लेखा मानकों के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैचारिक रूपरेखा" के संदर्भ में बदल दिया है।



(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण - भारतीय लेखा मानक 16

भारतीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद 17 का संशोधन यह स्पष्ट करता है कि जांच की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध विक्री आय से अधिक है, यदि कोई हो, तो लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली प्रत्यक्ष रूप से लागत से कटौती की जाएगी।

(iv) वित्तीय साधन - भारतीय लेखा मानक 109

संशोधन ने उस शुल्क को स्पष्ट किया जो एक प्रतिष्ठान में शामिल है जब यह आकलन किया जाता है कि क्या एक नई या संशोधित वित्तीय देयता की शर्तें मूल वित्तीय देयता की शर्तों से काफी भिन्न हैं।

संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रभावी हैं। इसकी प्रयोज्यता के आधार पर, कंपनी कानून द्वारा अपेक्षित प्रभाव/प्रकटीकरण देने के लिए इसका मूल्यांकन करेगी।

32.39 अन्य वैधानिक जानकारी

- (i) सभी अस्थाई संपत्तियों के शीर्षक विलेख, (अस्थाई परिसंपत्तियों के अलावा जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के समझौते कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजी कार्य-प्रगति में शामिल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, कंपनी के नाम पर तुलन पत्र की तारीख (टिप्पणी सं. 2 और 3 के बिंदु संख्या 2.3 और टिप्पणी सं. 32.4 देखें) के रूप में आयोजित किए जाते हैं।
- (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ।
- (iii) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (iv) कंपनी ने कंपनी (लयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित लयर्स की संख्या की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
- (v) कंपनी विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है इस समझ के साथ कि मध्यस्थ ने :
 - क. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या
 - ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या अन्य समान चीजें प्रदान करना।
- (vi) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (यों) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी:
 - क. निर्धारण पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) या की ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या
 - ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना।
- (vii) कंपनी ने विशिष्ट उद्देश्य के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया उधार का उपयोग किया है।
- (viii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वास्तविक मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- (ix) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है या लंबित है।
- (x) कंपनी के पास कोई शुल्क या ऋणमुक्ति नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होना बाकी है।



(xi) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो या वर्ष के दौरान जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे अभ्यर्पित किया गया है, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में आय के रूप में प्रकट किया गया है।

32.40 कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण दुनिया भर में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न होने के कारण मेट्रो परिचालन में कोविड-19 के प्रभाव पर प्रकटीकरण किया है। कंपनी के मेट्रो रेल परिचालन को चरण I के कार्यों के साथ दिनांक 8 मई 2021 से 30 जून 2021 तक निलंबित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप कम किराया बॉक्स और गैर-किराया बॉक्स राजस्व में भारी कमी आ गई। दिनांक 1 जुलाई 2021 से मेट्रो का वाणिज्यिक संचालन फिर से शुरू हुआ। वर्ष 2021-22 के दौरान मेट्रो का संचालन नहीं होने से किराया बॉक्स राजस्व का अनुमानित नुकसान 12,42 लाख रुपए हैं।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान गैर-किराया बॉक्स ग्राहकों को दी गई छूट/रियायतों के कारण राजस्व की अनुमानित हानि 2,45.02 लाख रुपए है। कंपनी ने ग्राहकों से विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज/जुर्माना नहीं लगाया है।

38.41 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनीय बनाने और दिनांक 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III की आवश्यकताओं की पुष्टि करने के लिए, जहाँ कहीं आवश्यक हो, निम्नलिखित के अनुसार पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

क. पट्टा देयताओं को वित्तीय देयताओं के तहत अलग से प्रकट किया गया (टिप्पणी सं.14.ख और 19.ख) है।

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है।

कृते जी जोसेफ एंड एसोसिएट्स
शासनपत्रित लेखाकार
एफआरएन: 006310 एस
यूडीआईएन: 22211364AOBKQE3059

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

उमेश एल भट
सहयोगी
सदस्यता संख्या: 211364

लोकनाथ बेहरा
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 09406020)

अन्नपूरणी.एस
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(डीआईएन: 09662978)

श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 27.07.2022

स्थान: कोच्ची
दिनांक: 27.07.2022





भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का कार्यालय, चेन्नै

Indian Audit and Accounts Department
Office of the Director General of Commercial Audit, Chennai

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किए गए स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 27.07.2022 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया, ऐसा बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ए) के तहत दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा किया है। हमने कोच्ची वाटर मेट्रो लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक के पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पृष्ठताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत मेरे ध्यान में आए, और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं, निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूँ।

क. समेकित वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

31 मार्च 2022 तक तुलनपत्र

अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ- 18660.63 लाख रुपए (टिप्पणी सं. 6)

उपरोक्त में 105.91 लाख रुपए की राशि शामिल है, जो दक्षिण रेलवे द्वारा पट्टे किराए के गैर-भुगतान/भुगतान में देरी के लिए लगाया गया परिसमापन नुकसान है। चूंकि उक्त राशि का भुगतान परिसमापन क्षति के लिए किया गया था, इसलिए इसे व्यय के रूप में मानना चाहिए। व्यय के रूप में लेखांकन के बजाय परिसमाप्त क्षतियों को परियोजना के लिए 'पूँजीगत अग्रिम' में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों पर शामिल करने से हानि को कम करके दिखाया गया है और अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों को 105.91 लाख रुपए से अधिक बताया गया है।

चालू देयताएँ - 61755.98 लाख रुपए

पट्टा किराया देयता - 4.54 लाख रुपए (कृपया टिप्पणी सं. 19 भी देखें)

उपरोक्त में दिनांक 1 नवंबर 2016 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिए दक्षिण रेलवे स्टेशन पर भूमि के पट्टे किराए के जीएसटी के रूप में देय 74.70 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं की है। के.एम.आर.एल द्वारा सांविधिक बकाए का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं और पूँजीगत कार्य प्रगति पर, को 74.70 लाख से कम बताया गया है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
एवं उनकी ओर से

(देविका नायर)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के महानिदेशक, चेन्नै

स्थान : चेन्नै
तारीख : 06.10.2022

समेकित वित्तीय विवरणों पर सी बी एजी की टिप्पणियों का उत्तर/स्पष्टीकरण

क. समेकित वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ	
31 मार्च 2022 को तुलन पत्र	
1) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ - 18660.63 लाख रुपए (टिप्पणी 6)	
<p>उपरोक्त में 105.91 लाख रुपए की राशि शामिल है, जो पट्टे के किराए के भुगतान में देरी/भुगतान न करने के लिए दक्षिण रेलवे द्वारा लगाया गया परिसमापन नुकसान है। चूँकि राशि का भुगतान परिसमापन क्षति के लिए किया गया था, इसलिए इसे व्यय के रूप में मानना चाहिए।</p> <p>परियोजना के लिए 'पूँजीगत अग्रिमों' में परिसमाप्त क्षतियों को व्यय के रूप में व्यवहार किए जाने के बजाय गैर-चालू आस्तियों के अंतर्गत शामिल करने के परिणामस्वरूप हानियों को कम करके दिखाया गया और अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों को 105.91 लाख रुपए से अधिक बताया गया।</p>	<p>105.91 लाख रुपए की राशि, डी.एम.आर.सी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) द्वारा विलंबित भुगतान के लिए दक्षिणी रेलवे द्वारा लगाया गया परिसमापन हर्जाना है। डी.एम.आर.सी ने पहले चरण के निर्माण के हिस्से के रूप में एरणाकुलम जंक्शन पर दक्षिण रेलवे की भूमि पर कब्जा कर लिया था।</p> <p>कंपनी अपने चरण I के विस्तार के हिस्से के रूप में, त्रिपुनितुरा मेट्रो स्टेशन और वायडवट के निर्माण के लिए रेलवे भूमि के माप क्षेत्र 1804 वर्गमीटर का उपयोग करने की अनुमति के लिए दक्षिण रेलवे से संपर्क किया। दक्षिण रेलवे ने भूमि के अनुमति शुल्क और एलडी (यानी क्रमशः 506.19 लाख रुपए + 105.91 लाख रुपए) के लिए 612.10 लाख रुपए की राशि का संकेत दिया।</p> <p>कंपनी ने दक्षिण रेलवे से डी.एम.आर.सी से देय जुर्माने के मुद्दे को अलग से निपटाने का अनुरोध किया, चूँकि डी.एम.आर.सी द्वारा भूमि का उपयोग किया गया था और कंपनी डी.एम.आर.सी और रेलवे के बीच लेनदेन की पक्षकार नहीं है। जब तक 105.91 लाख रुपए का भुगतान उपलब्ध नहीं कराया जाता, वे त्रिपुनितुरा के भूमि के लिए अनुमति देने को तैयार नहीं थे। त्रिपुनितुरा मेट्रो कार्यों के निर्माण में विलंब न होने के उद्देश्य से कंपनी को उपलब्ध सभी अधिकारों और उपायों के पूर्वाग्रह के बिना, दक्षिण रेलवे को विरोध के तहत भुगतान किया गया।</p> <p>भुगतान की गई राशि के बारे में कंपनी पहले से ही डी.एम.आर.सी को अवगत करा चुकी है। डी.एम.आर.सी के साथ हुए चर्चा के परिणामस्वरूप, उसे डी.एम.आर.सी से वसूल करने का निर्णय लिया। अतः टिप्पणी 6- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत पूँजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।</p> <p>इसके अलावा, उक्त व्यय कंपनी द्वारा किए गए किसी भी व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित नहीं है और अतः लाभ और हानि के विवरण में शामिल नहीं किया गया है।</p>
2) चालू देयताएँ - 61755.98 लाख रुपए	
पट्टा किराया देयता लायबिलिटी - 4.54 लाख रुपए (टिप्पणी सं. 19 बी)	
<p>उपरोक्त में दिनांक 01 नवंबर 2016 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए एरणाकुलम दक्षिण रेलवे स्टेशन पर भूमि के पट्टा किराए पर देय जी.एस.टी के रूप में 74.70 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है। के.एम.आर.एल ने न तो सांविधिक देय राशि प्रदान की है और न ही भुगतान किया है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रगति पर पूँजीगत कार्य को 74.70 लाख रुपए से कम बताया गया है।</p>	<p>लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट 74.70 लाख रुपए की राशि दक्षिण रेलवे स्टेशन पर डी.एम.आर.सी द्वारा ली गई भूमि के पट्टे किराए से संबंधित जी.एस.टी राशि है। दिनांक 01.11.2016 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान भंडारण और निर्माण के उद्देश्य से डी.एम.आर.सी द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया था। कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डी.एम.आर.सी ने लाइसेंस शुल्क के रूप में 3.67</p>



	<p>करोड़ रुपए का भुगतान किया और कर चालान के अभाव में जी.एस.टी का भुगतान नहीं किया गया।</p> <p>जी.एस.टी के लिए 74.70 लाख रुपए का प्रावधान खाता बहियों में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि कंपनी दक्षिण रेलवे और डी.एम.आर.सी के बीच लेन-देन की पक्षकार नहीं है। कंपनी को भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार कोई प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं है। पट्टा किराए का भुगतान डी.एम.आर.सी द्वारा किया गया और कर, यदि कोई हो तो डी.एम.आर.सी द्वारा वहन/भुगतान किया जाना है।</p>
--	---

टिप्पणी: के.एम.आर.एल की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 का हिन्दी अनुवाद अत्यंत सावधानी से किया गया है। हालांकि, अगर किसी हिस्से के बारे में कोई अस्पष्टता है, तो उस हिस्से से संबंधित अंग्रेजी रिपोर्ट पढ़ने और समझने का विनम्र अनुरोध है।

